सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

2013

2014

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	मंत्रालय : एक परिचय	1-8
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन	9-11
3	वर्ष 2013-2014 की विशेषताएं	12-16
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	17-19
5	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम	20-30
6	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	31-86
7	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम	87-108
8	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	109-117
9	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	118-135
10	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	136-142
11	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	143-179
12	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम	180-186
13	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	187-191
14	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	192-198
15	जेंडर संबंधी मामले	199-204
16	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	205-206
17	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	207-212
18	सूचना का अधिकार-आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	213-215
19	जनजातियों के जनसांख्यिकी रूझान	216-239
20	विभागीय लेखा संगठन	240-243
21	जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) 2013-14	244-245
22	नागरिक/ग्राहक चार्टर	246-257

अनुलग्नक		पृष्ठ सं.

1क	जनजातीय कार्य मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना	5
1ख	वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए बजट आवंटन/ संशोधित आवंटन तथा व्यय (योजना)	6-8
5-क	वर्ष 2013-14 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरूपित जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की स्थिति	25
5-ख	समग्र बजट अनुमान विवरण के अनुसार वार्षिक योजना 2013-14 के लिए मंत्रालयवार परिव्यय (कुल जीबीएस) तथा जनजातीय उपयोजना परिव्यय	26-27
6क :	राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश	37-39
6ख :	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	40-53
6ग :	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	54-84
6घ :	अनुसुचित क्षेत्रों के प्रसाशन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति	85
6ङ :	वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय परमर्शदात्री परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण	86
7क :	अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे	105
7ख :	वर्ष 2002-03 से 2013-14 तक के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत निधियों की निर्मुक्ति	106-107
7ग :	वर्ष 2002-03 से 2013-14 तक के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां	108
8 :	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की पुन: संरचना की है जो वर्ष 2013-14 के दौरान लाभार्थियों की कवरेज हेतु लक्षित हैं	115-116
9क :	अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	130
9ख :	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक स्वीकृति आश्रम विद्यालयों की संख्या तथा निर्मुक्त की गई निधियां	131
9ग :	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधिया	132
9घ :	प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	133

9ड़ :	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त सहायता अनुदान	134
9च:	वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निमुर्क्ति	135
10 :	'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' की योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा	142
11क:	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	152-168
11ख :	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के दौरान निर्मुक्त किये गये सहायता अनुदान	169-171
11ग :	''कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण'' की योजना के तहत 2011-12 से 2013-14 तक के दौरान निधि पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची	172-177
11घ :	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत 2011-12 से 2013-14 तक के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	178-179
12क :	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नाम	183-184
12ख :	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी टी जी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/ गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	185-186
14क :	वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां	193
14ख :	वर्ष 2013-14 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	194-198
15 :	वर्ष 2013-14 के दौरान महिला लाभार्थियों को कवर करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	202-204
18क :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	214
18ख :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	215
19क :	जनसांख्यिकी : जनगणना 2001	222-223

19ख : अनुसूचित जनजातियों में राज्यवार लिंग अनुपात : 2001-2011 224

19ग : कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001 225

19घ : बैंक खाताधारी तथा कुछ सचल परिसंपत्तियों वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूह की एक तुलनात्मक तस्वीर 226-227

19ड. : अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत 228

19च : ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके आवास परिसरों में शौचालय तथा स्नान घर की सुविधाएं हैं 229-230

19छ : परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके जनगणना मकान की स्थिति 231

19ज : आवास के अंदर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार 232

19झ : आवास के बाहर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार 233

19ञ : पेय जल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति द्वारा परिवार 234

19ट : पेय जल के मुख्य स्रोत द्वारा परिवार 235-236

19ठ : वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराध की घटना तथा दर 237

19ड : वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अखिल भारत (पी) की तुलना में किए गए अपराध की घटना (आई) तथा दर (आर) 238-239

20क : पारस/पीएसी की स्थिति जिस पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) लम्बित है 243

शब्दावली

शब्द/छोटा रूप	अर्थ/पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएसएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीएस	क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
जीईआर	समग्र भर्ती अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईटीडीपी/आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एजेंसी
जेबीवाई	जनश्री बीमा योजना
माडा	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमईएस	मॉड्यूलर एम्प्लोएबल स्किल्स
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु उद्देश्य जनजातीय विकास परियोजनाएं
एनएईबी	राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारस्थितकीय विकास बोर्ड
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनओएसएसएचएसए	विदेश में उच्चतर अध्ययनों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर इमारती लकड़ी वाला वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात)
आरजीएनएफ	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

टीएसपी को एससीए	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
अनुसूचित जनजाति	भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है कि वे समुदाय जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुरूप अनुसूचित किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि केवल वे समुदाय जिन्हें प्रारम्भिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा अथवा संसद के परवर्ती संशोधनकारी अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजातियां माना जायेगा।
एससीएसवीई	स्वेच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसजी	राज्य अनुदान
एसएचजी	स्व सहायता समूह
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय परामर्शदात्री परिषद
ट्राईफेड	भारतीय जन जातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
यूजीसी	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

अध्याय 1

मंत्रालय : एक परिचय

अधिदेश

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:-

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. कल्याण मंत्रालय : सितंबर, 1985 से मई, 1998 तक।
3. मई, 1998 से सितंबर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित विषय निम्नानुसार हैं-

1) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।
2) जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण योजना बनाना, परियोजनाओं का प्रतिपादन करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण।
3) जनजातियों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।
4) अनुसूचित जनजातियां, जिसमें इन जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं।
5) अनुसूचित जनजातियों का विकास।

5 क) वन भूमियों पर वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में विधान सहित सभी मामले।

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति, आयोजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। इन समुदायों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास की योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि और साथ ही इनका समन्वय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों का दायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है, नोडल मंत्रालय या विभाग होगा।

6) (क) अनुसूचित क्षेत्र;
(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम;

7) (क) आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देना; तथा
(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश जारी करना।

8) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

9) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989(1989 का

33) का कार्यान्वयन, जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध में आपराधिक मामलों का न्याय करना शामिल नहीं है।

इस मंत्रालय को आवंटित अधिदेश के उप-पैरा (ख) के पश्चात पैरा 6 में उप-पैरा ''(ग) जनजातिय क्षेत्रों'' जोड़ कर भारत सरकार (कार्यों का आवंटन) नियमावली 1961 को संशोधित करने के लिए इस मंत्रालय ने मंत्रि मंडल सचिवालय से अनुरोध किया है।

भूमिका

1.2 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में भारी अंतर को पाटने हेतु निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों की संपूर्ति करता है। इनमें आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं तथा यह संस्थान निर्माण के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री के समग्र निर्देश में कार्य कर रहा है और राज्य मंत्री द्वारा इनकी सहायता की जाती है। मंत्रालय के प्रशासनिक मुखिया सचिव हैं तथा इनकी सहायता दो संयुक्त सचिवों, एक उपमहानिदेशक तथा एक आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है। वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आतंरिक वित्त तथा बजट के मामलों में सहायता कर रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 138 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 113 है। समूह "क" के 50 पद, समूह "ख" (राजपत्रिक/अराजपत्रिक) के 56 पद, समूह "ग" के 32 पद जिसमें पूर्ववर्ती समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-1-क** में दिया गया है।

प्रशासन

1.4 मंत्रालय के स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वे मामले जिनमें मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत होती है, उन्हें मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और इस मंत्रालय के संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग, भारतीय सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे अनुसंधान और मीडिया, सांख्यिकी, आर्थिक तथा सहकारी आयोजना एवं विनियमन प्रभाग भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रांति भवन में अवस्थित है। माननीय राज्य मंत्री, (जनजातीय कार्य) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित है।

कंप्यूटर केन्द्र

1.6 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन समर्थन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। एनआईसी लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) तथा वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के कार्यकरण को देखता है। साइबर आक्रमण की रोकथाम करने के लिए विंडोज, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर और पैच मैनेजमेंट का ऑन-लाइन अपग्रेडेशन करेन के लिए शास्त्री भवन में एक पृथक एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर कार्यरत है।

1.7 एनआईसी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अगस्त क्रांति भवन में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)/मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (एमएएन) भी स्थापित किया है जिसमें सीजीओ कॉम्पलैक्स, एनआईसी मुख्यालय से 20 एमबीपीएसआरएफ के बैकअप के साथ 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से ई-मेल तथा इंटरनेट कनैक्टिविटी वाला है।

1.8 मंत्रालय की वेबसाइट को सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिमिश्रित किया गया है तथा वेबसाइट डायनामिक, विकलांगोनुकूलन, पारदर्शी और सूचनापरक है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.9 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय इसके अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की भी निगरानी करता है। अधिकतर अधि कारी तथा कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं या उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा अधिनियम/नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.10 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, 2013-14 में विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्रों आदि के साथ किए जाने वाले पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट द्वि भाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। इस मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की हिन्दी में सरकारी काम करने की हिचक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के अंतर्गत दो संगठनों द्वारा सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण भी किए गए थे। मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का भी पुनर्गठन किया गया है।

हिन्दी पखवाड़ा

1.11 मंत्रालय में 16 से 30 सितम्बर, 2013 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन, हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टंकण और श्रुतलेख जैसे कार्यकलाप और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साह से भाग लिया।

सतर्कता कार्यकलाप

1.12 मंत्रालय में सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव की सहायता करते हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच सम्पर्क-सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) के रूप में अपने सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त सतर्कता संबंधी कार्य भी देखते हैं। मंत्रालय में एक उपसचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं। इस संबंध में जनता की जानकारी के लिए कार्यालय परिसर में सूचना पटल लगाए गए हैं।

1.13 मंत्रालय ने दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाया । दिनांक 28.10.2013 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शास्त्री भवन में तथा उपमहानिदेशक (डीडीजी) ने कर्मचारियों को अगस्त क्रांति भवन में शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.14 मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। शिकायत निदेशक के ब्योरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बैठक करते हैं और कभी-कभी उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित करते हैं ताकि उनकी समस्याएं और शिकायतें सुन सकें। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की ऑन लाइन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है तथा डीएआरपीजी, राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से तथा सीधे ही ऑन लाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान ऑन-लाइन किया जा रहा है।

1.15 परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) 2013-14 तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु नागरिक/ग्राहक चार्ट क्रमशः अध्याय 21 तथा अध्याय 22 में दर्शाए गए हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2013

1.16 वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, इस वर्ष भी मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और समारोह, 2014 में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रुप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक महिला और एक पुरुष को आमंत्रित किया।

1.17 गणतंत्र दिवस समारोह 2014 में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 53 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2014, 28 जनवरी, 2014 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली तथा 29 जनवरी, 2014 को बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखा। जनजातीय अतिथि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से भी मिले तथा दिनांक 24 जनवरी, 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भी उपस्थित हुए। वे रक्षा मंत्री से भी मिले। जनजातीय अतिथियों ने दिनांक 30.01.2014 को राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री/जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने जनजातीय अतिथियों के सम्मान में रात्रि-भोज का आयोजन किया तथा उन्हें उपहार प्रदान किए गए। प्रधाान मंत्री और रक्षा मंत्री की ओर से भी उन्हें उपहार संवितरित किए गए।

1.18 मेहमानों को दिल्ली और उसके आसपास के दर्शनीय स्थानों पर ले जाया गया।

संसदीय स्थायी समिति

1.19 श्री हेमानन्द बिस्वाल की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में 01. 04.2013 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए।

1.20 जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति (2013-14) (पंद्रहवीं लोक सभा) ने दिनांक 02.05.2013 को जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगें 2013-14 पर चौतीसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी पंद्रहवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे उसी दिन राज्य सभा में रख दिया गया था।

1.21 श्री फ्रांसिस्को सारदिन्हा की अधयक्षता में सम्पदा समिति (2013-14) के ''जनजातीय कल्याण योजनाओं'' पर समिति (2012-13) की 21वीं रिपोर्ट में दी गई अवलोकन/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर दिनांक 23. 10.2013 को मंत्रालय के प्रतिनिधि का साक्ष्य लिया।

एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी)

1.22 वर्ष 2013-14 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रलय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु बजट आबंटन 4279. 00 करोड़ रु. था तथा संशोधित अनुमान के अनुसार अंतिम अनुदान 3879 करोड़ रु. था। वर्ष 2013-14 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 3822.1165 करोड़ रु. थी जो संशोधित अनुमान अंतिम/अनुदानों का 98.53 प्रतिशत है।

1.23 वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय **अनुलग्नक-1 ख** में दिए गए हैं।

1.24 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित किया गया एकमात्र सर्वोच्च संगठन है। इस निगम को जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रुप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) से प्रतिनिधियों तथा अनुसूचति जनजातियों के ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान कर के अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाता है।

अनुलग्नक-1क

जनजातीय कार्य मंत्रालय: संगठनात्मक संरचना

एसजी	:	राज्य अनुदान
प्रशा.	:	प्रशासन
सं.सम.स.	:	संसद, समन्वय एवं सतर्कता
सीपीएंडआर	:	सहकारी विपणन एवं विनियमन
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
शि.	:	शिक्षा
सीएंडएलएम	:	संवैधानिक एवं विधायी मामले
वि.	:	वित्त
सा.	:	सामान्य
स्था.	:	स्थापना
रा.भा.	:	राजभाषा

अ.स. एवं सं.स	:	अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव
सं.स. एवं वि.स.	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
मु.स.अ.	:	मुख्य सतर्कता अधिकारी
उ.म.निदे.	:	उप महा निदेशक
मु.ले.नि.	:	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे.	:	निदेशक
उ.स.	:	उप सचिव
सं.निदे.	:	संयुक्त निदेशक
ले.नि.	:	लेखा नियंत्रक
अ.स.	:	अवर सचिव
उ. निदे.	:	उप निदेशक
अनुसं.अधि.	:	अनुसंधान अधिकारी
अनु.अधि.	:	अनुभाग अधिकारी
वे. एवं ले.अधि.	:	वेतन एवं लेखा अधिकारी

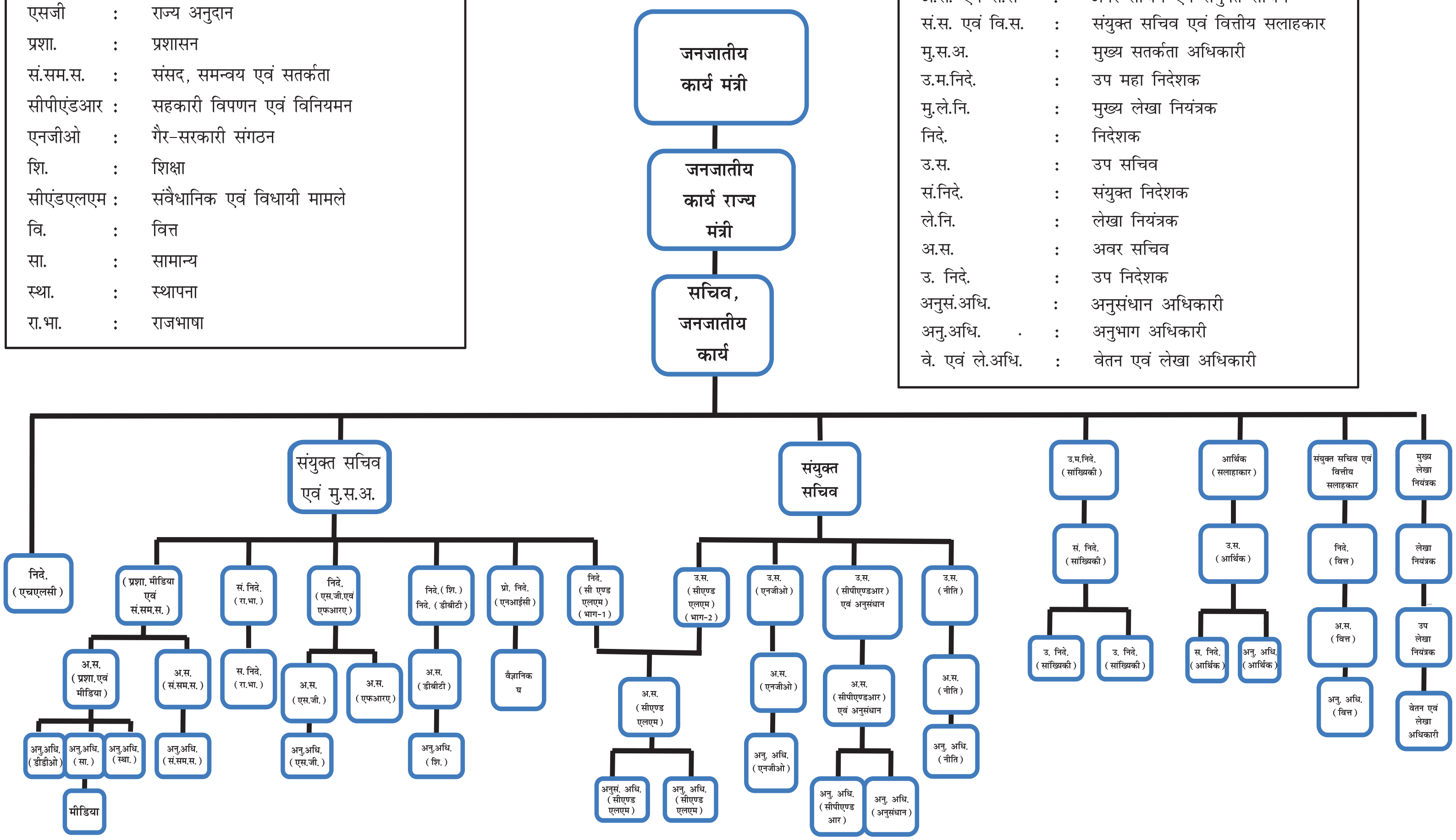

* सीएण्डएलएम (भाग-1)- केवल अनुसूचीकरण
सीएण्डएलएम (भाग-2)- अनुसूचीकरण और कार्य बल मुद्दों के अलावा कार्य बल

अनुलग्नक-1 ख

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2011-12			2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**										
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	39.50	39.50	53.4822	39.50	23.25	18.0888	39.50	25.00	40.00
2225	अनुकरणीय कार्य निष्पादित करने वाले एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन										
2225	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना		4.50	4.50	2.4993	4.50	0.50	0.4506	4.50	1.50	1.18
	कुल 2225 का कुल		**44.00**	**44.00**	**55.9815**	**44.00**	**23.75**	**18.5394**	**44.00**	**26.50**	**41.18**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.00	3.00	1.7956	3.00	2.22	1.6812	3.00	2.80	2.71
3601			5.00	5.00	6.00	5.00	1.65	2.65	5.00	6.62	6.11
	कुल		**8.00**	**8.00**	**7.7956**	**8.00**	**3.87**	**4.3312**	**8.00**	**9.42**	**8.82**
2225	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षराता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	**40.00**	**40.00**	**31.2350**	**40.00**	**14.61**	**7.4149**	**40.00**	**42.00**	**40.30**
2225	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	जनजातीय उत्पाद/उपज का विपणन विकास	**22.00**	**22.00**	**22.00**	**22.00**	**47.24**	**47.24**	**34.31**	**34.31**	**34.31**
3601	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**13.00**	**13.00**	**20.00**	**10.00**	**10.00**
2225	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	5.80	5.80	5.6031	5.80	1.50	1.50	5.80	5.40	5.30
3601			234.20	234.20	225.6999	234.20	173.00	176.90	234.20	197.60	201.60
	कुल		**240.00**	**240.00**	**231.3030**	**240.00**	**174.50**	**178.40**	**240.00**	**203.00**	**206.90**
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	70.00	70.00	70.00	70.00	68.10	68.10	70.00	70.00	60.50
4225	राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम										
	कुल		**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**68.10**	**68.10**	**70.00**	**70.00**	**60.50**
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	**62.00**	**84.93**	**84.93**	**90.00**	**45.00**	**45.00**	**90.00**	**10.00**	**0.00**
2225	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	**5.00**	**7.00**	**6.9693**	**13.00**	**10.11**	**10.0958**	**13.00**	**9.50**	**9.50**
2225	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	**1.00**	**1.00**	**0.7831**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.98**	**0.68**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2011-12			2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2225	नयी योजना-न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी)के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	नयी योजना-न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00
3601			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.35	112.49
	कुल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.00**	**112.49**
2225	नयी योजना-विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा	नयी योजना-विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा	**0.00**	**0.00**	**0.0000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.16**	**0.00**
	क का कुल (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)		**512.00**	**536.93**	**531.00**	**548.00**	**401.18**	**393.1213**	**560.31**	**538.87**	**524.68**
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**										
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति /पुस्तक बैंक	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा उनकी प्रतिभा के उन्नयन की योजना	0.10	0.28	0.10	0.10	0.10	0.0699	0.10	0.10	0.0075
	2225 का कुल		**0.10**	**0.28**	**0.1000**	**0.10**	**0.10**	**0.0699**	**0.10**	**0.10**	**0.0075**
3601	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति /पुस्तक बैंक		571.40	715.40	865.40	628.10	628.10	730.6735	623.40	623.40	748.28
3601	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन		1.50	2.10	1.9706	1.50	0.64	0.3151	1.50	1.50	0.1590
	3601 का कुल		**572.90**	**717.50**	**867.3706**	**629.60**	**628.74**	**730.9886**	**624.90**	**624.90**	**748.44**
	2225 एवं 3601 का कुल		**573.00**	**717.78**	**867.4706**	**629.70**	**628.84**	**731.0585**	**625.00**	**625.00**	**748.4465**
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	1.00	1.00	0.00	1.00	0.33	0.00	1.00	0.33	0.00
3601	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति		44.00	44.00	0.00	80.00	106.40	111.40	201.19	201.19	219.43
	कुल		**45.00**	**45.00**	**0.00**	**81.00**	**106.73**	**111.40**	**202.19**	**201.52**	**219.43**
2225	लड़कियों के छात्रावास	अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
2225	लड़कों के छात्रावास										
	2225 का कुल		**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
3601	लड़कियों के छात्रावास		63.00	63.00	73.00	63.00	63.00	73.00	100.80	100.80	101.05
3601	लड़कों के छात्रावास										
	3601 का कुल		**63.00**	**63.00**	**73.00**	**63.00**	**63.00**	**73.00**	**100.80**	**100.80**	**101.05**
	2225 एवं 3601 का कुल		**68.00**	**68.00**	**78.00**	**68.00**	**68.00**	**78.00**	**105.80**	**105.80**	**101.05**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2011-12			2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2225	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			75.00	75.00	75.00	75.00	61.00	61.00	75.00	72.17	72.17
	कुल		**75.00**	**75.00**	**75.00**	**75.00**	**61.00**	**61.00**	**75.00**	**72.17**	**72.17**
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार व अन्य	0.10	0.00	0	0.10	0.00	0	0.10	0.03	0.03
2225	सूचना एवं मास मीडिया		3.00	3.00	2.7039	3.00	1.99	1.4062	3.00	2.52	1.53
2225	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार		0.14	0.45	0.4440	0.50	0.46	0.4279	0.50	3.43	2.16
2225	उत्कृष्टता केन्द्र		0.65	0.56	2.1575	0.56	1.86	1.0768	0.56	1.59	1.04
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजनाएं		0.40	0.20		0.30			0.30		
2225	जनजातीय त्योहारों का आयोजन		1.50	1.73		1.60			1.60		
2225	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान		0.71	0.38		0.44			0.44		
	2225 का कुल		**6.50**	**6.32**	**5.3054**	**6.50**	**4.31**	**2.9109**	**6.50**	**7.57**	**4.76**
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		4.00	3.00	3.6652	4.00	3.25	4.1621	4.00	2.57	2.71
	2225 एवं 3601 का कुल		**10.50**	**9.32**	**8.9706**	**10.50**	**7.56**	**7.0730**	**10.50**	**10.14**	**7.47**
2225	निगरानी एवं मूल्यांकन	निगरानी एवं मूल्यांकन	**2.00**	**1.19**	**0.9799**	**2.00**	**1.35**	**1.1310**	**4.00**	**1.43**	**0.65**
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	1.40	0.40	0.2837	1.40	1.40	1.3478	2.80	2.20	1.04
2225		एन.सी.एस.टी.	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.0079	0.20	0.20	0.04
		कुल	**1.50**	**0.50**	**0.2837**	**1.50**	**1.50**	**1.3557**	**3.00**	**2.40**	**1.08**
	ख का कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं)		**775.00**	**916.79**	**1030.7048**	**867.70**	**874.98**	**991.0182**	**1025.49**	**1018.46**	**1150.30**
2552	पूर्वोत्तर के लिए एक-मुश्त प्रावधान	पूर्वोत्तर के लिए एक-मुश्त प्रावधान	143.00	143.00	0.00	157.30	151.30	0.00	176.20	174.53	0.00
	ग का कुल		**143.00**	**143.00**	**0.00**	**157.30**	**151.30**	**0.00**	**176.20**	**174.53**	**0.00**
	क + ख + ग का कुल		**1430.00**	**1596.72**	**1561.7023**	**1573.00**	**1427.46**	**1384.1395**	**1762.00**	**1731.86**	**1674.98**
घ	**विशेष केन्द्रीय सहायता**										
3601	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		1096.01	1015.01	977.3377	1200.00	852.54	852.5435	1200.00	1050.00	1050
3601	संविधान के अनुच्छेद 275 के परंतुक के अंतर्गत योजना		1197.00	1111.28	1084.8348	1317.00	820.00	819.9978	1317.00	1097.14	1097.14
	घ. का कुल (विशेष केन्द्रीय सहायता)		**2293.01**	**2126.29**	**2062.17**	**2517.00**	**1672.54**	**1672.54**	**2517.00**	**2147.14**	**2147.14**
	क, ख, ग तथा घ का कुल		**3723.01**	**3723.01**	**3623.8748**	**4090.00**	**3100.00**	**3056.6808**	**4279.00**	**3879.00**	**3822.1165**

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करने एवं उन्हें पूरक बनाने तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने से संबंधित हैं। यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन की प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रालयों की होती है, तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई अनुकूल योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से, उनके प्रयासों, को पूरक बनाता है। आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.3 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, शैक्षिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है तथा जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण हेतु एक अत्यधिक प्रभावी यंत्र है, इसलिए उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, उच्च श्रेणी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति तथा राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं कार्यान्वित करके वर्ष के दौरान प्रयास किए गए थे।

2.4 'अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है ताकि माध्यमिक/उच्चत्तर स्तर की शिक्षा में ड्रॉप आउट दरों को घटाया जा सके। राज्यों के लिए 44 नए छात्रावास स्वीकृत किए गए थे तथा 31.03.2014 तक योजना के तहत 101.05 करोड़ रु. का व्यय किया गया था। आश्रम विद्यालयों की योजना एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए सहज वातावरण प्रदान करना तथा शैक्षिक सुविधाएं देना है। 31 मार्च, 2014 तक इस योजना के तहत वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न राज्यों में 30 नए आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु 72.17 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

2.5 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवकों की रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है। इस योजना को 01.04.2009 से संशोधित किया गया है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों या संगठनों को मानदण्डों के अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2014 तक 6.11 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। संशोधित योजना के प्रावधान राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ एनजीओ द्वारा संचालित केन्द्रों पर समान रूप से लागू हैं।

2.6 'कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना'

01-07-2012 से आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का समर्थन करने का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक में परिवर्तन और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम से कम किया जा सके तथा मैट्रिक-पूर्व स्तर की कक्षा 9 - 10 कक्षाओं में अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर के चरणों में उन्हें बेहतर प्रगति करने का मौका मिल सके। इस योजना के तहत 31-03-2014 तक 219.43 करोड़ की राशि 2123512 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खर्च की गई है।

2.7 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की फ्लेगशिप योजना को छात्रवृत्ति, उच्चतम आय सीमा की दर तथा विषयों के सामूहीकरण में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्द्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यह जारी है। वर्ष 2013-14 के दौरान 31.03.2014 तक योजना के तहत 748.39 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है और 2034563 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थीयों को कवर किया गया है।

2.8. मंत्रालय **"अनुसंधान सूचना और जन-शिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य"** योजना के तहत अनेक कार्यकलाप करता है जिनमें अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ विख्यात संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान और मूल्यांकन, सम्मेलन/कार्यशालाएं और प्रकाशन, फोटो प्रतियोगिताएं, जनजातीय त्यौहार, जनजातीय खेलकूद, जनजातियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान और राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार शामिल हैं। राज्य सरकारों के साथ 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर 17 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं। ये टीआरआई अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों का आयोजन, आंकड़ों का संग्रह, परंपरागत कानूनों को संहिताबद्ध करते हैं तथा प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, और इसके द्वारा राज्य सरकारों को योजना निविष्टियां प्रदान करते हैं।

2.9. वर्ष 2013-14 के दौरान मंत्रालय ने **''अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान''** की योजना के तहत आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालयों, कृषीय प्रशिक्षण इत्यादि को कवर करते हुए लगभग 785431 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 40.00 करोड़ रुपए का अनुदान देकर लगभग 269 परियोजनाओं को निधिपोषित किया है।

2.10. वर्ष 2013-14 के दौरान मंत्रालय ने **''विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास''** के रूप में अभिज्ञात योजना के तहत 'पीवीटीजी के लिए संरक्षण-सह- विकास (सीसीडी) योजनाओं के अन्तर्गत मंत्रालय ने प्राथमिक गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 206.90 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए।

2.11 मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाले अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पहलों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्षों की तरह ही मंत्रालय ने जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) योजना के तहत राज्यों को निधियाँ निर्मुक्त करना जारी रखा। वर्ष 2013-14 के दौरान 1200.00 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान परिव्यय में से 1049.99 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए (सं.अ.-1050.00 करोड़ रुपए)।

2.12 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर धनराशि निर्मुक्त करने की योजना को वर्ष 2013-14 में जारी रखा गया। इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न राज्यों को 1317.00 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान (सं.अ.-1097.14 करोड़ रुपए) में से 1097.14 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

2.13 जनजातीय लोगों को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की कारगर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थानों के सुदृढ़ीकरण अर्थात संस्थान जो जनजातीय लोगों को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी है (आईटीडीए/आईटीडीपी/लघु परियोजनाएं) और वे संस्थान जो जानकारी के आधान हैं और क्षमता निर्माण करने वाले संस्थानों के रुप में कार्य कर सकते हैं, के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है। इसे टीएसपी को एससीए के दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों और मंत्रालय की कुछ अन्य योजनाओं के तहत समर्थन दिया जा रहा है। मंत्रालय ने संचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यकलापों को प्राथमिकता देने और मौजूदा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करने और नए संस्थानों का सृजन करने की व्यवस्था है।

2.14. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक राष्ट्रीय स्तर के एक अन्य संगठन ने अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, निगम ने आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 180 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए 260356 लाभार्थियों हेतु 208.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत 16821 महिलाओं के लिए 36.27 करोड़ रुपए, लघु ऋण योजना के तहत 22085 लाभार्थियों के लिए 4.81 करोड़ रुपए तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 197 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 4.81 करोड़ रूपए की स्वीकृति शामिल है।

निगम ने विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 141.35 करोड़ रुपए भी निर्मुक्त किए हैं।

2.15 यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सुदृढ़ हथियार बन सके, मंत्रलय ने राज्य जनजातीय कल्याण विभागों की साझेदारी में जनवरी और मार्च, 2013 में 4 क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए थे। ये परामर्श रांची (29 जनवरी), रायपुर (05 फरवरी), अहमदाबाद (12 फरवरी) और अगरतल्ला (18 मार्च) को हुए थे। उन परामर्शों का प्रयोग राज्य स्तर पर टीएसपी की आयोजना और कारगर कार्यान्वयन में समस्याओं और कमियों का पता लगाने के लिए किया गया था। सहभागियों ने टीएसपी के लिए अधिक कड़ा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कहा।

2.16 मई, 2013 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श हुआ था और इसके पश्चात मंत्रलय ने योजना आयोग को टीएसपी के लिए नए दृष्टिकोण हेतु अपनी सिफारिशें भेजी हैं। इसलिए, टीएसपी की आयोजना, निगरानी और कार्यान्वयन पर एक क्षेत्रीय परामर्श 31 जुलाई को रांची में हुआ था। स्वास्थ्य के संदर्भ में टीएसपी पर केंद्रित एक क्षेत्रीय परामर्श 23 सितंबर, 2013 को भुवनेश्वन, ओडिशा में हुआ था जिसमें राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभागों ने भाग लिया था।

2.17 पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना के कारगर कार्यान्वयन पर एक तकनीकी सत्र गंगटोक, सिक्किम में 29 अक्तूबर, 2013 को हुआ था। असम, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा में किए गए हस्तक्षेपों का प्रलेखन किया गया था।

2.18 बीएआईएफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे की भागीदारी में मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा एक राष्ट्रीय परामर्श संयुक्त रुप से 11-12 नवंबर, 2013 को पुणे में आयोजित किया गया था। भाग लेने वालों में बहुत बड़ी संख्या में हितधारक प्रधान सचिव और 11 राज्यों से जनजातीय कार्य आयुक्त जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तकनीकी संस्थान, सेवा प्रदायक एजेंसियां, शैक्षिक संस्थान, एनजीओ और विशेषज्ञ शामिल थे।

2.19 कमजोर हो चुके ज्ञान संस्थानों अर्थात जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) और टीआरआई की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए कार्य योजना के साथ-साथ अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए इनके लिए कार्य योजना हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए 10 और 11 मार्च, 2014 को भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला सह परामर्श हुआ था।

2.19.1 इन परामर्शों के दौरान, टीआरआई सहित आईटीडीए/आईटीडीपी संस्थानों के कमजोर होने के बारे में चर्चा हुई थी। टीएसपी को एससीए के संशोधित परिचालानात्मक दिशानिर्देशों और अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों पर चर्चा हुई थी जिसमें जनजातीय लोगों के लिए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार करने के लिए इन संस्थानों के पुनर्जीवन के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

2.20 मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रत्येक पहलू/प्रावधान के कारगर कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे रहा है ताकि अधिनियम में स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल सं. 37,42,576 है जिसमें से 30,53,373 दावे निपटा दिए गए हैं और 14,32,556 अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। एक प्रमुख चिंता का विषय सामूहिक अधिकार पत्रों का वितरण है जो दिसंबर, 2012 तक 8498 अधिकार पत्र था जो इस मंत्रालय के अथक प्रयासों के पश्चात बढ़कर नवंबर, 2013 के अंत तक 22,430 अधिकार पत्र हो गया है।

2.21 अनुसूचीकरण से संबंधित मामले को देख रहे इस मंत्रालय ने इसकी जांच करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल समुदायों को शामिल करने/बाहर निकालने के मौजूदा मानदंड/पद्धति/प्रक्रिया को देखेगा और यदि आवश्यक होगा तो पद्धति और प्रक्रियाओं में सुधार करने और इसे सरल तथा कारगर बनाने के लिए उपाय सुझाएगा।

अध्याय 3

वर्ष 2013-2014 की विशेषताएं

3.1 प्रो. विर्जिनस जाग्जा की अधयक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया है। समिति को भारत के जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। एचएलसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य जनजातीय जनसंख्या को संकेतकों के विकास में सुधार करने और सार्वजनिक सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए नीति संबंधी पहलों और कारगर परिणामी उपायों का भी सुझाव देगी। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय समिति के सदस्य सचिव हैं। उच्च स्तरीय समिति अपनी गठन की तारीख से 9 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रुप देगी और इसे प्रस्तुत करेगी।

3.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची (सूचियों) में समुदायों को शामिल करने के लिए प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकारों के दावों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी), भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के विभिन्न अवलोकनों और समुदायों को शामिल करने/बाहर निकालने के मौजूदा मानदंड/पद्धति/प्रक्रिया यदि आवश्यक हो, तो पद्धति और प्रक्रियाओं में सुधार करने और इसे सरल तथा कारगर बनाने के लिए सुझाए गए उपायों की जांच करने के लिए 03.02. 2014 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधयक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है।

3.3 01 अगस्त, 2013 को अपनी बैठक के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर, अत्यधिक आवश्यक सुरक्षा कवच प्रदान करने और अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों से संबंधित लोगों को सहायता प्रदान करने, जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रहण और बिक्री पर निर्भर है, के लिए **''न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेत तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास''** नामक एक नई योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु की गई है। प्रारंभ में यह योजना 8 राज्यों नामत: आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान तथा गुजरात में 12 एमएफपी नामत: (1) तेंदू, (2) बांस, (3) महुआ के बीज, (4) शाल के पत्ते, (5) शाल के बीज, (6) लाख, (7) चिरौंजी, (8) जंगली शहद, (9) हरीतकी, (10) इमली, (11ऋ) गोंद, (गोंद कराया) तथा (12) करंज के लिए जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है, कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वन निवासी समुदायों द्वारा एकत्रित एमएफपी के लिए उचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है। यह एमएफपी का प्राथमिक मूल्य संवर्धन समर्थन, शीत भण्डारण, गोदामों इत्यादी जैसी आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का प्रावधान भी करती है और एमएफपी के वैज्ञानिक संदोहन पर बल देती है।

3.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) की संशोधित योजना अनुमोदित की है। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013-14 से 2016-17) के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्चतर अध्ययन करने वाले चुनिंदा विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए इसे और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि इनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि) हो सके और इनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

3.4.1 अधययन के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मौजूदा पुरस्कारों की मौजूदा संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। योजना को और अधिक विशिष्ट बनाने के उद्देश्य से, 3 पुरस्कार विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए निर्धारित किए गए हैं और 30 प्रतिशत पुरस्कार

लड़कियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब योजना में ज्यादा विषय शामिल करने और कुछ वृहत आधारित क्षेत्रों के तहत विभिन्न विषयों का समूहीकरण करके क्षेत्र अध्ययन को पुनर्संगठित करने से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ होगा क्योंकि विषयों की संख्या 35 से बढ़कर 52 हो गई है। पहले पात्रता मानदंड 60 प्रतिशत था, अब इसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी एनओएस के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हो सकें। अधिकतम आय सीमा अब 3 लाख रु. वार्षिक से बढ़ाकर 6 लाख रु. वार्षिक कर दी गई है। तथापि, अन्य सभी शेष मानदंड वही रहेंगे, कम आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार, स्फीति दरों को देखते हुए वित्तीय सहायता और उपकरण भत्ता और आनुषंगिक यात्र व्यय को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

3.4.2 हवाई जहाज की दरों के घटते-बढ़ते स्वरुप को देखते हुए, हवाई जहाज से यात्रा के लिए अधिकतम सीमा में ढील दी गई है और अब अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी इकोनॉमिक क्लास में नेशनल कैरियर से अर्थात एअर इंडिया द्वारा छोटे-से-छोटे रुट से और शैक्षिक संस्थान के निकटतम हवाई अड्डे तक वास्तविक आधार पर भारत से और भारत में यात्रा कर सकते हैं। अब से, पहले से विदेश में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भी इस योजना में यथा अनुमोदित वित्तीय सहायता की संशोधित दरों को प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में, यह देखा गया है कि कुछ देशों में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम एक से तीन वर्ष की अवधि के हैं। इसलिए, संशोधित योजना में कार्यक्रम की अवधि पोस्ट डॉक्टरल के लिए 1.5 वर्ष तक: पीएचडी के लिए 4 वर्ष तक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए 1 और 3 वर्ष के बीच रखी गई है। विदेशी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के चयन के अवसरों में वृद्धि) करने के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए टीओईएफएल/जीआरई/जीएमएटी के लिए कोचिग प्रदान करने का प्रावधान है।

3.5 मंत्रालय के सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके जनजातीय विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मंत्रालय का संब) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को एक साथ मिलाकर ''अंब्रेला योजना'' तैयार करने का प्रस्ताव है। अंब्रेला योजना के दो घटक हैं। पहले घटक का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर को समाप्त करना है दूसरे घटक का उद्देश्य छात्रवृत्ति देना है ताकि अनुसूचित जनजाति के बच्चे उपयुक्त और पर्याप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से मैट्रिक पूर्व स्तर से शिक्षा के उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकें। प्रस्तावित अंब्रेला योजना की ईएफसी बैठक सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 17.01.2014 को हुई थी।

3.6 जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास और एमएफपी परिचालन (केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं दोनों) एसटीडीसीसी को सहायता अनुदान योजना को दो योजना के साथ मिलाकर संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करने के पश्चात समीक्षा की गई है, नामत: (1) एमएफपी परिचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता अनुदान, (2) जनजातीय उत्पादों/ उपज का बाजार विकास। योजना का नाम ''जनजातीय उत्पादों/ उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन'' रखा गया है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थाओं का सृजन करना है ताकि इन्हें कार्यकलापों के लिए विपणन और विकास समर्थन दिया जा सके जिन पर इनकी आजीविका निर्भर है। इन्हें विशिष्ट उपायों जैसे 1. बाजार हस्तक्षेप, 2. जनजातीय कलाकारों, शिल्पकारों, एमएफपी संग्रहकर्ता संग्रहकर्ता इत्यादि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, 3. आरएंडडी/आईपीआर कार्यकलाप और 4. आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना विकास द्वारा प्राप्त किया जाएगा। योजना के लिए वित्त मंत्रलय का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। तथापि, परिचालानात्मक दिशानिर्देश हितधारकों को परिचालित कर दिए गए हैं।

3.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधित वित्तीय मानदंडों और चिहिनत हस्तक्षेपों के साथ ''अनुसंधान और मास सूचना'' योजना के संघटक के रुप में ''जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान'' योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में इनकी चुनौतियों का पता लगाने और इनकी संस्कृति को समझने, इसको बढ़ावा देने और इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है जबकि जनजातियों के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को तैयार करना तथा इनकी जानकारी को देखना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरुप साक्ष्य आधारित नीति और आयोजना को तैयार करने में मदद मिलेगी। इस योजना का मूल उद्देश्य अनुसंधान और प्रलेखन (जनजातीय संस्कृति का संरक्षण) के क्षेत्र में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सुदृढ़ करना, अधिकारियों का प्रशिक्षण (कानून/संवैधानिक प्रावधान पर) और जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण (सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों पर)। विभिन्न राज्य सरकारों

द्वारा स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को अनुदान दिया जाएगा।

3.8 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की प्रगति जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी जा रही मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और योजना आयोग के कार्यालय द्वारा की जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कल्याण/विकास विभागों के राज्य सचिवों/आयुक्तों की समीक्षा बैठकें आयोजित करके भी अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहा है।

3.8.1 वर्ष 2013-14 के दौरान, मंत्रालय ने अधिनियम के समय पर और कारगर कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श किया है। जहां कहीं आवश्यक हुआ मंत्रालय ने आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रलय ने राष्ट्रव्यापी नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं:

3.8.1.8 एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रें में एफआरए के कार्यान्वयन पर एक दो दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श 30 और 31 जुलाई, 2013 को रांची, झारखण्ड में हुआ था जिसमें पश्चिम बंगाल के अलावा एलडब्ल्यूई प्रभावित सभी राज्यों ने भाग लिया था। उक्त परामर्श में, अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा की गई थी। विभिन्न राज्यों द्वारा अधि नियम के कार्यान्वयन पर किए गए कार्य के बारे में विचार किया गया था और गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के बारे में विचार किया गया था।

3.8.1.2 रांची परामर्श के दौरान, यह देखा गया था कि जबकि अधिकतर राज्यों में वैयक्तिक अधिकारों को देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। सामुदायिक अधिकारों के कार्यान्वयन में कमी पाई गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय ने 23 और 24 सितंबर को भुवनेश्वर (ओडिशा) में एफआरए के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय परामर्श आधारित परामर्श आयोजित किए थे जिसमें सामुदायिक अधिकारों के कार्यान्वयन और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रबंधन और प्रशासन पर जोर दिया गया था।

3.8.1.3 वन अधिकार अधिनियम, 2006 और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 28-29 अक्तूबर, 2013 को गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों के साथ विषय-वस्तु आधारित क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई थी।

3.8.1.4 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, एफआरए के कार्यान्वयन और टीएसपी को एससीए के लिए नए दिशानिर्देशों और अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों पर एक क्षेत्रीय परामर्श 10 और 11 मार्च, 2014 को भुवनेश्वर में हुआ था।

3.8.2 एफआरए पर सरकारी अधिकारियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय- यूएनडीपी की संयुक्त कार्यकलाप के तहत एक प्रशिक्षण मोडयूलर विकसित किया गया है, बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है जो अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रमुख स्टाफ के लिए लाभकारी होगी।

3.8.3 किए गए प्रयासों के परिणामस्वरुप 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 37.42 लाख से अधिक वन अधिकार दावे दायर किए गए और 14.32 लाख अधिाकार पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा, 45,739 अधिकार पत्र वितरण के लिए तैयार थे। कुल 30,53,373 दावे निपटा दिए गए हैं जो कुल प्राप्त दावों का 81.58 प्रतिशत है।

3.9 जनजातीय कार्य मंत्रलय ने अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) संशोधित योजना अनुमोदित की है। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013-14 से 2016-17) के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्चतर अध्ययन करने वाले चुनिंदा विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए इसे और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि इनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके और इनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

3.9.1 1 अध्ययन के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मौजूदा पुरस्कारों की मौजूदा संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। योजना को और अधिक विशिष्ट बनाने के उद्देश्य से, 3 पुरस्कार विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीऋ)के लिए निर्धारित किए गए हैं और 30 प्रतिशत पुरस्कार लड़कियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब योजना में ज्यादा विषय शामिल करने और कुछ वृहत आधारित क्षेत्रें के तहत विभिन्न विषयों का समूहीकरण करके क्षेत्र अध्ययन को पुनर्संगठित करने से

ज्यादा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ होगा क्योंकि विषयों की संख्या 35 से बढ़कर 52 हो गई है। पहले पात्रता मानदंड 60 प्रतिशत था, अब इसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी एनओएस के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हो सकें। अधिकतम आय सीमा अब 3 लाख रु. वार्षिक से बढ़ाकर 6 लाख रु. वार्षिक कर दी गई है। तथापि, अन्य सभी शेष मानदंड वही रहेंगे, कम आय वाले विद्याथियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार, वित्तीय सहायता और उपकरण भत्ता और आनुषंगिक यात्र व्यय में वृद्धि की गई है। विदेशी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के चयन के अवसरों में वृद्धि करने के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए टीओईएफएल/जीआरआई/जीएमएटी के लिए कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

3.10 11 जुलाई, 2013 को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए ''उच्च श्रेणी शिक्षा'' की केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता के लिए वार्षिक परिवार आय पर अधिकतम सीमा को संशोधित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। इसे चयन वर्ष 2013-14 से मौजूदा 2 लाख रु. वार्षिक से बढ़ाकर 4.50 लाख रु. वार्षिक कर दिया गया है।

3.11 राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि 2014-15 के लिए निधियन के लिए पात्र होने के लिए, इस मंत्रलय द्वारा निधि पोषित की जा रही एनजीओ द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को योजना आयोग (एनजीओ-पीएफ) की भागीदारी से पोर्टल पर हस्ताक्षर करने और एनजीओ-पीएफ से विलक्षण आईडी प्राप्त करने की आवश्यकता है।

3.12 ''विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)'' का विकास और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान) की योजनाएं संशोध नाधीन है। ''कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'', ''अनुसूचित जनजातियों के लिए कोलचग'' और ''अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण'' नामक मौजूदा योजनाओं को ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' की एकल योजना में मिलाने का प्रस्ताव है। इसका प्रस्ताव इसलिए किया गया है क्योंकि स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की सभी मौजूदा योजनाओं के तहत निधियन की पद्धति समान हैं और प्रस्तावित निधियन सिंगल विंडो योजनाओं के दोहराव और ऐसी ही परियोजनाओं के लिए मल्टीपल, विंडो फडिंग मैकेनिजम से बचा जा सकेगा। इन दोनों योजनाओं को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3.13 राज्य जनजातीय उपयोजना की आयोजना और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए राज्यों के साथ समर्थन को जारी रखते हुए मंत्रालय ने टीएसपी पर एक राष्ट्रीय और 4 क्षेत्रीय परामर्श मई, 2013, जुलाई, 2013, सितंबर 2013 और मार्च 2014 में आयोजित किए थे।

3.14 मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए और नियमित रुप से अनुसूचित परामर्शदायी परिषद (टीएस) की बैठकें आयोजित करने का प्रयास कर रहा है।

3.15 अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए विशेष रुप से मूलभूत सुविधाओं से संबंधित उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, पेय जल आपूर्ति, विद्युत, श्रम और रोजगार और ग्रामीण विकास तथा योजना आयोग के मंत्रलयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) की अधयक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर समिति की वर्ष के दौरान 4 बैठकें हुई हैं।

3.16 नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड, 2014 के दौरान जनजातियों के सशक्तिकरण और उनकी जीवन-पद्धति तथा जनजातीय जनसंख्या के भीतर उनकी विविधता के बारे में एक झांकी प्रर्दशित की गई थी।

3.17 वर्ष के दौरान, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत एफआरए लाभार्थियों को दिए गए भूमि अधिकारों के आर्थिक विकास के लिए ''एनएसटीएफडीसी की जनजातीय

वन निवासी सशक्तिकरण योजना'' नामक एक योजना शुरु की गई है। इस योजना का उद्देश्य इनकी भूमि के उत्पादक प्रयोग के लिए अनुसूचित जनजाति वन निवासियों में जागरुकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी 1 लाख रु. तक की योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक 6 प्रतिशत रियायती ब्याज की दर से ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा, निगम ने आकाशवाणी के साथ एक मीडिया समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यवस्था के तहत, एआईआर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को कवर करता है।

3.18 अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या को कवर करने के उद्देश्य से, निगम पीएसयू बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने केन्द्रीय मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, लंगपिदेहांगी ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक (ओडिशा) तथा उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। निगम ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

3.19 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) देश में अपने खुदरा बिक्री केंद्रों ''ट्राइब्स इंडिया'' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को लगातार बेच रहा है तथा वर्ष के दौरान 1490.80 लाख रु. के उत्पाद बेचे गए।

अध्याय 4

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। तथापि, अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अत: जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

4.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के डा. रामेश्वर ओरांव-अध्यक्ष हैं; श्री रवि ठाकुर उपाध्यक्ष, श्रीमती के. कमला कुमारी तथा श्री भेरु लाल मीना-सदस्य हैं। एक सदस्य का पद रिक्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में दिए गए हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे-धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

4.4 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य-अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है; तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थात्:

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेज कर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

4.5 338 (क) के खंड (9) में यह व्यवस्था है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगी।

4.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार नीचे तालिका में दिए गए हैं।

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा नं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (दूरभाषः 0755-2576530/फैक्स-0755-2578272)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र
2.	एन-1/297, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर-751015 (दूरभाषः 0674-2551616/फैक्स-2551818)	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
3.	कमरा संख्या 101 तथा 102, पहला तल, ब्लॉक-ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023 (दूरभाषः 0141-2236779/फैक्स-2235488	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ एवं दमन और दीप संघ राज्य क्षेत्र
4.	आर-26, सैक्टर-2, अवंती विहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर-492006 (दूरभाष 0771-2443335)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची-834002 (दूरभाषः 0651-2341677/फैक्स-2340368)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6	रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमैरी, शिलांग-793001 (दूरभाषः 0364-2504202/फैक्स-2221362)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

4.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने गठन से लेकर वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 8.8.2006 को; वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट 3.9.2008 को; वर्ष 2007-08 के लिए तीसरी रिपोर्ट 29.3.2010 को; वर्ष 2008-09 के लिए चौथी रिपोर्ट 27.8.2010 को तथा वर्ष 2009-10 के लिए पांचवी रिर्पोट दिनांक 13.07.2011 को; वर्ष 2010-11 के लिए छठी रिपोर्ट, दिनांक 25-10-2013 को तथा जनजातीय विकास एवं प्रशासन संबंधी सुशासन पर विशेष रिपोर्ट 18.06.2012 को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खंड (6) के अनुसार, इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखना अपेक्षित है और इसके साथ संघ सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। तदनुसार की गई कार्रवाई के साथ वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 से संबंधित पहली रिपोर्ट है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है। वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट लोक सभा पटल पर दिनांक 26 अप्रैल 2013 तथा राज्य सभा में 2मई, 2013 को सभा पटल पर रखी गई। वर्ष 2012 के लिए विशेष रिपोर्ट राज्य सभा के सदन पटल पर 12 दिसम्बर, 2013 तथा लोक सभा में 13 दिसम्बर, 2013 को सभा पटल पर रखी गई।

अध्याय 5

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

5.1 योजना प्रक्रिया के आरंभ से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि जनजातीय लोगों को विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाए। तथापि विभिन्न विकासीय प्रयास से नई जानकारी के साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ रणनीति विकसित होती गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने की बजाए, सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। इस योजना के अंत तक (1954), 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएं बनाई गईं। इन विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं से जनजातीय लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जा सका क्योंकि इन योजनाओं की संख्या ज्यादा थी और ये लगभग सामान्य प्रकार की थी। यही दृष्टिकोण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय विकास के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार की गई जिसमें उन सामुदायिक विकास ब्लॉकों, जिनमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता 66 प्रतिशत और उससे अधिक थी, को जनजातीय विकास ब्लॉकों में परिवर्तित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में जनजातीय विकास ब्लॉकों की संख्या 504 तक बढ़ गई। जनजातीय विकास ब्लॉकों के माध्यम से विकास की इस कार्यनीति की अपनी सीमाएं थीं और इसलिए यह जनजातीय विकास ब्लॉकों के बाहर रहने वाली देश की जनजातीय आबादी जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या सम्मिलित है, के हितों का समाधान करने में विफल रही है। पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान जनजातीय बहुल ब्लॉकों की पहचान की कवायद की गई थी। बाद में इन्हें देश में 194 आईटीडीए/आईटीडीपी में गठित किया गया था।

मौजूदा कार्यनीति – जनजातीय उपयोजना

5.2 केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक निवेश के बावजूद सामाजिक जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के बीच साक्षरता और अन्य विकासात्मक सूचकों में बड़ा अंतराल रहा है। एकीकृत जनजातीय अभिकरण/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना जैसे संस्थानों के एक समयावधि मे कमजोर होने या पूर्णत: लुप्त होने के कारण यह स्थिति है।आईटीडीएस/आईटीडीपीस जो दस हजार से अधिक जनजातीय आबादी वाले सन्निहित गाँव जिनमें से आधे से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें कार्य करते हैं, उनसे विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन करने की अपेक्षा की गई थी। वे अवसंरचना विकास, आय देने वाली गतिविधियों, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधित सेवा आपूर्ति और जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और पात्रता के लिए उत्तरदायी थे।

5.3 कुछ राज्य सरकारों ने एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों/ आईटीडीए/आईटीडीपी के भीतर ही अत्यधिक पिछड़े जनजातीय समुदायों की विशेष देखरेख के लिए आवश्यकतानुसार संस्थान विकसित किए थे। ये संस्थान लघु परियोजना अभिकरणों के रूप में थे। ये संस्थान उन जगहों में जहाँ पिछड़ी जनजातीय समुदाय बहुत मात्रा में हैं कमजोर हो चुके हैं। विद्यमान आईटीडीए/आईटीडीपी की भौगोलिक सीमा के बाहर बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या के मामले में कोई ऐसी समर्पित एजेंसी नहीं है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की आपूर्ति इस प्रभावी तरीके से कर सके कि ऐसी जनजातियों को लाभ सुव्यवस्थित तरीके से पहुँचना सुनिश्चित हो सके।

5.4 जनजातीय अनुसंधान संस्थान न केवल ज्ञान के भंडार है बल्कि साक्ष्य आधारित आयोजना एवं नीति प्रारूपण के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। इन्होंने कर्मचारियों और जनजातियों की सामर्थ्य निर्माण में सहायता की। ये संस्थान भी समय के साथ कमजोर हो गए और जनजातीय आबादी रखने वाले कुछ राज्यों में विद्यमान भी नहीं हैं।

5.5 उपर्युक्त को देखते हुए मंत्रालय ने जनजातीय विकास ने संस्थानों जैसे टीआरआई/आईटीडीए/आईटीडीपी (नए आईटीडीए के सृजन सहित जहाँ जनगणना डाटा जनजातीय सघनता सुझाते हैं) को सुदृढ़ करने, अनुसूचित जनजाति आबादी को लोकहित

और सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए लघु परियोजना एजेंसियों के सृजन का निर्णय लिया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक संरचना बनाना शामिल है जिसे जनजातियों को अपनी जनजातीय पहचान स्थापित करने में और विभिन्न लाभ जिसके वे पात्र हैं, उन तक पहुँचने में सरलता हो। नए आईटीडीए/आईटीडीपी उन क्षेत्रों/खंडों में बनाने की आवश्यकता होगी जहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त जनजातीय अनुसंधान संस्थान जैसे ज्ञान संस्थानों को इसलिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे न केवल मानव विज्ञानी अध्ययन बल्कि जनजातीय लोगों और जनजातीय गतिविधियों में शामिल लोगों की क्षमता निर्माण का समाधान किया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान और जनजातीय उपयोजना के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन

5.6 उपर्युक्त चिंताओं को जनजातीय उपयोजना के निरूपण, कार्यान्वयन एवं निगरानी तथा अनुच्छेद 275 (1) अनुदान के लिए प्रचलनात्मक दिशा निर्देशों में यथावत् हल किया गया है। जिन्हें मंत्रालय द्वारा मार्च, 2014 में जारी किया गया है। संशोधित दिशा निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पर भी बल देते हैं:

5.6.1 जनजातीय उपयोजना निधियों की एक बड़ी राशि अभी भी विद्यालय भवन और छात्रवासों इत्यादि जैसी अवसंरचना के लिए उपयोग की जाती है। अपने इंजीनियरिंग विभाग की अनुपस्थिति में अधिकांश आईटीडीए को अन्य इंजीनियरिंग विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके लिए हमारी परियोजनाएँ प्राथमिकता नहीं है। अतएव, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और जनजातीय कल्याण विभागों के पास इंजीनियरिंग स्थापना की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए।

5.6.2 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी/लघु परियोजनाओं को लोकहित और सेवाओं की आपूर्ति की सुगमता में एक बड़ी भूमिका निभानी है और विशेष रूप से लोगों तक आजीविका से संबंधित स्कीमें ले जानी है, इन संस्थानों की भूमिका दशकों पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अतएव, इन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

5.6.3 2011 की जनगणना दर्शाती है कि नए खंड और पाकेट 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या के साथ उभरे हैं। नए संस्थान जैसे आईटीडीए को इन क्षेत्रों में आना है।

5.6.4 शहरी क्षेत्रों में नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनायी जानी चाहिए जहाँ अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10 हजार से अधिक है।

5.6.5 स्थितिपरक विश्लेषण को देखते हुए भारत सरकार की अनुदान प्राथमिकता निम्नलिखित क्रम में होंगी:

(क) आईटीडीए का सुदृढ़ीकरण/समर्पित लघु परियोजनाएँ/नए आईटीडीयों का सृजन

(ख) एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों इत्यादि के भीतर आजीविका और अभियांत्रिकी स्कंध में अतिरिक्त मानव शक्ति प्रदान करना।

(ग) जैसा ऊपर बताया गया है जनजातीय अनुसंधान को सुदृढ़ करना।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों को सहायता और आवासीय स्कूल विद्यालय।

(ङ) आजीविका परियोजनाओँ के साथ जुड़ाव के लिए समर्थन।

(च) जनजातियों के कल्याण से संबंधित कोई अन्य परियोजना।

राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना हेतु दिशा निर्देश

5.7 जनजातीय लोगों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रो. एस.सी. दुबे की अध्यक्षता में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1972 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आरंभ में वर्तमान जनजातीय उपयोजना कार्यनीति तैयार की गई, जिसे पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। कुछ संशोधनों के साथ टीएसपी रणनीति आज तक जारी है तथा राज्यों के लिए टीएसपी के संबंध में कुछ विशेषताएं निम्नानुसार दर्शायी गई है।

(i) राज्यों को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय आबादी के अनुपात के बराबर होनी चाहिएं।

(ii) किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को, जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, की समग्र योजना से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होते हैं।

(iii) जनजातीय उपयोजना में निम्नलिखित कार्य होने चाहिए:-

(क) जनजातीय लोगों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं

तथा उनके विकास में महत्वपूर्ण अन्तरों की पहचान

(ख) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना;

(ग) विकास के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना; तथा

(घ) विस्तृत विभाग वार योजना तैयार करना

(ङ) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक कार्यनीति को परिभाषित करना।

(च) निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए तंत्र निधारित करना।

(iv) जनजातीय उपयोजना कार्यनीति को 22 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। टीएसपी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तालिका 5.1 में दिए गए हैं। तथापि वर्ष 2003-04 से संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों का प्रावधान गृह मंत्रालय के बजट में किया जा रहा है तथा यह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों के प्रशासन से संबंधित नहीं है।

(v) टीएसपी की अवधारणा जनजातीय बहुल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों तथा लक्षद्वीप तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं है, जहां जनजातीय लोग जनसंख्या का 60% से अधिक है, क्योंकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक योजना जनजातीय योजना ही है।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

5.8 जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं :

(i) राज्य योजनाएं।

(ii) जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियां।

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रम, और

(iv) संस्थागत वित्त।

राज्य सरकारों की जनजातीय उपयोजना

5.9 योजना आयोग ने राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के कुल बजट परिव्यय में से जनजातीय उपयोजना हेतु राशि निर्धारित करें जिसे अलग बजट शीर्ष कोड 796 में रखा जाना है। योजना आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय उपयोजना की निधियां अपरिवर्तनीय तथा अव्यपगत हैं। इन दिशानिर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि राज्यों में जनजातीय उपयोजना के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

वर्ष 2013-14 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना परिव्यय तथा टीएसपी के तहत प्रदान की गई निधियों के भाग का ब्यौरा अनुलग्नक 5-क में दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के टीएसपी घटक

5.10 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी कार्यनीति का पालन किए जाने की आशा की जाती है ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय/विभाग पूर्व में परियोजनाओं की अविभाज्यता का उल्लेख करते हुए टीएसपी के कार्यान्वयन में कठिनाई होने की रिपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि परियोजनाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित सभी समुदायों के लिए लागू की जा रही थीं। मंत्रालय ने वर्ष 2009 में, इस बात को घ्यान में रखते हुए टीएसपी पर केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार करने हेतु योजना आयोग से सम्पर्क किया था। 2012-13 व 2013-14 की वार्षिक योजना में मंत्रलय विभाग वार परिव्यय (कुल जीबीएस) और जनजातीय उपयोजना परिव्यय **अनुलग्नक 5 ख** में दिया गया है।

जनजातीय उपयोजना विकसित करने के लिए किए गए उपाय

5.11 जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न जनजातीय उन्मुखी योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय लोगों के हितों एवं सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से मंत्रालय लगातार राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सभी संस्थानों अर्थात् जनजातियों के हितों एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार संस्थान (आईटीडीए/आईटीडीपी/लघु परियोजना) और वे भी जो ज्ञान के भंडार हैं व क्षमता निर्माण संस्थानों के रूप में काम कर सकते हैं (टीआरआई) के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाता रहा है। मंत्रालय जनजातीय उपयोजना और अनुच्छेद 275 (1) के निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मसौदा प्रचालन दिशा निर्देश तैयार किए हैं जिसमें जनजातीय उपयोजना कार्यान्वयन के उपर्युक्त पक्षों पर जोर दिया गया है।

5.12 पूर्व में, योजना आयोग ने डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में जून, 2010 को एक कार्य बल का गठन किया था। इसने टीएसपी के लिए योजना

परिव्यय निर्धारित करने की दिशा में मंत्रालयों/विभागों के दायित्व के अनुसार वर्गीकरण की उनकी विशिष्ट सूची के सिफारिश की। निधियों के चिह्नित किए जाने के साथ इस उद्देश्य के लिए 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की एक सूची **अनुलग्नक 5-ग** में दी गई है।

5.13 यद्यपि राज्यों से जनजातीय उपयोजना निधि जो कि राज्य जनसंख्या की कुल प्रतिशतता की तुलना में कम से कम समतुल्य होते हैं, उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होता है और यद्यपि जनजातीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग ने लगातार पर्याप्त संसाधन चिह्नित करने पर जोर दिया है, कुछ राज्य यहाँ तक 2013-14 के लिए वार्षिक योजना तैयार करने हेतु, जनजातीय उपयोजना के लिए जनजातीय आनुपातिक संसाधनों की तुलना में कम संसाधन आवंटित कर रहे हैं।

5.14 योजना आयोग ने राज्यों द्वारा वर्तमान आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के तरीके में महत्वपूर्ण अंतराल और चुनौतियों की समझ विकसित करने और भविष्य में संशोधित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए टीएसपी योजना और प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक उपायों और रणनीति की पहचान के उद्देश्य से जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन पर एक मूल्यांकन अध्ययन भी किया है। (उक्त रिपोर्ट की प्रति योजना आयोग की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है)

5.15 अनुसूचित जनजातियों के विकास की प्रगति के लिए समग्र नीति, आयोजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2012-2013 में और 2013-2014 में जनजातीय उपयोजना प्रक्रिया के लिए अत्यधिक जोर दिया है। प्रारंभिक 2013 (जनवरी-मार्च) में राज्य स्तर पर प्रक्रियाओं को पुन: सशक्त बनाने के लिए व्यापक उपायों की पहचान करने के लिए और जनजातीय उपयोजना की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन और निगरानी में राज्यों के सामने आ रही चुनौतियों को समझने के लिए राज्यों के साथ क्षेत्रीय परामर्श की श्रृंखला आयोजित की। मंत्रालय ने 'जनजातीय उपयोजना के लिए नए प्रयास' को विकसित किया है जिसकी अनुशंसा योजना आयोग ने की थी। नये प्रयास ने समुचित संस्थागत और व्यापक निगरानी रूपरेखा के साथ सशक्त, विकास की कमी वाले नए 'सक्रियता उन्मुखी आयोजना प्रयास' में अन्तरण का उपाय सुझाया है। यह राज्य जनजातीय कल्याण विभागों को नोडल भूमिका में लाने में जुटा है जिससे कि अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के भाग को देखते हुए और निधियों के उपलब्ध सभी स्रोत आधारित परिप्रेक्ष्यपूर्ण व वार्षिक योजना लाइन विभागों के निकट समन्वय के साथ बनाई जा सके। इसी बीच योजना आयोग ने जनवरी, 2013 को सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालय समिति गठित की जो 12वीं योजना में समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों के रूप में एससीएसपी/टीएसपी को प्रभावित रूप से कार्यान्वित कर सके।

अंतरमंत्रालय समिति ने बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सिफारिश की है:

(क) समिति यह नोट करती है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने ''अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना (वित्तीय संसाधनों की आयोजना, आवंटन और उपयोग) अधिनियम, 2013'' को अधिनियमित किया व कुछ और राज्य समान विधायन अधिनियमित करने की प्रक्रिया में हैं।

(ख) जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) अनुसूचित जनजातियों के भाग के कम से कम बराबर कुल योजना परिव्यय के एक भाग का उपयोग करने के लिए है, मंत्रालय/विभाग के लिए योजना परिव्यय आवंटित करने से पूर्व जिसे कि जनजातीय उपयोजना के रूप में अलग रखा जाना चाहिए।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के विकास की गति को तेज करने के लिए और अनुसूचित जनजातियों के मात्रात्मक लाभों को सुरक्षित करने के लिए कार्यक्रमों में इतनी सामर्थ्य है कि नहीं इसके निर्धारण के लिए केन्द्रीय मंत्रलयों/विभागों के चल रहे कार्यक्रमों को पूरी तरह से मूल्यांकित किए जाने की आवश्यकता है तथा जिसकी परिणिति विकास में अंतर को जोड़ने में होगी जब जनजातियों के विकास को अन्यों की तुलना में देखा जाएगा।

(घ) जनजातीय उपयोजना में केवल ऐसी वर्तमान स्कीमें (वर्तमान स्कीमों के लिए अतिरिक्त घटक सहित) या नई स्कीमों को शामिल किया जाना चाहिए जो निम्नलिखित मानदंड को पूरा करती हो:

  (i) इस योजना में विकास में अंतरों को पूरा करने की सामर्थ्य है जब अनुसूचित जनजातियों के बीच विकास को अन्यों की तुलना में देखा जाता है, और

  (ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभ मात्रत्मक हैं।

  (iii) स्कीमों के लाभ जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ केवल मूल रूप से विचारपरक हैं उन्हें उपयोजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) डॉ. नरेन्द्र जाधाव (2010) के अंतर्गत कार्यबल ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ एससीएसपी/टीएसपी

के लिए चिह्नित करने के लिए भिन्न बाध्यताएँ अनुशंसित की हैं। चिह्नित करने के लिए भिन्न बाध्यताओं की इस प्रणाली का 2011-2012 से पालन किया जा रहा है। समिति 12वीं योजना के दौरान इस प्रणाली को लागू करने के लिए सिफारिश करती है।

(च) इसके अतिरिक्त मंत्रालय/विभाग जो निधियों को चिह्नित करने के लिए ''कोई बाध्यताए'' नहीं रखते वे अनुसूचित जनजातियों के हित व कल्याण के लिए स्कीमें और कार्यक्रम तैयार भी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में टीएसपी के लिए निधियों की योजना चिह्नित करने को सुनिश्चित करना। जिसे उपयोजना के अंतर्गत चयन की गई स्कीमों के संबंध में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा स्कीमों के तहत निधियाँ चिह्नित करने के लिए मुख्य मापदंड रहना चाहिए।

(छ) चूँकि, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए योजना निधि का एक बड़ा भाग प्रत्येक वर्ष आवंटित किया जाता है। अत: टीएसपी को इन स्कीमों का एक अभिन्न घटक बनना चाहिए। भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का समुचित निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि टीएसपी में उनका समावेश सुनिश्चित किया जा सके।

(ज) टीएसपी के लिए चिन्हित निधियाँ अविभाज्य और ऐसी रहनी चाहिए जिन्हें कहीं और न लगाया जा सके।

(झ) टीएसपी से संबंधित सभी मामलों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा।

(ञ) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एनएलसीपीआर (राज्य) और एनएलसीपीआर (केन्द्रीय) के समान एक गैर व्यपगत संसाधनों के समूह बनाए जाने की सिफारिश की गई है।

(ट) यदि यह पाया जाता है कि एक विशेष वर्ष में टीएसपी के लिए चिह्नित निधियाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में व्यय नहीं की जाती तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंतराल को केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा प्रशासित किए जाने वाले गैर व्यपगत पूल में उस सीमा तक निधियां उपलब्ध करा कर समुचित तरीके से वित्त पोषित किया जाए अर्थात जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए अन्यतम रूप से स्कीमें कार्यान्वित करने के लिए बदले में निधि आवंटित करेगा।

(ठ) केन्द्रीय स्तर पर एससीएसपी/टीएसपी के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए एक संस्थागत सशक्त तंत्र उच्च स्तरीय समिति के साथ स्थापित किया जा सकता है जिसमें योजना आयोग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रभारी सदस्यों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष योजना आयोग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री होंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों/योजना आयोग में समर्पित इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।

(ड) समान संस्थागत तंत्र को जनजातीय उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वय के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में बनाए जाने की आवश्यकता है।

राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा निर्देश योजना आयोग द्वारा यथासमय जारी किए जाने हैं।

5.16 अनुसूचित जनजातियो के विकास के लिए जनजातीय उपयोजना एक सशक्त उपकरण बने यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने जनवरी और मार्च, 2014 में राज्यों की भागीदारी से क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए। ये राँची (29 जनवरी), रायपुर (5 फरवरी), अहमदाबाद (12 फरवरी) और अगरतला (18 मार्च) को हुए। ये परामर्श राज्य स्तर पर टीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन और आयोजना की समस्याओं और कमियों की पहचान के लिए आधारित थे और इसमें टीएसपी के प्रति और अधिक सशक्त प्रयास विकसित करने पर विचार हुआ।

मई, 2013 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श हुआ और उसके पश्चात मंत्रालय ने योजना आयोग को टीएसपी के प्रति नए प्रयास के लिए अपनी सिफारिशें भेजीं। इसके पश्चात 31 जुलाई को रांची में टीएसपी की आयोजना, निगरानी और कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय परामर्श हुआ। स्वास्थ्य के संदर्भ में टीएसपी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक क्षेत्रीय परामर्श ओड़िसा में आयोजित हुआ जहाँ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभागों ने राज्यों के जनजातीय कल्याण विभागों के साथ भाग लिया।

29 अक्तूबर, 2013 को गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र मे जनजातीय उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। असम, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा में किए गए हस्तक्षेपों को अभिलेखित किया गया है।

अनुलग्नक 5क

वार्षिक योजना 2013-14 के दौरान टीएसपी परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का % (2001 जनगणना)	वार्षिक योजना 2013-14 स्वीकृत परिव्यय		
			कुल राज्य योजना	टीएसपी आवंटन	%
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	6.6	53000.00	3666.60	6.9
2	असम	12.4	12500.00	468.83	3.8
3	बिहार	0.9	34000.00	485.00	1.4
4	छत्तीसगढ़	31.8	25250.00	7784.52	30.8
5	गोवा	12.1	4715.00	614.47	13.0
6	गुजरात	14.8	59000.00	7102.85	12.0
7	हिमाचल प्रदेश	4.0	4100.00	369.00	9.0
8	जम्मू और कश्मीर	10.9	7300.00	सूचित नहीं	
9	झारखण्ड	26.3	16800.00	8474.60	50.4
10	कर्नाटक	6.6	47000.00	2354.70	5.0
11	केरल	1.1	17000.00	सूचित नहीं	
12	मध्य प्रदेश	20.3	35500.00	6800.00	19.2
13	महाराष्ट्र	8.9	49000.00	3817.34	7.8
14	मणिपुर	34.2	3650.00	1376.28	37.7
15	ओडिशा	22.1	21500.00	5134.54	23.9
16	राजस्थान	12.6	40500.00	5193.40	12.8
17	सिक्किम	20.6	2060.00	सूचित नहीं	
18	तमिल नाडु	1.0	37128.00	7058.73	19.0
19	त्रिपुरा	31.1	2500.00	सूचित नहीं	
20	उत्तर प्रदेश	0.1	69200.00	40.00	0.1
21	उत्तराखण्ड	3.0	8500.00	255.00	3.0
22	पश्चिम बंगाल	5.5	30314.00	2173.14	7.2
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.3		सूचित नहीं	
24	दमन और दीव	8.8		सूचित नहीं	
	कुल	**8.2**	**580517.00**	**63169.00**	**10.9**

स्रोत : योजना आयोग

एन.आर.: सूचित नहीं

अनुलग्नक 5ख

समग्र बजट अनुमान विवरण के अनुसार वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक योजना के लिए मंत्रालय-वार परिव्यय (कुल जीबीएस) तथा जनजातिय उपयोजना परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग		2013-14			
			कुल जीबीएस	चिह्नित आवंटन		टीएसपी के तहत निधियों का चिह्नन् का प्रतिशत
				टीएसपी	टीएसपी जीबीएस का प्रतिशत	
1	2		3	4	5	6
	कृषि मंत्रालय					
1		कृषि एवं सहकारिता विभाग	11655.00	932.50	8.00	8.00
2		कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	34515.00	123.00	0.36	3.60
3	कोयला मंत्रालय		450.00	31.60	7.02	8.20
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
4		दूर संचार विभाग	5800.00	14.50	0.25	0.25
5		सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	201.00	6.70	6.70
	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण मंत्रालय					
6		खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग	259.00	6.28	2.42	1.40
7	**संस्कृति मंत्रालय**		1435.00	28.70	2.00	2.00
8	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय'***		2430.00	16.00	0.66	--
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
9		**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	29165.00	2391.53	8.20	8.20
10		आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	1069.00	21.38	2.00	2.00
11		एड्स नियंत्रण विभाग**	1785.00	146.37	8.20	8.20
12	**आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय**		1460.00	35.04	2.40	2.40
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
13		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	49659.00	5313.52	10.70	10.70

14		उच्चतर शिक्षा विभाग	16210.00	1219.59	7.52	7.50
15	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**		2524.00	206.95	8.20	8.20
16	**सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय**		2977.00	244.21	8.20	8.20
17	**खान मंत्रालय**		467.00	9.72	2.08	4.00
18	**सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय**		23500.00	800.00	3.40	3.50
19	**पचायती राज मंत्रालय**		500.00	37.55	7.51	8.20
	ग्रामीण विकास मंत्रालय					
20		ग्रामीण विकास विभाग	74429.00	4452.03	5.98	17.50
21		भू-संसाधन विभाग	5765.00	576.45	10.00	10.00
22		पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	15260.00	1526.00	10.00	10.00
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
23		**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**	2777.00	69.43	2.50	2.50
24	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		6625.00	46.00	0.69	--
25	वस्त्र मंत्रालय		4631.00	55.57	1.20	1.20
26	**पर्यटन मंत्रालय**		1282.00	32.05	2.50	2.50
27	**जनजातीय कार्य मंत्रालय*****		1762.00	4279.00	242.85	100.00
28	**जल संसाधन मंत्रालय**		1500.00	19.50	1.30	1.30
29	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**		20350.00	1668.70	8.20	8.20
30	**युवा मामले एवं खेल मंत्रालय**		1093.00	90.28	8.26	8.20
		कुल	**324334.00**	**24594.45**	**7.58**	
						--
						--
		कुल योग				
		सभी मंत्रालय/विभाग-कुल	**419068.00**	**24594.45**	**5.87**	

स्रोत: व्यय बजट खंड-I, 2013-14

* टीएसपी निधियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित करने हेतु अधिदेशित नहीं किया गया।

** स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रतिशतता निर्धारित की गई।

*** कुल जीबीएस के तहत दर्शाए गए आंकड़ों में, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् टीएसपी को एससीए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान जिनकी राशि 2707.00 करोड़ रूपये है, के अन्तर्गत आबंटन शामिल नहीं हैं तथा सम्पर्ण राशि टीएसपी परिव्यय है।

योजना आयोग द्वारा यथा स्वीकृत तथा मंत्रालय/विभागों के लिए अधिदेशित कार्यबल की सिफारिश के अनुसार।

टीएसपी आंकड़ों में ऊपर दर्शाए गए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 2517.00 करोड़ रू. शामिल हैं तथा इसमें विवरण 21क, व्यय बजट खंड-I, 2013-14 में दर्शाए गए दो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मांग संख्या 96 तथा 99 के तहत प्रावधान शामिल नहीं हैं।

तालिका 5.1 : टीएसपी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश	13.	मध्य प्रदेश
2.	असम	14.	महाराष्ट्र
3.	बिहार	15.	मणिपुर
4.	छत्तीसगढ़	16.	राजस्थान
5.	गोवा	17.	सिक्किम
6.	गुजरात	18.	तमिल नाडु
7.	हिमाचल प्रदेश	19.	त्रिपुरा
8.	जम्मू और कश्मीर	20.	उत्तर प्रदेश
9.	झारखण्ड	21.	उत्तराखण्ड
10.	कर्नाटक	22.	पश्चिम बंगाल
11.	केरल	23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
12.	ओडिशा	24.	दमन और दीव

अनुलग्नक-5ग

मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय योजना परिव्यय एवं टीएसपी आवंटन

(करोड़ रुपये म)

	बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
मंत्रालय/विभाग	बजटीय सहायता	टीएसपी आवंटन	%	बजटीय सहायता	टीएसपी आवंटन	%	बजटीय सहायता	टीएसपी आवंटन	%
कृषि मंत्रालय	16121.00			13787.32			17095.00		
कृषि एवं सहकारिता विभाग	10991.00	882.59	8.03	9467.32	757.30	8.00	11655.00	932.50	8.00
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	3220.00	116.00	3.60	2520.00	86.40	3.43	3415.00	123.00	3.60
कोयला मंत्रालय	450.00	31.00	6.89	416.00	31.01	7.45	450.00	31.60	7.02
दूर संचार विभाग	4800.00	12.00	0.25	2393.00	5.99	0.25	5800.00	14.50	0.25
इलैक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	201.00	6.70	2000.00	138.46	6.92	3000.00	201.00	6.70
खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग	126.00	4.06	3.22	85.00	3.44	4.05	259.00	6.28	2.42
संस्कृति मंत्रालय	864.00	17.28	2.00	864.00	17.28	2.00	1435.00	28.70	2.00
पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14000.00	1400.00	10.00	13000.00	1300.00	10.00	15260.00	1526.00	10.00
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय'	2430.00	16.00	0.66	1800.00	14.51	0.81	2430.00	16.00	0.66
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	27127.00	2224.41	8.20	22000.00	1804.00	8.20	29165.00	2391.53	8.20
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	990.00	19.80	2.00	670.00	13.40	2.00	1069.00	21.38	2.00
एड्स नियंत्रण विभाग	1700.00	139.40	8.20	1759.56	144.28	8.20	1785.00	146.37	8.20
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1155.00	27.72	2.40	950.00	17.32	1.82	1460.00	35.04	2.40

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	45969.00	4918.68	10.70	42729.00	4572.00	10.70	49659.00	5313.52	10.70
उच्चतर शिक्षा विभाग	15458.00	1159.35	7.50	13494.00	1021.53	7.57	16210.00	1219.59	7.52
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2470.00	202.54	8.20	2032.76	169.01	8.31	2524.00	206.95	8.20
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	2835.00	139.48	4.92	2541.95	211.11	8.31	2977.00	244.21	8.20
खान मंत्रालय	243.00	8.72	3.59	332.59	8.72	2.62	467.00	9.72	2.08
पंचायती राज मंत्रालय	300.00	17.44	5.81	266.00	12.27	4.61	500.00	37.55	7.51
सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय	23000.00	500.00	2.17	15932.81	500.00	3.14	23500.00	800.00	3.40
ग्रामीण विकास विभाग	73175.00	3460.37	4.73	52000.00	2778.87	5.34	74429.00	4452.03	5.98
भू–संसाधन विभाग	3201.00	320.05	10.00	3000.00	302.40	10.08	5765.00	576.45	10.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2477.00	61.93	2.50	2175.00	21.86	1.01	2777.00	69.43	2.50
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	5915.00	0.00	0.00	5012.00	0.00	0.00	6625.00	46.00	0.69
वस्त्र मंत्रालय	7000.00	84.00	1.20	4500.00	54.75	1.22	4631.00	55.57	1.20
पर्यटन मंत्रालय	1210.00	30.25	2.50	950.00	23.75	2.50	1282.00	32.05	2.50
जनजातीय कार्य मंत्रालय	1573.00	4090.00	260.01	1427.46	3100.00	217.17	1762.00	4279.00	#####
जल संसाधन मंत्रालय	1500.00	19.50	1.30	650.00	17.50	2.69	1500.00	19.50	1.30
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	18500.00	1517.00	8.20	17180.00	1517.00	8.83	20350.00	1668.70	8.20
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1041.00	85.60	8.22	889.60	73.23	8.23	1093.00	90.28	8.26
कुल योग	**391027.00**	**21706.17**	**5.55**	**317184.62**	**18717.39**	**5.90**	**419068.00**	**24594.45**	**5.87**

अध्याय 6

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

6.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए और जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था, इस प्रकार हैं :

- आदिम जनजातीय गुण;
- अनूठी संस्कृति;
- आम लोगों से संपर्क करने से कतराना;
- भौगोलिक अलगाव; और
- पिछड़ापन।

6.3 अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए प्रक्रिया इस अध्याय में बाद में दर्शायी गई है।

जनजातियों का वितरण

6.4 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 के बीच 23.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में है।

6.5 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था), निम्नलिखित विशेषताएं होती है:-

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

6.6 भारत के अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011) **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1: अलग-अलग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का विवरण

क्र. सं.	राज्य	कुल अनुसूचित जनजनतीय जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
1	मध्य प्रदेश	14.69
2	महाराष्ट्र	10.08
3	ओडिशा	9.20
4	राजस्थान	8.86
5	गुजरात	8.55
6	झारखण्ड	8.29
7	छत्तीसगढ़	7.50
8	आन्ध्र प्रदेश	5.68
9	पश्चिम बंगाल	5.08
10	कर्नाटक	4.07
11	असम	3.72
12	मेघालय	2.45
13	नागालैंड	1.64
14	जम्मू और कश्मीर	1.43
15	बिहार	1.28
16	त्रिपुरा	1.12
17	उत्तर प्रदेश	1.09
18	मिजोरम	0.99
19	अरुणाचल प्रदेश	0.91
20	मणिपुर	0.87
21	तमिलनाडु	0.76
22	केरल	0.46
23	हिमाचल प्रदेश	0.38
24	उत्तराखंड	0.28
25	सिक्किम	0.20
26	दादर और नगर हवेली	0.17
27	गोवा	0.14

6.7 अनुसूचित जनजातियां बृहद रुप से दो अलग भैगोलिक क्षेत्रों में रहती हैं। अनुसूचित जनजाति की आधे से अधिक जनसंख्या मध्य भारत अर्थात मध्यप्रदेश (14.69 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (7.5 प्रतिशत), झारखण्ड (8.29 प्रतिशत), आंध्रप्रदेश (5.7 प्रतिशत), महाराष्ट्र (10.08 प्रतिशत), ओडिशा (9.2 प्रतिशत), गुजरात (8.55 प्रतिशत) तथा राजस्थान (8.86 प्रतिशत) में सकेंद्रित है। अन्य पृथक क्षेत्र पूर्वोत्तर है (असम, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है)। देश के केवल सात राज्यों अर्थात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का दो-तिहाई से अधिक भाग सकेंद्रित है। तीन राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा) तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों (पुदुचेरी और चंडीगढ़) में कोई अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है क्योंकि यहा कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं की गई है। राज्यों में मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात (94.43 प्रतिशत) तथा उत्तरप्रदेश में न्यूनतम अनुपात (0.57 प्रतिशत) है। 20 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में देश के औसत 8.6 प्रतिशत से औसत प्रतिशतता है।

प्रमुख जनजातियां

6.8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या (अर्थात् 62) है। इन 700 अथवा इसी प्रकार की बहुत अधिक जनजातियों के पर्याय अनेक बार भिन्न हैं, जो अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए हैं।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर-अननुसूचीकरण:

6.9 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भाग या समूह, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है।" अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

6.10 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

6.11 अनुच्छेद का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों

की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

6.12 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक-6क** में दी गई है। इसके बाद आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण का प्रावधान अखिल भारतीय आधार पर न करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का है।

6.13 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

- आदिम विशेषताओं के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

6.14 इस मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति) 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति) 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

6.15 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक 6-ख** में दर्शाई गई है।

6.16 हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

6.17 (क) सामान्य : जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :- कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं:

(i) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(ii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iii) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(iv) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(v) वह व्यक्ति जो लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो वह उसके मामले में वह उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य ने जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

(vi) राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में

उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

(ग) विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

(घ) अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

   (जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

4. उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतौर पर निवास करता है, के उप-मण्डलीय अधिकारी।

5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

(ङ) बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

(च) अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए है।

(छ) अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने संबंधी प्रक्रिया:

जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को और संशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है)की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने/अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि प्रविधियों के अनुसार है, मंत्रालय संबधित राज्य

सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात्, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्र

6.18 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

6.19 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

6.20 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची इन ''अनुसूचित क्षेत्रों'' को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों के रूप में घोषित करें।

6.21 संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को "जनजातीय क्षेत्र'' के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है। इन परिषदों को विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

6.22 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं-

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,
- सघनता तथा क्षेत्र का औचित्यपूर्ण आकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लॉक या तालुका हो, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

6.23 एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्दिष्टीकरण, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन में वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या "अनुसूचित क्षेत्रों" से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

6.24 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :-

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और ओडिशा
5क	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य)	12.2.1981	राजस्थान
	आदेश, 1981 (सी.ओ.114)		
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
8	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.04.2007	झारखंड

6.25 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्र मूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य मे अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुनः परिभाषित किया गया है।

6.26 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति **अनुलग्नक-6ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ

6.27 जनजातियों को सुरक्षा देने और लाभ प्रदान करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

(क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकना अथवा इसे नियंत्रित करना;

(ii) अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना। ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी ऐसे अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए लागू हैं।

(ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों तथा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू होगा जो वे विनिर्दिष्ट करेंगे;

(ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं; उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।

(घ) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान को राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2007-2008 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्टों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6घ** में दिया गया है।

(ङ) नौवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदें (टीएसी) गठित कर ली गईं हैं। यद्यपि, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो भी उनकी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद है। उत्तराखंड राज्य में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं होने पर भी राज्य में टीएसी के गठन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश 2010 में राज्य को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में टीएसी के गठन के बारे में सूचना प्रतिक्षित है। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राज्यों द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6ङ** में दिया गया है।

अनुलग्नक 6क :
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 (सी.ओ. 22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्रप्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्रा
4.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधि नियम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्रा, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्कादीव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1959 (सी.ओ. 58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962 (सी.ओ. 65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1967 (सी.ओ. 78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970 (सी.ओ. 88)	23.7.1970	नागालैंड

13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन अधि नियम), 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन)अधिनियम, 1976 के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 (सीओ 111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 (सीओ 142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 (सीओ 142)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़
23.	उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड
24.	संशोधन (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
25.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कनार्टक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
26.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम

27.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
28.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
29.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 02)	07.1.2009	लक्षद्वीप
30.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
31.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कनार्टक
32.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़

हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदूचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक : 6-ख
भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

आंध्र प्रदेश

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो
   गदाब, गुतोब
   गडाबा, कालायी
   गडाबा, परांगी
   गडाबा, कठेरा
   गडाबा, कापु
   गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड्, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोध, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, मेनिती, कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया,
   बारतिका, दुलिया, होल्वा,
   सनरोना,
   सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया,
   गुटटा कोया,
   कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेढक, नालगोड़ा निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़ कर)
21. मन्ना धोरा
22. मुक्खा धोरा, नुका धोरा,
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. परजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी धोरा
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपू सवारस, मालिया
   सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
30. थोटी (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेढ़क, नालगोडा, निजामबाद और वारंगल जिलों में)

31 वाल्मीकि (विशाखापटनम,
   श्रीकाकुलम, विजयनगरम,
   ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)

32. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
33. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा
   येरूकुला, कुंचापुरी
   येरूकुला, उप्पु येरूकुला
34. नक्काला, कुरविकरन
35. धुलिया, पैको, पुतिया
   (विशाखापटनम और
   विजयनगरम जिलों में)

अरुणाचल प्रदेश

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, *तारोंन*
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

असम

**I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :-

(i) बिआत, बिएत
(ii) चांगसान
(iii) चोंगलाइ
(iv) डुंगेल,
(v) गमाल्हू
(vi) गंगते
(vii) गुइते,
(viii) हन्नेगं
(ix) हाओकिप, हाउपिट,
(x) हओलंई
(xi) हेंगना
(xii) होंगसुंग
(xiii) हरंखवाल, रंगखोल,
(xiv) जोगबी
(xv) खाओचुंग
(xvi) खावाथलांग, खोतालोंग
(xvii) खेलमा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेगथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवुन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांग जेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रियांग
(xxix) साइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांगनगेऊ
(xxxvi) उइबुह
(xxxvii) वाइफेइ

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. सिंथेग
15. लालुंग

**II.असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहित:

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनावाल
6. लालुंग
7. मेच,
8. मिरि
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बइगा
3. बंजारा
4. बाथूडी
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, घेलकी खारिया, दुघ खारिया, हिल खारिया
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, नगेशिया
20. कोरा, मुडी-कोरा

21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
25. मुंडा, पतार
26. ओरान, धानगर (ओरांव)
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धँवर
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड़, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझमारिया बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डामी मरिया, धुरू, धुर्वा, ध ोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, लंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कूचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मरिया, वाद मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर कंवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, कोड़ाकू, पहाड़ी कोरवा
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका, धानगाड
34. पाओ
35. परधान, पाथरी, सरोती
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (i) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (v) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंद्रानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवोभोग तहसील (viii) धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील

37. परजा
38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोनर

गोवा

1. धोदिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्धी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गवडा
8. वेलिप

गुजरात

1. बारदा
2. बवाछा, बमाछा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला पावरा, वसावा, वसाए
5. छारन (एल्चा वारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और वलसाद जिलों में)
7. चौधरी
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोदिया, धोदी
10. दुबला, तलावइया, हलपाती
11. गामित गामता, गावित मावछी, पादवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोरकथोडी ढोरकतकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्‌दी, सिद्‌दी बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट और सुन्दरनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोदिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोध
2. गद्‌दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा
5. कनउरा, किन्नर
6. लाहउल
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

जम्मू और कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दार्द, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

झारखंड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धोलकी, खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खारवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. मल पहारिया, कुमारबाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धानगर (ओरांव)
26. परहया
27. सन्थाल
28. सोरिया पहारिया
29. सवार
30. भूमिज
31. कवार
32. कोल

कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरसिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसाए
5. चेंचू, चेंचवार
6. चौधरा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी पदवी वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड,
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलार,
14. इरूलिगा,
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तुलुक में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)
19. कथोडि, कटकारि, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारि
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कूकना
22. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलहा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुड़िया, मेलाकुडि
28 कुरूबा (कूर्ग जिले में)
29. कुरूमान

30. महा मलासर
31. मलाइकुडि
32. मालासर
33. मलायेकान्डि
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराठी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेडारा, मेदारी, गोरिगा, बुरूद
38. नायकडा, नायक, चोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेड़ा, बेदार, और वाल्मिकि
39. पल्लियन
40. पानियां,
41. पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
42. पटेलिया
43. रथावा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोडा
47. वारलि
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. सिद्धी (उत्तर कन्नड जिले में)

केरल

1. अदियन,
2. अरान्दन, ***अरांधान***
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, ***माला पुलायन कुरन्मबा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन***
5. इरूलार इरूलान
6. कदार, ***वायनाड कदार***
7. *हटा दिया गया*
8. कनिकारन, कनिक्कार
9. कट्टूनायकन
10. ***कोच्चुवेलन***
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया मेलाकुड़ि
16. कुरिच्छान, **कुरिचियन**
17. कुरूमान, **मुल्लु कुरूमान**, ***माला कुरूमान***
18. कुरूम्बास, ***कुरुम्बार, कुरुम्बान***
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यान, ***माला आर्यन***
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. ***मालायन, नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोड़कर)***
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. *मराति (कसार गौड जिले के होस दुर्ग और कसार गौड तालुका)*
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. **पालेयान, पालीयान, पालीयार, पालीयान**
31. *हटा दिया गया*
32. *हटा दिया गया*
33. पानियान
34. उलादन, **उलातन**
35. उरली
36. ***माला वेत्तुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में)***
37. ***तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान***
38. **थाचानदान, थाचानदान, मूपान**
39. **चोलानैकान**
40. **माविलन**
41. **करीमपलान**
42. **वेटा कुरुमान**
43. **माला पनिक्कर**

मध्य प्रदेश

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भथरा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धँवर
15. गडाबा, गडबा
16. गोंडय अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धेबा, धुलिया, डोरलो, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोएतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, वादी मरिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. कोरकु
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तंवर, छत्री
21. ***(हटा दिया गया)***
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकु बोपची, मेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोड़ाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान, घांका, धांगाद
36. पानिका (छतरपुर पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील)
37. पाओ
38. प्रधान, पठारी, सरोटी
39. *हटा दिया गया*
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया [(i) बस्तर, छिन्दवाड़ा, मंडला, डिंडौरी सिवनी जिलों में (ii) बाला घाट जिले में बैहर तहसील (iii) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में (iv) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक
    (v) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लाक
    (vi) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लाक (vii) नरसिंहपुर जिला
    (viii) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में ,
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावार, सावारा
46. सोनर

महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावाचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. ***हटा दिया गया***
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. **गोंड, राजगोंड,** अरख, अर्राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दान्दमी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया कांद्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खिरवार खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंधया, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध खोंध कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परधी फान्से परद्यी लांगोली परधी, बहेलिया, छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. **हटा दिया गया**
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्चा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा, कछारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी जयंतिया स्येनतेग प्नार, वार, भोइ ल्येनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:

(i) बइते बिएते
(ii) छंगसान
(iii) चोंगलोइ
(iv) डोउन्गेल
(v) गमाल्हू
(vi) गंगत
(vii) गुइते
(viii) हान्नेंग
(ix) हाओकिप या हाउपिट
(x) हाओलाई
(xi) हेंगना
(xii) होनसुंघ
(xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
(xiv) जोंगबे
(xv) खावचांग
(xvi) खवथलांग, खोथालांग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेनथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवेन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थागंनगेऊ
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) वाइफेई, सहित

8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:

(i) बइतेथा बिएते
(ii) छंगसान
(iii) चोंगलोइ
(vi) डोउन्गेल
(v) गमाल्हू
(vi) गंगत
(vii) गुइते
(viii) हान्नेंग
(ix) हाओकिप या हाउपिट
(x) हाओलाई
(xi) हेंगना
(xii) होंनसुघ
(xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
(xiv) जोंगबे
(xv) खावचांग
(xvi) खवथलांग या खोथालांग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेनथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवेन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांगनेऊ
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) वाइफेई,

8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. पैते

नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बइगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भूंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बोंडा परोजा
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुरूआ
18. दिदायी, दिदायी परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगे गदाबा, सोनो गदाबा
20. गांडिया

21. धारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गैदा
28. कवार, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली, कंधा, सीता केंधा, कोंधा, कुई, बुदा कोंध, बुरा, कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंधा, मालुआ कोंधा, पेंगो कंधा, राजा कोंधा, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोंरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसार कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोधा, नोधा, लोधा
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, साओरा, कन्पू, कापोसओरा, कम्पा साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरीभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ठोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली,कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

सिक्किम

1. भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, तरोमोप, योल्मो सहित)
2 लेपचा
3 लिम्बू
4 तमांग

तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलार
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और **अम्बासमुद्रम तालुक** में)
8. कनियान, कन्यान
9. कट्टनायकन
10. कोच्युवेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छान
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्य
21. मलाइ पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. यूराली

त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:-
   (i) बालते
   (ii) बेलालहुट
   (iii) छाल्या
   (iv) फुन
   (v) हजांगो
   (vi) जांगतेइ
   (vii) खोरेंग
   (viii) खेपफोंग
   (ix) कुन्तेइ
   (x) लाइफांग
   (xi) लेन्तई
   (xii) मिजेल
   (xiii) नामते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रांगचांग

(xvi)	रांगखोले	12.	माग	16.	रियांग
(xvii)	थांगलुया	13.	मुण्डा, कौर	17.	सन्ताल
10.	लेपचा	14.	नोआटिया, मुराशिंग	18.	त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा
11.	लुशाइ	15.	ओरांग	19.	उछाई

उत्तराखंड

1.	भोटिया	3.	जोनसारी	5.	थारू
2.	बुक्सा	4.	राजी		

उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहइया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्रा जिले में)
11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल

1.	असुर	14.	हाजांग	28.	मल पहारिया
2.	बइगा	15.	हो	29.	मेच्छ
3.	बदिया, बेदिया	16.	करमाली	30.	मरू
4.	भूमिज	17.	खारवार	31.	मुण्डा
5.	भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्वती योल्मो	18.	खोंड	32.	नागेसिया
		19.	किसान	33.	ओरान
6.	विरहोर	20.	कोरा	34.	परहाइया
7.	बिरजिया	21.	कोरवा	35.	रभा
8.	चकमा	22.	लेप्चा	36.	सन्ताल
9.	छेरो	23.	लोधाा खेरिया, खारिया	37.	सउरिया पहरिया
10.	चिक बारिक	24.	लोहार, लोहरा	38.	सवार
11.	गारो	25.	माघ	39.	लिम्बू (सुब्बा)
12.	गोंड	26.	महाली	40.	तमांग
13.	गोरइत	27.	माहली		

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगेस
5. सेंटाइनलीस
6. शोम पेन्स

दादर व नगर हवेली

1. धोडिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोली धोर कोलघा सहित
6. नइकदा या नायक
7. वारली

दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :

1. धोडिया
2. दुबला (हालपति)
3. नइकडा (तालावी)
4. सिद्दी (नायक)
5. वारली

लक्षद्वीप

सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :-

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। 'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।'

स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(I)(घ) में परिभाषित किया गया है।

'**'कृपया ध्यान दें :** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 19.9.2003

नोट :- यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधि प्रमाणित होगी।

अनुलग्नक 6-ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

आन्ध्र प्रदेश*

(1) **महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के** बालमोर, कोदनांगोल, बनाल, बिलाकास, धारावारभ, अप्पाइपाली, रासुल छेरनुव, पुलेछेलमा मारलापया, बुर्ज गुंडाल, अगारला पेन्टा, पुल्लाइपाली, दुक्कान पेंटा, बिकिट पेंटा कारकार पेंटा, बोरामाछेरन्वू, येमेलापाया, इरलापेंटा, मुरारदीपेंटा, तेरकालदारी, वकारामामिदी पेंटा, मेडी मानकल, पंडीबोरे, संगरी गुण्डल, लिंगबोर, रामपुर, अप्पापुर मालापुर, जलालपैंटा, पीमानपेण्टा, रायलेट, वेटीलापाली, पातुर बयाल, भावीपैंटा नारदी पेंटा, तपासीपेंटा, चन्द्रगुप्ता, युल्लुकातरेवु, तिम्मारेड्डीपाल्लि, सारलापाल्लि, ततिगुण्डाल, इल्पामायेहेना, कोमान पेंटा, कोल्लामपेंटा मानानूर, माछाराम, मलहामाम्डी, वेकेटेश्वरला बावी, अमराबाद, तिरमालपुर, उपनुटोला, मघवनपल्लि, जगमरेड्डी पाल्लि, पेदरा, वेंकेश्वरम, चितलाम कुंटा, लाछमापुर, उदमेला, मारेड़, इप्पालापाली मड्डीमाडाग, अक्काराम, अइनोल, सिद्दापुर, बमानपाली, गनपुरा और मानेवारपल्लि गांव।

(2) **आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के** मलाइ बोरगोवा, अनकानपुर, जामुलाद्यारी, लोकारी, तान्तोली, सीतागोंटी, बुरनूर, नवगांव, पीपलदारी, पारदी बुजुर्ग, यापाल गुदा, छिनछूघाट, वानकोली, कानपा, अवसोदा बुरकी, मलकापुर, जारी, पालसी बुजर्ग, आरिल खुर्द, नन्दगांव, वाघापुर, पालसीखुर्द, लिंगी, कफ़र देनी, रतनापुर, कोसाइ, उमारी, मदनपुर, अम्बूगांव, रूयेअडी, सकानपुर, दादगांव, कसलापुर, डोरली, साहाजी, सांगवी, खोगदूर, कोबाई, पोनाला, छापराला, मंगरोल, कोपा, अरगूने, सोअनखास, खिडकी, खासल खुर्द, खासल बुजर्ग, जामनी, बोरगांव, सयेद पूर, खारा, लोहारा, मारीगांव, छिछदारी, खानापुर, खण्डाल, तीपा, हाती, घोता, करोदखुर्द, करोनी बुजर्ग, सिंगापुर, वुरानपुर, नागराला, बोदाद, छांदपेल्ली, पीतगेन, येकोरी, सादारपुर, वारूर, रोहार, तकाई तकली और रामखाम गांव।

(3) **आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के** अम्बारी, बोदरी, छिकली, कामताला, घोती, मांडवा, मेरेगांव, मालबोर गांव, पटोडा, दहीगांव, दोमोन घारी, दरसांगी, डिघरी, सिंदगी, कनकवाड़ी, कोपरा, मलाकवाडी निसपुर एन्डा, पीपलगांव, बलजा, वारोली, अन्जी, भीमपुर, सिरमेती, केरल, कोठारी, गोकुड़ा, गोगरवुडी, मलकापुर, द्योनोरा, रामपुर, पातरी, परोद्यी, बाओथ दरसांगी, नोरगांव, उनरसी, गोदी, साउरखेर नायकवाड़ी, सरकानी, वाझेरा, मारदाप, अंजेरखेर, गोण्डवारसा, पलाइगुडा करालगांव, पाल्सी, पटोड़ा जवारला, पीपलगांव, कानकी, सिंगोरा, डोगरगांव, पीपल सेंद्या, जुरूर, मिनकी तुलसी, माचौरड़ेर, पारधी मुरली, टाकरी, पारसा, वारसा, उमरा, अश्ता, हिंगनी, तिमारपुर, बाजरा, बानोला पाटसोन्डा, धनोरा, साकुर और डिगरी गांव।

(4) **आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के** हतनूर, बाकरी, पारद्यी, करतान्डा, सेरलापाल्लि, नेरादी-कोन्डा, डालीगाओ, कुनताला वेंकटपुर, हसनपुर, सुरदापुर, पोलमामदा, बाल्हनपुर, धार्मपुरी, गोकोड़ां भोताई, कोरसेकाल, पतनापुर, तेजापुर, गुरूज, खाहदीगुडी, राजुरवाड़ी, इसपुर घानपुर, जतेरला, खान्तेगांव, साउरी, इछोरा, मुतनुर, गुडी हाटनूर, तालमेडी, गेरजाम छिनछोली, सिरछेलमा, मनकापुर, नारसापुर, धार्मपुर, हरकापुर, धाामपुर, निगनी, अजारवजार, चिन्तलबोरी, रामपुर, गंगापुर और गयात्पाली गांव।

(5) **आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के** सभी गांव।

(6) **आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के** राजमपेट, गुंजाला, इंघानी, समेला, तेजपुर, कन्नारगांव, कन्टागुडा, शकेनपाल्ली, जामुलद्यारी, गुडी, छोरपाली, सालेगुदा, बादीगुदा, सवाती, ढाबा,

छोपनगुडा, नीमगांव, खिरदी, मेटापिपरी, साकरा सांगी, देवमुरपाली, खोटरा-रिंगनघाट, निशानी, कोटा परानडोली, मेसापुर, गोइगावं, द्यनोरा, पारद्या, सुरदापुर, केरीनेरी मुरकीनोनकी, देवापुर, छिन्ताकारा, इहेरी, आरा दासनपुर, कापरी, बेलगांव, सिरसगांव, मोआर, बादाम, द्यामिरीगुडा, दाल्लनपुर, छालवारडी, इहोरघाट, वाली झारी, साकमगुंडी, आरा, उप्पाल, नवगांव, अंकसोरपुर चिराकुन्ता, इल्लिपिट्टा, डोरली, मन्डरन्मेरा, दन्तान्पल्ली, देवदुर्ग, तुनपाली धांगलेश्वर, पादिबान्दा, तामरिन, मलगुण्डी, कन्दन मोओआर, जिओनेना, कुटेदा तिलानी, कानेपेल्लि, बोरवांउम, गरदेपाली, तेलुन्ड़ी, मौगीलोड़ीगुड़ा, मोइड़ा गुड़ी पेट, चीन्नेदारी, कोइटेलुण्ड़ी, मदुरा, देवैगुड़ा, आरे गुडा, तकेपाली, चोउतेपाली, राने कन्नेपाली, सुंगापुरा, राला सामकेपाल्लि, छोपरी, दोदा, अर्जुनी, सेरवाई, रापाल्लि, टेकमाडवा और मीता अर्जुनी गांव।

(7) **आदिलाबाद जिले के लक्षेतिपेत तालुका के** गुदाम, कासीपेत, दांडे पाल्लि, छेलमपेटा राजमपेट, मुत्तीमपेट, वेंकटपुर, राली, कौवाल, तारापेत, देवपुर, गधापाल्लि, रोतपाल्लि, माझडामारी, द्यर्मारोपेत, वेंकटपुर, चिंतागुडा और मुत्तेमपाली गांव।

(8) **आदिलाबाद जिले के राजूरा, तालुका के** बेंडवी, छिनछोली, गोइगांव, हीरापुर, साकरी, बालापुर, मनोली, अन्तारगांव, विरूर, डोगरगांव, टिमबेरवाई, सेरसी, बडोरा, व्मरजीरी, लाकारकोट, डरगांव, किरदी, सोंदो, देवरा, खोरुना, कानारगांव, छेनाई, कैरगांव, सामलहीरा, घनोली, मारनगांडी, येल्लापुर, काटलबोरी इसपुर, देवती, पाण्डेरवानी, वानसारी, पेरदा, वारगांव, नोकारी, मीरापुर, पारद्यी, कुतोडा, परसेवारा, मंगलरा, कारकी, नोकारी, मनोली, सोनपुर, इनापुर, मानगी, उपारवाई, तुत्ता, लकमापुर, किरदी, इनजापुर, जामीनी, हरगांव, छिकली, पाटन, कोसुंडी, कोतारा और सोनोरली गांव।

(9) **आदिलबाद जिले के सिरपुर तालुका के** रालपेट, किस्तामपेट, तकलपात्ले छाकलपल्लि, अनाराम, येपाल्लि, कोरसनी, इसगांव, छिन्तागुडा, अंकोरा, उसू रामपल्लि अरपाल्लि बोपालपट्टम, बालासागा, पारघी, तुमरीहाती, छिन्तालमानोपाल्लि, छिन्ताम, गुल्लातालोदी, दामदास, ढ़ोरपल्लि, कानकी, गारलापेट, गुदलाबोरी, गुरूमपेट, लोमवेली, मोगुरदागर, विरदान्डी, और छिलपुरदुबोर गांव।

(10) **वारंगल जिले के मुलुग तालुका के** कन्नइगुडा, अंकनगुड्डा, राघवापट्टनम, मेडारमोला, कोएटला, पारसा, नागाराम, मुथापुर, मोटलागुड्डा, वेंगलपुर, येलपाक काने बोएनपल्लि, मेदाराम, कोंडरेड, छिन्तागुडा, कोंडापारथी, येलसेथिपाल्लि, अल्लामरि घुन पुर, रामपुर, माल्कपल्लि, छेत्ताल भूपतिपुर, गंगाराम, कन्नइगुडा राजन्नापेट, भूताराम, अक्केला, सिरवारपुर, गंगाराम भूपतिपुर, पुम्बापुर, रामपुर, अकामपाली, कामााराम, कामसेलिगुण्डम, आशनागुडा, येल्लापुर, अल्लागुड़ा, नरसापुर, पुस्छापुर, भातुपाल्लि, लावनाल, वाड्डगुडा, कोथूर, पेगदापाल्लि, सारवापुर, भुस्सापुर, चेलवाई, रगपुर, गोविन्दराओपेट, बालपाली, धुमपालागुड़ा, केलापाली, लखनवरम, परसा, गोनेपाली, पड़गापुर, नरलापुर, कलवापाली, डरताम, कोंडिया, मलयत, अक्लापुर, ड़ोल्ड़ा, कमाराम, तादवी, बुदीगुड़ा, बन्नजी, बन्दाम, सेलपाक कन्तलपाली, सरवाई गंगागुदा, तुपालकालगुदा, अकुलवारी, धानपुर, शाहपलि, गागपेल्लि, छिन्ना-विओपल्लि, वेकरपुर, नरसापुर, अनवाराम, लिंगाल, बालेपाल्लि बंडल और धुनमापुर गांव।

(11) **वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के** वेवेल्लि, पोलारा, बाकाछिन्ताद, गांजाद, गोपालपुर, खिस्तापुर, तातीनारी, वेनपाल्लि, पत्तल, भूपति, चन्देलपुर, बत्तालपल्लि अदवारमपेट, सात्यानगर, दुत्ल, मोथवाडा, मंगाला वारपेत, कारलाई, अरकालकुंता, कोदसापेत, गुडेरपाल्लि मसामी, बत्तवारतीगुदेम, ममीदीगुदम, पंगोन्डा, रोतुराई, सतरेद्दीपाल्लि, कोनापूर, कोंदापुरम, पोगुलापाल्लि, गोविन्दपुरम, माकदापल्लि, पागुलापल्लि, मुराइगुडेम, येलछागुडेम, तुम्मापरुम, जगांमवारतीगुडेम, रंगामुड़ेम, पेड़ा पल्ली, पेरावरम, कुन्दापाल्लि, नीलापाल्ली, दारावारिनापाल्लि, कारनेगुंड, महादेवागुडेम, मारिगुडेम, जंगनपाल्लि, बवारगुडा ओआरवाक, गंगाराममम, मुछेरला अमरोन्छा कामाराम छिन्टागुंडम, निलावाच्छा, कांगारगिड्डा, मडागुड्डेम दालुरपेट, कोठागुडेम,

कोटापाल्लि, दुर्गाराम, दूबागुडेम, रून्दावाराम नरसूगुडाम, कोमातलागुडेम, कोटेरवम, सेमर राजपेट, मारेपल्लि, गोआरन्ट, राधियापुर गजल गुड़ेम, राजवे पल्लि, और वोल्लिपाल्लि गांव।

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे के अतिरिक्त)

(13) (i)वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान

(14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र 1 एजेन्सी लक्ष्मीपरुम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापरुम, कृष्णादेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा, 2 विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अगराहरम और कोंडावातिपुड़ी अगाहराम,

(15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र 2 रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित

(16) पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

---

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26. 1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ. संख्या 30) और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1955 (सी.ओ. 50) के तहत संशोधित किया गया।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

2. आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात **

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाधा वालोद, मांगरोल तालुका
2. भडौच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुका।
3. डांग जिला व तालुका
4. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका
6. बडोदरा जिले के छोटा उदयपुर, और निसवाडी तालुका और तिलकवाडा महल
7. साबरकांठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सी.ओ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

(क)धाहानु, **तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील**

(ख)(i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील

(1)	तारापुर	(24)	असेरी	(47)	काल्लाले
(2)	कुन्दन	(25)	सोमते	(48)	पादघे
(3)	दहीसर टर्फ तारापुर	(26)	पस्थाल	(49)	पोले
(4)	घिवाली	(27)	बोइसार	(50)	नानडोरे
(5)	वावे	(28)	बोरसेती	(51)	गिरनोली
(6)	अक्कारपत्ती	(29)	महागांव	(52)	बोरान्डे
(7)	कुरगांव	(30)	किराते	(53)	देवखोपे
(8)	पारनाली	(31)	वाडे	(54)	सागवे
(9)	वेनगानी	(32)	खाडवाने	(55)	कोसबाद
(10)	पठारवाली	(33)	माडवान	(56)	कोकानेर
(11)	नेवले	(34)	विस्थले	(57)	नागणारी
(12)	शिगांव	(35)	कोडगांव	(58)	छारी खुर्द
(13)	गारगांव	(36)	कारसूद	(59)	बेलगांव
(14)	चिंचारे	(37)	बेतेगांव	(60)	खुताल
(15)	अकेगावान	(38)	वारंगदे	(61)	छिलहर
(16)	नानीवाली	(39)	लालोंडे	(62)	भोपोली
(17)	अंबेढे	(40)	घनेडे	(63)	नीहे
(18)	बरहानपुर	(41)	काम्पालगांव	(64)	दामखाण्ड
(19)	सलगांव	(42)	मान	(65)	कोंधान
(20)	खुताद	(43)	घानेघर	(66)	आवनधान
(21)	खानीवाड़े	(44)	वाढ़े	(67)	बेगारचीले
(22)	रावते	(45)	छारी बुदर्ग	(68)	शील
(23)	अकोली	(46)	बिरवाडी	(69)	लोवारे

(70) बंधान	(95) खामलोली	(120) जांजरोली
(71) नन्द गांव टर्फ मानोर	(96) वाहदोली	(121) छाडे
(72) शील शेट	(97) बोत	(122) वसारे
(73) कताले	(98) इम्बूर इराम्बी	(123) खादकोली
(74) अम्भान	(99) दानिसारी टर्फ मानोनर	(124) सखारे
(75) वासरोली	(100) कुडे	(125) रोथे
(76) खारशेट	(101) गुण्डावे	(126) लालथाने
(77) मानोर	(102) सीतावली	(127) नवाजे
(78) ताकवाल	(103) वेहालोली	(128) तान्डुलवाडी
(79) सवारखण्ड	(104) सवारे	(129) गिराले
(80) नालशेट	(105) वराई	(130) पारगाव
(81) केव	(106) जानसाई	(131) नागवे टर्फ-मानोर
(82) वाकाडी	(107) खाइरे	(132) उम्बारपदा नानड़ाडे
(83) मासवान	(108) ढेकाले	(133) उचावाली
(84) वान्डीवाली	(109) गांजे	(134) सफाले
(85) नेताली	(110) जायेशेते	(135) सोनावे
(86) साये	(111) शेलवाडे	(136) माकने कापसे
(87) तेन	(112) वेमूर	(137) कारवाले
(88) कारालगांव	(113) अम्बादी	(138) वाधिव सरावली
(89) गोवादे	(114) नवाली	(139) पेनान्ड
(90) तामसाइ	(115) मोरावाली	(140) कान्डारवान
(91) दुरवेस	(116) वारखुन्ती	(141) दाहीवाले
(92) धुकतान	(117) कामार	(142) दारशेट
(93) पोछादे	(118) टोकराले	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(94) होलाले	(119) बन्डाते	(144) उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।

(ii) **वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

वसाई (बसीन) तहसील :

(1) दाहीसार	(9) भालीवाली	(17) मेघे
(2) कोशिम्बे	(10) कावहेर	(18) वादघर
(3) तुलिंज	(11) शिरसाद	(19) भीनार
(4) सकवार	(12) मान्धावी	(20) एम्बोडे
(5) छिमान	(13) छानदीप	(21) कालभोन
(6) हेडवडे	(14) भातने	(22) अनदने
(7) काशिदकोपर	(15) शिवनसाई	(23) सायावान
(8) खानीवाडे	(16) उसगांव	(24) पारोल

(25)	शिरवाल	(32)	वालिव	(39)	देवदल,
(26)	माझीवाली	(33)	सतिवाली	(40)	कामम,
(27)	कारांजोन	(34)	राजवली	(41)	सरजामोरी
(28)	तिलहर	(35)	कोल्ही	(42)	पोमन
(29)	धाविव	(36)	छिनछोती	(43)	शिलोत्तर
(30)	पेल्हार	(37)	जुचंद्र,	(44)	ससुनवघर
(31)	अहोले	(38)	बापने,	(45)	नागले

((iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिवांडी तहसील :

(1)	भिवाली	(25)	वाघीवाले	(49)	बासे
(2)	गनेशपुरी	(26)	देवहोल	(50)	गोंडाडे
(3)	वाडावाली वाजरेश्वरी	(27)	सागोआं	(51)	पहारे
(4)	अकोली	(28)	इकसाल	(52)	सेदगांव
(5)	सवारोली	(29)	चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे	(53)	पच्छापुर
(6)	खतराली	(30)	डूधानी	(54)	गोंड्रवली
(7)	उसगांव	(31)	वापे	(55)	जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे
(8)	घोटगांव	(32)	घदाने	(56)	असनोली-टर्फ-कुडे
(9)	वाढ़े	(33)	कुंडे	(57)	शिरोले
(10)	वारेथ	(34)	घोतावाडे	(58)	दाभाद
(11)	चाने	(35)	माइडें	(59)	महानडुल
(12)	असनोली-टर्फ-दुगद	(36)	करमाले	(60)	शिरगांव
(13)	दुगद	(37)	कांडली बुदर्क	(61)	पिंपल सेठ भुसेठ
(14)	मनीवाली	(38)	कोल्हे	(62)	खादकी खुर्द
(15)	वादवाली टर्फ दुगद	(39)	कांडली खुर्द	(63)	खादकी बुदरूक
(16)	मालबीडी	(40)	दीघाशी	(64)	चिम्बीपाडे
(17)	मोहिली	(41)	नेवादे	(65)	कूहे
(18)	नन्दीथान	(42)	अम्बादी	(66)	घामने
(19)	देपोली	(43)	दालोंड	(67)	लाखीवाली
(20)	सखरोली	(44)	जाम्भीवाली टर्फ-खाम्बाले	(68)	पालीवाली
(21)	सूपेगांव	(45)	उम्बारखण्ड	(69)	पाये
(22)	पिलांजे खुर्द	(46)	अशिवाली	(70)	गाने
(23)	पिलांज बुदुर्क	(47)	जिदके	(71)	दाहयाले
(24)	अलखीवाली	(48)	खारीवाली	(72)	फिरंगपाडा

(iv) **मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

मुरबाद तहसील :

(1)	कासगांव	(27)	खेड	(53)	हेडावाली
(2)	किसाल	(28)	वनोटे	(54)	कारचोंड
(3)	वाडावाली	(29)	साई	(55)	जडघर
(4)	सखारे	(30)	शेलगांव	(56)	उडालदोहा
(5)	खटालबोर गांव	(31)	शिरोशी	(57)	महोरांडे
(6)	अम्बेल खुर्द	(32)	तालेगांव	(58)	टोकवडे
(7)	सयाले	(33)	फंगालकोशी	(59)	बालेगांव
(8)	इंदे	(34)	मेरडी	(60)	तलवानी (बडागांव)
(9)	खेडाले	(35)	वाल्हीवार	(61)	वैशाखरे
(10)	तलवाली-टर्फ-घोराट	(36)	माल	(62)	मनवाली-टर्फ-खेडुल
(11)	इकलाहारे	(37)	जडाई	(63)	पेनढारी
(12)	छफे-टर्फ-खेडुल	(38)	अम्बीवाली	(64)	उमरोली बुदर्क
(13)	पिम्पालघर	(39)	डिंघेपाल	(65)	ओजीवाल
(14)	देहगांव	(40)	दीवान पाद	(66)	मंदावत
(15)	पारहे	(41)	कोचरे खुर्द	(67)	महाज
(16)	कांडली	(32)	कोचने बुदर्ग	(68)	पडाले
(17)	धासाई	(43)	छोसाले	(69)	कोलोशी
(18)	अल्यानी	(44)	खूरल बंगला	(70)	जयगांव
(19)	पालू	(45)	नयाहांडी	(71)	कलामबाद (भोंडीवाले)
(20)	देवघर	(46)	मोराशी	(72)	खेवारे
(21)	माढ	(47)	फंगुल गांवाहन	(73)	दुधानोली
(22)	सोनावाले	(48)	सवरने	(74)	उमारोली खुर्द
(23)	वेलुक	(49)	थिताबी-टर्फ-वैशाकहरे	(75)	खोपीवाली
(24)	अलावे	(50)	कुदशेट	(76)	मील्हे
(25)	बरसुंगे	(51)	फंगाने	(77)	गोरखगाद
(26)	मांडुस	(52)	खपारी		

2. नासिक जिले में निम्न :

(क) **पेंट, सुरगाना और कलवान** तहसील

(ख) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील :

(1)	मोखनाल	(4)	कारंजली	(7)	वारे
(2)	मानवाड	(5)	गंडोले	(8)	वनजोले
(3)	डेहारे	(6)	पलासविहिर	(9)	अम्बाद

(10) वनारे
(11) तितवे
(12) देवधान
(13) नानाशी
(14) छारोसे
(15) देवघर
(16) कउदासर
(17) वनीखुर्द
(18) पिंपलगांवधाम
(19) जोरान
(20) महाजे
(21) सदराले
(22) नालवाडी
(23) ओजे,
(24) गोलसी
(25) जलखंड
(26) निगडोल
(27) कोकोगांवबुर्दक
(28) उम्बारलेखुर्द
(29) अम्बेगांव
(30) छाछदगांव
(31) वाघाद
(32) पोपलवाडे
(33) धाउर
(34) उम्बालेबुदुर्क
(35) जम्बूतके
(36) पिम्पराज
(37) नालेगांव
(38) विलवांडी
(39) रासेगांव
(40) कोछारगांव
(41) तिलहोली
(42) रावलगांव
(43) डेहरेवाडी
(44) ढागुर
(45) देवसाने
(46) सरसाले
(47) करांजखेड
(48) पंगलवाडी
(49) इकलाहारे
(50) चउसाले
(51) पिम्परीअंचला
(52) अहिवंतवाडी
(53) गोलडारी
(54) हास्ते
(55) कोलहेर
(56) जिरवाडे
(57) छामदारी
(58) मालदुमाला
(59) मंडाने
(60) कोशिम्बे
(61) पुनेगांव
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर
(64) चंदीकपुर
(65) भाटोडे
(66) दाहिवी
(67) मुलाने
(68) कोकनागांवखुर्द,
(69) मालेगांव
(70) पिम्पराखेड
(71) फोपासी
(72) वानीकास्बे
(73) संगमनेर
(74) खेडले
(75) मवाडी
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव
(78) वागलूड
(79) कृष्णगांव
(80) वारखेड
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गांओंडेगांव
(83) हतनोर
(84) नीलवांडी
(85) पिंपलगांवकेतकी
(86) राजपुर
(87) डिंडोरी
(88) जोपुल
(89) माडकीजाम्ब
(90) पालखेड
(91) इन्दोर
(92) कोरहते,
(93) छिंचखेड
(94) टालेगांवडिंडोरी
(95) अकराले,
(96) मोहाड़ी,
(97) पिम्पसालानारे
(98) खाटवाड
(99) रामसेज
(100) अम्बेडिंडोरे
(101) ढाकम्बे
(102) जानोरी
(103) मानोरी
(104) शिवनाई
(105) वारवांडी
(106) जउलकेडिंडोरी,

(ii) **इगत पुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

इगातपुरी तहसील :

(1) ढाडोशी,
(2) भीलमाल,
(3) पाहिने,
(4) जारवाड खुर्द,
(5) टाक-हर्षा,
(6) असावली हर्षा,
(7) समुन्दी
(8) खारोली
(9) कोजोली
(10) अवहाते
(11) खुशगांव
(12) मेतचन्द्रायची
(13) अलवांड
(14) दापुरे
(15) मेत हुम्बाची
(16) जारवाड बुदुर्क
(17) महासुरली
(18) शेवगेड़ाग
(19) वानजोले
(20) देवगांव
(21) अहुरली
(22) नन्द गांव
(23) वावी हर्षा
(24) नागोसली
(25) ढ़ारगांव
(26) ओडंली
(27) सातुरली
(28) अवाली डुमला
(29) कारहाले,
(30) रायाम्बे
(31) टाकेड गांव
(32) मेटेलयाच्ची
(33) बितुरली,
(34) वालविहार,
(35) भलवी बुदुर्क
(36) पिंपलगांव भाराटा
(37) कोपरागांव
(38) कुरनोली
(39) ढ़ामोली
(40) वाकी
(41) छिनंछाले (खाइरे)
(42) ट्रिंगलवाडी,
(43) अदवान,
(44) अवालखेडे ,
(45) पारदेरी,
(46) बलायदूरी,
(47) खम्बाला,
(48) टेक घोटी,
(49) घोटी बुदुर्क
(50) तालगांव,
(51) गिरनार,
(52) तितोली,
(53) बोरटम्भे ,
(54) तालोशी,
(55) नन्दगांव साडे,
(56) पिंपरी सेर्दोदीन,
(57) तेलघा,
(58) कंचनगांव,
(59) शेनवार्ड बुदुर्क,
(60) फंगुलगांवन,
(61) बोरली,
(62) मानवेदे,
(63) भवाली खुर्द
(64) कालूस्ते,
(65) जामुन्डे,
(66) गाहुन्डे,
(67) भारवाज,
(68) कारूंगवादी,
(69) निरपन,
(70) मनिआरगांव,
(71) अम्बेवाडी,
(72) खाडखेड,
(73) इन्दोर,
(74) उम्बारकोन,
(75) सोमाज घादगा ,
(76) उभाडे (वंजुलवाडी)
(77) मेगारे,
(78) बेलगांव तारहाले ,
(79) धामनगांव,
(80) देओले,
(81) खैरगांव,
(82) पिम्पलगांव मोर,
(83) धामिनी,
(84) अदसारे खुर्द,
(85) अदसारे बुदुर्क,
(86) आछरवाड,
(87) ताकेट खुर्द,
(88) ताकेट बुदुर्क,
(89) खेड,
(90) वारसिंगवे,
(91) सोनोशी,
(92) मइदारा धानोशी
(93) वासाली,

(iii) **त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

नासिक तहसील :

(1) साप्टे,
(2) कोने,
(3) खारवाल
(4) वरासविहिर
(5) वघेरा
(6) रोहिले,
(7) नन्दगांव
(8) गोरथान,
(9) हिरदी
(10) मालेगांव
(11) वेलुन्जे
(12) गणेशगांववघेरा,
(13) पिम्परीत्रिम्बाक
(14) मेटकवारा,
(15) ब्रहम्णवाडेत्रिम्बाक,
(16) तोआनगान,
(17) धुंबदी
(18) बेसे
(19) चकोर
(20) अम्बोली
(21) अम्बाई
(22) श्रीरासगांव
(23) तालवाडेत्रिम्बाक,
(24) पिम्पलाडत्रिम्बाक,
(25) खामबाले
(26) सापगांव,
(27) काचुरली,
(28) अरियानेरी,
(29) तालेगांवत्रिम्बाक,
(30) पोगलवाडीत्रिम्बाक,
(31) वाछोली,
(32) उब्बारांडे,
(33) कालमुस्ते
(34) तिम्बार्क(देहात),
(35) हर्षावाडी
(36) मेटंघेराकिलात्रिम्बाक
(37) मुलेगांव
(38) लादाची
(39) नायकवाडी,
(40) वेले,
(41) सादगांव,
(42) वादगांव,
(43) मनोली,
(44) ढोडेगांव
(45) दारी
(46) गिमाते
(47) दुगांव
(48) देवरगांव
(49) नागलवाडी
(50) ओजारखेडा
(51) चांदसी
(52) गंगामहलुंगी
(53) जलालपुर
(54) सवारगांव
(55) गोवरधान
(56) शिवगांव
(57) पिंपलगांवगरूडेश्वर
(58) राजवाडी
(59) गंगावारहे,
(60) गणेशगांवत्रिम्बाक
(61) गणेशगांवनाशिक
(62) वसाली
(63) दूदगांव,
(64) महिरावनी
(65) तालेगांवअंजानेरी,
(66) जाटगांव,
(67) सारूल
(68) पिंपलाडनासिक
(69) राजोरबहुला,
(70) दहीगांव,

(iv) **बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

बागलान तहसील :

(1) बोरहाते
(2) मोहलांगी
(3) जैतपुर
(4) गोलवाड
(5) हतनूर
(6) मालीवाड
(7) अम्बापुर
(8) जाड,
(9) वीसापुर,
(10) सहेवार
(11) खाराड़
(12) वाड डिगार
(13) देवथान
(14) कोंधाराबाद
(15) अंतापुर
(16) रावर
(17) जामोती
(18) अलिआबाद,
(19) अजांडे
(20) मुलहर
(21) बाबुलने,

(22)	मोरने–दिगर	(34)	भावाडे	(46)	ततानी
(23)	बोरदइवत	(35)	दसाने,	(47)	भीलडार
(24)	भीमखेत,	(36)	मालगांव खुर्द	(48)	किकवारी बुर्दक,
(25)	वाघम्बे	(37)	सालवान	(49)	जोरान
(26)	मनूर	(38)	पिसोर	(50)	साकोड़े
(27)	सालहेर	(39)	करसाने	(51)	करांजखेड
(28)	कटारवेल	(40)	विथोड	(52)	डांग सुनडाने
(29)	भीलवाड	(41)	पाठवेडीगर	(53)	निकबेल
(30)	तुनगांव	(42)	तालवेडीगर	(54)	बन्धाते
(31)	दसवेल,	(43)	मोरकुरे	(55)	दाहिन्डुले
(32)	जाखोड	(44)	किकवारी खुर्द	(56)	सरवार
(33)	मुनगासे	(45)	केलजार	(57)	वाडीचौलहेर

3. **धूले जिले में निम्न :-**

(क) नवापुर, तालोडा, अक्काल कुआ और अकरानी तहसील

(ख) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील

(1)	छोपाले	(21)	वसखेडी	(41)	पेटाले
(2)	रोथोड	(22)	डामकानी	(42)	पिंपलगांव
(3)	जामखेल	(23)	सालटेक	(43)	मोहनी
(4)	खरसूवाडे	(24)	दाहीवेल	(44)	तेम्भे,परगानवारसे
(5)	सुतारे	(25)	भोनगांव	(45)	शिरसोले
(6)	धानेर	(26)	बादगांव	(46)	उमारपेटा
(7)	अमाले	(27)	मेनडान	(47)	मालगांव,परगानवारसे
(8)	माछमाल	(28)	दापुर	(48)	खारगांव
(9)	खांडवारे	(29)	रोहन	(49)	कालाम्बे
(10)	रायकोट	(30)	जेबापुर	(50)	छोरवाड
(11)	बुरन्दखे	(31)	अमोड	(51)	लखाल
(12)	पानगांव	(32)	किरवाड़े	(52)	वारसे
(13)	लागडवाल	(33)	घोडाडे	(53)	सेनवाड
(14)	रायतेल	(34)	सुरपान	(54)	कुदासी
(15)	ब्रहमणवेल	(35)	कोरडे	(55)	मनजारी
(16)	आमखेल	(36)	वालव्हे	(56)	मापालगांव
(17)	जाम्बोरे	(37)	विटावे	(57)	डांगासेर वाडे
(18)	वारसस	(38)	कासबे चहेडवैल	(58)	बोपखेल
(19)	जामकी	(39)	बसार	(59)	शिव
(20)	रूनमाली	(40)	इसराडे	(60)	खात्याल

(61)	वारदोली	(68)	जीरापुर	(75)	बालहाने
(62)	काकसाद	(69)	कोकनागांव	(76)	देशिरवाडे
(63)	पानखडे	(70)	शेवागे	(77)	काडयाल
(64)	सामोडे	(71)	धामानधार	(78)	ढ़ोगाड्डिगार
(65)	महासदी,परगने पिम्पलनेर	(72)	विरखेल	(79)	शेलबारी
(66)	पिंपलनेर	(73)	पारगांव	(80)	डेगांव
(67)	चिकासे	(74)	मंडाने		

(ii) **नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

नंदुरबार तहसील :

1.	भंगडे	28.	नारायणपुर	55.	ववाद
2.	मंगलूर	29.	धिरासागांव	56.	चाकले
3.	वसलाई	30.	धोकवाड	57.	दहींडुले बुदुर्क
4.	अर्दितारा	31.	बिलाडी	58.	दहींडुले खुर्द
5.	धानोरा	32.	खौराले	59.	अथोरे दिगर
6.	पावले	33.	खामगांव	60.	उमारदे खुर्द
7.	कोठडे	34.	नागासार	61.	चंपाले
8.	उमज	35.	विरचक	62.	अकराले
9.	कोथाली खुर्द	36.	टोकारटेल	63.	वादबारे
10.	वदाजकान	37.	वाघले	64.	अखातवाड़े
11.	निंबोन बुदुर्क	38.	ओजारदे	65.	हटी उर्फ इंडि
12.	जालखे	39.	आस्थे	66.	पलाशी
13.	शिरवादे	40.	थानेपाडा	67.	घुली
14.	रनाले खुर्द	41.	अमरावे	68.	राकसवाडे
15.	नटवाड	42.	पथराई	69.	वाघोडे
16.	करांजवे	43.	धामदाई	70.	पाटोंडे
17.	शेजवे	44.	वारुल	71.	हाल-टर्फ-हवेली
18.	पिंपलोड-टर्फ-धानोर	45.	अदाच्छी	72.	खोडासगांव
19.	लोया	46.	लोंखेडे	73.	शाहदे
20.	वेलावेद	47.	कराजकुपे	74.	शिंडे
21.	वयाहुर	48.	नालवे खुर्द	75.	कोल्डे
22.	धुलवाड	49.	सुंदारदे	76.	भगसारी
23.	गुजर भवाली	50.	नालवे बुदुर्क	77.	धामदोड
24.	गुजर जम्बोली	51.	दुधाले	78.	सवाल्दे
25.	कर्णखेडे	52.	नंदारखे	79.	कोरित
26.	फुलसारे	53.	घने	80.	सुजातपुर
27.	उमरदे बुदुर्क	54.	वसादरे	81.	तिशि
				82.	धंधाने

(iii) **शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

शाहदा तहसील :

(1) आकासपुर
(2) नवगांव (वन ग्राम)
(3) वीरपुर
(4) दारा
(5) भूटा
(6) कनसाइ (वनग्राम)
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)
(8) छिराडे
(9) नागजिरि (वनग्राम)
(10) कुसुमवाडे
(11) नन्दया (वनग्राम)
(12) पिम्परानी
(13) रानीपुर (वनग्राम)
(14) फात्तेपुर
(15) लक्काडोत (वनग्राम)
(16) कोटबन्धानी (वनग्राम)
(17) पिंम्पलोड
(18) कुड्डावाड
(19) लाच्छोर
(20) कन्नाडी-टर्फ-हवेली
(21) शीरूद-टर्फ-हवेली
(22) अमोडे
(23) अलखेड
(24) पाडाले बुदुर्क
(25) बुदिगांवन
(26) उमारती
(27) पिम्पारी
(28) महासवाद
(29) अनकवाडे
(30) सुलवाडे
(31) तवलाई
(32) मुबारकपुर
(33) वेलवाड
(34) कलमाडी-टर्फ-बेआरदी
(35) वाडी
(36) सोनावद-टर्फ-बोआरदी
(37) थेंगचे
(38) जावाडे-टर्फ-बोआरदी
(39) तारहाडी-टर्फ-बोआरदी
(40) बारघे
(41) पारी
(42) कोठाली-टर्फ-हवेली
(43) औरंगपुर
(44) चिखाली बुदुर्क
(45) करनखेड
(46) नन्दारडे
(47) वइजाली
(48) वाघोडे
(49) परकाशे
(50) धामलाड
(51) काथारेडे बुदुर्क
(52) काथारडे खुर्द
(53) कलसाडी
(54) धुरखेडे
(55) भाडे
(56) पिगाने
(57) गानोर
(58) आदगांव
(59) खारागांव
(60) कोछारे
(61) बिलाडी-टर्फ-हवेली
(62) बहिरपुर
(63) ब्रहमणपुर
(64) सुल्लातनपुर
(65) रायखंड
(66) खेड दिगर
(67) नावलपुर
(68) चांदसाइली
(69) गोदीपुर
(70) पडालडे खुर्द
(71) भागपुर
(72) जावखेड
(73) सोनवाई-टर्फ-हवेली
(74) कवालीथ
(75) तुकी
(76) सावरवेडे
(77) कारजोत
(78) लाहोर
(79) गोगापुर
(80) कुरांगी
(81) तिधारे
(82) दामालेड
(83) कालामांड-टर्फ-हवेली
(84) चिखाली खुर्द
(85) भारेटेक
(86) श्रीखेडे
(87) ओजारटे
(88) उखालसेम
(89) वघारदे
(90) जाम
(91) जवादे-टर्फ-हवेली
(92) तितारी
(93) होल मुबारकपुर (वनग्राम)
(94) वेदगांव
(95) पिम्पारदे
(96) आशालोड
(97) मंडाने
(98) अवागे
(99) तिखोरे
(100) उन्तावाद

(101) होल	(115) कहतुल	(130) भुलाने (वनग्राम)
(102) मोहिडे-टर्फ-हवेली	(116) वादछित	(131) चांद साइली (वन ग्रम)
(103) जुनवाने	(117) लोंनढोर	(132) उभादगाद (वनग्राम)
(104) लोनखेडे	(118) उधालोड	(133) काकराड खुर्द
(105) तेम्भाली	(119) निम्बोरे	(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(106) होलगुजारी	(120) धांड्रे बुदर्क	(135) मालगांव (वनग्राम)
(107) आसुस	(121) चिरकान (वनग्राम)	(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(108) बुपकारी	(122) असलोड (नया)(वनग्राम)	(137) शहना (वनग्राम)
(109) मलोनी	(123) जैनघर	(138) काकरदे बुदुर्क
(110) डोगरागांव	(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)	(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(111) कोथाल-टर्फ-शहादा	(125) मनमोडया वनग्राम	(140) काटघर
(112) मटकुट	(126) दुतरवेडे (वनग्राम)	(141) निम्बारडी (वनग्राम)
(113) बोराले	(127) भोगारा (वनग्राम)	
(114) कामरावेद	(128) वदाली	
	(129) कोठावाल	

(iv) **शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)	(12) भुदकी (वनग्राम)	(26) चान्दसे
(2) मलकाटार (वनग्राम)	(13) छंदसुरया (वनग्राम)	(27) वाडी बुदुर्क
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)	(14) बरोदी (नया) (वनग्राम)	(28) वाडी खुर्द
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)	(15) काकडामल(वनग्राम)	(29) जालोड
(5) कोडिड (वनग्राम)	(16) वाकवाड (वनग्राम)	(30) अभनापुर खुर्द
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)	(17) उमरदा (वनग्राम)	(31) तारहाड
(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)	(18) डुराबड्या (वनग्राम)	(32) उखालवाडी
(8) वाघपदे (वनग्राम)	(19) मोहिड़ (वनग्राम)	(33) मुखेड
(9) सइगारपद (वनग्राम)	(20) डोडवाडा (वनग्राम)	(34) नीमजारी
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)	(21) तेम्भा (वनग्राम)	(35) वरजाडी
(11) छोन्दी (वनग्राम)	(22) खैरखान (वनग्राम)	(36) वाघबारदा
	(23) बोआरदी	(37) समरमापद
	(24) वसारदी	(38) लउकी
	(25) नन्दारदे	(39) सूले
		(40) फत्तेपुर

(41) हेदाखेड़	(49) खरकुटी (वनग्राम)	(57) अम्बे
(42) अरूनपुरी बांधा	(50) जोयादा (वनग्राम)	(58) खामखेडे परगने अम्बे
(43) संगवी	(51) छिलारे (वनग्राम)	(59) हिवारखेडे (वनग्राम)
(44) हाटेड	(52) लकड्या हनुमान (वनग्राम)	(60) हिगांव
(45) जेन्दया अन्जान	(53) महादेव डोन वाड (वनग्राम)	(61) वाडेल खुर्द
(46) पलासनेर	(54) मालापुर (वनग्राम)	(62) कालापानी (वनग्राम)
(47) खाम्बले	(55) रोहिजी	
(48) पानाखेड (वनग्राम)	(56) भोइती	

4. **जलगांव जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील :

(1)	मराठा (वनग्राम)	(10)	वइजापुर (वनग्राम)(54)	(19)	कुंडयापानी (वनग्राम)
(2)	मूरढिडा (वनग्राम)	(11)	बोराजन्ती (वनग्राम)	(20)	इच्चापुर परगने अड़वाड़
(3)	उमारती (वनग्राम)	(12)	मालापुर (वनग्राम)	(21)	बधावनी
(4)	सत्रसेन (वनग्राम)	(13)	बोरामाली (वनग्राम)	(22)	बधाई
(5)	कृष्णपुर (वनग्राम)	(14)	करजाने (वनग्राम)	(23)	अनदाने
(6)	अंगुरने	(15)	मेलान (वनग्राम)	(24)	मोहराद
(7)	खारया पडव (वनग्राम)	(16)	विशनपुर (वनग्राम)	(25)	असालवाडी (वनग्राम)
(8)	वइजापुर (रेवन्यू)	(17)	देवहारी (वनग्राम)		
(9)	मुलुयाउत्तर (वनग्राम)	(18)	देवजिरि (वनग्राम)		

(ii) **यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

यावल तहसील :

1.	मानापुरी	6.	हरिपुरा (वन ग्राम)	11.	जामन्या (वन ग्राम)
2.	टोलाने	7.	वाघाजीरा (वन ग्राम)	12.	गदरया (वन ग्राम)
3.	खालकोट	8.	प्रसादे बुदुर्क	13.	उसमाली (वन ग्राम)
4.	इचकहेडे	9.	बोरखेड़े खुर्द		
5.	मलोद	10.	लांगदा अम्बा		

(iii) **रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

रावेर तहसील

(1)	महुमांडली (वनग्राम)	(8)	छिनछाती	(15)	लाहोर
(2)	पिम्परकुंड (वनग्राम)	(9)	पाल	(16)	कुसम्भे बुदुर्क
(3)	अन्धारमालि (वनग्राम)	(10)	मारवाल	(17)	कुसम्बे खुर्द
(4)	तड्या (वनग्राम)	(11)	जिनसी	(18)	पिम्परी
(5)	निम्नद्या (वनग्राम)	(12)	सहसरालिंग (वनग्राम)	(19)	मोहगांन बुदुर्क
(6)	गारबारदी (वनग्राम)	(13)	लालमाटी (वनग्राम)	(20)	पडाले बुदुर्क
(7)	जानोरी	(14)	अवहोडे बुदुर्क	(21)	महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. **अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-**

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील :

(1)	तिरधो	(21)	देवगांव	(41)	कोहीन्डी
(2)	पडोसी	(22)	पेंडशेट	(42)	दिगम्बर
(3)	महाजुंगी	(23)	मानहेर	(43)	गुहिरे
(4)	एकडारे	(24)	शेलविहीरे	(44)	कतालपुर
(5)	संगावी	(25)	पंजारे	(45)	रतनवाडी
(6)	केली रूमहानवाडी	(26)	छिनचोंद	(46)	मुतखेल
(7)	बिताका	(27)	वाकी	(47)	तेरूनगांव
(8)	खिरवीरे	(28)	तितावी	(48)	राजोर
(9)	कोम्भालने	(29)	पिंपरकाने	(49)	विथे
(10)	तहकारी	(30)	उदादावाने	(50)	कोटलेम्भे
(11)	सम्सेरपुर	(31)	कोदानी	(51)	कालूगांव
(12)	सावरगांव पाट	(32)	घाटघर	(52)	जामगांव
(13)	मुथालने	(33)	सिगनवाडी राजौर	(53)	शिरपुंजे बुदुर्क
(14)	बारी	(34)	मुरशेट	(54)	सवारकुटे
(15)	वारंधुसी	(35)	शेंडी	(55)	कुमशेट
(16)	लाडागांव	(36)	समराड	(56)	शिरपुंजे खुर्द
(17)	शेनित	(37)	भंडारडारा	(57)	घामनवन
(18)	पाभुलवांडी	(38)	रानाड बुदुर्क	(58)	अम्बित
(19)	बाभुलवांडी	(39)	रानाड खुर्द	(59)	बालधान
(20)	अंबेवांगन	(40)	मालेगांव	(60)	मानिक ओजार

(61)	पुरूचवाडी	(72)	पिंपरे	(84)	शिंडा
(62)	मवेशी	(73)	घोटी	(85)	अम्बित खिंड
(63)	शिसवाद	(74)	पैथान	(86)	पालसुंडे
(64)	वापजुलसेत	(75)	लवाली कोतुल	(87)	पिसेवाडी
(65)	गोंडोशी	(76)	वाघदारी	(88)	फोपसांडी
(66)	खादकी	(77)	शिलवांडी	(89)	सातवाडी
(67)	साकिर वाडी	(78)	कोहोने	(90)	केली ओतुर
(68)	पचनानी	(79)	लिवाली ओतुर	(91)	केली कोतुल
(69)	छिछावने	(80)	तेले	(92)	खेतवाडी
(70)	पदालने (80)	981)	कोथाले	(93)	इसारथाव
(71)	शेलाद	(82)	सोमलवाडी	(94)	करांडी
		(83)	विहिर		

6. **पुणे जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1)	डोन	(20)	पंचाल खुर्द	(39)	राजेवाडी
(2)	पिम्परागान	(21)	महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव	(40)	सूपेघर
(3)	अघाने	(22)	सवारली	(41)	तालघर
(4)	अहूपे	(23)	मेघोली	(42)	मापोली
(5)	तिरपाड	(24)	वाछापे	(43)	डिम्भे खुर्द
(6)	नहावेद	(25)	साकेरी	(44)	पोखारी
(7)	असाने	(26)	पिमपारी	(45)	गोहे बुदुर्क
(8)	मलीन	(27)	अम्बेगांव	(46)	निगाडाल
(9)	नानावाडे	(28)	जाम्बोरी	(47)	गोह खुर्द
(10)	अमाडे	(29)	कालाम्बाई	(48)	अपाती
(11)	वरसावने	(30)	कोन्ढावाल	(49)	गंगापुर खुर्द
(12)	कोंढारे	(31)	फूलवाडे	(50)	अमोंडी
(13)	आदेवारे	(32)	फलोडे	(51)	कनासे
(14)	बोरघर	(33)	कोलटावाडे	(52)	गंगापुर बुदुर्क
(15)	पाटन	(34)	तेरूनगांव	(53)	सिनोली
(16)	कुसीरे खुर्द	(35)	दिम्भे बुदुर्क	(54)	पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(17)	पंचाल बुदुर्क	(36)	महालुंगे-टर्फ-घोडा	(55)	साल
(18)	कुसीरे बुदुर्क	(37)	राजपुर	(56)	ढाकले
(19)	दिगाद	(38)	छिक्काली		

(ii) **जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

जुन्नार तहसील :

(1)	छिल्लेवाडी	(24)	देवाले	(47)	कोली
(2)	अम्बेहवाइन	(25)	खाइरे	(48)	शिवाली
(3)	जामभूलसी	(26)	घाटघर	(49)	उतचिल
(4)	खिरेश्वर	(27)	जलवांडी	(50)	बोतारडे
(5)	माथालाने	(28)	हिरदी	(51)	धालेवाडी-टर्फ-मिनहर
(6)	कोल्हेवाडी	(29)	उनदेखादेक	(52)	भिवांडे बुदुर्क
(7)	कोपारे	(30)	राजपुर	(53)	इंगालून
(8)	मंडावे	(31)	खाटकाले	(54)	भिवाडे खुर्द
(9)	सिंगनोर	(32)	मणिकोधा	(55)	घंगालडारे
(10)	आलू	(33)	खाड कुम्बे	(56)	सोनावाले
(11)	खूबी	(34)	उरसान	(57)	ताम्बे
(12)	पिम्पालगांव	(35)	वेवादी	(58)	हिवारे-टर्फ-मिनहर
(13)	कारंजाले	(36)	तेजपुर	(59)	हतविज
(14)	माछ	(37)	फंगलघावन	(60)	अम्बे
(15)	पांगरी-टर्फ-माधा	(38)	छावान्ड	(61)	पिंपलवाडी
(16)	कोलवाडी	(39)	पुर	(62)	सुकालेवाडे
(17)	परगाव-टर्फ-मोद	(40)	खानगांव	(63)	गोदरे
(18)	तालेरान	(41)	मानकेश्वार	(64)	खामगांव
(19)	सीतेवाडी	(42)	सुरले	(65)	सोमतवाडी
(20)	वाथाले	(43)	अम्बोली		
(21)	निमगिर	(44)	शिरोली-उर्फ-कुकादनेर		
(22)	अनजानवाले	(45)	वानेवाडी		
(23)	हदसर	(46)	अपटाले		

7. **नान्देड़ जिले में निम्नलिखित :-**

(क) किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1)	तकली	(11)	उमरा	(21)	तुलसी
(2)	पदसा	(12)	मछन्द्रा पारद	(22)	गोंडवासा
(3)	सायपाल	(13)	करालगांव	(23)	अंजानखेड
(4)	मुरली	(14)	स्वरखेड	(24)	भोराड़
(5)	वादसा	(15)	डिगडी (कुटेमार)	(25)	छोराड़
(6)	कोली	(16)	वाई	(26)	धनोरा (सिंदखेड)
(7)	अता	(17)	हरदाप	(27)	रामपुर
(8)	गोण्डेगांव	(18)	नाइकवाडी	(28)	पाथरी
(9)	मदनपुर (महोर)	(19)	हिनगानी	(29)	खाम्बला
(10)	बोण्डगांव	(20)	वाजरा	(30)	पारदी

(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी (सिन्दखेड़)
(40) भगवती
(41) वाराज बुदुर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) सिंगोडा
(57) सिरपुर
(58) ताम्भी
(59) पटोड़ा बुदुर्क मिनको
(60) मांडवी
(61) जवारला
(62) पालसी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी (सिन्दखेड़)
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)
(67) डोगरगांव (सिंदखेड़)
(68) जरूर
(69) मिनकी
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) धानोरा (ड़िगड़ी)
(76) मोहनपुर
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धामनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव (किनवार)
(98) छोगारवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी (मगावोड़ी)
(102) नागजरी
(103) कोठारी (चिखली)
(104) परधान संगवी
(105) बेन्डी
(106) अमाडी
(107) मदनापुर (चिखली)
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिखाली
(111) हुदी (चिखली)
(112) एन्धा
(113) भूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधारी
(121) परदी बुदुर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदुर्क
(124) सिंदगी (चिखली)
(125) अंधाबोरी (चिखली)
(126) कोपारा
(127) पीपर फोडी
(128) पटोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धानोरा, चिखली
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा (चद्रपुर)
(138) बेलोरी (छिखली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव (चिखली)
(142) शिवोनी (चिखली)
(143) परोटी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा (इस्लापुर)
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(148) करांजी (इस्लापुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदुर्क
(151) वागधारी
(152) तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखित :-

(क) चिखलाधारा और धरनी तहसील

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव तहसील :

1. घोगुलदारा
2. शिओनाला
3. बुरांडा
4. फापल
5. कन्हलगांव
6. खेपाडवाई
7. घोदाधारा
8. नरसाला
9. धामानी
10. मदनापुर
11. बोरी खुर्द
12. पिसगांव
13. वडगांव
14. फिसकी (वन ग्राम)
15. भालेवाड़ी
16. पथारी
17. चिंचाला
18. पान हरकावाला
19. खर्दा (वन ग्राम)
20. पिम्परद (वन ग्राम)
21. फपरवाड़ा
22. सलाभटी (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव
24. माचिन्द्रा
25. पंडविहार
26. जाल्का
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)
28. अम्बोरा (वन ग्राम)
29. चिंचोनी बोटोनी
30. अवलगांव (वन ग्राम)
31. कन्हलगांव
32. खारीगांव
33. सराती
34. बुरांडा
35. दुर्गादा
36. वागधारा
37. मेंधानी
38. घानपुर
39. खंडानी
40. खापरी
41. उचातदेवी (वन ग्राम)
42. मारेगांव (वन ग्राम)
43. खंडानी
44. महासदोदका
45. पालगांव
46. बोटोनी
47. गिर्जापुर (वन ग्राम)
48. पछपोहर
49. अम्बेजारी
50. रोहपात
51. रैनपुर
52. सगनपुर
53. हिवारा बरसा
54. रामपुर
55. कतली बोरगांव
56. पारदी
57. शिबला
58. चियाली (वन ग्राम)
59. बोरगांव (वन ग्राम)
60. पेंधारी
61. अर्जुनी
62. कागांव
63. रजनी
64. माजरा
65. गंगापुर (वन ग्राम)
66. भोइकुंड (वन ग्राम)
67. वाधोना
68. सुसारी
69. सुरला
70. गोदानी
71. निमानी
72. दरारा
73. आसन
74. जगलोन
75. जामकोला
76. इसापुर
77. किलोना
78. उमरघाट
79. वल्लासा
80. जुनोनी (वन ग्राम)
81. लेंचोरी
82. चिंचघर
83. अम्बिजारी, खुर्द
84. अम्बेजारी बुदुर्क
85. करगांव खुर्द
86. निम्बादेवी
87. टेम्फी

88. कुंडी	102. महदापुर	116. चालबरडी
89. मांडिव	103. पंधारवानी	117. जामनी
90. जुनोनी	104. देमाद देवी	118. शिरोला
91. पाराम्भा	105. मंडवा	119.अदकोली
92. पोखरनी (वन ग्राम)	106. डोंगारगांव	120. खालकलोह
93. पिवारदोल	107. दभाड़ी	121. बिरसापेठ
94. भोराद (वन ग्राम)	108. उमरी	122. मुछी
95. चिखालदोह	109. मुधाती	123. मारकी बुदुर्क
96. मुलगवान	110. द्यसोदी	124. मरकी खुर्द
97. भीमनाला	111. कोडपखिंडी	125. गणेशपुर
98. चटवान	112. मंगरूल खुर्द	126. पवांर (वन ग्राम)
99. अराइकवाड़	113. मंगरूल बुदुर्क	127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
100. गवारा	114. गोपालपुर	128.खेकाड़ी (वन ग्राम)
101. माथार्जुन	115. रामपेठ	129.शेकापुर
		130. यिओती

(ii) **रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

रालेगांव तहसील :

1.	लोहारा	15.	डोंगर गांव	29.	खेमकुन्ड
2.	एकलारा	16.	तेजानी	30.	पार्डी (वन गांव)
3.	सोनेर्डी	17.	अंजी	31.	उमरविहिर
4.	वाटक हेर	18.	लोनी	32.	अदनी
5.	जलका	19.	बोराती (वन गांव)	33.	खटारा
6.	वामा	20.	सराती	34.	मुन्जाला
7.	पिंपारी दुर्ग	21.	खैरगांव कसार	35.	पलासकुन्ड
8.	मांडवा	22.	वारधा	36.	वीर गांव
9.	कोलवान	23.	भुलगद	37.	खैर गांव
10.	शोइत	24.	पिंपलशेंडा, (75)	38.	देवधारी
11.	वरूद	25.	अतमुर्डी	39.	सिंगल दीप
12.	बुकाई	26.	सावरखेड	40.	सोनुर्ली
13.	जरगद	27.	चोंधी	41.	सिन्दुला
14.	खादकी सुकली	28.	वधोडा	42.	जोतिंगदारा
				43.	साखी खुर्द

(iii) **केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवारा शहर शामिल किया गया :-**

केलापुर तहसील :

1.	मोदारी	36.	नईकसुकली (वन गांव)	71.	पन्धारवानी बुदुर्क (वन गांव)
2.	जोगीन कोहला	37.	पेधारी	72.	कोंधी
3.	मीरा	38.	पिल्पाली	73.	वेदाद
4.	जीरा	39.	डोंगारागांव	74.	बागी
5.	घोद्दारा (वन गांव)	40.	बेथ	75.	घनमोडे
6.	साखी बुदुर्क	41.	माले गांव खुर्द (वन गांव)	76.	नन्दगांव
7.	वधोना खुर्द	42.	हिवारदारी (वन गांव)	77.	गणेशपुर
8.	जोलापुर (वन गांव)	43.	मालागांव बुदुर्क (वन गांव)	78.	टाटापुर
9.	करानी	44.	दरियापुर	79.	जुन्जापुर
10.	वधोना बुदुर्क	45.	पिल्वाहरी	80.	गेंडवाकाडी
11.	तिवसाला (वन गांव)	46.	अर्ली	81.	चलबर्दी
12.	कोथाड़ा	47.	हिवारी	82.	बेलुरी
13.	सुरदेवी	48.	पिंपालशेंडा	83.	टादुमारी
14.	चनई	49.	कारागांव,	84.	बरगांव
15.	असोली	50.	वाडवत	85.	अकोली बुदुर्क
16.	मुहादा	51.	खैरी	86.	महानदोली
17.	कारेगांव	52.	घुवाडी	87.	सखारा
18.	चिखालदारा	53.	कोंघारा	88.	मराठवाकाडी
19.	कृष्णापुर	54.	सखारा बुदुर्क	89.	ढोकी
20.	दाभा	55.	धारना	90.	वल्लारपुर
21.	मारवा	56.	मांगी	91.	टोकवनजारी
22.	खैरगांव	57.	ढाकी	92.	वानजारी
23.	वघोली	58.	वायी	93.	खारीगांव बुदुर्क
24.	कुसलगांव	59.	पिंपालपुर	94.	टिमभी
25.	चोपन	60.	गणेशपुर	95.	राधापुर (वन गांव)
26.	मल्कापुर (वन गांव)	61.	खैरगांव,	96.	पिखाना (वन गांव)
27.	केगांव	62.	पाह	97.	वासएरी
28.	वादनेर	63.	निलजई	98.	अन्धारवाडी,
29.	जुली	64.	मारगांव	99.	यलापुर (वन गांव)
30.	भाद उमारी	65.	अभोरा	100.	चनाखा
31.	पटोडा	66.	डोंगरगांव,	101.	निमधोली
32.	पहापल	67.	पिंपारी	102.	रूधा
33.	नगजारी खुर्द	68.	खैरगांव	103.	सुकली
34.	बहत्तार	69.	मुची		
35.	सुसारी	70.	मंगुर्दा		

(iv) **घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

घतांजी तहसील :

1.	मरवेली	20.	अयाते	39.	चिखालवार्धा
2.	रजुरवाडी	21.	काप	40.	तड-सवाली
3.	लिंगी	22.	कवाथा बुदुर्क	41.	सफैाल
4.	कोली खुर्द	23.	बिलायत	42.	नागेजरी बुदुर्क
5.	कोली बुदुर्क	24.	खादकी	43.	कवाथा (वन गांव)
6.	रामपुर उन्धार्नी	25.	चिमटा	44.	पारवा
7.	कपाशी	26.	कोपरी खुर्द	45.	मझाडा
8.	डेटोडी	27.	चिंचोली (268)	46.	पार्दी
9.	गुधा	28.	किंधी (वन गांव)	47.	जम्ब
10.	वारूड, (240),	29.	गवारा (वन गांव)	48.	कालेश्वर
11.	जपारवाडी	30.	टिटवी	49.	शेराद
12.	उमरी (242)	31.	मुरादगवन (वन गांव)	50.	धूंकी (वन गांव)
13.	पलोडी	32.	पिंपाल खुटी (वन गांव)	51.	मथानी (वन गांव)
14.	कापरी (244)	33.	खरोनी (वन गांव)	52.	राजागांव (वन गांव)
15.	घोटी	34.	वधोना	53.	खापरी (वन गांव)
16.	बुडाडी	35.	डोर्ली	54.	होनेगांव
17.	मुधाटी (वन गांव)	36.	राहती	55.	गनेडी
18.	जलान्द्री	37.	रासा (वन गांव)		
19.	मनुसधारी	38.	जताला		

10. **गदचिरोली जिले में निम्नलिखित :-**

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धानोरा, गुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (ii) गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील :

1.	नवगांव	5.	मरमेडी	9.	चाक खारपुर्डी,
2.	चाक चुरचुरा	6.	बोथेडी	10.	जपरा,
3.	कुराधी	7.	पेलनदुर,	11.	चाक धिबाना
4.	चाक मउसी	8.	गिलगांव	12.	मेरउमबोडी

13.	कुरकेडी	30.	मादे मुल	47.	विटानटोटा
14.	खुरसा	31.	मारोदा	48.	पोटेगांव
15.	वीजापुर	32.	कोसाम घाट	49.	रजोली
16.	सोनापुर	33.	रायपुर	50.	मद्रास
17.	मोंधा	34.	रवानजोरा	51.	जालेर
18.	सावरगांव	35.	पेकिनकासा	52.	दैवापुर
19.	कनरी	36.	सवेला	53.	रामगाड,
20.	पुलखाल	37.	सुईमारा	54.	गावलहेटी
21.	मुदजा बुदुर्क	38.	सखेरा	55.	डेउडा
22.	मुदजा तुकुम	39.	कर्कजारा	56.	खरादगुडा
23.	करूपाला	40.	कन्हलगांव	57.	तालकुडा
24.	मसली	41.	केलीगाटा	58.	जामगांव
25.	रणभूमि	42.	तोहागांव	59.	खाडसी
26.	चन्दाला	43.	गजनगुद्दा	60.	कोरकुटी
27.	रणमोल	44.	बनोली	61.	नागवेली
28.	कुम्भी पत्च	45.	सूर्यडोंगरी	62.	जालेगांव
29.	कुम्भी मोकासा	46.	सलाईटोला		

(ii) **अरमोली तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

अरमोली तहसील :

1.	कोरागांव	18.	अर मोरी	35.	डोंगारतमसी
2.	कालमगांव	19.	सलमारा	36.	नगरवाडी
3.	कुरल	20.	थानेगांव	37.	चाक नरोती
4.	सलेडा तुकाम	21.	पटानवेडा	38.	चाक कुरोंडी
5.	सलेडा लाम्बा	22.	पुरानवैरागड	39.	वाडेगांव
6.	कसारी तुकाम	23.	देउलगांव	40.	थोटीबोडी
7.	कसारीगांव	24.	सुकला	41.	देलवांडी
8.	शिवराजपुर	25.	मोहाजारी ऊर्फ सखारबोडी	42.	मेनापुर
9.	पोटेगांव	26.	चाक केरनाडा	43.	कोसारी
10.	विहिरगांव	27.	लोहारा	44.	मनगोडा
11.	पिंपालगांव	28.	चाक सोनपुर	45.	तुलतुली
12.	अरात-तोन्डी	29.	हीरापुर	46.	चकनागारवाही
13.	डोंगारगांव (हलाबी	30.	डोंगर तमसी	47.	विहिरगांव
14.	प्लासगांव	31.	सियानी खुर्द	48.	कुरांडी
15.	नवारगांव	32.	चावहेला	49.	उमारी
16.	पनथारगोटा	33.	मोहाताला चाक कुकोडी	50.	यंगाडा
17.	मगेवेड़ा	34.	मेंधा	51.	पिसेवाडढ़ा

52.	परासवाडी	60.	भंशी	68.	मारगांव
53.	डवाडी	61.	डोर्ली	69.	चाक मारगांव
54.	खादकी	62.	वनारचुवा	70.	चाक चिचोली
55.	भाकरांडी	63.	जमभाली	71.	मुसी खुम्ब
56.	नरोती मालगुजार	64.	मिंधा	72.	वेलागांव
57.	कोरेगांव	65.	नारचोली	73.	चिचोली
58.	वारखेडा	66.	खेहारी	74.	वानखेडा
59.	खराडी	67.	मारगांव पेच		

(iii) **चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

चामोरसी तहसील :

(1)	सगानपुर	(24)	राजनगेट्टा	(46)	छिचपाल्ली
(2)	वनढोना	(25)	चाक अमरगांव न. 1	(47)	वानारछुवा
(3)	गिलगांव	(26)	मुतनूर	(48)	जयरामपुर
(4)	भिंडी कनाल	(27)	अबापुर	(49)	वाइगांव
(5)	देटारी	(28)	मुरानदेपी	(50)	नारायणपुर
(6)	चाइट कनवर	(29)	लिनगुडा	(51)	राजौर खुर्द
(7)	कलामगांव	(30)	अदयल	(52)	हलदवाही
(8)	कुरूड	(31)	कर्कापल्ली	(53)	मुधोली
(9)	मेलर	(32)	चाक कर्कापल्ली	(54)	कोठारी
(10)	कुलीगांव	(33)	जंगामकुरल	(55)	बम्हनी देव
(11)	नाचागांव	(34)	फियूजर	(56)	सोमनापल्लि
(12)	बहेडविहिड	(35)	दिकानी	(57)	कान्हलगांव
(13)	वालसारा	(36)	चाक मुदोली न. 2	(58)	सिंगेला
(14)	चाक विजापुर	(37)	लक्षमणपुर	(59)	बेलगाट्टा
(15)	जोगाना	(38)	सगानपुर	(60)	पेठाताला
(16)	मुरमुरी	(39)	अम्बोली	(61)	छाक पेठाताला सं. 1
(17)	रावनपाली	(40)	गहुबोदी	(62)	पारादीदेव
(18)	सोनापुर	(41)	छाक नारायनपुर संख्या 1	(63)	यादापाल्ली
(19)	डरर्ली	(42)	छाक नारायनपुर संख्या 2	(64)	राजपुर
(20)	रेखागांव	(43)	राजुर वुदर्क	(65)	जाम्भाली रिथ
(21)	यदनूर	(44)	भादविड	(66)	मेटे गुडा
(22)	पेलसानपेथ	(45)	मांगनेर		
(23)	पन्धारी भटाल				

(67)	छाक बेलगत्ता	(89)	अम्बेला (वनग्राम)	(111)	मुकाडी (वनग्राम)
(68)	मांजी गांव	(90)	गोट्टा (वनग्राम)	(112)	सिगनपाल्लि
(69)	मच्छाली गोट	(91)	अडगेपाल्लि	(113)	धामनपुर
(70)	छाक माक्केपल्लि सं. 4	(92)	सुरगांव (वनग्राम)	(114)	कोठारी (930)
(71)	दर्पन गुडा	(93)	येल्लूर	(115)	अम्बाटपाल्लि
(72)	छाक माके पल्लि सं. 2	(94)	थाकरी	(116)	गोमानी
(73)	छाक माकेपल्लि सं. 3	(95)	राजगट्टा	(117)	लागमहेट्टी
(74)	गारांजी	(96)	लोहरा	(118)	दामनपुर
(75)	छाक मेड आमगांव	(97)	मुकारीटोला	(119)	बन्दुकपाल्लि
(76)	छाक मेड आमगांव संख्या 1	(98)	भोलखांडी (वनग्राम)	(120)	कोडीगांव
(77)	छाक मेड आमगांव संख्या 2	(99)	हेतलकासा	(121)	छिछेला
(78)	तुमडी	(100)	बोलपाल्लि	(122)	नागुलवाही
(79)	रिगाडी	(101)	पुलीगुड्म	(123)	छितुगुंहा
(80)	माकेपाल्लि मालगुजारी	(102)	कुनगादा	(124)	तुमुगुडा
(81)	बोरघाट	(103)	कुनगाड़ा	(125)	माछिनगट्टा
(82)	अस्टी नोकेवाडा	(104)	कालपुर	(126)	येल्ला
(83)	ब्राहमणपेठ	(105)	गंगापुर	(127)	टिकपाल्लि
(84)	वेंगानूर	(106)	चंदन खेड़ी	(128)	मरपाल्लि
(85)	नोकेवाडा	(107)	मालेरा	(129)	जामगांव
(86)	अल्ला पाल्लि	(108)	बसारवाडा	(130)	कुलथा
(87)	रेंगेवाही	(109)	छपराला	(131)	रामपुर
(88)	कोलपाल्लि	(110)	छइदामपेट्टी	(132)	लागम छाक

11. **चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-**

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1)	परसौदा	(9)	चनाई खुर्द	(17)	कथलावौडी
(2)	रायपुर	(10)	अकोला	(18)	शिवपुर
(3)	खतौडा खुर्द	(11)	कोरपाना	(19)	चौपान
(4)	गोविंदपुर	(12)	दुर्गादी	(20)	करमवौडी
(5)	खतौडा बुदुर्क	(13)	रूपापेठ	(21)	कुकुलवौडी
(6)	मेंहदी	(14)	चनाई बुदुर्क	(22)	टीपा
(7)	परदी	(15)	मांडवा	(23)	मंगुलहीरा
(8)	जैवरा	(16)	कनेरगांव बुदुर्क	(24)	खोदकी

(25) जमुलधारा
(26) वोरगांव बुदुर्क
(27) वोरगांव खुर्द
(28) आशापुर
(29) तानगोला
(30) खेरगांव
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) एलापौर
(35) शिंगार पैथौर
(36) लंवौरी
(37) सेदवाई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नोकवाडा
(42) गुडसेला
(43) वानी
(44) कोकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) दाहेगांव
(54) सोनुरलो
(55) करगांव खुर्द
(56) धानोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) करगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरागांव
(65) पांढरवानी
(66) जांम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरगुनी
(74) धोंधा मांडवा मांव्बा
(75) टेका अर्जुनी बुदुर्क
(76) टेका
(77) राहपल्लि
(78) छिखिली
(79) पाटन
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव
(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी
(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदुर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी
(106) नोकारी खुर्द
(107) नागराला
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव
(111) छिखाली
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) देवाडा
(128) कदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धार्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव
(141) काकडघाट

(142) गनेरी	(156) अहेरी	(170) केलजारी
(143) खिरदी	(157) कोच्छी	(171) नवेगांव
(144) सेदवाई	(158) गोराज	(172) छिंछाला
(145) बाबापुर	(159) बारुर	(173) वीरूर
(146) हीरापुर	(160) रानीवेली	(174) सिद्घेश्वर
(147) सखारी	(161) भेडोडा	(175) घोट्टा
(148) मनोली बुदुर्क	(162) ताम्भुरवाही	(176) डोगरागांव
(149) गोयेगांव	(163) चिरूड	(177) सुबाई
(150) हरडोनाखुर्द	(164) छिंछवोडी	(178) कोस्ताला
(151) हरडोना बुदुर्क	(165) कवथाला	(179) लाक्कदकोट
(152) विनिरगांव	(166) सोनुरली	(180) अम्बेजारी
(153) मागी	(167) सिरसी	(181) अन्तारगांव
(154) वांगी	(168) बेरडी	(182) अन्नूर
(155) पांढरपुनी	(169) भेंडाला	

\# महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा##

1. मयूरभंज जिला
2. सुंदरगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सबडिविजन की क्योंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।
6. बोधा-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।
7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।
8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

\#\# ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान[$]

1. बांसवाड़ा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :-

(क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें

(ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,

(1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

(2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव

(3) नाई पंचायत का नाई गांव

(4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली कालीवास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

(5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी, पीपलवास और कुमारिया खेरवा गांव

(6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव

(7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरा और ज्वाला गांव

(8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव

(9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव

(10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

(11) जवार पंचायत के जवार, रेवान, थावरी टलाई, नसेरा, कनूर और उदिया खेरा गाँव

(12) बारपाल पंचायत केनारपाल तोराना तलब और कदिया खेत गांव

(13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोढा, धुलिया की पटी और सावीना खेरा गांव

(15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

(16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

(17) चंदसा पंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

(18) जगत पंचायत का जगत गांव

(19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव

(20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भला का गुरहा पंचायत के, भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ़ तहसील
5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

[$] राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड[$$]

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
15. गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

$$ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12. 1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश[$$$]

1 झाबुआ जिला

2 मंडला जिला

3 सरगुजा जिला

4 बरवानी जिला

5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील

6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील

7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।

8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील

9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और मिनसेदी तहसील।

10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।

11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं0 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।

    बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं0 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और धावादिखाना गांव।

IX. छत्तीसगढ़ $$$

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गौरेला- 1, गौरेला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला
9. रायगढ़ जिले में धार्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड
11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड
12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13. धामतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

$$$ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

नोटः यदि सूची में कोई विसंगति पाई जाति है। तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम और प्राधिकृत होगी।

अनुलग्नक 6घ :

अनुसुचित क्षेत्रों के प्रसाशन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति (31.03.2014 तक)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	जिन वर्षों के लिए राज्यपाल की रिपोर्टों प्राप्त हुई					
		2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1.	आंध्र प्रदेश	----	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
2.	छत्तीसगढ़	----	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
3.	गुजरात	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
4.	झारखंड	-----	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
6.	मध्ध प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
8.	ओडिशा	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
9.	राजस्थान	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी

अनुलग्नक 6ड.

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण (31.03.2014 तक)

राज्यों के नाम	आयोजित टीएसी बैठकों की तिथियां	
	2012-2013	**2013-2014**
आंध्र प्रदेश	रिपोर्ट नहीं की गयी	15.10.2013
छत्तीसगढ़	13.07.2012 तथा 25.11.2012	17.07.2013
गुजरात	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
हिमाचल प्रदेश	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
झारखंड	09.11.2012	रिपोर्ट नहीं की गयी
मध्य प्रदेश	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
महाराष्ट्र	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
उड़ीसा	28.09.2012	27.07.2013
राजस्थान	07.09.2012	रिपोर्ट नहीं की गयी
तमिलनाडु*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
पश्चिम बंगाल*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी

(टिप्पणी: * दर्शाया गया है कि राज्यों का अनुसूचित क्षेत्र नहीं है)
(एन.आर.: रिपोर्ट नहीं की गयी)

अध्याय 7

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कार्यक्रम

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)

7.1 मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह एक मुख्य कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आवंटन के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसे उन क्षेत्रों के लिए, राज्य योजना के योगज के रूप में माना जाता है, जहां राज्य योजना के प्रावधान सामान्य रूप में जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। यह कार्यक्रम 1974-75 के दौरान शुरू किया गया था और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का आशय जनजातीय उपयोजना के परिवार आधारित आय सृजनकारी कार्यकलापों की बहुत बड़ी खाई को पाटना था।

7.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया था ताकि रोजगार सह आय सृजनकारी गतिविधियों एवं उसकी अनुसंगिक अवसंरचना को कवर किया जा सके। परिवार आधारित गतिविधियों के अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों/समुदाय द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां भी की जाती हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता देने का अन्तिम उद्देश्य मांग आधारित आय-सृजनकारी कार्यक्रमों में गति लाना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है।

7.3 राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश मई 2003 में संशोधित किए गए थे तथा जनवरी, 2008 में इन्हें पुनः संशोधित किया गया था । हाल ही में, मार्च, 2014 में मंत्रालय ने जनजातीय उपयोजना तथा अनुच्छेद 275 (1) अनुदानों के निरूपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए प्रचलनात्मक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिससे इन विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के रुझान में तथा कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन में भी कुछ पर्याप्त बदलाव हुए हैं।

7.4 विशेष केन्द्रीय सहायता पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा और दो संघ राज्य क्षेत्रों सहित 22 जनजातीय उपयोजना राज्यों को दी जाती है। तथापि, वर्ष 2003-04 से संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां गृह मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराई जा रही हैं और यह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों के प्रशासन से संबंधित नहीं है।

7.5 टीएसपी को एससीए के तहत निधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा निम्नलिखित जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए निर्मुक्त की जाती हैं:

1. आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र (संख्या में 194), जो सामान्य रूप से कम से कम तहसील, ब्लॉक या उनसे बड़े आकार के संलग्न क्षेत्र हैं जहां कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है।
2. माडा पाकेट (संख्या में 259), ऐसे अभिज्ञात क्षेत्र हैं, जहां न्यूनतम जनसंख्या 10,000 है और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है।
3. क्लस्टर (संख्या में 82), ऐसे अभिज्ञात क्षेत्र हैं जहां न्यूनतम जनसंख्या 5000 है और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर, प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर तथा साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर इनकी विशेषता है।
5. बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या- ऐसे जनजातीय लोग जो उपर्युक्त क्रम संख्या (1) से (4) में उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आते हैं।

वित्तपोषण प्रतिमान

7.6 मंत्रालय योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्यार्थ वार्षिक तौर पर उपलब्ध करवाई गई निधियों में से राज्य सरकारों को

100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान करता है। टीएसपी को एससीए कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता दी जाती है;
2. विशेष केन्द्रीय सहायता के 70 प्रतिशत का उपयोग कृषि/बागवानी, भूमि सुधार, जल संभर विकास, पशुपालन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वनों एवं वन ग्रामों का विकास, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमशीलता का विकास आदि जैसे क्षेत्रों में परिवार/स्व सहायता समूह/समुदाय आधारित रोजगार एवं आय-सृजन का समर्थन करने वाली प्राथमिक योजनाओ हेतु किया जाता है तथा शेष 30 प्रतिशत का उपयोग उनसे सम्बद्ध अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है।
3. वन गांवों में रहने वाली उपेक्षित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है एवं संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) के साथ कार्यक्रमों के सामंजस्य को प्राथमिकता दी जाती है।
4. एकीकृत जनजातीय विकास एजैंसियों (आईटीडीए) जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) हेतु दीर्घकालिक क्षेत्र विशिष्ट लघु योजनाएं तैयार करना
5. कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए
6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन
7. विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य की वार्षिक योजना का अभिन्न भाग बनाया जाए

राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु मानदंड

7.7 (क) टीएसपी को एससीए के तहत कुल वार्षिक आवंटन में से 10 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन अनुदानों के लिए आरक्षित रखी जाती है और इसे निम्नांकित मानदंडों को पूरा करने वाले चयनित राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है :

- ज्यादा एकीकृत और केन्द्रित नियोजन तथा परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करके कि पूरी टीएसपी निधि, राज्य में कम से कम जनजातीय जनसंख्या के समानुपात में, एक बजट शीर्ष के अतंर्गत राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर पूर्णत: टीएसपी दृष्टिकोण अपनाना।
- तत्पश्चात अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधियों का औसतन 75 प्रतिशत वास्तव में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से आगामी तीन वित्तीय वर्षों में कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को निर्मुक्त किया गया है; और
- प्रोत्साहन के रूप में राज्यों को दी गई निधियों का उपयोग केवल जनजातियों के लाभार्थ रोजगार एवं आय-सृजन की गतिविधियों के लिए किया जाए।

(ख) एससीए के अंतर्गत कुल वार्षिक परिव्यय के शेष 90 प्रतिशत भाग को बाद में राज्यों में जनजातीय उपयोजना की व्यापक रणनीति के तहत कार्यक्रमों, जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम पॉकेट (माडा), क्लस्टर एवं आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी)के हिस्से के आधार पर, आवंटित किया जाएगा तथा उसकी गणना प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी।

आईटीडीपी, माडा, क्लस्टर और आदिम जनजातीय समूह एवं बिखरी हुई जनजातियों के तहत कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध राशि का राज्य-वार आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है :

7.8 मार्च, 2014 के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों में यह देखने में आया है कि अवसंरचना की प्रति व्यक्ति लागत वहाँ उच्चतर है जहाँ जनजातीय जनसंख्या बिखरी हुई है। दूसरे क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के लिए वरीयता दी जानी है। उदाहरण के लिए शिक्षा के मामले में कुछ वरीयता असाक्षरता को दी जानी चाहिए। अत: मार्च, 2014 के दिशा निर्देश कहते हैं कि राज्यों के बीच परस्पर आवंटन निम्नानुसार होंगें:-

आईटीडीए,लघु परियोजनाओं इत्यादि जैसे संस्थानों को समर्थन	जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार
शिक्षा के लिए सहायता	जनसंख्या के लिए 50 प्रतिशत की वरीयता तथा 50 प्रतिशत निरक्षरता अर्थात राज्य में जनजातीय लोगों की साक्षरता तथा देश में संपूर्ण साक्षरता के बीच अंतर
अवसंरचना	जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत तथा क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत

उपलब्धि

7.9 वर्ष, 2013-14 के दौरान टीएसपी को एससीए के तहत अंतिम आवंटित राशि 1050.00 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान टीएसपी को एससीए के तहत की गई राज्यवार निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 7 ख** में दिया गया है।

आकृति 7 (i) टीएसपी को एससीए के तहत निर्मुक्तियाँ

आकृति 7 (i) दसवीं पंचवर्षीय योजना से टीएसपी को एससीए के तहत निर्मुक्तियां

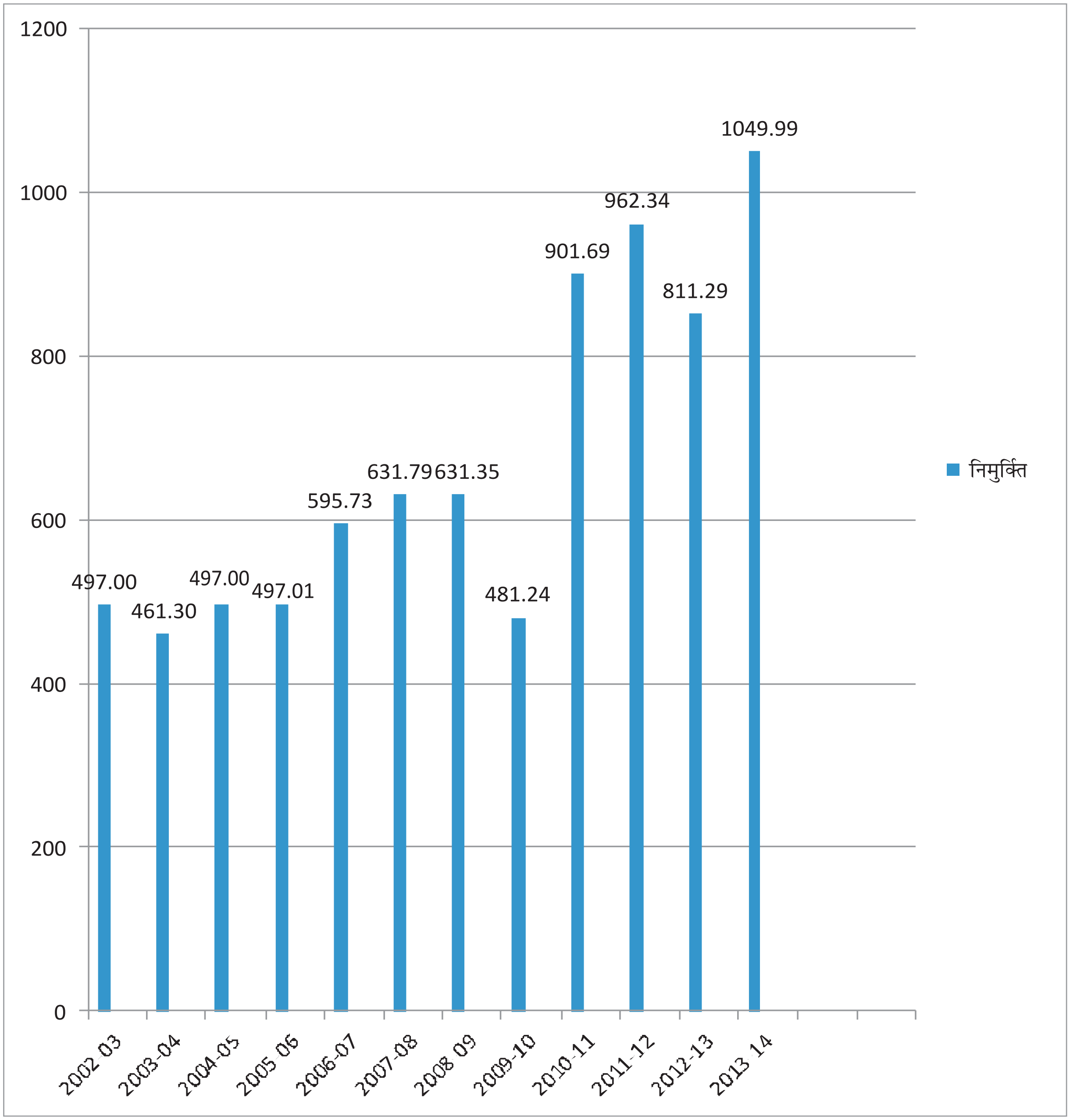

वर्ष 2012-13, 31-03-2014 तक आकृतियां

विभिन्न योजना अवधि के दौरान निर्मुक्तियों की प्रवृत्ति निम्नांकित आकृति 7 (ii) में दर्शायी गई है जो यह दर्शाति है कि कार्यक्रम के तहत इन वर्षों में राज्य सरकारों के लिए सहायता में वृद्धि हुई है।

आकृति 7 (ii) टीएसपी को एससीए तहत योजना वार निर्मुक्ति

(रु. करोड़ में)

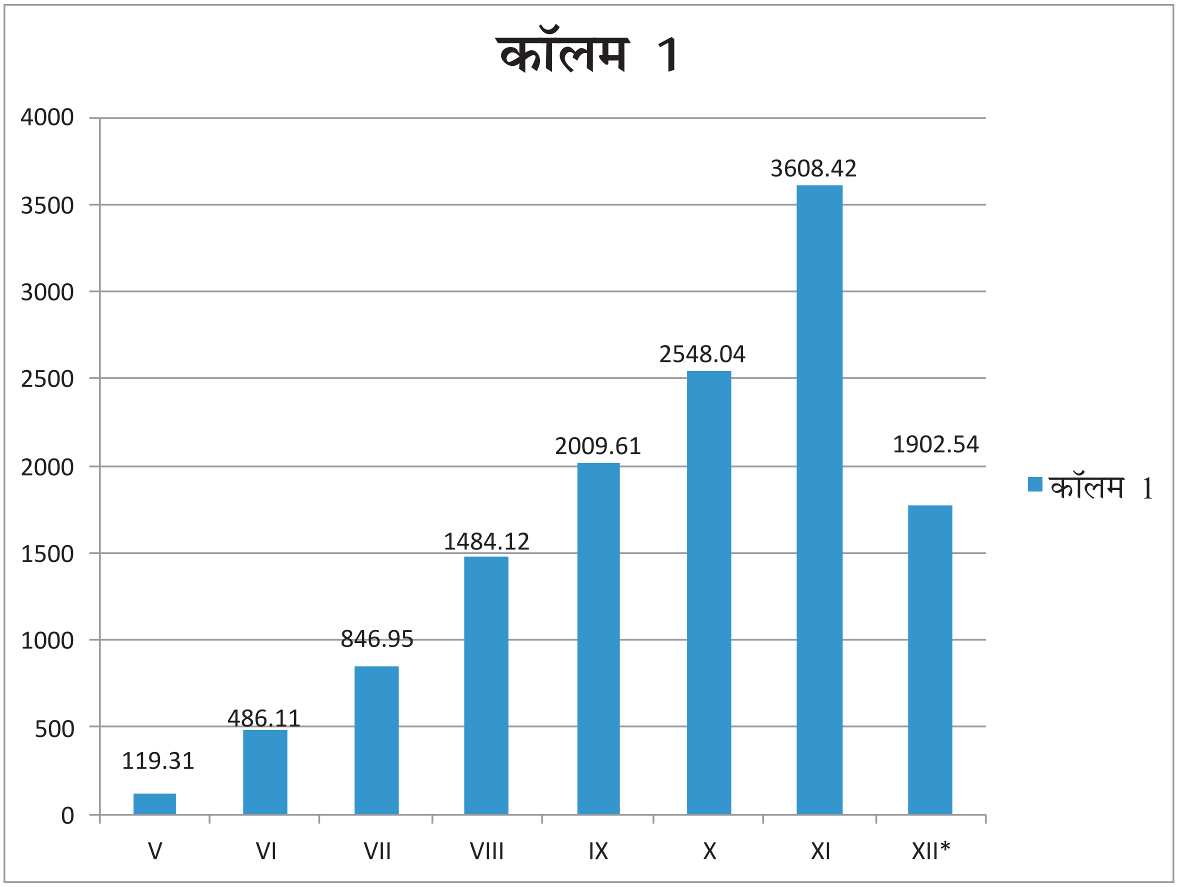

योजना 31-03-2014 तक आकृति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

7.10 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

''ऐसी राशियाँ जिसे संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है वे ऐसे राज्यों, जिन्हें संसद सहायता के लिए जरूरत मंद निर्धारित कर सकती है, के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में प्रति वर्ष भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होगी तथा अलग-अलग राज्यों हेतु अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती है। बशर्ते कि उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संवर्धन के उद्देश्य या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के बराबर उठाने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्यों द्वारा की गई ऐसी विकास योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में भारत की समेकित निधि से भुगतान किया जाएगा।''

उपरोक्त संवैधानिक बाध्यता के अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय 'सविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाली राज्य सरकार को निधियां प्रदान करता है।

उद्देश्य

7.11 योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन करना है।

कवरेज

7.12 आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल नामक 26 राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

निधियन प्रतिमान

7.13 इस विशेष केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम के तहत (1) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, और (2) जनजातीय लोगों को राज्य के शेष हिस्से के बराबर लाने के लिए जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातीय विकास की प्रत्येक योजना की लागत को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है-

7.14 सामुदायिक कल्याणकारी परिसम्पत्तियों जैसे विद्यालय, कौशल पूर्ण शिक्षण, पोषण, पेयजल इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करना; नवीन अनुदान वास्तव में नई योजनाओं के लिए हैं- अन्तिम आउटपुट/परिणाम या सुपुर्दगी के तरीके के सन्दर्भ में है; प्रत्येक राज्य को स्वंय ही कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी प्रणाली बनानी होगी एवं प्रचालित करनी होगी क्योंकि यहां मंत्रालय कोई भूमिका नहीं निभा सकता; मंत्रालय को द्वितीय स्तर की निगरानी करनी होती है।

मुख्य विशेषताएं

7.15 इस विशेष क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान, की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है:

(i) 2000-01 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान ब्लॉक ग्रांट्स के रूप में जारी किए जाते थे। तब से निधियां ऐसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण हेतु परियोजनाएं चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों को राज्य के शेष भाग के बराबर लाने के लिए आवश्यक हों।

(ii) राज्य ऐसे क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान करेंगे, जो मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के बीच की खाई पाटने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

(iii) योजनाओं/परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी के संबंध में दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है। राज्य के पंचायत अधिनियमों तथा पेसा (पीईएसए) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर समुचित ध्यान दिया जाना है।

(iv) बहु-आयामी दलों के माध्यम से आईटीडीपी/ माडा/ क्लस्टरों के लिए लघु योजनाएं तैयार करने हेतु एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण है।

(v) कम से कम 30 प्रतिशत परियोजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को लाभ पहुंचाना होना चाहिए।

(vi) अनुदान के 2 प्रतिशत का उपयोग परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण, एमआईएस, प्रशासनिक खर्चों, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

(vii) अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए मंत्रालय की पूर्वानुमति से राज्यों के आवंटन का 10 प्रतिशत प्रयोग किया जा सकता है।

(viii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान से निधियों के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत नए अनुदान के रूप में आवंटित किया जाता है। 26 राज्यों में से यह केवल उन्हीं राज्यों को आबंटित किया जाता है जो टीएसपी दृष्टिकोण अपनाते हैं, अर्थात् वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में कम से कम अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में निधियां चिह्नित की हैं, निधियों को एक बजट शीर्ष जनजातीय विकास/कल्याण विभाग में रखा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आवंटनों का कम से कम 75 प्रतिशत व्यय किया है। चार जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में, मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अनुदान के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के लिए किसी राज्य को इसके लिए योग्य पाए जाने पर नए अनुदानों के लिए विचार किया जाएगा।

7.16 प्रचालनात्मक दिशानिर्देशो का निरूपण

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय ने जनजातीय उपयोजना तथा अनुच्छेद 275 (1) अनुदानों के निरूपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी

किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधानों को अनुबद्ध करते हैं :-

(i) राज्यों के बीच परस्पर आवंटन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होंगे :-

आईटीडीए, लघु परियोजनाओं इत्यादि जैसे संस्थानों को समर्थन	जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार
शिक्षा के लिए सहायता	जनसंख्या के लिए, 50 प्रतिशत की वरीयता तथा 50 प्रतिशत निरक्षरता अर्थात राज्य में जनजातीय लोगों की साक्षरता तथा देश में संपूर्ण साक्षरता के बीच अंतर
अवसंरचना	जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत तथा क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत

(ii) राज्य स्तर पर जनजातीय कल्याण के प्रभारी विभाग जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए नोडल विभाग होंगे। टीएसपी घटक के संबंध में सभी खर्च के लिए नोडल विभाग से परामर्श किया जाएगा।

(iii) टीएसपी के निरूपण के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

(क) टीएसपी घटक वाला प्रत्येक लाइन विभाग अलग-अलग क्षेत्रों के बीच टीएसपी आवंटन का संवितरण करेगा तथा टीएसपी क्षेत्रों हेतु जाने वाले आवंटन को अलग से निर्दिष्ट करेगा। नोडल विभाग जिला आईटीडीए इत्यादि को इसकी जानकारी देगा। आईटीडीए अपने स्वयं के संसाधनों तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट योजनाएँ तैयार करेगा।

(ख) नोडल विभाग इन क्षेत्रों के लिए निधियों के वास्तविक प्रवाह की समय-समय पर निगरानी करेगा। उन क्षेत्रों में जहाँ कोई आईटीडीए इत्यादि विद्यमान नहीं है, वहाँ जिला समाहर्ता तिमाही में एक बार ऐसे प्रवाह की निगरानी करेगा।

(ग) जनजातीय कल्याण विभाग के प्रभारी राज्य सचिव तिमाही में कम से कम एक बार निधियों के प्रवाह की निगरानी करेगा।

(घ) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व वर्ष में कम से कम एक बार टीएसपी के लिए निधियों के प्रवाह तथा खर्च की निगरानी करेगा।

(ङ) एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके तहत किसी विभाग की कोई निधि जिसे खर्च नहीं किया गया है और जो टीएसपी के लिए थी, को अगले वित्तीय वर्ष में नोडल विभाग के बजट में जमा करा दिया जाएगा तथा नोडल विभाग संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रम करने के लिए इस धन को आईटीडीए इत्यादि को आवंटित कर देगा।

(च) टीआरआई, कार्यक्रम की निगरानी में आईटीडीए, समाहर्ताओं तथा नोडल विभागों की सहायता करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा।

(iv) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) तथा अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानों के आवंटन के लिए प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा:-

(क) आईटीडीए/समर्पित लघु परियोजनाएँ/नए आईटीडीए के सृजन का सुदृढ़ीकरण जैसा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत परिकल्पित किया गया है।

(ख) आईटीडीए इत्यादि के अंदर आजीविका में अतिरिक्त मानव शक्ति तथा इंजीनियरिंग विंग का समर्थन करना।

(ग) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों तथा सरकारी अस्पतालों का समर्थन करना।

(ङ) आजीविका परियोजनाओं के साथ संयोजन हेतु समर्थन।

(च) जनजातीय लोगों के कल्याण के संबंध में कोई अन्य परियोजना ।

(v) टीएसपी को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अनुदानों के तहत परियोजना प्रस्ताव समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएगे जो निम्नलिखित सदस्यों से गठित की जाएगी है:

(क) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय,
अध्यक्ष

(ख) वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय
सदस्य

(ग) सलाहकार, योजना आयोग,
सदस्य

(घ) संयुक्त सचिव/निदेशक (प्रभारी), जनजातीय कार्य मंत्रालय,
संयोजक सदस्य

(ड़) राज्य सरकार का प्रतिनिधि
आमंत्रित

(च) विशिष्ट राज्य अथवा विशिष्ट श्रेणी की परियोजना के लिए सहयोजित कोई अन्य विशेषज्ञ
सदस्य

(vi) पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सामाजिक लेखा परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:-

(क) जब किसी विशेष क्षेत्र में कार्य किया जाता है तो लाभार्थियों/गाँवों/अधिवासों को ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभा के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(ख) जब व्यक्तिगत लाभार्थी लाभान्वित होते हैं तो नाम तथा लाभ की प्रकृति ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत को बतायी जानी चाहिए। प्रकटन में खर्च की गई राशि, व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा खर्च की गई राशि, अधूरे काम, अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियों को सम्मिलित किया जाए।

(ग) आईटीडीए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य की प्लान योजनाओं जिनसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, को जनजातीय लोगों के ध्यान में लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा । वे इन योजनाओं के प्रभारी कार्यक्रमों तक लोगों की पहुँच को भी सरल बनाएंगे ।

(घ) योजना तथा इसके प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार ख्याति प्राप्त संस्थानों के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जैसी संस्थाएं अन्य राज्य की योजनाओं का मूल्यांकन भी कर सकती हैं।

वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम

7.17 स्वतंत्रता से पूर्व वानिकी के विभिन्न कार्यों हेतु श्रमशक्ति की उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए वन क्षेत्रों में आवास स्थापित किए गए थे। धीरे-धीरे, ये आवास गांवों में बदल गए। ये ग्राम जिलों के राजस्व प्रशासन से बाहर हैं, इसलिए विकास के फल से वंचित हैं। इन वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। तथापि, 12 राज्यों में 2474 ऐसे वन ग्राम हैं जो राज्यों के वन विभागों के प्रबंधन में हैं। इन ग्रामों के अधिकांश निवासी जनजातीय हैं। इन ग्रामों के विकास का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों के बराबर नहीं है। वन ग्रामों पर उपलब्ध राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

तालिका 7.1 वन ग्राम/अधिवास

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वन ग्रामों/अधिवासों की संख्या
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	425
3.	गुजरात	199
4.	झारखंड	24
5.	मेघालय	23
6.	मध्य प्रदेश	893
7.	मिजोरम	85
8.	ओडिशा	20
9.	त्रिपुरा	62
10.	उत्तराखण्ड	61
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	170
	कुल	**2,474**

7.18 लगभग 2.5 लाख जनजातीय परिवारों वाले वन ग्रामों का विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय विकास

का प्रमुख क्षेत्र है। तद्नुसार, योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वन ग्रामों के विकास हेतु औसतन 15.00 लाख रुपए प्रति ग्राम की दर से 450.00 करोड़ रुपए आवंटित किए। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के एक भाग के विस्तार के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए तथा मंत्रालय के वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के बजट में क्रमशः 230.00 करोड़ रु., 220 करोड़ रु., 150.00 करोड़ रु., 150.00 करोड़ रु., 100.00 करोड़ रु. और 60.50 करोड़ रु. तथा 42.01 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। दसवीं योजना के अंत में, यह सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया गया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान सीमित समयावधि के लिए राजस्व गांवों में लंबित परिवर्तन के लिए गांवों में पर्याप्त विभागीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम जारी रखा जा सकता है। यह निर्णय भी लिया गया कि दसवीं योजना के प्रथम चरण के दौरान वित्तपोषित सभी वन गांवों को 15 लाख रु. तक की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी। तद्नुसार, इसके लिए राज्य सरकारों से अधिकांश गांवों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और दूसरे चरण के निधियन हेतु 16.02.2013 तक 297.58 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कोई अतिरिक्त निर्मुक्तियां नहीं की गई हैं।

7.19 विकास के संदर्भ में सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, संपर्क मार्ग, पेयजल, सिंचाई जैसी न्यूनतम सुविधाओं के साथ-साथ सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं के साथ-साथ आय-सृजन की गतिविधियों पर विचार किया गया है। निरूपण अथवा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एनएईबी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए कार्यविधि

7.20 पहले एनएईबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करता है फिर उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करता है, जहां त्रिदलीय परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमति देने के लिए इन पर विचार किया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग एवं संबंधित राज्य सरकारों के निकट सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।

निधियों की निर्मुक्ति

7.21 वन ग्रामों वाले सभी 12 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और कार्यक्रम के प्रारंभ से ही निधियां निर्मुक्त कर दी गई थी जिन्हें नीचे दर्शाया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अल्प निधियन किया जाना शेष है जिसके लिए राज्यों से प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के लिए कहा जा रहा है।

तालिका 7.2 वन ग्रामों के विकास के लिये राज्यों को निर्मुक्त निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
		(2005-06)	(2006-07)	(2007-08)	(2008-09)	(2010-11)	(2011-12)	(2012-13)	(2013-14)
1.	असम	4059.00	1817.42	0.00	4696.05	0.00	0.00	-	-
2.	छत्तीसगढ़	4359.00	4161.37	1034.00	0.00	1500.00	1297.18	-	-
3.	गुजरात	1979.00	1434.38	593.62	0.00	0.00	0.00	-	-
4.	झारखंड	129.71	173.87	0.00	0.00	1351.96	0.00	-	-
5.	मेघालय	0.00	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.	मध्य प्रदेश	6190.65	10472.42	2829.00	6502.50	0.00	0.00	-	-
7.	मिजोरम	202.50	1317.50	190.00	435.00	0.00	202.50	-	-
8.	ओडिशा	157.14	133.46	0.00	180.00	0.00	0.00	-	-
9.	त्रिपुरा	0.00	930.00	0.00	558.00	0.00	0.00	-	-
10.	उत्तराखंड	0.00	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	30.00	151.14	0.00	-	-
12.	पश्चिम बंगाल	2104.00	699.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	-	-
	कुल	**19181.00**	**22097.09**	**4646.62**	**14951.55**	**3003.10**	**1499.68**	-	-

टिप्पणी: (i) वर्ष 2009-10 के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई थी।
(ii) वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई थी।

निधियों के प्रवाह की प्रणाली

7.22 प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद, वन विकास अभिकरण (एफडीए) को हस्तांतरित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है। इस क्षेत्र में वन विकास अभिकरण (एफडीए) परियोजनाएं कार्यान्वित करते हैं। आगामी किस्तें एफडीए द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यक्रम के संतोषजनक कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं।

निगरानी तंत्र

7.23 राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे एनएईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव तथा निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग तंत्र तैयार करें। एफडीए प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से एनएईबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट जो उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करगा है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

7.24 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के 100 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय 1997-98 के दौरान किया गया था। दसवीं योजना के अंत तक 22 राज्यों में 100 विद्यालय स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 92 प्रचालानात्मक किए जाने की सूचना हैं।

7.25 इस प्रयोजन के लिए बनाई गई एक स्वायत्त सोसाइटी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में इन विद्यालयों को चलाया जाना अपेक्षित था। इन विद्यालयों में शिक्षा का एकसमान पैटर्न प्रदान करने के लिए और इनके विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों (चिकित्सा, तकनीकी आदि) के लिए ये विद्यालय मुख्यतः राज्य बोर्डों से सम्बद्ध हैं। इन विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का नाम दिया गया है और इन्हें नवोदय विद्यालयों के अनुरूप चलाने की परिकल्पना की गई लेकिन राज्य केन्द्रित प्रबंधन के साथ।

7.26 ईएमआरएस की स्थापना करने हेतु दिशानिर्देशों को जून, 2010 में पुनः संशोधित किया गया है; ऐसी आशा की जाती है कि देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को और अधिक ईएमआरएस की स्थापना हेतु नए प्रयास किए जाने से पर्याप्त लाभ होगा। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ईएमआरएस का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों को मिडिल और उच्चत्तर माध्यमिक स्तर की गुणवता परक शिक्षा प्रदान करना है;
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस का निर्माण करने और चलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से निधियां देंगे;
- ईएमआरएस के लिए आवर्ती और अनावर्ती लागतें काफी बढ़ गई हैं। छात्रावासों तथा स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय परिसर के लिए पूंजीगत लागत को 2.50 करोड़ रुपए से संशोधित कर 12.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलों और द्वीपों के लिए इसे 16.00 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार द्वारा पूरी की जानी होती है। आवर्ती लागत को प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 42000 रुपए निर्धारित किया गया है। महंगाई इत्यादि के लिए प्रतिपूर्ति हेतु इसे प्रत्येक दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है;
- ईएमआरएस कार्यक्रम और इसके विस्तार हेतु राज्यों को मंत्रालय का समर्थन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबंधन की उच्च गुणवता को सुनिश्चित करने के बाद ही दिया जाएगा;
- ईएमआरएस या तो राज्य अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वांछित हो, से सम्बद्ध हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ईएमआरएस के प्रबंधन और प्रभावी कार्यकरण के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा;

7.27 प्रारम्भ से 31.3.2014 तक राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कुल 164 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से 120 प्रचालन में हैं। कुल 14 नए ईएमआरएस 12वीं योजना में स्वीकृत किए गए है। ईएमआरएस का राज्य–वार ब्यौरा तालिका 7.3 में दिया गया है।

तालिका 7.3: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

1	आंध्रप्रदेश	22			प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					प्रचालन में
					सिद्धांत अनुमोदन प्रदान किया गया (निर्माण आरंभ किया जाना है।)
					-तदैव-
				पथा पनुकुवलासा	-तदैव-
				भामिनी	-तदैव-
				सिरोलू	-तदैव-
				उजिल	-तदैव-
				बी एन कन्द्रीगा	-तदैव-
				अनासभद्रा	-तदैव-
				कुरूपम	-तदैव-
				कोटिकापेंटा	-तदैव-
				मरेडुमिल्ली	-तदैव-
				पमिडिपाडु	-तदैव-
2	अरूणाचल प्रदेश	2	पूर्व कामेंग	बाना कैम्प	प्रचालन में
			तवांग	लुमला	निर्माणाधीन
3	असम	1	बक्शा	डालबारि	निर्माणाधीन
4	छत्तीसगढ़	16	बस्तर	बाकाबंद	प्रचालन में
			कांकेर	कोइलीबेदा	प्रचालन में
			रायगढ़	मुदपर	प्रचालन में
			सरगुजा	शिवप्रसाद नगर	प्रचालन में

			सरगुजा	मेनपाट	प्रचालन में
			कवर्धा	तारेगांव जंगल	प्रचालन में
			दंतेवाड़ा	कांतेकल्याण	प्रचालन में
			जसपुर	सन्ना	प्रचालन में
			बीजापुर	पुखनर	प्रचालन में
			कोरबा	कटघोरा	प्रचालन में
			राजनंदगांव	पेंदरी	प्रचालन में
			कोरिया	खदगावा	निर्माणाधीन
			कोन्डागांव	मरदापाल	निर्माणाधीन
			बिलासपुर	डोंगारिया	निर्माणाधीन
			नारायणपुर	नारायणपुर	निर्माणाधीन
			जगदलपुर (बस्तर)	बेसुली	निर्माणाधीन
5	गुजरात	22	डंग्स	अहवा	प्रचालन में
			सुरत	बारदोली	प्रचालन में
			नर्मदा	तिलकवाड़ा	प्रचालन में
			सबरकांथा	शामलाजी	प्रचालन में
			तापि	निजार	प्रचालन में
			वलसाड	पारदी	प्रचालन में
			वलसाड	कपारदा	प्रचालन में
			नवसारी	बरताद	प्रचालन में
			दाहोद	खरूदि	प्रचालन में
			पंचमहल	वेजालपुर	प्रचालन में
			बांसकांथा	अंबाजी	प्रचालन में
			नर्मदा	गोरा	प्रचालन में
			वड़ोदरा	वघोदिया	प्रचालन में
			सबरकांथा	शामलाजी	प्रचालन में
			तापि	इन्दु	प्रचालन में
			बांसकांठा	जगना	निर्माणाधीन
			डंग्स	सपतारा	निर्माणाधीन
			वलसाड	धरमपुर	निर्माणाधीन
			पंचमहल	कदाना	निर्माणाधीन
			बड़ोदरा	पुनियावत	निर्माणाधीन

			तापि	उकाई	निर्माणाधीन
			दाहोद	लुखादिया	निर्माणाधीन
6	हिमाचल प्रदेश	1	किन्नौर	उरनी (ब्लॉक निचार)	प्रचालन में
7	जम्मू और कश्मीर	2	लेह	लेह	निर्माणाधीन
			कुलगाम	कुलगाम	निर्माणाधीन
8	झारखण्ड	9	रांची	तमार	प्रचालन में
			पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	प्रचालन में
			दुमका	काठीगुरयि	प्रचालन में
			साहेबगंज	बरहट	प्रचालन में
			गुमला	अलबर्ट एक्का	निर्माणाधीन
			लोहारदागा	लोहारदागा	निर्माणाधीन
			गोडडा	सुन्दर पहारी	निर्माणाधीन
			सिमडेगा	सिमडेगा	निर्माणाधीन
			जमशेदपुर	जमशेदपुर	निर्माणाधीन
9	कर्नाटक	12	बेलगाम	थवागा	प्रचालन में
			कोडागु	बालागोडु	प्रचालन में
			चिकमागा लुरू	तरूवे	प्रचालन में
			रायचुर	देवदुर्ग	प्रचालन में
			चित्रादुर्ग	देवराकोटा	निर्माणाधीन
			बेल्लारी	यरेंगाली	निर्माणाधीन
			तुमकूर	बजनहाली	निर्माणाधीन
			मैसूर	एस होसाकोटे	निर्माणाधीन
			चमराजनगर	थिम्माराजपुर	निर्माणाधीन
			गुलबर्ग	चित्तपुर तालुक	निर्माणाधीन
			श्रीनिवासप्रा तालुका	कोलार	निर्माणाधीन
			यादगिर-जिला	बसंतपुर या थांगुंडा गांव	सिद्धांततः व अनुमोदन प्रदान किया गया (निर्माण आरंभ किया जाना है।)
10	केरल	3	वयनाड	पुक्कोडु	प्रचालन में
			इडुकी	पैनावु	प्रचालन में

			कोट्टायम	थालनडु गांव मीनाचिल तालुक	सिद्धांत अनुमोदन प्रदान किया गया (निर्माण आरंभ किया जाना है।)
11	मध्यप्रदेश	20	झाबुआ	थांडला	प्रचालन में
			धार	कुक्शी	प्रचालन में
			बडवानी	बडवानी	प्रचालन में
			मंडला	सिझोरा	प्रचालन में
			डिंडोरी	डिंडोरी	प्रचालन में
			बेतुल	साहपुर	प्रचालन में
			अनूपपुर	अूपपुर	प्रचालन में
			रतलाम	सैलाना	प्रचालन में
			सियोनि	घंसौर	प्रचालन में
			सिधि	तंसर कुस्मी	प्रचालन में
			छिंदवाड़ा	जुन्नाद्रो	प्रचालन में
			उमरिया	पालि	प्रचालन में
			अलिराजपुर	सौंदावा	प्रचालन में
			खण्डवा	रोशनी	प्रचालन में
			शाहदोल	सुहागपुर	प्रचालन में
			बालाघाट	(उकवा तथा सोनीपुरी)	प्रचालन में
			झाबुआ	मोरडुंडिया	प्रचालन में
			छिंदबाड़ा	बिछुआ	प्रचालन में
			हौशिंगाबाद	केसला	प्रचालन में
			जबलपुर	नराई नाला	प्रचालन में
12	महाराष्ट्र	8	थाणे	बोरदी	प्रचालन में
			नासिक	मुंधेगांव	प्रचालन में
			अमरावति	चिखलदारा	प्रचालन में
			नागपुर	खैरी परसोदा	प्रचालन में
			नन्दुरबार	नन्दुरबार	निर्माणाधीन
			गढ़चिरोली	तुमारगुंडा (ताल इटापली)	निर्माणाधीन
			गोंडिया	बोलगांव (ललुका देवरी)	निर्माणाधीन
			नाशिक	पीमपरीसादुर्दीन (तालुका लगतपुरी)	निर्माणाधीन

13	मणिपुर	3	तामेंगलौंग	तामेंगलौंग	प्रचालन में नहीं है
			सेनापति	गमनोम सपेरमीना	प्रचालन में
			चंदेल	मोरेह	प्रचालन में
14	मिजोरम	2	लुंगलाई	लुंगलाई	प्रचालन में
			सरछिप		प्रचालन में
15	नागालैण्ड	3	त्वेनसांग	त्वेनसांग	प्रचालन में
			दिमापुर	दिफुपर	प्रचालन में
			मोन	तिजिट	प्रचालन में
16	ओडिशा	16	कोरापुट	पुंगर	प्रचालन में
			रायगाडा	सिरिगुडा	प्रचालन में
			मयूरभंज	धनगेरा	प्रचालन में
			सुंदरगढ़	भवानीपुर	प्रचालन में
			नवरंगपुर	बोरदेई (हिरली)	प्रचालन में
			कंधमाल	महासिंघी	प्रचालन में
			सुंदरगढ़	लहुनीपारा (बदापुरूनापानी)	प्रचालन में
			सुंदरगढ़	मंदिरा डैम (लियांग)	प्रचालन में
			गजपति	चन्द्रगिरि	प्रचालन में
			क्योंझर	रंकी	प्रचालन में
			जाजपुर	कलिंगा नगर	निर्माणाधीन
			मलकानगिरि	नैरि	निर्माणाधीन
			नुआपाडा	केन्दुबहारा	निर्माणाधीन
			बोलानगिर	दुमेरबहल	प्रचालन में
			सुवर्णपुर	बाबुपाली	प्रचालन में
			कालाहांडी	मधुपुर	प्रचालन में
17	राजस्थान	17	बांसवाड़ा	कुशालगढ़	प्रचालन में
			उदयपुर	कोटरा	प्रचालन में
			सिरोही	अबु रोड	प्रचालन में
			बरन	शाहाबाद	प्रचालन में
			डुंगरपुर	सिमलवारा	प्रचालन में
			उदयपुर	खेरवारा	प्रचालन में
			टोंक	उनियारा (सिरिपुरा)	प्रचालन में
			डुंगरपुर	गाडा अरदिया	प्रचालन में

			अलवर	पतेन	प्रचालन में
			टोंक	निवाई	निर्माणाधीन
			बांसवाड़ा	सुनदर्व	निर्माणाधीन
			प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	निर्माणाधीन
			करोली जिला	रनालि	निर्माणाधीन
			अलवर	मल्लाना	निर्माणाधीन
			सवाई माधोपुर	बरनाला	निर्माणाधीन
			जयपुर	बिहारीपुर	निर्माणाधीन
			बांसवाड़ा	पदोला	निर्माणाधीन
18	सिक्किम	2	उत्तरी जिला	सियाम	प्रचालन में
			गंगयाप	तबुसडिंग	प्रचालन में
19	तमिलनाडु	2	विल्लुपुरम	विल्लीमलाई	प्रचालन में
			सलेम	अबिनवम	प्रचालन में
20	त्रिपुरा	4	पश्चिम त्रिपुरा	खुमुलवंग (जिरानिया)	प्रचालन में
			दक्षिण त्रिपुरा	बीरचन्द्र नगर	प्रचालन में
			पश्चिम त्रिपुरा	कुमारघाट [दारचावी]	निर्माणाधीन
			वेस्ट त्रिपुरा	राजनगर	निर्माणाधीन
21	उत्तरप्रदेश	3	लखीमपुरखेरी	चन्दन चौकी	प्रचालन में
			बहराईच		निर्माणाधीन
			सोनभद्र		निर्माणाधीन
22	उत्तराखण्ड	1	देहरादून	कलशी	प्रचालन में
23	पश्चिम बंगाल	7	जलपाईगुडी	नग्राकाटा	प्रचालन में
			बंकुरा	मुकुटमोनीपुर	प्रचालन में
			पुरूलिया	सुसनीया	प्रचालन में
			वरदवान	रघुनाथपुर	प्रचालन में
			पश्चिम मेदनीपुर	झरग्राम	प्रचालन में
			बीरभूम	मेहन्दीपुर	प्रचालन में
			दक्षिणदिनाजपूर	बुनियादपुर	प्रचालन में

आवंटन

7.28 वर्ष 2013-14 के दौरान योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम-अनुदान हेतु 1317.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है। संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय सहायता को 1097.14 करोड़ रूपये तक घटा दिया गया था।

7.29 वित्तीय वर्ष 2002-2003 से वर्ष 2013-2014 तक राज्य सरकार को किया गया वार्षिक आवंटन तथा निर्मुक्तियां तालिका 7.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.4: अनुच्छेद 275 (I) के तहत अनुदान

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	सहायता अनुदान (निर्मुक्ति)
2002-03	300.00	300.00
2003-04	300.00	252.70
2004-05	330.00	330.00
2005-06	380.00	380.00
2006-07	400.00	400.00
2007-08	400.00	390.28
2008-09	416.00	339.78
2009-10	1000.00	399.10
2010-11	1046.00	999.88
2011-12	1197.00	1084.83
2012-13	1317.00	820.00
2013-14	1317.00	1097.14

7.30 वर्ष 2002-03 से वर्ष 2013-14 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में की गई राज्यवार निर्मुक्तियां का विवरण **अनुलग्नक 7 ग** में दर्शाया गया है।

10वीं,11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आवंटित और निर्मुक्त राशियां निम्नलिखित आकृति 7(iii) में दर्शायी गई हैं:-

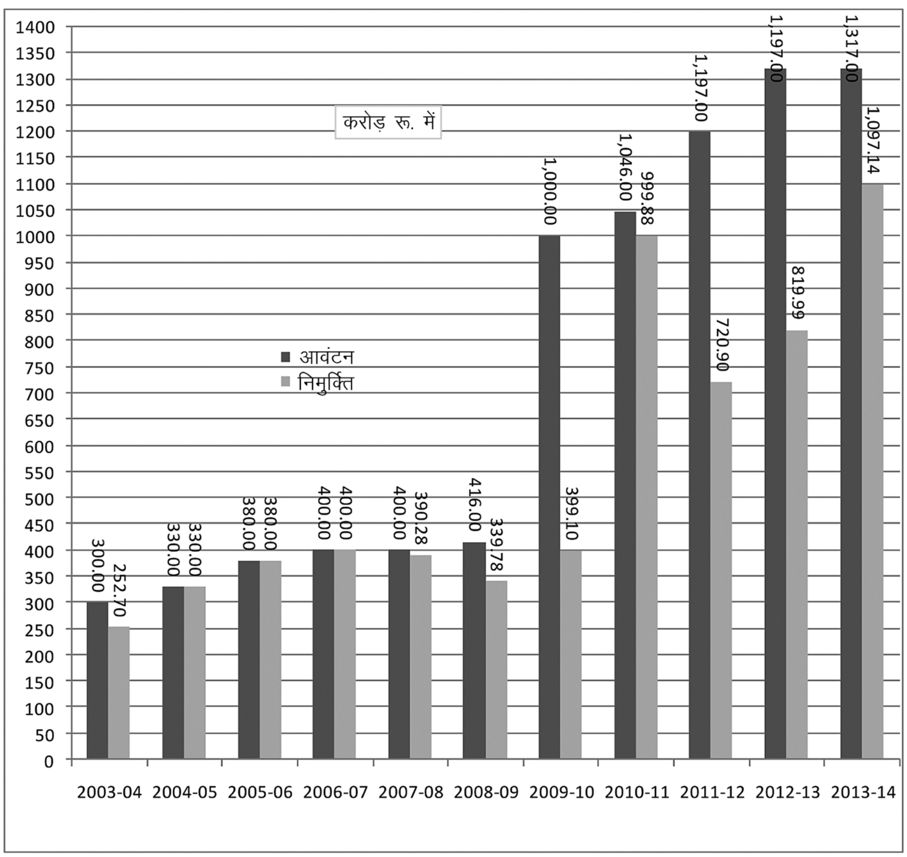

(31.3.2014 तक के आंकड़े 2013-14)

आकृति (iv) अनुच्छेद 275 (1) के तहत पंचवर्षीय योजनावार निमुर्क्तियां

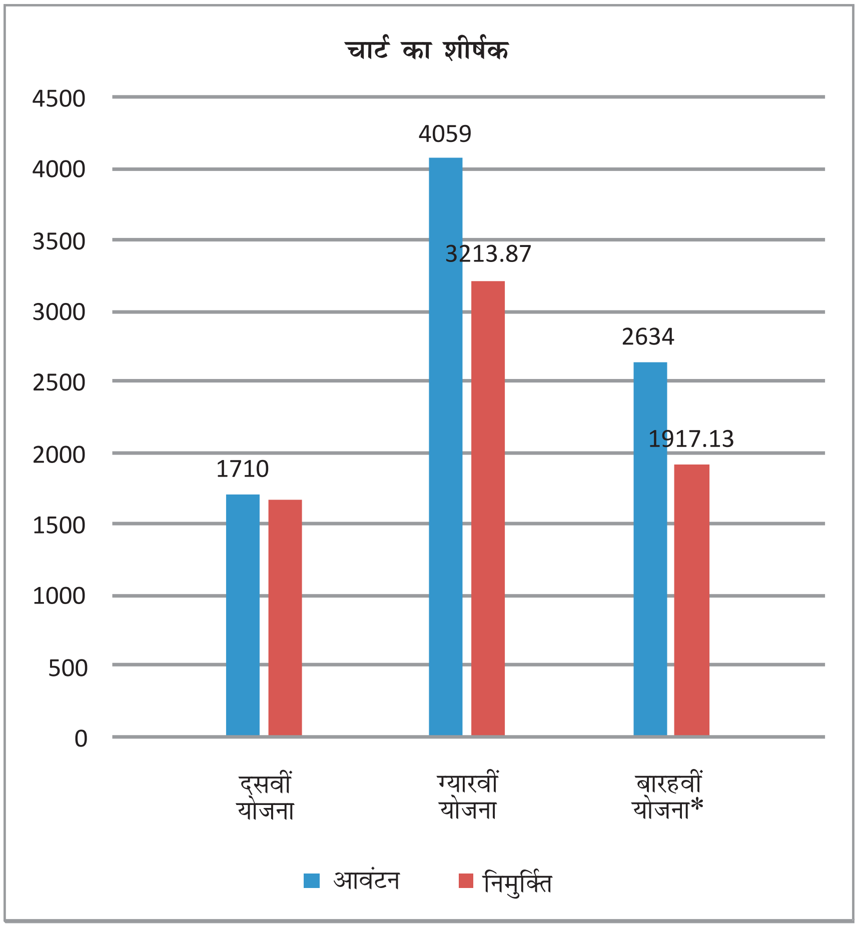

12वीं योजना के केवल दो वर्ष, 2012-13 तथा 2013-14

10वीं 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना द्विवर्षीय योजना (31.3.2014 तक) के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्यों को आवंटित एवं निर्मुक्त राशियां आकृति 7(iv) में दर्शायी गई है।

7.31 मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से शुरू की गई योजनाओं/कार्य के कार्यान्वयन को शीघ्रता से करने की पहल की। वर्ष के दौरान मंत्रालय ने योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों के साथ उठाया और परिणामस्वरूप अव्ययित शेष राशि धीरे-धीरे कम हो रही है। कार्यान्वयन को और शीघ्रता से करने के लिए और निधियों की संभव पार्किंग को हतोत्साहित करने हेतु 2007-08 से उन राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं, जिनके पास पूर्व में निर्मुक्त की गई निधियों में से अव्ययित राशि शेष थी।

अनुलग्नक : 7-क

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले राज्य और जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम		संख्या			
		आईटीडीपी/ आईटीडीए	माडा	क्लस्टर		पीटीजी
		पॉकेट				
I	आंध्र प्रदेश	8	41	17		12
2	असम	19		-		-
3	बिहार	-	7	-		9**
4	छत्तीसगढ़ #	19	9	2		**
5	गुजरात#	9	1	-		5
6	हिमाचल प्रदेश #	5	2	-		-
7	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-		-
8	झारखंड #	14	34	7		**
9	कर्नाटक	5		-		2
10	केरल	7	-	-		5
11	मध्य प्रदेश #	31	30	6		7**
12	महाराष्ट्र ##	16	44	24		3
13	मणिपुर	5	-	-		1
14	ओडिशा #	21	46	14		13
15	राजस्थान #	5	44	11		1
16	सिक्किम	4	-	-		-
17	तमिलनाडु $	9	-	-		6
18	त्रिपुरा*	-	-	-		1
19	उत्तर प्रदेश	1	1	-		2** ******
20	उत्तराखंड	-	-	-		**
21	पश्चिम बंगाल $	12	-	1		3
	संघ राज्य क्षेत्र					
22	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	-	-		5
23	दमन व दीव	1	-	-		-
	कुल	**192**	**259**	**82**		**75**

*त्रिपुरा में कोई आईटीडीपी नहीं हैं। वहाँ त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषदें (टीटीएएडीसी) हैं। दिनांक 03.10.2006 के त्रिपुरा राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.15-2/भाग-I/टीडब्ल्यू/एसपी/2004/14648 की सूचना के अनुसार संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से प्रभावी छठी अनुसूची के प्रावधानों का विस्तार त्रिपुरा तक किया गया है।

** बिहार तथा झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पीटीजी समान हैं।

#राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) हैं।

$राज्यों में केवल टीएसी ही हैं।

अनुलग्नक : 7-ख

वर्ष 2002-03 से वर्ष 2012-13 तक के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता की निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (31.03.2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52	2751.14	3344.33	3712.99	4176.75	1930.00	5746.50	6057.00	4125.00	5,789.00
2	असम	3058.99	2753.09	2064.82	3066.59	3601.59	3220.27	3755.65	2883.00	3500.00	5475.00	4674.00	6,563.63
3	बिहार	556.56	500.90	250.45	543.57	656.00	715.50	0.00	870.94	650.00	1147.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76	4641.08	5477.04	5893.78	6829.20	6322.88	8453.00	10645.00	9478.00	9,478.00
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82	3963.52	4882.13	5419.14	4571.44	5635.53	8126.00	8838.00	7410.00	8,448.00
7	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87	825.90	1022.14	1133.43	1276.00	1179.40	1506.00	1851.00	1262.00	1,768.00
8	जम्मू और कश्मीर	971.94	925.50	874.75	901.28	1088.00	956.24	676.00	263.79	489.57	1143.00	0.00	1,702.42
9	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22	5896.10	7041.25	7711.12	2198.25	0.00	9481.55	10704.00	11413.25	12,187.00
10	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97	1029.06	1242.00	1372.00	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00	1853.25	2,471.00
11	केरल	273.70	260.62	319.35	274.03	318.13	352.36	396.25	366.10	440.00	574.00	549.00	549.00
12	मध्य प्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70	8186.01	10126.02	9129.39	12644.25	8722.00	15214.00	15593.00	17525.00	17,525.00
13	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45	3351.45	3888.00	4293.00	2500.00	895.91	6696.00	7055.93	0.00	7,728.00
14	मणिपुर	761.96	725.55	685.76	685.76	796.00	879.00	989.00	527.80	1187.00	705.00	1230.10	1,581.90
15	ओडिशा	6495.30	6184.94	7578.63	6516.82	7695.87	8543.41	10110.50	8885.55	12393.00	14449.15	13321.00	13,321.00
16	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60	3490.91	4214.00	4654.00	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00	7441.00	8,377.00
17	सिक्किम	108.02	102.86	126.04	109.49	135.52	280.36	315.00	291.38	369.00	451.01	437.00	437.00
18	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25	323.70	375.55	142.59	469.00	108.00	393.05	572.00	0.00	651.00
19	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66	1045.03	1240.34	1318.28	1548.00	1431.29	1879.00	2244.00	1955.00	2,102.09
20	उत्तराखंड	92.91	88.47	83.62	83.62	50.00	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	139.60
21	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45	33.63	0.00	425.36	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31	1982.31	2270.00	2894.59	3255.75	2654.34	3384.00	4720.00	2580.75	4,181.36
	कुल	**49700.00**	**46130.00**	**49700.00**	**49701.00**	**59573.91**	**63179.81**	**63135.29**	**48124.00**	**90169.67**	**96234.09**	**85254.35**	104,999.99

अनुलग्नक : 7-ख-1

2013-14 के दौरान टीएसपी को एससीए के तहत कौशल विकास घटक के तहत किए गये आवंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा मांगी गई राशि में कौशल विकास का घटक	कौशल विकास के लिए अनुमोदित राशि	कौशल विकास के लिए निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या			टिप्पणी
							पुरुष	महिला	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पश्चिम बंगाल	4512.00	4181.36	1862.00 (41.26%)	1862.00	1862.00	6050	4100	10150	--
2	गुजरात	8448.00	8448.00	2257.00 (26.71%)	2257.00	2257.00	3600	8400	12000	--
3	हिमाचल प्रदेश	1768.00	1768.00	234.68 (13.27%)	234.68	234.68	340	260	600	--
4	ओडिशा	13321.00	13321.00	1100.50 (8.26%)	1100.50	1100.50	--	--	8000	--
5	मध्य प्रदेश	17525.00	17525.00	500.00 (2.85%)	500.00	500.00	--	--	2575	--
6	राजस्थान	8377.00	8377.00	500.00 (5.97%)	500.00	500.00	--	--	2333	--
7	आन्ध्र प्रदेश	5789.00	5789.00	289.45 (5%)	289.45	289.45	---	---	---	--
8	छत्तीसगढ़	9478.00	9478.00	1920.63 (20.26%)	1920.23	1920.23	12807	3263	16070	--
9	सिक्किम	437.00	437.00	44.00 (10.06%)	44.00	44.00	--	--	--	--
10	मणिपुर	1583.00	1581.90	12.00 (0.75%)	12.00	12.00	--	-	--	--
11	महाराष्ट्र	7728.00	7728.00	1931.30 (24.99%)	1931.30	1931.30	3863	1655	5518	--
12	असम	6233.00	6563.63	436.00 (6.99%)	436.00	436.00	872	872	1744	--
13	तमिलनाडु	651.00	651.00	66.40 (10.19%)	66.40	66.40	--	--	475	--
14	उत्तराखंड	198.00	139.60	139.598 (70.50%)	139.59	139.59	568	140	708	--
15	केरल	549.00	549.00	54.52 (9.93%)	54.52	54.52	122	298	420	--
कुल			**85988.49**		**11208.08**	**11208.08**	**28222**	**18988**	**60593**	

अनुलग्नक : 7-ग

2002-03 से 2012-13 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. मं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रs	2002-03	2003-2004	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	(2013-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्रप्रदेश	2160.30	1785.00	2300.46	3112.31	2830.31	2453.03	1863.44	1946.20	5187.70	7998.00	4834.00	350.00
2	अरूणाचल प्रदेश	300.00	200.00	273.72	384.06	322.52	544.29	308.68	35.20	772.00	1082.83	0.00	832.20
3	असम	1023.40	668.87	1155.00	1381.41	1514.17	1192.63	1444.88	1240.77	3517.96	3419.00	0.00	3540.25
4	बिहार	209.00	209.00	229.90	0.00	293.00	319.20	0.00	95.00	838.00	959.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	2689.50	2089.00	2858.56	3479.69	4131.86	3090.44	3211.43	2834.80	7786.00	9294.00	8534.00	9172.11
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	68.45	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	2250.00	2280.00	2515.00	5660.96	3964.38	3652.68	2372.77	4783.00	8302.00	9426.00	4629.60	10275.69
8	हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	109.36	133.88	330.33	165.43	148.32	360.00	377.00	431.00	474.00	474.00
9	जम्मू और कश्मीर	318.00	367.00	398.70	361.29	427.00	286.61	193.66	282.74	607.00	1390.00	150.34	1146.75
10	झारखण्ड	2808.00	2208.00	2428.80	400.00	3244.15	3060.27	1852.43	3730.00	8004.00	9181.00	7369.50	9280.40
11	कर्नाटक	904.35	797.00	957.88	1519.35	1526.87	1458.05	1496.37	1823.00	3813.00	4263.00	4800.00	4800.00
12	केरल	588.00	158.00	161.56	0.00	497.19	101.52	159.42	387.00	405.00	463.00	510.00	510.00
13	मध्यप्रदेश	4052.32	3821.58	5173.57	6420.27	6052.44	5973.00	6466.80	6435.00	17311.31	14015.50	16518.04	15793.47
14	महाराष्ट्र	2925.00	2672.00	2939.20	3459.20	2508.35	3610.310	2441.46	2000.00	9442.00	10805.00	2911.00	12489.00
15	मणिपुर	424.55	230.00	253.00	0.00	411.00	311.96	324.44	352.50	819.00	937.00	1031.00	1031.00
16	मेघालय	555.00	50.55	759.50	0.00	0.00	773.02	155.33	0.00	2100.00	2798.00	0.00	2924.38
17	मिजोरम	240.00	240.00	488.41	422.62	384.17	409.79	403.57	441.00	922.96	1056.00	810.75	1133.61
18	नागालैण्ड	0.00	0.00	529.58	700.93	812.22	866.170	200.00	576.59	2047.42	2301.00	2454.00	2886.93
19	ओडशा	3641.60	2830.00	4346.98	4445.48	4029.11	4176.84	4129.73	7026.00	11144.33	11347.00	11283.99	14706.50
20	राजस्थान	2224.48	2070.00	2200.00	2240.48	3160.00	3168.91	3107.04	1500.00	8351.00	7642.00	7737.98	9437.80
21	सिक्किम	83.00	33.00	45.20	143.92	50.99	101.50	65.00	149.20	226.00	259.00	272.58	302.90
22	तमिलनाडु	210.00	250.00	287.40	619.57	477.62	0.00	291.39	342.00	358.00	614.25	0.00	901.00
23	त्रिपुरा	665.50	313.00	428.30	412.28	570.32	485.04	434.88	780.00	1358.73	1250.00	1375.00	1355.00
24	उत्तरप्रदेश	27.00	27.00	36.82	0.00	0.00	499.12	391.28	350.00	1200.00	1484.91	200.00	0.00
25	उत्तराखण्ड	78.00	128.00	135.80	0.00	249.00	107.81	20.00	120.00	250.00	0.00	0.00	267.00
26	पश्चिम बंगाल	1543.00	1763.00	1987.30	2702.30	2151.00	2151.620	2489.09	2320.00	4848.00	6066.99	6104.00	6104.00
	कुल योग	**30000.00**	**25270.00**	**33000.00**	**38000.00**	**40000.00**	**39027.69**	**33978.41**	**39910.00**	**99988.41**	**108483.48**	**81999.78**	**109713.99**

अध्याय 8

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

8.1. संगठन : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रुप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचति जनजातियों इत्यादि के ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

8.2 मिशन, उद्देश्य तथा कार्य

क. **मिशन :** सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

ख. **उद्देश्य :** एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रलय के तहत एक शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और नौकरी के समय जारी प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर के अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके कौशल और प्रक्रियाओं विकास का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेनसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एनएसटीएफडीसी सहायतित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

ग. कार्य :

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- कौशल विकास और लाभार्थियों तथा एससीए के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।
- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

8.3 अंश पूंजी : निगम की अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये है तथा 31.03.2014 तक प्रदत्त पूंजी 404.99 करोड़ रुपये है।

8.4 पात्रता मानदण्ड : एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता है:–

क व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदकों को अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

- आवेदनकर्त्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना (डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 81,000 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,04,000 रुपये प्रति वर्ष है, जो योजना आयोग के मानदण्डों पर आधारित है।

(ख) सहकारी समितियाँ : कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

8.5 योजनाएं : निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपणन सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत योजनाएं:

- **मियादी ऋण योजना :** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफ डीसी की वित्तीय सहायता योजना की लागत को 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/सीमान्त धनराशि के रुप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओ के आर्थिक विकास के लिए है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी 50,000 रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **लघु ऋण योजना:** यह योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल स्वयं सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य को 35,000/-रु. और प्रति स्व-सहायता समूह को 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को सक्षम बनाने हेतु निगम द्वारा नवंबर, 2011 माह में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना:** इस योजना का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, के लिए जागरुकता पैदा करने, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देने, बाजार के साथ संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी लाभार्थियों द्वारा देय 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।
- **ट्राइफेड के पैनलबद्ध कारीगरों को सहायता:** इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों तथा कार्यकारी पूंजी की खरीद के लिए ट्राइफेड के साथ पैनलबद्ध जनजातीय कारीगरों को रियायती वित्त प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्य के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर व्यक्तियों हेतु 50,000 रु. तथा एसएचजी/सहकारी सोसाइटी के 5 लाख रु. तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ख. विपणन समर्थन सहायता : निगम लघु वन उत्पाद और अन्य जनजातीय उत्पादों (एमएफपी) की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधिक ऋण योजना	10.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से अधिक)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	50,000 रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 35,000 रू. तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण	5 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना (ए.एस.आर.वाई.)	1 लाख रू	ऋण राशि का 90%	3%	6%
6.	ट्राइफेड के सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/कारीगरों के लिए योजना	50000 रू	इकाई लागत का 90%	एएमएसवाई के तहत 2% तथा अन्य योजनाओं के तहत 3%	

ग. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

- **कौशल एवं उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम :** स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

8.6 मुख्य उपलब्धियां/पहलें:

क. **एनएसटीएफडीसी के लिए स्कोप मैरिट अवार्ड:** सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सर्वोच्च निकाय है।

स्कोप ने वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित सर्वोत्तम प्रबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य (पीएसई) के रुप में निर्णित किया है तथा दिनांक 26.04.2013 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति से एक स्वर्ण ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए गए थे।

ख. **जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना:** एफआरए लाभार्थी जिन्हें अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत भूमि अधिकार दिए गए हैं, की सहायता करने के लिए एनएसटीएफडीसी ने **''जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना''** शीर्षक वाली एक नई स्कीम आरंभ की है। इस योजना को माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा दिनांक 08.05.2013 को आरंभ किया गया।

ग. **ऑल इंडिया रेडियो के साथ मीडिया की साझेदारी:** एनएसटीएफडीसी लक्षित समूह में अपनी योजनाओं के बारे में जागरुकता

पैदा करने के लिए विभिन्न पहलें कर रहा है। इस दिशा में एनएसटीएफडीसी ने ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के साथ मीडिया साझेदारी के समझौता ज्ञापन किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एआईआर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को कवर कर रहा है। वर्ष के दौरान नासिक (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात), सवाई माधेपुर, बांसवाड़ा (राजस्थान), आईजोल, जलपाईगुड़ी, दक्षिण दिनाजपुर में किए गए जागरुकता कैम्पों को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा बृहद रुप से कवर किया गया था। एआईआर ने एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों के साक्षात्कार भी लिए तथा उन्हें प्रसारित किया। लक्षद्वीप तथा केरल की अनुसूचित जनजातियों के लिए आयसृजनकारी योजनाओं के संबंध में सीएमडी, एनएसटीएफडीसी द्वारा एक रेडियो वार्ता को भी अक्टूबर, 2013 में एआईआर कोजीकोड द्वारा प्रसारित किया गया था।

घ. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ पुनर्वित्त समझौते:**- अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या को कवर करने के लिए एनएसटीएफडीसी पीएसयू बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के माध्यम से वित्तीय सहायता दे रहा है। वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी ने केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, लेंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक (असम), ओडिशा ग्राम्य बैंक, पूर्वांचल बैंक (यू.पी), उत्कल ग्रामीण बैंक तथा उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के साथ पुनर्वित्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, सभी पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम के साथ भी पुनर्वित्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ड़. अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल में एनएसटीएफडीसी तथा इसकी एससीए का एक बृहद मूल्यांकन अध्ययन प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई गुड़गांव) के माध्यम से कराया गया था। अध्ययन के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के प्रभाव का आकलन तथा कार्यान्वयन तंत्र के सुधार हेतु सुझाव सम्मिलित है। वर्ष के दौरान, एमडीआई गुड़गांव ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्ययन में यह पाया कि एनएसटीएफडीसी की सहायता का लाभ लेने के उपरांत लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी हुई है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि आजीविका स्तरों, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य परिचर्या, घरेलू समान की खरीद इत्यादि में सुधार हुआ है।

च. पुणे में जनजातीय कार्य मंत्रलय के संयोजन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा सतत् आजीविका के लिए जनजातीय समुदायों के कौशल विकास पर एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। सीएमडी, एनएसटीएफडीसी ने अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा संयोजन हेतु क्षमता वाले क्षेत्रों पर एनएसटीएफडीसी की पहलों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया।

सीएमडी,एनएसटीएफडीसी ने पूर्वोत्तर राज्यों में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर यूएनडीपी/जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में दिनांक 29-30.10.2013 को आयोजित सम्मेलन में भी भाग लिया।

छ. एनएसटीएफडीसी के अधिकारी कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ योजनाओं के प्रभाव के आकलन के लिए एनएसटीएफडीसी सहायित इकाइयों की जांच करने हेतु आवधिक रुप से क्षेत्र का दौरा भी करते हैं। वर्ष के दौरान असम, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में 2890 इकाइयों का निरीक्षण किया गया था।

8.7 निगम का कार्य निष्पादन :

क. **संस्वीकृतियाँ :** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओं की संस्वीकृति हेतु सांकेतिक रूप से 180.00 करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान 31.03.2014 तक निगम ने आय सृजनकारी क्रियाकलापों के लिए 208.25 करोड़ रुपए

के अपने भाग को 2,60,356 लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 352 योजनाओं को स्वीकृत किया। उपरोक्त में, महिला लाभार्थियों के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 16821 महिला लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान हेतु 36.27 करोड़ रुपए तथा लघु ऋण योजना के तहत 22085 लाभार्थियों के लिए 24.53 करोड़ रू. तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 197 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 4.81 करोड़ रुपये की संस्वीकृति भी शमिल है।

ख. **प्रशिक्षण के लिए अनुदान :** वर्ष के दौरान, 31.03.2014 तक, एनएसटीएफडीसी ने छत्तीसगढ़,कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल ने 4060 अनुसूचित जनजातियों के लिए कौशल एवं उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संस्वीकृत किए हैं।

ग. **वसूलीः** 31.03.2014 तक संचयी वसूली प्रतिशतता 86.69 प्रतिशत है।

वर्ष 2013-14 के लिए समझौता ज्ञापन : निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया। इससे निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

सफलता की सहक्रिया

पानाथुर, जिला कसारगोड़, केरल के श्री विजयन के सुपुत्र श्री कृष्णन जो 28 वर्ष के युवक हैं और छोटे-मोटे काम करके बहुत कम कमा पाते थे। वह 10वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं तथा छोटे कस्बे में एक नियमित नौकरी नहीं खोज पाए थे।

एक विज्ञापन के द्वारा उन्हें एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के बारे में पता चला जिसमें जनजातीय उद्यमियों के लिए ऋण की पेशकश की गई थी। उन्होंने योजना के बारे में पूछताछ की तथा गली में अपनी दुकान खोलने हेतु ऋण के लिए आवेदन किया। जिला चयन समिति द्वारा चयन किए जाने के उपरांत उन्हें 75,000 रु. का ऋण दिया गया था। इसके साथ उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक खिलौने और दैनिक उपयोगिता की वस्तुएं जैसे टॉर्च, ताले, सजावटी लाइटें, दस्ताने, एफएम रेडियो, इलैक्ट्रॉनिक खिलौने और गुड़ियां इत्यादि जैसे उत्पाद खरीदने और बेचने शुरु किए। वह 7000 से 8000 रु. मूल्य की वस्तुएं प्रतिमाह बेचता है। इस इकाई से उनकी आय 1500-2000 रु. प्रतिमाह से बढ़कर 3500 रु. प्रतिमाह हो गई है।

वे अपने ऋण के वापिस भुगतान करने में नियमित हैं तथा कस्बे के अन्य छोटे दुकानदारों को आपूर्तिकर्त्ता के रुप में अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अब उनकी नियमित आय है तथा वह एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

श्रीमती राधाबेन मनसुखभाई कोलधा, गांव अन्तापुर, तालुका व्यारा, जिला तापी विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) कोल्घा से संबंधित हैं। कोल्घा जनजाति की जनसंख्या घट रही है। इस जनजातीय समुदाय को सशक्त करने के लिए उन्हें एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता तथा गुजरात जनजातीय विकास विभाग की ओर से सब्सिडी के साथ एकीकृत डेरी विकास परियोजना के तहत कवर किया गया है। राधाबेन को पशुधन, पशुओं

के चारे, पशुओं के शेड, दूध के बर्तन, पशुओं हेतु बीमा कवर के लिए 40,000 रु. के एनएसटीएफडीसी के हिस्से के साथ 62,000 रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। सामाजिक-आर्थिक पुनर्संरचना हेतु गुजरात ग्रामीण संस्थान, बड़ोदरा तथा बीएआईएफ द्वारा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया था।

श्रीमती राधाबेन अपनी डेरी इकाई का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रही हैं। दूध बेचकर वह नियमित आय कमा रही है तथा एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता से खुश हैं।

श्री अनुंग आइर (46 वर्ष), मकान सं. 381, ग्रेस कॉलोनी, लिंग्रीजाई, दीमापुर, नागालैण्ड, दीमापुर में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु अपनी स्वयं की बेकरी इकाई स्थापित करने हेतु अवसर की तलाश में थे। उन्हें अपने रिश्तेदारों के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता के बारे में पता चला तथा उन्होंने नागालैण्ड औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन किया। उन्हें बेकरी इकाई के लिए एनआईडीसी, दीमापुर के माध्यम से 3.00 लाख रु. का आवधिक ऋण दिया गया था। एक वर्ष के अंदर ही उन्होंने नजदीकी बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए न केवल पश्चगामी/अग्रगामी श्रृंखला स्थापित की अपितु अन्य लोगों को रोजगार भी दिया। वर्तमान में वह बहुत अच्छी मांग वाले बेकरी उत्पादों की बहुत किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। उनके कठोर परिश्रम और कार्यकुशल प्रचालन के कारण वह लगभग 40,000 रु. प्रतिमाह का लाभ कमा रहे हैं। इस आय के साथ वह अपने 3 बच्चों को ख्यातिप्राप्त विद्यालय में भेज रहे हैं।

वह एनएसटीएफडीसी द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए बहुत कृतज्ञ हैं।

श्री लैतफर सुतिंग मेघालय के पूर्व खासी पहाड़ियों में नोंगथियम्मई मावसमई के निवासी हैं। मत्स्य व्यापार आरंभ करने से पूर्ण उन्होंने कई व्यापारिक गतिविधियों में अपने हाथ आजमाए परन्तु सफल नहीं हो सके। उन्हें मेघालय एपेक्स बैंक लि., शिलांग के एक अधिकारी से एनएसटीएफडीसी की रियायती ऋण योजनाओं के बारे में पता चला और वर्ष 2012 में उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया। उन्हें 76,500 रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी जिसमें एनएसटीएफडीसी की ओर से 22500 रु. का आवधिक ऋण भी शामिल था और शेष राज्य सरकार की ओर से राज सहायता थी। तालाब के निर्माण तथा मछली पालन के लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई। मछली बेचने के लिए उन्होंने नजदीकी मार्केट के साथ संपर्क विकसित किया तथा वर्तमान में वह लगभग 3,00,000 रु. प्रतिवर्ष कमा रहे हैं।

मछली पालन ने उन्हें एक शानदार जीवन जीने तथा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए सक्षम बनाया।

अनुलग्नक 8

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की पुनः संरचना की है जो वर्ष 2013-14 के दौरान लाभार्थियों की कवरेज हेतु लक्षित है

1	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि., **आन्ध्र प्रदेश**	2230
2	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	105
3	अरूणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, **अरूणाचल प्रदेश**	313
4	असम मैदानी जनजाति विकास निगम लिमिटेड, **असम**	1470
5	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **बिहार**	338
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	2935
7	दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **दादरा और नगर हवेली**	105
8	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **गोवा**	105
9	गुजरात जनजातीय विकास निगम **गुजरात**	3321
10	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां विकास निगम, **हिमाचल प्रदेश**	105
11	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ो वर्ग विकास निमग, **जम्मू और कश्मीर**	492
12	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **झारखंड**	3145
13	कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक**	1537
14	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	106
15	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	105
16	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, **लक्षद्वीप**	105
17	मणिपुर जनजातिय विकास निगम लिमिटेड, **मणिपुर**	433
18	सबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	3806
19	मेघालय सहकारिता एपैक्स बैंक लिमिटेड, **मेघालय**	887

20	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	5430
21	मिजोरम खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, **मिजोरम**	186
22	मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लिमिटेड, **मिजोरम**	186
23	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, **नागालैंड**	394
24	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, **नागालैंड**	393
25	उड़ीसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लिमिडेट, ओड़िशा, **उड़ीसा**	3615
26	राजस्थान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारिता निगम, **राजस्थान**	3150
27	सिक्किम अनुसूचित जनजाति, जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, **सिक्किम**	105
28	तमिलनाडु आदि द्राविडर परिवार एवं विकास निगम लिमिटेड, **तमिलनाडु**	290
29	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **त्रिपुरा**	443
30	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तरांचल**	105
31	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश**	105
32	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां विकास वित्त निगम, **पश्चिम बंगाल**	978
33	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारिता निगम, **पश्चिम बंगाल**	977
	कुल	**38000**

नोट : वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों को कवर करने के लिए कुल लक्ष्य, समझौता ज्ञापन 2013-14 के अनुसार 38000 है तथा यही राष्ट्रीय आवंटित निधियों के आधार पर प्रत्येक एससीए/राज्य को दी गई है।

कोरापुट आईटीडीए में स्व सहायता समूहों द्वारा बकरी पालन

मुर्गी पालन, आईटीडीए ओडिशा

अध्याय 9

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

9.1 उद्देश्य : योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते हैं। इस योजना को दिनांक 01-04-2008 से संशोधित कर दिया गया था।

9.2 कवरेज : योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव हो स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।

9.3 निधियन प्रतिमान : यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु वित्तपोषण 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़कों तथा लड़कियों दोनों के छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती हैं तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

9.4 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

(ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था नि:शुल्क करती है।

(iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।

(iv) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

9.5 आवंटन : वर्ष 2013-14 के दौरान 125.00 करोड़ रुपये के ब.अ./सं.अ. की तुलना में 101.05 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.6 कार्य निष्पादन : वर्ष 2013-14 के दौरान, अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के छात्रावासों के लिए अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, त्रिपुरा तथा तमिलनाडु को 101.05 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। 2011-12 से 2013-14 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किए गए छात्रावासों और जारी किए गए सहायता-अनुदानों के ब्यौरे **अनुलग्नक: 9 क** में दिए गए हैं।

9.7 छात्रावासों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व

विद्यालय की है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से शौचालयों, स्नान घरों, पेय जल, बिस्तर, पोषक, आहार जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा छात्रवासों में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने एवं पर्याप्त सपोर्टिंग स्टाफ की व्यवस्था करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

9.8 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से) से संशोधित कर दिया गया है।

9.9 कवरेज : यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

9.10 निधियन पद्धति : यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। तथापि, केन्द्रीय सरकार लड़कियों के सभी आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्र) लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्रदान करती है। उपर्युक्त स्कूलों से भिन्न, लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

9.11 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु मौजूदा आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) इस योजना के अंतर्गत, स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र आश्रम स्कूलों के लिए निःशुल्क भूमि देती है।

(iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के अनुपात के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाएगा। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

9.12 आवंटन : 2013-14 के दौरान 72.17 करोड़ रुपये के बजट आवंटन (सं.अ.) की तुलना में 72.17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.13 कार्य निष्पादन: वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आंन्ध्रप्रदेश, असम (बोडो क्षेत्रीय परिषद) ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों को 72.17 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। 2011-12 से 2013-14 के दौरान स्वीकृत आश्रम विद्यालयों और निर्मुक्त किए गए अनुदानों के ब्यौरे **अनुलग्नक : 9-ख** में दिए गए हैं।

9.14 छात्रावासों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की होती है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजाति के अग्रम स्कूलों में शौचालयों, स्नान घरों, जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है तथा इस उद्देश्य के लिए निर्माण लागत राज्य लो.नि.वि की अनुसूचित दरों के अनुसार होती है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा-योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
आश्रम विद्यालयों की स्थापना लड़कियों और लड़कों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के केवल टीएस पी क्षेत्रों में राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य सभी आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यो वित्त पोषण 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।															
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ					
										छात्रावासियों के लिए 380 रुपए से 1200 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 230 रु. से 550 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (1-4-2013 से अधिकतम आय 2.50 लाख रू प्रतिवर्ष)					
									प्रतिभा उन्नयन प्रति विद्यार्थी प्रति माह 19500/- रु. तक						
												उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सरकारी संस्थानों के लिए-पूरी ट्यूशन फीस और अप्रतिदेय देय राशियो। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 4.50 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते, यदि लागू हों।			

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
													राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना		
													अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 15400/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9900/- यू.के. पौंड+ अन्य भत्ते, यदि लागू हों।		
														राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति- 2 वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रति माह की दर से; वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 18000/- रुपए प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए।	
छात्रावासों का निर्माण समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए लड़कियों एवं लड़कों के छात्रावासों नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि जैसी मदों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।															
								मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति छात्रवासियों तथा दिवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ क्रमश: 350रु. तथा 150 रु. मासिक की दर से हैं तथा पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान क्रमश: 1000रु. तथा 750रु. वार्षिक की दर से है।							

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

9.15 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संशोधनों के साथ 1.7.2010 से संशोधित की गई है।

9.16 कार्य क्षेत्र : यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.4.2013 से 2.50 लाख रुपये अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

9.17 मुख्य विशेषताएं :

(i) छात्रों को जो पाठ्यक्रमों पर निर्भर करता है। अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/- रुपये प्रति मास से लेकर 1200/- रुपये प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(ii) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है।विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(iii) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(iv) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-1 के तहत शामिल किया गया है।

9.18 निधियन प्रतिमान :

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा सिक्किम राज्य सरकार को भी 2007-08 से छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

9.19 निष्पादन :

2013-14 के दौरान 748.50 करोड़ रुपये के बजट आबंटन की तुलना में 748.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान लाभार्थियों की राज्य वार कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक-9ग** में दी गई है।

पुस्तक बैंक

9.20 उद्देश्य : व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशत: महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

9.21 मुख्य विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर

छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं।

(i) पुस्तक बैंक योजना के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नातकोत्तर पाठयक्रमों और चार्टड एकाउंटेंसी को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की कलावधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	**डिग्री पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल	7,500/- रुपये
2	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपये
3	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपये
4	कृषि	4,500/-रुपये
5	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपये
II	**स्नातकोत्तर पाठयक्रम**	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/-रुपये (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	जैव-विज्ञान	

इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/ कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

9.22 निधियन प्रतिमान : यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

9.23 इस योजना का पीटीजी विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सहित चहुमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें। यह योजना पीएमएस की उस योजना के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित कर दिया गया था।

9.24 मुख्य विशेषताएं

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (अवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।

(ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक जारी रहती है।

(iii) कोचिंग भाषा, विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

(iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।

(v) वर्ष 2008-09 से 19,500 रु. का एक संशोधित पैकेज अनुदान प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।

(vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

9.25 आवंटन : 2013-14 के दौरान 1.50 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.03.2014 तक 0.06 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.26 निष्पादन : वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान लाभार्थियों की राज्य वार कवरेज तथा निर्मुक्त की राशि **अनुलग्नक-9घ** में दी गई है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना:

9.27 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने इनके रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसके प्रावधानों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013-14 से 2016-17) के दौरान क्रियान्वयन हेतू सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों (एनओएस) के संशोधित योजनाओं को अनुमोदित किया है।

9.28 कार्य क्षेत्र : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 17 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

9.29 मुख्य विशेषताएं

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों की कुल आय 2013-14 से 6 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। एम फिल या पीएचडी पाठयक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/ एम.फिल डिग्री कार्य में वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को 15,400 अमेरिकी डॉलर या 9900 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करके सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

9.30 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक ''यात्रा अनुदान'' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इस योजना इकानॉमी क्लास द्वारा भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध है।

9.31 निधियन प्रतिमान : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

9.32 आबंटन : 2013-14 के दौरान 0.98 करोड़ रुपये सं.अ. तथा 1 करोड़ रू. ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में 0.67 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.33 कार्य निष्पादन : वर्ष 2010-11 से 2011-12 के लिए एनओएस हेतु अवार्ड प्रदान करने के लिए 17 विद्यार्थियों का अनंतिम रूप से चयन किया गया है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) में एनओएस की प्राप्ति पर 9 विद्यार्थी विदेश गए। चयन वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 13 विद्यार्थी चयनित हुए हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ)

9.34 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना 2005-06 से शुरू की गई है।

9.35 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय / संस्थान कवर किए गए हैं। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:-

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम. फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच. डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम. फिल + पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

9.36 वित्तपोषण पद्धति : जेआरएफ एवं एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति दर, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं।

विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	16000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 18000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	18000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 20000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	10000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	12000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र
अंगरक्षण/वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से

9.37 मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना को कार्यान्वित करता है।

- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

9.38 आवंटन : चूंकि यूजीसी के पास बची हुई शेष राशि के रूप में पर्याप्त राशि उपलब्ध थी, वर्ष 2013-14 के दौरान कोई राशि, 10 करोड़ सं.अ. तथा 90 करोड़ ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में निर्मुक्त नहीं की गई।

9.39 कार्य निष्पादन: अपनी शुरूआत से 31.03.2014 तक 3335 विद्यार्थियों को आरजीएनएफ प्रदान की गई है।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

9.40 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 2007-08 से शुरू की गई है।

9.41 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 213 संस्थाएं हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रत्येक संस्थान को पांच अवार्ड आबंटित किए गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 625 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

9.42 मुख्य विशेषताएं

(i) 1.4.2013 से अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 4.50 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि, निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी।

(iii) इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2200 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी ।

(iv) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

9.43 आबंटन : वर्ष 2013-14 के दौरान योजना के तहत 9.50 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 9.50 करोड़ रुपये खर्च किए गये थे।

9.44 कार्य निष्पादन : 31.3.2014 तक 72 संस्थानों में 550 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा अध्येतावृति प्रदान की गई।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी)

9.45 उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत/आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व-नियोजित बनने में समर्थ बनाएगा। इस योजना को 1.4. 2009 से संशोधित किया गया है और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकार द्वारा स्वायत निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

9.46 कवरेज : योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कवर करती है। योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। यथासंभव न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी।

योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) को अधिकतम पांच ट्रेड प्रदान किए जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात एक ट्रेड के लिए कम से कम 20 उम्मीदवार होने चाहिएं। इसमें मासिक वजीफे और

प्रशिक्षणार्थी के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों/क्रम सुविधा पाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके;

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

9.47 निधियन प्रतिमान : इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

9.48 मुख्य विशेषताएं :

(क) योजना पीटीजी के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जाएगी तथा देश में कहीं भी शुरू की जा सकती है परन्तु प्राथमिकता विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद सुदूर जनजातीय क्षेत्रों और उग्रवादी गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाएगी।

(ख) योजना के अंतर्गत, आधुनिक ट्रेडों, जिनमें क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता हो, ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ग) यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। वीटीसी चलाने वाले संगठन अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को, उस क्षेत्र/राज्य जिससे वे संबंधित हैं, को ध्यान में रखे बिना, प्रवेश देंगे;

(घ) संबंधित संगठन (अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ गैर-सरकारी संगठन/अन्य संगठन आदि) की ओर से, तत्संबंधी क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध उद्योगों के प्रकार मौजूदा आर्थिक प्रवृति, बाजार संभाव्यता, लक्षित आबादी की शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करते हुए, ट्रेडों को प्रस्तावित करने से पूर्व, अग्रिम रूप से रोजगार संभाव्यता का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

(ङ) संगठन उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे, जो उम्मीदवारों को उन ट्रेडों में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

(च) संस्थान/संगठन (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान और गैर-सरकारी संगठन) जो पहले से ही इस मंत्रालय की सहायता से परियोजना चला रहे हैं और नए आवेदक संस्थान/संगठन भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से "मोड्यूलर एम्प्लोयेबल स्किल्स (एमईसी)" के अन्तर्गत अथवा रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के अन्तर्गत जो भी लागू हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर से "क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस)" जो भी लागू हो, के अन्तर्गत मान्यता/संबंधन/प्रत्यायन प्राप्त करेंगे/रखेंगे।

(छ) संगठन को स्थापना सेवाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्व-रोजगार में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए, संगठन वितीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस/ऋण का प्रबंध करेगा। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्लेसमेंट/ रोजगार की गारंटी देंगे।

(ज) यथासंभव, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी;

(झ) योजना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट सहायता के लिए पात्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य निजी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाएगा;

(ञ) सहायता-अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों को एक वर्ष में एक किस्त में दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों को दो किस्तों में दिया जाएगा;

(ट) इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों क्रम/सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके;

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। परिशिष्ट-। में दिए गए मानदण्डों के अनुसार दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

आवर्ती

(क) प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी 30,000/- रुपये में निम्निलिखित शामिल है :-

(i) प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 700/- रुपये वजीफा।

(ii) उपकरणों को प्राप्त करने, कच्चे माल आदि के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 1600/- रुपये।

(iii) प्राध्यापक वर्ग/सहायक स्टाफ आदि को मासिक मानदेय।

(iv) प्रशिक्षार्थियों के छात्रावास/आवास, बिजली तथा जल प्रभार आदि।

(ख) किराए के मकान के संबंध में, वास्तविक के अनुसार उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त वार्षिक किराया स्वीकार्य होगा और उच्चतम सीमा प्रति माह 10,000/- रुपये होगी। यह राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा **किराया आकलन प्रमाणपत्र** के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा। यदि मकान का स्वामित्व/संगठन द्वारा रखा जाता है तो मात्र 10% किराया मूल्य (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित) स्वीकार्य होगा, प्रति वर्ष रखरखाव प्रभार प्रदान किया जायेगा।

अनावर्ती

पांच वर्ष में एक बार प्रति ट्रेड 0.48 लाख रुपये की दर से पांच ट्रेडों के लिए 2.40 लाख रुपये।

9.49 आवंटन : 2013-14 के दौरान राज्यों के लिए 7.62 करोड़ रुपये सं.अ. तथा 6 करोड़ रू. ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में 6.11 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई थी। (राज्यों के लिए 7.62 करोड़ रुपये तथा एनजीओं के लिए 3.00 करोड़ रुपये)

9.50 कार्य निष्पादन : वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरे **अनुलग्नक-9 (ङ)** में दिये गये हैं।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

9.51 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य :- (i) कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता-पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने की दर (ड्रोप आउट) की घटना, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, को कम से कम किया जा सके, तथा (ii) कक्षा 9 तथा 10 के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता में सुधार हो ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें वेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

9.52 कवरेज : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यमों से कार्यान्वित की जाती है जिन्हें इस योजना के तहत उनकी प्रतिबद्ध देयता के अलावा व्यय के लिए भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

9.53 मुख्य विशेषताएं :

- यह एक केन्द्रिय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।
- छात्रवृत्तियाँ केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलब्ध हैं।
- राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जहाँ से आवेदक वास्तव में सम्बधित है, छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक पूर्व की कक्षा 9 तथा 10 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सहभागिता में सुधार करना है ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और उन्हें शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रगति के बेहतर मौके प्राप्त हो सेकें।

9.54 पात्रता :

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि पोषित किसी अन्य मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त कर रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार या केन्द्रीय/ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्ण कालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

9.55 लाभ :

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्र के लिए 750रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000रु. वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी विकलांगता के आयामों के आधार पर 160 रु. से 240 रु. के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्ति अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा 10 के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

9.56 आवंटन : वर्ष 2013-14 के दौरान 212.19 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 219.43 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

9.57 कार्य निष्पादन : 31.03.2014 तक राज्यवार निर्मुक्त निधिया तथा लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक 9-च** में दी गई है।

9.58 जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना

शिक्षा को व्यक्तिगत परिवारों और सामाजिक स्तर दोनों पर विकास की रीढ़ समझा जाता है। किन्तु जनजातीय बच्चों को शिक्षित करना सरकार के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और प्रशासनिक कारणों से एक चुनौती रहा है। अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सरकार की पहलों और प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता हमेशा कम रही है और महिला साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में कम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के अधिदेश के साथ शिक्षा योजनाओं को पुन: तैयार कर रहा है, जिसमें विद्यमान स्कीमों को अंब्रैला योजना के तहत विलयित और जोड़ा जा रहा है। विद्यमान स्कीमों का विलय और पुनर्गठन हस्तक्षेपों के दायरे और लचीलेपन को बढाएगा यह अपेक्षित है जो अभी प्रत्येक एकाकी स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है। यह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उन्नयन के प्रयास में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए विकल्पों का कैफेटोरिया पद्धति उपलब्ध कराएगा। शिक्षा को पुन:संगठित करने का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराना है और छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। इसे छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के साथ लाइन मंत्रालय की स्कीमों के सम्मिलन के माध्यम से और सीखने की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए तकनीकी उपकरणों के माध्यम से भी प्राप्त किया जाना है। अंब्रैला योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के शिक्षा प्रभाग की निम्नलिखित विद्यमान स्कीमों को समाहित करेगी:

(i) आश्रम विद्यालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण ।

(ii) छात्रवासों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।

(iii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(iv) दसवीं पूर्व छात्रवृत्तियां।

(v) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।

अनुलग्नक:9-क

2011-12 से 2013-14 तक अनुसूचित जनजातियों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत स्वीकृत छात्रावासों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	आंध्र प्रदेश	418.30	13	1300	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1201.64	15	790	279.81	बकाया	0	846.7281	बकाया	0
3	गुजरात	0	0	0	187.06	बकाया	0	939.33	बकाया	0
4	हिमाचल प्रदेश	223.00	1	125	0	0	0	0	0	0
5	झारखंड	716.00	33	1850	0	0	0	0	0	0
6	कर्नाटक	283.99	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
7	केरल	250.00	4	260	0	0	0	553.45	4	280
8	मध्य प्रदेश	1223.43	200	1000	2291.57	30	1680	0	0	0
9	मिजोरम	392.33	2	200	0	0	0	2289.435	8	440
10	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	810.945	5	500
11	ओडिशा	0	0	0	1697.50	बकाया	0	0	0	0
12	राजस्थान	1000.00	बकाया	0	1500.00	बकाया	0	2646.87	17	850
13	सिक्किम	0	0	0	460.29	3	425	0	0	0
14	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	112.73	बकाया	0
15	त्रिपुरा	1553.83	11	550	883.77	बकाया	0	1906.011	10	750
16	उत्तराखंड	37.48	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
17	वीर नरमाद दक्षिण विश्वविद्यालय गुजरात, सूरत, गुजरात	0	0	0	62.92	बकाया	0	0	0	0
18	मिजोरम विश्वविद्यालय	182.00	1	100	437.08	1	100	0	0	0
19	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिर्वसिटी, बैंगलोर (कर्नाटक)	100.00	1	19	0	0	0	0	0	0
20	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	218.00	3	110	0	0	0	0	0	0
	कुल	**7800.00**	**94**	**6304**	**7800.00**	**34**	**2205**	**10105.50**	**44**	**2820**

अनुलग्नक:9-ख

2011-12 से 2013-14 तक जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत स्वीकृत आश्रम विद्यालयों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

क्र.स	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		
		राशि	विद्यालय	सीट	राशि	विद्यालय	सीट	राशि	विद्यालय	सीट
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	988.49	27	2700	371.88	Arrear	0
2	असम	0	0	0	0	0	0	749.60	1	640
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	530.36	12	600	0	0	0
4	गोवा	0	0	0	300.00	1	500	0	0	0
5	गुजरात	1500	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
6	केरल	0	0	0	1025.02	बकाया	0	0	0	0
7	मध्य प्रदेश	2815.11	40	2000	0	0	0	0	0	0
8	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	2474.63	8	3700
9	ओडिशा	2550	30	7500	2458.90	बकाया	0	2091.10	15	4500
10	राजस्थान	634.89	9	900	0	0	0	0	0	0
11	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	575.28	1	420
12	त्रिपुरा	0	0	0	797.23	बकाया	0	954.52	5	1000
	कुल	**7500**	**79**	**10400**	**6100.00**	**40**	**3800**	**7217.00000**	**30**	**10260**

अनुलग्नक:9-ग

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निमुर्क्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16697.74	252296	19438.70	229360	4895.17	229360
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	633.00	5800	1366.85	630
3	असम	4210.81	97699	4537.69	96755	4756.81	102800
4	बिहार	298.42	2716	90.00	3270	23.00	6463
5	छत्तीसगढ़	4034.11	108635	3150.31	122597	1341.47	106231
6	गोवा	26.77	1332	8.00	0	2.00	1332
7	गुजरात	8482.59	178301	2460.71	173877	7138.58	218570
8	हिमाचल प्रदेश	1141.84	4608	948.52	7072	282.83	5189
9	जम्मू और कश्मीर	733.48	14930	710.06	10322	177.00	18700
10	झारखंड	3374.06	61454	1344.21	53032	3267.40	72878
11	कर्नाटक	6149.11	99452	2522.75	109397	3340.76	132376
12	केरल	957.08	12287	329.45	12488	625.53	12705
13	मध्य प्रदेश	4591.67	158136	9542.45	178581	5276.71	192437
14	महाराष्ट्र	8820.42	150562	4604.38	192961	11996.04	178146
15	मणिपुर	4742.29	51905	4243.64	57096	6111.01	53965
16	मेघालय	2752.38	70521	1753.42	77569	3438.00	79011
17	मिजोरम	3732.93	45291	3546.61	54349	5393.89	56873
18	नागालैंड	2813.71	36057	2191.09	37861	2626.19	39867
19	ओडिशा	1809.47	72669	5405.95	69605	3459.87	89115
20	राजस्थान	6031.54	215059	2142.99	236565	2216.02	288020
21	सिक्किम	198.00	2580	414.15	3111	845.49	2643
22	तमिलनाडु	78.91	4539	178.66	3941	1436.02	11092
23	त्रिपुरा	1358.95	34205	1036.47	15705	1390.99	24270
24	उत्तर प्रदेश	755.72	7850	227.00	7278	56.00	7500
25	उत्तराखंड	702.78	25058	657.98	27566	1086.50	24812
26	पश्चिम बंगाल	2045.22	66867	949.16	80881	2277.63	79230
27	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10.00	28	3.00	28	0.75	28
28	दमन और दीव	14.76	203	4.00	0	10.90	320
	कुल	**86564.76**	**1775240**	**73074.35**	**1867067**	**74839.41**	**2034563**

अनुलग्नकः9-घ

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16.38	84	0	0	0	0
2	छत्तीसगढ़	54.60	140	17.70	140	0	0
3	गुजरात	17.60	92	0	0	0	0
4	हिमाचल प्रदेश	0.39	2	0.39	2	0	0
5	मध्य प्रदेश	92.88	516	0	0	0	0
6	राजस्थान	1.74	30	7.18	39	0	0
7	सिक्किम	3.12	16	3.12	16	3.12	16
8	त्रिपुरा	3.12	16	3.12	16	3.12	16
9	पश्चिम बंगाल	7.23	72	0	0	0	0
	कुल	**197.06**	**968**	**31.51**	**213**	**6.24**	**32**

अनुलग्नक:9-ङ

2011-12 से 2013-14 तक जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		
		राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या	राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या	राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	113.02	8	800	0.00	0	0	0	0	0
2	असम	0.00	0	0	89.00	10	1000	390.51	11	2000
3	छत्तीसगढ़	107.86	11	477	0.00	0	0	0	0	0
4	गुजरात	228.96	0	Arrear	0.00	0	0	0	0	0
5	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
6	मध्य प्रदेश	50.16	10	1000	88.00	10	587	150.74	arrear	0
7	मेघालय	100.00	9	700	0.00	0	0	0	0	0
8	मिजोरम	0.00	0	0	88.00	5	500	69.68	arrear	0
9	सिक्किम	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
10	त्रिपुरा	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	कुल	**600.00**	**38**	**2977**	**265.00**	**25**	**2087**	**610.92693**	**11**	**2000**

अनुलग्नक:9-च

2011-12 से 2013-14 तक अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

		2012-13		2013-14	
क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि / लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	500.00	161608	0.00	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	218.44	29143
3	असम	90.00	11400	211.88	12255
4	बिहार	0.00	0	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	593.00	267910	0.00	0
6	गोवा	0.00	0	14.00	1728
7	गुजरात	500.00	246604	2835.28	265168
8	हिमाचल प्रदेश	20.00	9586	45.73	2124
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0.00	0
10	झारखंड	1472.00	119936	0.00	0
11	कर्नाटक	260.00	132653	3320.05	84680
12	केरल	57.00	13402	0.00	0
13	मध्य प्रदेश	3400.00	387596	0.00	0
14	महाराष्ट्र	251.00	228894	0.00	0
15	मणिपुर	100.00	27112	729.70	27112
16	मेघालय	15.00	4380	296.76	10707
17	मिजोरम	70.00	8760	123.19	3283
18	नागालैंड	0.00	0	0.00	0
19	ओडिशा	3128.00	204958	5601.08	221709
20	राजस्थान	0.00	0	4792.55	1267802
21	सिक्किम	4.00	800	0.00	0
22	तमिलनाडु	26.00	6487	0.00	0
23	त्रिपुरा	340.00	40861	674.33	65690
24	उत्तर प्रदेश	28.00	7485	0.00	0
25	उत्तराखंड	26.00	13183	460.20	12255
26	पश्चिम बंगाल	260.00	114000	2620.00	119856
27	दादर और नगर हवेली	33.00	4530	0.00	0
28	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0
29	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0
	कुल योग	**11173.00**	**2012145**	**21943.19**	**2123512**

अध्याय 10
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड)

10.1.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है। *इसकी स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी।*

10.1.2 ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन विकास तथा सेवा प्रदाता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड एक क्षमता निर्माता के तौर पर भी कार्य करता है जिसमें यह अनुसूचित जनजातीय-शिल्पियों एवं एमएफपी-एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.1.3 ट्राइफेड की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। ट्राइफेड की प्रदत्त शेयर पूंजी 100.56 करोड़ रुपये है। ट्राइफेड के 29 सदस्य (शेयर-धारक) हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ट्राइफेड का अकेला सबसे बड़ा शेयर-धारक है।

10.2 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : *"जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास"*

10.2.1 मंत्रालय 'जनजातीय उत्पादकों के बाजार विकास' की योजना के तहत ट्राइफेड को निम्नलिखित चार मुख्य गतिविधियां करने के लिए सहायता अनुदान देता है:

(i) विपणन विकास संबंधी गतिविधियां;

(ii) जनजातीय एमएफपी संग्रहकर्ता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

(iii) जनजातीय कारीगर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

(iv) अनुसंधान और विकास;

10.2.2 इस योजना के लिए 12वीं योजना में 186.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्ष 2013-14 के लिए बजट आवंटन 34.31 करोड़ रुपये था।

10.3.2 विपणन विकास कार्यकलाप

ट्राइफेड देश भर में अपने फुटकर बाजार नेटवर्क 'ट्राइब्स इंडिया' द्वारा जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों की 1412. 93 लाख रुपये की बिक्री की है। विपणन विकास कार्यकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- ट्राइफेड ने अपनी 38 ''ट्राइब्स इंडिया'' बिक्री केन्द्रों और परेषण के आधार पर 6 बिक्री केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित की है और 19 राज्यों के 29 शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।
- ट्राइफेड ने भारत में 100 से अधिक प्रमुख प्रदर्शनियों और विदेश में बर्लिन (जर्मनी) और मिलान (इटली) में दो प्रदर्शनियों में भाग लिया है।
- ट्राइफेड ने गोवा, पुणे, चेन्नई, इंदौर, देहरादून, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, दार्जिलिंग, कोलकाता, बंगलोर, जयपुर तथा हैदराबाद में जनजातीय चित्रकारी की 17 ''आदिशिल्प'' प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं।
- ट्राइफेड ने 1-11 नवंबर, 2013 से दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली और 06-15 दिसंबर, 2013 से गौहर महल, भोपाल में जनजातीय कला और शिल्प की दो ''आदिशिल्प'' प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।
- ट्राइफेड ने 1049.62 लाख रु. मूल्य के जनजातीय उत्पाद खरीदे हैं।

- ट्राइफेड ने 1200 वैयक्तिक/एसएचजी/सहकारी समितियां/एनजीओ/राज्य सरकार के संगठनों आदि के आपूर्तिकर्ताओं के पैनल पर बनाए रखा जो लगभग 59180 जनजातीय परिवारों से संबद्ध हैं।

10.3.3 जनजातीय लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्त्ताओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

शहद संग्रहकर्त्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम:

इस कार्यकलाप का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल रुप में शहद निकालने के लिए जनजातीय शहद संग्रहकर्त्ता के कौशल में सुधार करना है ताकि वे शहद की बेहतर गुणवता और मात्रा प्राप्त कर सकें जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। वर्ष 2013-14 के दौरान 720 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था और तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए गए थे।

लाख विकास की गतिविधि:

इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य कृषि के मंदी काल के दौरान लाख की खेती संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर लाख पैदा करने वालों की आय में सुधार करना है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, ब्रुड लाख झारखण्ड/पश्चिम बंगाल राज्य में 472 लाभार्थियों को वितरित की गई थी।

महुआ के फूल के विकास की गतिविधि:

इस कार्यकलाप का उद्देश्य जनजातीय समूहों के माध्यम से महुआ के फूलों के व्यापार को सुकर बनाना है। महुआ के फूलों का व्यापार इस समय निजी व्यापारियों के हाथ में है जो इन्हें खरीद के समय और मंदी काल के दौरान जनजातियों को बिक्री के समय में उनका सामान्यत: शोषण करते हैं। इस कार्यकलाप के तहत ट्राइफेड प्रशिक्षण, संग्रह और भंडारण उपस्कर प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में 720 लाभार्थियों को एसएचजी के माध्यम से महुआ के फूलों के संग्रहण, भंडारण और निगमन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

दोना पत्तल बनाने संबंधी कार्यकलाप:

इस कार्यकलाप का उद्देश्य मोल्डिंग व स्टिचिंग मशीनों का प्रयोग करके दोना पत्तल बनाने के लिए जनजातियों के कौशल का विकास करना है। ट्राइफेड परियोजना के तहत जनजातीय एसएचजी को प्रशिक्षण और मशीनें प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ओडिशा और आंध्रप्रदेश राज्य में दोना पत्तल बनाने के कार्यकलाप करने के लिए 210 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

पहाड़ी घास से झाड़ू बनाने की गतिविधि:

इस कार्यकलाप का उद्देश्य उनकी आजीविका में वृद्धि करने के लिए बाजार मांग के आधार पर मूल्य संबंधित झाड़ू बनाने के लिए उनके कौशल का विकास और उन्नयन करने के लिए जनजाति ''पहाड़ी घास'' संग्रहकर्त्ताओं के कौशल का विकास करना है। वर्ष के दौरान, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और सिक्किम राज्यों में 450 जनजातीय लाभार्थियों को मूल्य संबंधित झाड़ुओं के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया गया था जिसके लिए इन्हें टूल किट्स भी वितरित की गई थीं।

चुनिंदा एमएफपी में प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वर्ष के दौरान, एमएफपी वस्तुओं के मूल्य संवर्धन के लिए आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 450 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आंवले के लिए राजस्थान में 120 लाभार्थियों और इमली के मूल्य संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश में 330 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

सूक्ष्मता कृषि प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण:

वर्ष के दौरान औषधीय जड़ी-बूटियों और अन्य संबद्ध कृषि कार्यकलापों में सूक्ष्मता कृषि प्रौद्योगिकी पर तमिलनाडु के 100 जनजातीय लाभार्थियों के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण देने वलों का प्रशिक्षण (टीओटी):

विभिन्न एमएफपी के लिए प्रशिक्षण देने वालों को (टीओटी) का नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013-14 में शुरु किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न एमएफपी पर प्रशिक्षकों को अनुकूल बनाना है। महुआ के फूलों के संग्रह की शेष पद्धतियों पर महाराष्ट्र राज्य में 10 व्यक्तियों और लाख कार्यकलाप के लिए झारखण्ड में 31 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य:

देश के जनजातीय और वन निवासियों के लिए भारत सरकार द्वारा ''न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी

के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" नामक एक नई योजना शुरु की गई है। यह योजना एमएफपी संग्रहकर्त्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करने, यह योजना इनके आय के स्तर में वृद्धि करने और एमएफपी की निरंतर खेती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरु की गई है। एमएसपी योजना का उद्देश्य संशोधन आधार की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, इनके द्वारा एकत्रित उत्पाद के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने, विशिष्ट मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। एमएफपी व्यापार के विकास के लिए यह एक समग्र योजना है जिसमें प्रारंभ में गैर-राष्ट्रीकृत/गैर-एकाधिकारकृत एमएफपी को कवर किया जाएगा। 12 मुख्य चिह्नित एमएफपी हैं, नामत: 1. तेंदू, 2. बांस, 3. महुआ के बीज, 4. साल के पत्ते, 5. साल के बीज, 6. लाख, 7. चिरौंजी, 8. जंगली शहद, 9. हरीतकी, 10. इमली, 11. गोंद, (गोंद कराया) तथा 12. करंज जो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखण्ड, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात 8 पेसा राज्यों के 102 जिलों में शुरु की जाएगी।

योजना में विभिन्न मंझोले और दीर्घकालीन पहलुओं, बाजार अवसंरचना विकास, एमएफपी के जानकारी आधारित निस्तार, बाजार सतर्कता विकास इत्यादि के पहलुओं का प्रावधान है। योजना के कार्यान्वयन के दौरान ग्राम सभाओं और पंचायतों के मोलभाव शक्ति के सुदृढ़ीकरण और आवेष्टन को भी देखा जाएगा और इसका ध्यान रखा जाएगा। भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के कार्य से पूंजी आवश्यकताओं के भाग के लिए वित्तीय सहायता दी है और यदि कोई हानियां होती हैं तो उन्हें भी राज्य सरकारों के साथ 75:25 के अनुपात में बांटने की पेशकश की है। 2013-14 से 2016-2017 के दौरान 12वीं योजना अवधि के लिए योजना के लिए कुल परिव्यय के रुप में केन्द्र का हिस्सा 967 करोड़ रु. है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय के रुप में नामजद किया गया है जो ट्राइफेड के तकनीकी सहायता के साथ चुनिंदा एमएफपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करेगा। ट्राइफेड राज्य स्तरीय कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करेगा। राज्य नामजद एजेंसियां पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जमीनी स्तर पर अधिसूचित खरीद केन्द्र हाटों पर (वैयक्तिक या सामूहिक रुप में) एमएफपी संग्रहकर्ताओं से सीधे ही अनुसूचित एमएफपी की खरीद करेगी और एमएफपी संग्रहकर्त्ताओं को उसी समय पूर्ण और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। संपूर्ण परिचालन योजना के प्रावधानों के कारगर कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला समाहर्त्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों द्वारा निगरानी की जाएगा।

ट्राइफेड की भूमिका:

एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रुप में ट्राइफेड से योजना के सहज कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलापों को करने की आशा की जाती है। अपनी जिम्मेदारियों के हिस्से के रुप में, ट्राइफेड ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:-

ट्राइफेड ने सितंबर, 2013 में एमएफपी मूल्य प्रकोष्ठ के गठन को अधिसूचित किया है। विभिन्न एमएफपी के एमएसपी के निर्धारण के लिए तीन मूल्य प्रकोष्ठ बैठकें आयोजित की हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मूल्य प्रकोष्ठ की सिफारिश के आधार पर, योजना के तहत निम्नलिखित 10 एमएफपी मदों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एमएसपी की घोषणा की गई है:

1. इमली	22/- रु. प्रति किलो
2. शहद	132/- रु. प्रति किलो
3. गोंद कराया	108/- रु. प्रति किलो
4. करंज के बीज	21/- रु. प्रति किलो
5. साल के बीज	10/- रु. प्रति किलो
6. महुआ के बीज	22/- रु. प्रति किलो
7. साल के पत्ते	21/- रु. प्रति किलो
8. बीज सहित चिरौंजी की फली	100/- रु. प्रति किलो
9. हरीतिका	11/- रु. प्रति किलो
10. लाख	
1. रंगिनी	210/- रु. प्रति किलो
2. कुसुमी	290/- प्रति किलो

ख. खरीद और बिक्री के लिए परिचालानात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रुप दे दिया गया है और इन्हें कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों को परिचालित कर दिया गया है।

10.3.4 जनजातीय कारीगरों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

वर्ष 2013-14 के दौरान, ट्राइफेड ने महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, असम, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और ओडिशा जैसे 15 राज्यों में 391 लाभार्थियों के लिए 16 शिल्पों में 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। प्रशिक्षण में शिल्पों की श्रेणियां यह हैं: वार्ली पेन्टिग, जूट शिल्पकारी, गोंड पेन्टिग, सूती कॉरपेट, राभा मोटिफ के साथ हथकरघा, कोट्टा पोट्री, नारियल की जटा तथा पलाटेन फाइबर से हस्त शिल्प की वस्तुऐं, ऊनी कपड़ों की बुनाई, ध्रुवा पेन्टिग, बाघ डिजाइन में वस्त्रों की प्रिन्टिग, मोमबत्ती बनाना, हाथ से कागज बनाना, लाख शिल्प आदि हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ट्राइफेड ने अब तक 12 राज्यों में 15 जनजातीय कारीगर मेले आयोजित किए हैं (टीएएम) जिसमें 483 कारीगरों ने भाग लिया। उपर्युक्त मेलों में, ट्राइफेड द्वारा भविष्य में प्राप्त करने के लिए 15 शिल्पों को चिह्नित किया गया था, 175 कारीगर को चिह्नित किया गया था और नए आपूर्तिकर्त्ता के रुप में सूचीबद्ध किया गया था और बाजार सर्वेक्षण के लिए 2.60 लाख रु. मूल्य के नमूने खरीदे गए थे।

10.3.5 अनुसंधान और विकास कार्यकलाप:

ट्राइफेड अनुसंधान और विकास कार्यकलाप करके विभिन्न अनुसंधान संस्थान की कई एनटीएफपी पर प्रायोजित अनुसंधान परियोजना कर रहा है। अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य नवीकृत उत्पाद (उत्पादों)प्रक्रियाओं का पता लगाना है ताकि इससे लघु वन उत्पाद के मूल्य और जनजातियों की आजीविका में वृद्धि की जा सके। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, आरएंडडी प्रभाग द्वारा निम्नलिखित एनसाइनमेंट किए गए हैं। प्रगति के चरणों के आधार पर परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक परियोजना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

1. सफलतापूर्वक पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं:

क. इंस्टीच्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मिटीरयल्स टेक्नोलौजी (आईएमएमटी), भुवनेश्वर द्वारा गुणवत्तापरक लघु वन उत्पादों के उत्पादन के लिए कटाई के बाद की एकीकृत प्रौद्योगिकी का विकास। अनुसंधान अध्ययन के परिण ामस्वरुप कम लागत का संकर ड्रायर का विकास किया है। जो लघु वन उत्पाद के भंडारण की अवधि में वृद्धि के लिए लाभकारी हो सकता है। ड्रायर का सफलतापूर्वक प्रदर्शन अप्रैल, 2013 में किया गया था। इस जानकारी को संकर ड्रायर के अधिस्थापन के लिए राज्य परिसंघों/एजेंसियों के साथ बांटा जाएगा।

ख. जेयूआईटी, सोलन द्वारा महुआ के फूलों से पोषकपेय का उत्पादन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी के साथ संयुक्त रुप से): एक ब्लेंडिड महुआ गोवा वाइन विकसित की गई है जिसमे संवृद्धित सुंगध और एंटीऑक्सीटेड हैं। जेयूआईटी द्वारा विकसित प्रक्रिया का मानकीकरण और विकसित वाईन और संवेदित मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

ग. बेल फल से स्वास्थ्य उत्पादों को तैयार करना : सीएफटीआरआई, मैसूर द्वारा एनटी-अल्सर, एंटी-डायबेटिक और एंटी-कैंसर पोटेंशियल्स का मूल्यांकन: परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उत्पाद की विपणनन जांच के लिए 1000 किलोग्राम बेल फल को बेल रस में परिवर्तित करने के लिए सीएफटीआरआई को आपूर्ति की गई थी। बेल फल को दो उत्पादों में प्रसंस्कृत किया गया था- 1. चीनी सहित बेल रस और 2. चीनी रहित बेल रस। उत्पाद को उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकीकृत प्रक्रिया को राज्य एजेंसियों के साथ बांटा जाएगा।

2. लघु वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर चल रही अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:

क. बीआईटी, मेसरा द्वारा कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इमली के बीजों, साल तेल और करंज तेल से न्यूट्रासियूटिकल और कासमासियूटिकल: यह परियोजना मार्च, 2013 में शुरु की गई थी। प्रमुख अनुसंधानकर्त्ता ने करंज तेल के प्रसंस्करण द्वारा कोल्ड क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, लिक्विड साबुन और सेलवग क्रीम विकसित की है और इमली के बीजों के डाइटरी फाइवर से खाद्य जैली भी तैयार किया है। परियोजना अपने दूसरे वर्ष में चल रही है जिसके दौरान प्रक्रियाओं को इष्टतम और मानकीकृत किया जाएगा। आईआईटी, दिल्ली द्वारा महुआ के फूलों से पोषक पेय का उत्पादन (जेयूआईटी, सोलन के साथ संयुक्त रुप से) विकसित उत्पाद के मानकीकरण के लिए, आईएस 7058 विशिष्टि

के अनुसार 20 लीटर गोवा-महुआ की वाइन तैयार करने के लिए एक असाइन्मेंट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को दिया गया है।

नई पहलें:

विपणन विकास गतिविधियां:

- जनजातीय कलाकारों की अधिकतम संख्या को शामिल करने के उद्देश्य से नए कलाकारों और शिल्पों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।
- शीघ्र निर्णय लेने और लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिए बेहतर समझ और स्पष्टता के लिए खरीद और मूल्य निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
- बिक्री के समर्थन के लिए पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए दिशानिर्देशों को सरल और कारगर बनाया गया है।
- डीसी (एच) से वित्तीय सहायता के साथ विपणन विकास गतिविधि के लिए परियोजनाएं शुरु की जा रही हैं।
- ट्राइफेड के ई-कॉमर्स पोर्टल को शुरु किया गया है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम को नया रुप देना और पहुंच का विस्तार:

- मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा के पश्चात, प्रशिक्षण मोड्यूल्स को संशोधित किया गया है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता और उपयोगिता में सधार करने के अंतिम उद्देश्य के साथ इसे एकीकृत और आवश्यकता आधारित बनाया जा सके।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम अब आगे तथा पीछे के लिंकेज के पूर्ण सप्तक को कवर करते हैं।
- निम्नलिखित 9 गैर-टिम्बर वन उत्पाद (एनटीएफपी) के लिए व्यापक प्रशिक्षण मोडयूल्स विकसित किए गए थे:

  1.इमली

  2.शहद

  3.लाख की खेती

  4.महुआ के फूल

  5.दोना पत्तल

  6.पहाड़ी घास

  7.आंवला

  8.पेड़ की छाल से तेलहन

  9.कृषि आधारित वस्तुएं
- अब तक प्रदान किए गए प्रशिक्षणों के दोहराव/अतिव्याप्ति और मूल्यांकन को रोकने के लिए और पुराने प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए अधिक वैज्ञानिक रुप में लाभार्थियों के डाटा के लिए डिजिटाइजेशन हेतु उपाय किए गए हैं।
- अन्य एजेंसियों के साथ अभिसरण।
- केनरा बैंक समग्र भारत में स्थित अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, ट्राइफेड द्वारा चिह्नित 1500 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण देने पर सहमत है:
  - दक्षिणी क्षेत्र (आरओ, बंगलोर) 400
  - पूर्वोत्तर (आरओ, गुवाहाटी) 150
  - मध्यप्रदेश (आरओ, भोपाल) 300
  - छत्तीसगढ़ (आरओ, जगदालपुर) 200
  - ओडिशा (आरओ, भुवनेश्वर) 300
  - राजस्थान (आरओ, जयपुर) 50
  - गुजरात (आरओ, जयपुर) 50
  - झारखण्ड (आरओ, रांची) 50
- अब तक 60 लाभार्थियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर के तहत 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपने सीएसआर फ्रेमवर्क में जनजातियों के प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए संबद्ध किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ विचार-विमर्श शुरु किया गया है जिसमें परस्पर

सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया था अर्थात पहले से कार्यान्वित/कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करना एनएसडीसी को अपने प्रशिक्षण साझेदारों को प्रोत्साहित करना ताकि अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रुप में एमएफपी प्रशिक्षण को शामिल किया जा सके है।

10.4 "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) प्रचालनों हेतु राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) आदि को सहायता अनुदान" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

10.4.1 अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश वन क्षेत्रों में रहती हैं, जो अपनी आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों जैसे इमली, शहद, साल पत्तियां, तेंदू पत्ता, महुआ के फूल, महुआ के बीज इत्यादि पर निर्भर हैं। अधिकांश एमएफपी मदें मौसमी हैं तथा ये जल्दी नष्ट हो जाने वाली चीजें भी हैं।

10.4.2 जनजातियाँ अपने स्वयं के उपभोग/उपयोग के साथ-साथ बिक्री के लिए एमएफपी का संग्रहण करती हैं। जनजातियाँ अपने पास उपलब्ध एमएफपी के स्टॉक को अपने नजदीकी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजारों में कम नकद मूल्य या वस्तु विनिमय करके बेच देती हैं। जनजातियाँ सामान्यत: इन उत्पादों के कहीं और बाजारी कीमत से अनजान होते हैं तथा बाहरी बाजारों से उनका सीधा संबंध, सामूहिक मोल-भाव की शक्ति का अभाव तथा मौसमी एवं नष्ट होने वाले सामान की भण्डारण क्षमता न होने के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में बेइमान दलालों और व्यापारियों द्वारा गरीब जनजातीय लोगों का शोषण होता है और उन्हें अपने लघु वन उत्पादों का अच्छा मूल्य नहीं मिलता है।

10.4.3 जनजातीय लोगों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों ने चयनित मुख्य एमएफपी का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तथा जनजातीय लोगों को उनके एमएफपी का उचित मूल्य देते हुए इसे खरीदने के अधिदेश के साथ राज्य स्तरीय सरकारी संगठन (जैसे राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी), वन विकास निगम (एफडीसी) इत्यादि) भी स्थापित किए हैं।

10.4.4 एमएफपी के प्रचालन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा इन राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता करने के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) इत्यादि को सहायता अनुदान की शुरूआत वर्ष 1992-93 में की गई थी। इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से इन संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है :-

(1) यदि आवश्यक हो, प्रचालन हानि को कम करते हुए संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करना;

(2) जहां आवश्यक हो, वैज्ञानिक भंडारणगृह सुविधाओं की स्थापना करना;

(3) जनजातियों के लिए लघु वन उत्पादों पर अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके मूल्य संवर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करना;

(4) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों/ प्रयासों में सहायता करना।

10.4.5 वर्ष 2013-14 के लिए बजट आवंटन 20.00 करोड़ रुपए था तथा संशोधित अनुमान 10.00 करोड़ था। योजना के तहत सम्पूर्ण राशि (10.00 करोड़ रुपये) विभिन्न राज्य सरकारों को अभिज्ञात एसटीडीसीसी के लिए संवितरित कर दी गई है।

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के तहत अब तक की गई राज्यवार निर्मुक्तियों का ब्यौरा **अनुलग्नक: 10** में दिया गया है।

अनुलग्नक : 10

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान 'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' की योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.स.	राज्य	वर्ष		
		2011.12	2012.13	2013.14
1	आंध्र प्रदेश	194.00	264.00	120.00
2	छत्तीसगढ	200.00	189.00	--
3	गुजरात	150.00	160.00	177.00
4	हिमाचल प्रदेश	10.00	7.00	--
5	केरल	14.00	--	6.00
6	मध्य प्रदेश	472.00	--	--
7	महाराष्ट्र	330.72	245.00	67.07
8	मेघालय	77.00	--	106.00
9	ओडिशा	315.00	233.00	193.00
10	राजस्थान	29.28	--	--
11	त्रिपुरा	38.00	52.00	54.00
12	पश्चिम बंगाल	170.00	126.00	231.93
13	मिजोरम	-	24.00	45.00
	कुल	**2000.00**	**1300.00**	**1000.00**

अध्याय 11

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.)/ गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका

11.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम अनुसूचित जनजाति के लोगों तक पहुंचे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को सरकार की अपेक्षा ज्यादा कुशलता से और उद्देश्य परकता से क्रियान्वित करने और निरंतरता बनाए रखने की बेहतर स्थिति में होते हैं। इसका श्रेय मुख्य रूप से अत्याधिक कर्मठ और समर्पित मानव संसाधनों को जाता है। जो स्वैच्छिक संगठनों के पास है।

11.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

11.3 गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित स्कीम पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति" का गठन किया गया है। यह बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका

(क) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसके प्रतिनिधि;
- (ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;
- (iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;
- (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/ राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;
- (v) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग: सदस्य सचिव या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान।

(ख) राज्य समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक वित्त

वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।

(ग) राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

(घ) प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :

(i) सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही है;

(ii) सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;

(iii) परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;

(iv) आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;

(v) कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(vi) लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिएं;

(vii) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, निगरानी इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;

(viii) प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;

(ix) ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता परक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;

(x) नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

11.4 स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए): मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पता लगाएं जो अपनी नि:स्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" की श्रेणी में रखा है। ये संगठन निम्नानुसार हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।

10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।

11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।

12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।

13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।

14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

11.5 मंत्रालय की चार चल रही योजनाएं हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार शामिल है, हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
2. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। (पीटीजी) (एनजीओ घटक)

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार शामिल है, हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

11.6 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजना 1953-54 में आरंभ की गई थी तथा यह योजना जारी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा अवसंरचना योजनाओं में सुधार के लिए एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन योजना के साथ मिला दिया गया था तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और अवसंरचना में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन सहित अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की अम्ब्रेला योजना तैयार की गई थी। इस योजना को वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 में संशोधित किया गया है। संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। संशोधित आवेदन पत्रों इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.7 उद्देश्य : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

11.8 प्रक्रिया एवं वित्त पोषण : यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संस्तुत आवेदन (संशोधित निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हांलाकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

11.9 गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19(क)' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

11.10 अनुदान प्रतिवर्ष सामान्यतया दो किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

11.11 गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बाहरी निगरानी एजेंसियों को सभी एनजीओ की परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी का कार्य सौंपा है। 31.03.2014 तक एजेंसियों ने तीन रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं

11.12 योजना का निष्पादन : वर्ष 2013-14 के दौरान योजना के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किया गया व्यय आवंटन के व्यौरों तथा विगत 2 वर्षों में किए गए व्यय के साथ **तालिका 11.1** में दिया गया है:

तालिका 11.1: वर्ष 2013-14 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आवंटन*		व्यय*
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2011-12	60.00	60.00**	53.98
2012-13	60.00	37.75**	18.54
2013-14	60.00	41.50**	41.18

* इस राशि में अवसंरचना में सुधार और अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु गैर सरकारी संगठनों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है।

** पूर्वोत्तर पूल की निधियां शामिल हैं।

11.13 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र
7. पुस्तकालय
8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य-श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/क्रैच केन्द्र
11. स्वास्थ्य रोकथाम एवं स्वच्छता कार्यक्रम
12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण
14. रोजगार वाले शिल्पों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
15. वृद्ध आश्रम
16. जागरूकता के प्रसार में स्कूल के बच्चों को शामिल करना
17. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

11.14 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को

मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय विद्यालय परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट/बाथरूम सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

11.15 2013-14 के दौरान 15 राज्यों में 71 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 11390 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

गैर-आवासीय विद्यालय

11.16 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

11.17 वर्ष 2013-14 के दौरान 7 राज्यों में संचालित 71 गैर-आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 9854 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

11.18 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहन-सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।

11.19 वर्ष 2013-14 के दौरान 12 राज्यों में 37 छात्रावासों को निधिपोषित किया गया जिनसे 7343 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

सचल औषधालय

11.20 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

11.21 वर्ष 2013-14 के दौरान 15 राज्यों मे 36 सचल औषधालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 3,54,577 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

11.22 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

11.23 वर्ष 2013-14 के दौरान 6 राज्यों में दस बिस्तरों वाले 27 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई, जिनसे 3,11,880 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

11.24 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

11.25 2013-14 के दौरान 3 राज्यों में 7 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को निधिपोषित किया गया जिससे 210 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

11.26 वर्ष 2013-14 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक : 11-क** में दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

11.27 अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग (पूर्ववर्ती कोचिंग और संबद्ध) योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है। संशोधित आवेदन-पत्र इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.28 उद्देश्य : वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ पृष्ठभूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। समान अवसर प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

11.29 कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं, के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों में परिवर्तन पर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निधियां प्रति विद्यार्थी लागत के आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को मंत्रालय से 80% सहायता दी जाती है।

11.30 वित्त पोषण में कोचिंग शुल्क, (संकाय के प्रभार सहित) विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता भी शामिल है।

11.31 मुख्य विशेषताएं

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।

प्रस्तावों की जांच चयन समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में तब तक पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।

कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की होते हैं। गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में प्रधिमानत: 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिएं।

कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित प्रपत्र में देने होते हैं।

प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के स्कीम के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि उन्होंने इससे पूर्व इस मंत्रालय

से सहायता प्राप्त किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठाया है/उठा रहे हैं।

प्रत्याशी की आय सीमा (अपनी स्वयं की आय और/ अथवा माता-पिता की आय, यदि उन पर निर्भर है) इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह 1 हजार रुपये की निश्चित राशि का वजीफा दिया जाता है। बाहरी छात्रों को रहने और भोजन के लिए प्रति छात्र प्रति माह 2 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

कोचिंग संस्थानों को परिणाम घोषित होने तक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा विवरण सहित पाठ्यक्रम वार सूची जमा करानी होती है। कोचिंग संस्थानों को निरंतर सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

11.32 आवंटन : वर्ष 2013-14 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग हेतु आबंटन 4.50 करोड़ रुपये है। इनमें से वर्ष 2013-14 के दौरान 1.18 करोड़ रुपये पांच राज्य में चयनित एक पेशेवर कोचिंग संस्थानों को जारी किए गए जिससे 690 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

11.33 वर्ष 2013-14 के दौरान तथा पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं की सूची **अनुलग्नक: 11-ख** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना :

11.34 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरूआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित आवेदन-पत्र सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.35 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात) द्वारा निवास क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। इस योजना में वैसे क्षेत्रों जहां 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु विद्यालय शिक्षा सुलभ कराए जाने हेतु बल दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

11.36 कवरेज :

(क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

(ख) उपरोक्त 54 अभिज्ञात जिलों की अपेक्षा जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जिसमें जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी कवर किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं।

(घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को** प्राथमिकता दी जाती है।

11.37 क्रियान्वयन एजेंसी

(क) इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक **"स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति"** (एससीएसवीई) इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

11.38 प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान :

(क) यह लिंग विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित संशोधित प्रपत्र में) पात्र गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती हैं। संशोधित योजना में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति संशोधित योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19(क) के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर-सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य-निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के धीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह तारीख सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने चिह्नित पेशेवर संगठनों के माध्यम से भी स्वतंत्र निगरानी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रयास किए हैं।

11.39 मुख्य विशेषताएं : जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने तथा सामान्य महिला साक्षरता स्तर तथा जनजातीय महिला साक्षरता स्तर एवं जनजातीय महिला तथा जनजातीय पुरुष साक्षरता स्तर में अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाइयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, ये पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू-भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिएं।

(ग) अपवाद-स्वरूप मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं हैं, वहां

छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिन्हित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(ज) 54 कम साक्षरता वाले पहचान किए गए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की जाएगी जो एक ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन या गैर-सरकारी संगठनों का संघ होगा तथा यह पहचान किए गए जिलों, ब्लॉकों या पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शत प्रतिशत नामांकन को प्रोत्साहित करेगा।

11.40 आवंटन : विगत दो वर्षों में आवंटन तथा व्यय के व्यौरों सहित चालू वर्ष के दौरान किया गया आवंटन तथा व्यय **तालिका 11.2** में दर्शाया गया है :-

तालिका 11.2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2011-12	40.00	40.00	31.23
2012-13	40.00	14.61	7.41
2013-14	40.00	42.00	40.30

11.41 उपलब्धि : वर्ष 2013-14 के दौरान, 95 शैक्षिक परिसरों के लिए 40.30 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए, जिसमें 6 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 21536 लाभार्थी लड़कियों को कवर किया गया।

11.42 स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की अंतर सूची जिन्हें इस योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई, **अनुलग्नकः 11-ग** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

11.43 इस योजना के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 9 में चर्चा की गई है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया था संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

11.44 स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हे वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक इस योजना के तहत सहायता-अनुदान प्रदान की गई, **अनुलग्नकः 11-घ** में दी गई है।

अनुलग्नक:11-क

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2011-12	2012-13	2013-14
आंध्र प्रदेश					
1	गुरुकुलाम आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, (एपीटीडब्यूएआरईआईएस) तेलुगु संशक्षैम भवन दूसरी मंजिल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय (18 इकाई)	0	0	23859198
2	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, गड्डामनुगु, जिला : कृष्णा, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	2180295	2176580	0
3	ग्राम अभ्युदय एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, ग्रामीण विकास, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	3218940	0	1609470
4	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2949547	0	2372423
5	के.एस.आर. मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट हाउस न. 2-1-68/ए, बाजार स्ट्रीट, नैदुपेटा टॉउन और मंडल, एसपीएसआर नेल्लोर (जिला) आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	0	2012220
6	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	1210995	0	1860119
7	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.न. 15-155, मिलावरम (वी एंड एम), गडामनुगू, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	1856859	1301310	0
8	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163-ए, प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	3234192	0
9	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति एट सोमसेखापुरम, नेल्लोर-जिला, आंध्र प्रदेश	10 - बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1317470	1369899
10	चेतनया एजुकेशनल एण्ड रूरल डिवलपमेंट जिला- कूड्डपाह, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1878412	4038435	0
कुल			**13295048**	**12067987**	**33083329**

अरुणाचल प्रदेश					
11	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3804210	0	3804210
12	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, पोस्ट/थाना, बामडिला, जिला - वेस्ट कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	3206943	0	2247523
13	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1687815	0	1580895
14	महाबोधी मैत्री मंडल, पो./पु. चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	वृद्धाश्रम	0	43650	0
15	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (2 इकाई) आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20 बिस्तरो वाला अस्पताल	9038813	4519406	13695019
16	आर.के.मिशन, पोस्ट-विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास और दृश्य-श्रव्य इकाई	13392990	0	23609080
17	आर.के.मिशन हॉस्पिटल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	7300288	0	14790305
18	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोनसा, जिला-तिराप, पिन कोड-786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4584510	2292255	3654306
19	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) परियोजना रुपा, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	0	1178550	0
20	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक+माध्यमिक)	4188015	0	3751290
	कुल		**47203584**	**8033861**	**67132628**
असम					
21	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	2056080	0	685350

22	भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी), लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम	सचल औषधालय	625594	0	0
23	भारत सेवाश्रम संघ गुवाहाटी असम, ग्राम गंगानगर, जिला चचार, असम	आवासीय विद्यालय	0	157500	0
24	डॉ अंबेडकर मिशन, ग्राम धोपतारि, जिला कामरूप, असम	10- बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	0	6861993	0
25	ग्राम विकास परिषद ग्राम- रंगालो, जिला - नौगांव, असम	सचल औषधालय	685350	1370700	0
26	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, जिला-नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द	945900	0	328500
27	आर.के. मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय	1309304	0	909009
28	आर के मिशन सेवाश्रम, आर के मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	0	0	1728568
29	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल सांथा, तेलीपट्टी, चम्साई रोड़, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	1095750	0	0
30	श्रीमंत शंकर मिशन, पो. पानीगांव, पी.ओ./ जिला-नौगांव, असम 782001	सचल औषधालय	1408200	0	0
31	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय)का एकक दयानंद सेवाश्रम संघ एनइआई बोकाजन कारबी अंगलॉग, असम, बोकाजन में 2 इकाई, जपारजन तथा दीफू	छात्रावास (4 इकाई)	3129479	0	6274989
	कुल		**11255657**	**8390193**	**9926416**
छत्तीसगढ़					
32	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	668790	0	738180
33	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट - बुधवानी, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ	आवासीय विद्यालय	1614871	1620270	0
34	शिवम छात्रावास शिक्षा सेवा संस्थान, सत्य साई बाबा मंदिर, मोठी तालाब, परम जगदालपुर (बस्तर) छत्तीसगढ़ 494661	आवासीय विद्यालय	0	0	157500

35	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ	6 छात्रावास, 1 जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग, दिव्यन कृषि प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध विषयों और सचल औषधलय	5879521	0	8628222
कुल			**8163182**	**1620270**	**9523902**
गुजरात					
36	भारत सेवाश्रम संघ, पोस्ट-डेडियापाडा, जिला-नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	1413900	0	0
37	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नावासारी), नावासारी, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (4 ईकाई) सचल पुस्तकालय सह ए.वी. यूनिट	3999850	0	5246350
38	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, पिन-393040, गुजरात	छात्रावास	2381580	0	0
39	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम-धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	3538620	0	0
40	श्री धाधेला केलवानी मंडल, ग्राम एवं पोस्ट - धाधेला, जिला - दाहोद, गुजरात	छात्रावास	1325625	0	0
41	श्री सदगुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला - वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषधालय	2980149	0	0
42	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, मोल्हापंधा, जिला वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	0	3132540
कुल			**15639724**	**0**	**8378890**
हिमाचल प्रदेश					
43	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - के.गाम्पा, जिला - लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश,	छात्रावास	1201675	0	1208475
44	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला-कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3159607	0	3173954
45	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4145635	0	4088324
46	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - सिद्धपुर, भाया-डारी, नौरबीलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1339690	0	1219390

47	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, तहसील-धर्मशाला योल कैन्ट, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	6300400	0	5617822
48	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, कैन्ट, तहसील धर्मशाला, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय ग्राम काजा तह, जिला स्पीति, लाहौल स्पीति	0	157500	0
कुल			**16147007**	**157500**	**15307965**
जम्मू व कश्मीर					
49	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी, ग्राम-गुलाबगढ़ पोस्ट – अठौली, जिला – डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	0	1849380
50	लॉमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर (टकटकीथांग परियोजना पो. तथा जिला लेह)	आवासीय विद्यालय	1656143	0	0
	कुल		**1656143**	**0**	**1849380**
झारखंड					
51	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), ग्राम एवं पोस्ट+जिला – पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1057350	1057350	2110700
52	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (वेस्ट) रिवरस मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, रिवरस मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन-831011, झारखंड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द, केन और बम्बू, सचल पुस्तकालय सह ए.वी. यूनिट, कताई तथा बुनाई केन्द्र (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	16976173	0	12432125
53	भारत सेवाश्रम संघ, पाथरा, पीओ-रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई तथा कताई प्रशिक्षण केन्द्र	3720965	0	3685036
54	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3245892	1268100	2534324
55	आर.के. मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला – जामतारा, पिन-815351, झारखंड	सचल औषधालय	563709	280586	834472
56	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग एवं आशुलिपि केन्द्र, सचल पुस्तकालय-व-ए वी युनिट	1791303	0	1722497
57	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट, सचल औषधालय, पुस्तकालय, ए.वी. यूनिट	5305731	2680037	2672357

58	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	50 बिस्तरों वाला अस्पताल ग्राम डुंगरी, ब्लॉक नामकुम	0	810000	0
59	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	70 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	11826274	5753951	4737793
	कुल		**44487397**	**11850024**	**30729304**
कर्नाटक					
60	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच. बी कालोनी जिला– गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1616400	1616400
61	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम – पाथापल्ली, तालुका – बागेपल्ली, जिला – कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1609470	0
62	डा. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी, (आर) नालकुदुर, गोमाला, नालकुदुर, पिन–577544, तालुका – चन्नागिरी, जिला – देवानगिरि, जिला कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1608570	0	0
63	डॉ. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय	1758064	0	1363140
64	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम – चिक्काबलपुर जिला – कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	0	685350	685350
65	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मकान न. 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि–572132, जिला – तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर–आवासीय विद्यालय	2329020	0	1647270
66	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट–गेराहल्ली, तालुका–चिकबालपुर, जिला–कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1620270
67	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड़, जगत, जिला– गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1609470	0	0
68	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला–देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1534770	0	1546021
69	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला – तुमकुर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	2515816	0	0
70	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी–तालुक, जिला–कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1576080	0
71	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला – मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2) 10 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 यूनिट) और सचल औषधालय	16663891	0	8196446

72	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और आवासीय विद्यालय	2359598	2358622	0
	कुल		**30379199**	**9466192**	**16674897**
केरल					
73	मां अमृतानंदमयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला - कोलाम - 691574 (केरल)	छात्रावास और 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	2133896	0	0
74	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	2425375	0	1352425
75	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम कयामकुलम, 690502, जिला अल्पाज़ पूजा, केरल	छात्रावास	2645974	0	0
76	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर मूतिल, जिला-वयानाड, केरल	सचल औषधालय और 20 बिस्तरों वाला अस्पताल	5465745	2066993	675050
77	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया - 34 पोस्ट-पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	0	2731770	2826270
78	विनोबा निकेतन पोस्ट - विनोबा निकेतन, जिला-केरल, तिरुअनन्तपुरम	छात्रावास और सचल औषधालय	2166129	1083065	2169258
79	वयांड गिरिजन सेवा ट्रस्ट, मटिलायम पो. वीलामुंडा (विया) वयांडा, जिला केरल- 670731	आवासीय विद्यालय	0	382500	0
	कुल		**14837119**	**6264328**	**7023003**
मध्य प्रदेश					
80	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	0	2152200
81	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	968490	0	0
82	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, सरदारपुर, कुकशी, धार, मध्यप्रदेश, (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ इकाई, ठक्कर बापुर, स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055)	आवासीय विद्यालय	1228098	1261272	0

83	हितेश्री सामाजिक सांथा, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	733593	0	1474416
84	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्राम सिधपुर, (डोभ), पो. सेमिरि हरिचंद, तहसील बबाई, जिला हौशंगाबाद, मध्यप्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1213048	0
85	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	1646384	0	0
86	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकारिया, जिला-ढिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1203764	1160500
87	पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति, सी-537-538 पुष्प नगर कॉलोनी, भोपाल-462010 (मध्य प्रदेश)	गैर-आवासीय विद्यालय	911004	0	0
88	रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वरयालखेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	965990	0	0
89	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, म.प्र.	आवासीय विद्यालय, 2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 3 और छात्रावास 2	916100	0	0
90	दिनदयाल रिसर्च इंस्टीच्यूट, 7 ई, रामतीरथ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय), सतना परियोजना (मध्यप्रदेश)	आवासीय विद्यालय	0	1667387	1693202
91	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (सैकेंडरी)	0	1708830	0
	कुल		**7369659**	**7054301**	**6480318**
महाराष्ट्र					
92	जय हिन्द मित्र मंडल, कोलहा, जिला फुलबानी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	0	0	2228680
93	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय और अवासीय विद्यालय	1620270	4860810	0
94	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	0	1929780	0
95	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	3145135	0
96	श्री साइंनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुका तालोडा, नंदुरबार, (महाराष्ट्र)	छात्रावास	0	1219590	0

97	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेश पुर, जिला धुले महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1614870	1614870	0
98	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंद गांव तालुका नंद गांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1620270	1620270	0
99	उज्ज्वल रूरल डेपलेपमेंट सोसायटी, पोस्ट नवाड़े, तालुका सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	0	2376170	0
100	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नजदीक राधिका होटल, विष्णुवादी, बुल्दाना, जिला बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	0	1616400
101	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1609470	1598670	0
102	तापी परिसर एजुकेशन एण्ड कल्चर्ल ट्रस्ट, एटी-नेवाडे, जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1578570	1593270	0
103	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, एटी-दथान, तहसील-अस्थि, जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1609470	3188183	1502217
104	स्व. यशवंत बलि राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, तहसील इरनडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	0	934798
	कुल		**11269320**	**23146748**	**6282095**
मणिपुर					
105	आदिमजाति शिक्षण आश्रम, चिंगमिरोंग खोंगनांग अनिकारक, डीएम रोड, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल, मणिपुर-795001 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर समारक सदन, नई दिल्ली-110055 की इकाइ, इम्फाल मणिपुर की शाखा)	छात्रावास	0	1918535	0
106	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगला टांबी, मणिपुर	छात्रावास	0	1748580	1762830
107	क्रिश्चन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) ग्रीन हिल्स तामींगलोंग मुंख्यालय पिन- 795141	आवासीय विद्यालय	0	3542940	1771740
108	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन पूर्वी इम्फाल, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1162890	1162890

109	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट)	2436863	1620270	3629993
110	रूरल एजूकेशनल एण्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगेनाइजेशन, थांगा टॉँग्ब्राम, लीकाई, बी पी ओ थांगा,) जिला -विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	885010	0	0
111	सियामसिनपाल्पी, पहरे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एसएसएसपी कॉम्पलेक्स बूंगनूअल पोस्ट बॉक्स नं 99 जिला-लमका, पिन-795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	6235470	0	6235470
112	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस,थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1620270
113	सोसायटी फॉर वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर) अथोकपाम खुनोऊ, पो. थोउबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	706950	0	0
114	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) मुख्यालय हीरोक, हीतूपोक्पी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1881055	0	1620270
115	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, वांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	0	929430	929430
116	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलिफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस) चिंमटूंग वेंग डोरकास्ट रोड, न्यू लमका,जिला-चराचंदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1620270	0	2648520
	कुल		**13765618**	**12542915**	**21381413**
मेघालय					
117	आर.के.मिशन, लाइथुमखूट. पो. बॉक्स-9, शिलांग, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय (2 यूनिट)	1658730	829365	2448485
118	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी तथा एमई/ माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास और गैर-आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 2 छात्रावास, 3 सचल औबधालल, सीटीसी, पुस्तकालय, सचल ए-वी-यूनिट, कनई तथा बुनाई	62596529	28520555	83343266
	कुल		**64255259**	**29349920**	**85791751**

मजोरम					
119	मिजोरम मिथाई एसोसिएशन, अपर रिपपब्लिक रोड, आईजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	1775790	0	1775790
120	सोशल गाइडेंस एजेंसी, तुईक्वल, आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	1291950	0	700533
121	थुकटक ननपुईतु टीम, मुआना वेंघ, आईजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	4656660	0	1550340
	कुल		**7724400**	**0**	**4026663**
नागालैंड					
121	दयानंद सेवाश्रम संघ दीमापुर, की एक इकाई नागालैंड, (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ , 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई, दीमापुर, (मुख्यालय) परियोजना नाहरवाड़ी, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	777915	0	0
122	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	990034	0	1050361
	कुल		**1767949**	**0**	**1050361**
दिल्ली					
123	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	893745	735565	0
	कुल		**893745**	**735565**	**0**
ओडिशा					
124	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1611954	0	0
125	अम्बेडकर एजूकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास	1185030	0	0
126	अरुण इंस्टीटड्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम-अस्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - देनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1907340	1864170	0
127	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन (एवीए), दीमापुर, जिला – पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1825470	0	1824752

128	बनवासी सेवा समिति, पो बलिगुडा, जिला कंधमाल, पिन 762103, ओडिशा	छात्रावास	0	2318580	0
129	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी जिला-कटक, उड़ीसा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 यूनिट)	1219590	0	0
130	भैरवी क्लब, लखनपुर, पो सरंगधरपुर, वाया रानपुर, जिला नयागढ़, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1620270	0	1620270
131	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादीबसाता बंस्ता, जिला - केन्द्रापारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	3218908	1609470	0
132	कलिंगा इंस्टीट्यूट आर्फ सौशल साईंस, (केआईएसएस) कोयल कैम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक और माध्यमिक)	80360120	0	0
133	नेहरू सेवा संघ बानपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	1617525	0	1617525
134	निखिल उत्कल हरिजन सेवा संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	2245095	0	2245095
135	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पोस्ट न्यूपाडा, जिला न्यूपाडा, उड़ीसा-766105	छात्रावास	1185030	0	0
136	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, जिला कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	1793070	0	1788993
137	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास और पुस्तकालय	999765	0	1999530
138	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय टाईपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद	1032898	1065285	0
139	रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम सारागालांजी, भवानी पटना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	सचल औषधालय	706950	0	0
140	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय) परियोजना(पदवा, जिला कौरापुट), उड़ीसा	उड़ीसा में सचल औषधालय	0	1404062	0
141	सेवा समाज पोस्ट गुनुपुर, जिला- रायगाडा, उड़ीसा	छात्रावास	0	1214773	1054494
142	श्री आर.के.मिशन आश्रम पो.- रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	7160085	6803460	0
143	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2932020	0	2820690

144	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (वैस्ट), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831011, झारखंड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषध ालय (2 यूनिट) 10-बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	8313283	0	7250397
145	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, तालुका - मनसापोल, जिला – जाजपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	3218940	0	0
146	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ओडिशा स्टेट ब्रांच, एचआईजी-116, कानक बिहार, फेज-1, पटिया, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-31 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ल-110055 का एक युनिट)	ओडिशा में 3 छात्रावास, सरत, सुबुदीबांध, चंद्रपुर, जिला-मयुरभंज	1749015	0	0
147	सोशल बेलफेयर एंड रूरल डवलपमेंट (एसडब्लूएआरडी) बाली जोरांदा, पोस्ट बेनरिया, वाया महीनगढ़ी, जिला-घेनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2038770	2025270	0
	कुल		**127941128**	**18305070**	**22221746**
राजस्थान					
148	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, पो वनस्थली विद्यापीठ, तहसील नेवाई, जिला - टोंक, पिन 304022, राजस्थान	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु वजीफा योजना	4815750	0	0
149	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा पोस्ट भिंडेर जिला – उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1726897	0	0
150	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, आदर्श नगर, रावाभाटा, जलिा चित्तौड़गढ़,राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1609470	0	0
	कुल		**8152117**	**0**	**0**
सिक्किम					
151	हयूमन डिवलपमेंट फाउंडेशन, जीआरबीए रोड, चोगने तार, गंगटोक, पिन कोड -737 101, सिक्किम	आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास	2559900	0	0
152	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	3187133	0	2829000
	कुल		**5747033**	**0**	**2829000**

तमिलनाडु					
153	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर, तमिलनाड, पिन-632009	छात्रावास	2241628	0	1103348
154	ग्राम्या मक्कल अभिविरूधी इयाकम (जीएमएआई) पुनथोटटम, पोस्ट कोयम्बटूर, तमिलनाडु	10 विस्तरों वाला अस्पताल सचल औशधालय	2330550	2330550	2330550
	कुल		**4572178**	**2330550**	**3433898**
त्रिपुरा					
155	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट पोस्ट विष्णुपुर मणिबंकुट स्वरूप, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	1582470	1579230	0
156	खुमपुई बुरूई बोडोल, ग्राम नवचन्द्र ठाकुर पराट, पो कमलघाट, जिला पश्चिम त्रिपुरा (हतकाटा परियोजना, ब्लॉक पदमाबिल, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा)	कताई/बुनाई, हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	107370
157	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	1715281	1715281	0
	कुल		**3297751**	**3294511**	**107370**
उत्तर प्रदेश					
158	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र, (मुख्यालय) लखीमपुर में परियोजना	छात्रावास (4 यूनीट) आवासीय विद्यालय	1130946	0	1683981
159	उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्था, गांव गोबरूला, पोस्ट ध्यानपुर, जिला लखिनपुर खेरी, उत्तर प्रदेश		3130832	0	0
160	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, झंडेवालान क्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय) बलरामपुर और लखीमपुर खेरी में परियोजना	सचल औषधालय और छात्रावास	4907858	0	0
	कुल		**9169636**	**0**	**1683981**
उत्तराखंड					
161	अशोक आश्रम पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	2492831	2857243	3035707

162	महिला ग्रामीण उत्थान समिति, दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिलडुक्री, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	1609470	0	0
163	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	2098900	0	0
164	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. पोस्ट ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तराखंड	सचल औषधालय	0	0	1413900
165	सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र (मुख्यालय) बीजापुर, उत्तराखंड,	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	2168291	0	4574695
	कुल		**8369492**	**2857243**	**9024302**
पश्चिम बंगाल					
166	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोस्ट औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	2749454	3412530	0
167	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, (6 यूनिट) पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए.वी. यूनिट	6935600	0	14547200
168	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा), बेलडंगा जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट) सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और टाइपिंग-आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	11633844	0	11519709
169	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) बुनाई/कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	4092957	4449330	0
170	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	1829300	0	3666630
171	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	2260980	0	0
172	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1443510	0	0
173	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	901944	0	0
174	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1858500	1981800	0

175	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	1277050	1429650	0
176	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल (रंग घाट पयराडंगा ब्रोंच) (नादिया),	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	3510630	3600805	0
177	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पोस्ट/जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1473210	1563210	0
178	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	706950	706950	0
179	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2937149	1981800	0
180	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव+पोस्ट टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2368050	0	2356050
181	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1185030	1306530	0
182	बकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1/बी, लाल बाजार, स्ट्रीट, कोलकता - 700001, पश्चिम बंगाल (मुख्यालय) गोपी बल्बपुर-2 में परियोजना, जिला पश्चिम मेदिनीपुर	सचल औषधालय	685350	0	0
183	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम- क्रांति, पोस्ट- क्रांति हाट, जिला - जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2978390	2988630	0
184	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड, वूमैन वेलफेयर सेंटर, गोहालडिहा, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2429520	0	0
185	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-734318	गैर-आवासीय विद्यालय	1882980	0	924390
186	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट- कोरा चण्डीगढ़, मधयम ग्राम, जिला - नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन-743298	छात्रावास	721755	0	1442579
187	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास-सह-आवासीय विद्यालय	1600830	0	1600830
	कुल		**57462983**	**23421235**	**36057388**
		कुल योग	**534822328**	**180888413**	**400000000**

अनुलग्नकः 11-क का राज्यवार सारांश

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

				(राशि रू में)
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
1	आंधप्रदेश	13295048	12067987	33083329
2	अरूणाचल प्रदेश	47203584	8033861	67132628
3	असम	11255657	8390193	9926416
4	छत्तीसगढ़	8163182	1620270	9523902
5	गुजरात	15639724	0	8378890
6	हिमाचल प्रदेश	16147007	157500	15307965
7	झारखण्ड	48043942	11850024	30729304
8	जम्मू और कश्मीर	1656143	0	1849380
9	कर्नाटक	30379199	9466192	16674897
10	केरल	14837119	6264328	7023003
11	मध्यप्रदेश	7369659	5386914	6480318
12	महाराष्ट्र	11269320	23146748	6282095
13	मणिपुर	13765618	12542915	21381413
14	मेघालय	64255259	29349920	85791751
15	मिजोरम	7724400	0	4026663
16	नागालैण्ड	1767949	0	1050361
17	ओडिशा	124384583	18305070	22221746
18	राजस्थान	8152117	0	0
19	सिक्किम	5747033	0	2829000
20	तमिलनाडु	4572178	2330550	3433898
21	त्रिपुरा	3297751	3294511	107370
22	उत्तराखण्ड	8369492	2857243	9024302
23	उत्तरप्रदेश	9169636	1667387	1683981
24	पश्चिम बंगाल	57462983	23421235	36057388
25	दिल्ली	893745	735565	0
	कुल योग	**534822328**	**180888413**	**400000000**

अनुलग्नक:11-ख

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान निर्मुक्त किये गये अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/निजी संस्थानों के नाम		2011-12	2012-13	2013-14
1	**दिल्ली**	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (दिल्ली के लिये)	25.50	7.13	0.00
2	**गुजरात**	एमटी एजुकेयर प्रा.लि. 101/102, सत्यम मॉल, नियर कामेश्वर हाई स्कूल, स्टेरेल्लिटी अहमदाबाद-380015	35.97	0.00	12.97
3	**झारखंड**	झारखंड विकास संस्थान, एल-104, अगरोरा हाऊसिंग कालोनी, रांची, झारखंड	12.62	0.00	0.00
		निखिलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड मैनेजमेन्ट (एनएलबीएम), 210, हरिओम टावर सरकुलर रोड, रांची, झारखंड	5.13	0.00	0.00
4	**केरल**	सेशन ऐकडमी पट्टम, तिरूवनंतपुरम, केरल	10.32	13.95	2.75
5	**महाराष्ट्र**	एमटी ऐजुकेयर प्रा.लि. 2201, दूसरा तल, फ्लाईंग कलर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, एलबीएस क्रॉस रोड के सामने मुलुन्द (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र	9.80	0.00	0.00
6	**मणिपुर**	वालुनटियर्स फॉर, रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वोहरा), हेड ऑफिस लेमडौंग, जिला थाउबाल, मणिपुर	0.00	11.78	14.84
		कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, एमआई रोड, थाउबाल अचौबा, जिला थाउबाल, मणिपुर	15.20	12.20	0.00
7	**मध्य प्रदेश**	क्रिस्टर एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, दूसरा तल, यमनोतरी, अपार्टमेंट, 96, नेहरू कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, पिन-474011, मध्य प्रदेश	35.14	0.00	0.00
		कोठारी इंस्टीच्यूट, 7, शिलवासा पैलेस, राजवाड़ा चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश	0.00	0.00	21.32

8	**राजस्थान**	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगनपथ, चौमु हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	25.84	0.00	17.00
		उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्वकर्मा नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर-302018, राजस्थान	10.18	0.00	17.70
		बीएल सैनी कोचिंग सैन्टर, टोंकफाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	50.92	0.00	31.84
9	**पश्चिम बंगाल**	नार्थ बंगाल सुखन्ता पाल्ली फाउडेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट, एट-पॉडल भवन, शिव मंदिर, पीओ-कदमतला, जिला- दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल	13.31	0.00	0.00
कुल योग			**249.93**	**45.06**	**118.42**

अनुलग्नक:11-ख का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान निजी संस्थाओं/राज्य सरकारों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1	दिल्ली	2550000	713000	0
2	गुजरात	3597000	0	1297000
3	झारखंड	1775000	0	0
4	केरल	1032000	1395000	275000
5	महाराष्ट्र	980000	0	0
6	मध्य प्रदेश	3514000	0	2132000
7	मणिपुर	1520000	2398000	1484000
8	राजस्थान	8694000	0	6654000
9	पश्चिम बंगाल	1331000	0	0
कुल		**24993000**	**4506000**	**11842000**

अनुलग्नक:11-ग

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2011-12 से 2013-14 के दौरान निधि पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) **(31 इकाई)**	118832038	0	0
	कुल	118832038	0	0
अरुणाचल प्रदेश				
2	ारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्यालय) पक्के कसेंग में परियोजना, जिला–वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश	3976457	0	1295053
	कुल	3976457	0	1295053
छत्तीसगढ़				
3	विवेकानन्द इंस्टीट्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	3663316	3723818	4407038
	कुल	3663316	3723818	4407038
गुजरात				
4	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (36 यूनिट)	0	0	143104706
5	लोक निकेतन, ग्राम/पोस्ट-रत्नपुर, तालुक-पालनपुर, जिला-बनासकंथा, पिन-385 001, गुजरात	5791876	0	2581507
6	श्री जीवनदीप एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, शिवरत्न कॉम्पलेक्स, दातर रोड, कादियावाड, जुनागढ़, गुजरात (छात्रावास तलाल, ब्लॉक ताला, जिला जुनागढ़)	0	0	313250

7	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, पोस्ट-सनाली तालुका-दांता, जिला-बनासकांथा, गुजरात	2452818	0	0
	कुल	8244694	0	145999463
झारखंड				
8	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	1177800	0	0
9	झारखंड विकास संस्था, एल-104, अरगारा हाउसिंग कॉलोनी, रांची, झारखंड	2425000	1846586	0
	कुल	3602800	1846586	0
मध्य प्रदेश				
10	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाइयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	6655148	0	5905810
11	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, सी.एस.ए. मार्ग, राणापुर, जिला-झाबुआ, म.प्र. (छात्रावास परियोजना)	0	0	1106670
12	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	2954200	0	0
13	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र. (2-शैक्षिक परिसर)	4611400	0	4612000
14	मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजीडेंशियल आश्रम एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, सतपुरा भवन, भोपाल, म.प्र. (13 परियोजनाएं)	30189304	0	31172132
15	म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, मुनिनगर, उज्जेन, मध्य प्रदेश	2300000	0	2208884
16	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, पुष्पा नगर भोपाल, मध्य प्रदेश	2496430	0	0

17	पाण्डेय शिक्षा समिति, गांव बाम्राहा, साथा, मध्य प्रदेश	2121000	0	2156000
18	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट काठीवाड़ा, जिला- झाबुआ, म.प्र.	5120944	0	2573904
19	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट अमर निकुंज, अर्जुन नगर, सिद्धी, जिला सिद्धी, पिन-486661, मध्य प्रदेश	0	0	10728459
20	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	600129	0	3817720
21	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहदोल, मध्य प्रदेश	4232000	0	4312000
	कुल	61280555	0	68593579
महाराष्ट्र				
22	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, तालुका सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र (ग्राम-पंखेड़ा, तालुका-सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र में छात्रावास परियोजना)	0	375000	1805200
23	श्री स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, तालुका-सकरी, पिन-424310, जिला धुले महाराष्ट्र (छात्रावास परियोजना)	0	375000	1806200
24	नवनिर्माण शिक्षण संस्था, बेब्रातंडा, तहसील-डेगलर, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र (ग्राम मेंढकी, ब्लॉक-माहोर, जिला-नांदेड, छात्रावास परियोजना)	0	375000	0
25	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	5159400	4823849	5862400
	कुल	5159400	5948849	9473800
ओडिशा				
26	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पोस्ट- करमुल, जिला धेनकनाल, ओडिशा	3583650	3583650	3583650
27	ब्राइट कैरियर एकाडमी, एट-डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया पोस्ट-जेपौर, जिला-कोरापुट, पिन-764001, ओडिशा	3715500	3618000	0

28	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, एट/उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यभामापुर, जिला कटक, पिन-754200, ओडिशा	1689728	2999979	1806800
29	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, एट/ लिंगराण नगर, पोस्ट-जैयपोर, जिला कोरापुट, ओडिशा	0	7080000	0
30	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) पोस्ट-जैयपोर, ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	0	6023371	0
31	मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो नगर, पोस्ट जयपोर, जिला-कौरापुट, ओडिशा	2246200	0	2246200
32	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजूकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, ओडिशा (19 परियोजना)	60000000	6906711	137932242
33	प्रकल्पा, ग्राम/पोस्ट- ज्योतिपुर, तहसील-क्योंझर, ओडिशा	4454720	4499720	0
34	सवेंन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, ग्राम/ पोस्ट-रायगाडा, जिला- रायगाडा, ओडिशा	1438156	1432865	2173442
35	सेवा समाज, एट/पो-गुनुपुर, जिला रायगडा, पिन 762022, ओडिशा	2061027	4023512	0
36	सोशल एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापाली, भुवनेश्वर, ओडिशा	3171350	2894600	2894600
37	सोसायटी फॉर नेचर, एजूकेशन (एसएनईएच), एण्ड हेल्थ प्लॉट नं.- एनडी-19-20, आईआरसी गांव, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिश	0	5867174	5702500
38	श्री रामाकृष्ण आश्रम, एट -बादारोहिला, पोस्ट-कडालिमुंडा, जिला-आंगुल, पिन-759126, ओडिशा	10748900	3670600	5916300
39	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए-47, रामेश्वर पटना, मौसिमा चौक, भुवनेश्वर, ओडिश	0	1586638	0

40	सर्वोदय समिति, ग्राम/पोस्ट कोरापुट: पिन-764020, जिला कोरापुट, ओडिशा	2999100	2999083	0
41	होली होम-डाईनमुडां छाक (महाराष्ट्र), पोस्ट-तानवत जिला-नउ पाडा, ओडिशा	2560000	5144200	0
	कुल	98668331	62330103	162255734
राजस्थान				
42	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940, हिरन मागरि, सै.न. 4, उदयपुर-313002, राजस्थान	1505800	0	3003600
43	मेवार शारीरिक शिक्षा समिति, हिन्टा, पोस्ट- भंडर, उदयपुर, राजस्थान	3244980	0	3820180
44	श्री गोर्वधन विद्या विहार, खडगांव, जिला-डुंगरपुर, राजस्थान (खडगडा, ब्लॉक सगवार, पो.-खगवडा, जिला-डुंगरपुर में छात्रावास)	0	300000	0
45	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल (फलासिया) जिला-उदयपुर, राजस्थान	4140800	0	4152800
	कुल	8891580	300000	10976580
	कुल योग	**312319171**	**74149356**	**403001247**

अनुलग्नक:11-ग का राज्यवार सारांश

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2011-12 से 2013-14 के दौरान गैर सरकारी संगठनों/राज्य संचालित स्वायत्त समितियों को निर्मुक्त की गई राज्य-वार निधियां

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14
1	आंध्र प्रदेश	118832038	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3976457	0	1295053
3	छत्तीसगढ़	3663316	3723818	4407038
4	गुजरात	8244694	0	145999463
5	झारखंड	3602800	1846586	0
6	मध्य प्रदेश	61280555	0	68593579
7	महाराष्ट्र	5159400	5948849	9473800
8	ओडिशा	98668331	62330103	162255734
9	राजस्थान	8891580	300000	10976580
कुल		**312319171**	**74149356**	**403001247**

अनुलग्नक:11-घ

जनजातिया क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत 2011-12 से 2013-14 के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
असम				
1	डॉ अंबेडकर मिशन, ग्राम-धोपतारि, पो-चंगसारि, पिन-781101, जिला कामरूप, असम	0	6864000	0
2	ग्राम विकास परिषद, डाकघर-जुमारमुर, जिला- नौगांव, असम	5620000	1944000	4296000
3	पठारी वोकेशनल इंस्टीटयूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	6240000	0	3120000
	कुल	**11860000**	**8808000**	**7416000**
कर्नाटक				
4	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, देवेनगिरि	2400000	612000	5388000
	कुल	**2400000**	**612000**	**5388000**
मेघालय				
5	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. - नांगक्रेम, वाया - मैडमरितिंग, शिलांग - 793021	0	4896000	4896000
	कुल	**0**	**4896000**	**4896000**
नागालैंड				
6	विटोले वूमन सोसायटी, बेलोव पुटोनुओ नर्सिंग होम, नई मार्केट रोड, कोहिमा-797001, नागालैंड	3696000	0	0
7	वूमेन वेलफेयर सोसायटी, पो.-अटोइजु, जूम्हेबोटो, नागालैंड	0	2496000	0
	कुल	**3696000**	**2496000**	**0**
तमिलनाडु				
8	भाराथीयार माक्कल नलवालू संघम, 82, सनयासी कुंडु एक्सटेनशन, किचीपालायाम, सलेम-636015	0	0	9375300
	कुल	**0**	**0**	**9375300**
	कुल योग	**17956000**	**16812000**	**27075300**

अनुलग्नक:11-घ का सारांश

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1	असम	11860000	8808000	7416000
2	कर्नाटक	2400000	612000	5388000
3	मेघालय	0	4896000	4896000
4	नागालैंड	3696000	2496000	0
5	तमिलनाडु	0	0	9375300
	कुल योग	**17956000**	**16812000**	**27075300**

अध्याय 12

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजना (पीवीटीजी)

12.1 अनुसूचित जनजातियो में कुछ जनजातीय समूह हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यत खराब अवसंरचना एवं प्रशासनिक समर्थन वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 17 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्यवार सूची **अनुलग्नक: 12-क** पर है। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया है तथा सामान्यतया उनका निवास स्थान दूर है जहां प्रशासनिक तथा अवसंरचना आधार खराब है। अत: इसे प्राथमिकता दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और उनका विकास किया जाए और उनकी आबादी के घटते रुझान को नियंत्रित किया जाए।

12.2 उद्देश्य : विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की कमजोरी को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता हैं कि पीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है। 1998-99 में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर वर्ष 2008-09 में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया।

12.3 कार्यक्षेत्र : इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 अभिज्ञात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी), के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं की सम्मिलन का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

12.4 योजना (सीसीडी योजनाओं) का कार्यान्वयन: वर्ष 2013-14 के दौरान दीर्घकालिक "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संरक्षण-व-विकास (सी.सी.डी.) योजना" के कार्यान्वयन को जारी रखा गया। संरक्षण-सह-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पांच वर्षों के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत या अन्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया था और मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में

प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक ही क्षेत्र में दोहरे हस्तक्षेप से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

12.5 सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाओं की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

1. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष।
2. संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सह-अध्यक्ष।
3. सलाहकार, योजना आयोग।
4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. पीटीजी के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक विशेषज्ञ।
6. निदेशक (एसजी), जनजातीय कार्य मंत्रालय।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को देख रहे निदेशक/ उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
8. निदेशक/उप-सचिव (एनजीओ) - सदस्य-सचिव।

अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है।

12.6 वर्ष 2013-14 के दौरान 15 राज्यों अर्थात आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के आधार पर निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

12.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

12.8 कार्यान्वयन अभिकरण : यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

12.9 निधियन पद्धति : यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती हैं।

12.10 निगरानी : सीसीडी योजना के कार्यान्वयन की मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय निगरानी और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करना भी अपेक्षित होता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ध्यान केन्द्रित करना

12.11 मंत्रालय ने सभी हितधारियों के सहयोग से समग्र सीसीडी योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पहले ही कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीटीजी समुदायों की आवश्यकताओं तथा वर्तमान योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित सीसीडी योजनाओं की कमियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जमीनी स्तर के

कार्य करने का सुझाव दिया गया है। सीसीडी योजनाओं के परिणामों के अनुवीक्षणीय होने के साथ उपयुक्त कार्यान्वयन अनुसूची होनी चाहिए। योजनाओं की तैयारी के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को निम्नलिखित पहलु दर्शाए गए हैं:

छोटी जनसंख्या वाले पीटीजी तथा वे पीटीजी जिनकी संख्या स्थिर है/घट रही है पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक पीटीजी के विकास का बैंचमार्क निर्धारित किया जाए तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय अनुसूची तैयार की जाए।

राज्य/केन्द्र की अन्य योजनाओं के अधिकतम लाभों का उपयोग करना तथा निरूपणाधीन योजनाओं में विभिन्न विभागों से समर्थन प्राप्त करना है।

स्वास्थ्य, आय सृजन, शिक्षा तथा शिल्प विकास, आवास, सड़क संपर्क, भूमिहीन को भूमि प्रदान करना, भूमि का विकास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के केन्द्रित क्षेत्रों पर आवश्यकता आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने के अलावा योजनाओं में प्रबल पोषण पर ध्यान केन्द्रित करना।

सीसीडी योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए अंत:निर्मित तंत्र निर्दिष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीटीजी की निधियों का विपथण नहीं हो रहा है, विशिष्ट कदम उठाना।

12.12 आवंटन : वर्ष 2013-14 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आवंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आवंटन और व्यय के ब्यौरों सहित **तालिका 12.1** में दिए गए हैं:-

तालिका 12.1 : वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक आवंटन एवं निर्मुक्तियां

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजटअनुमान*	संशोधित अनुमान*	व्यय*
2011-12	244.00	244.00	231.29
2012-13	244.00	178.50	178.50
2013-14	244.00	207.00	206.90

* पूर्वोत्तर पूल से निधियाँ शामिल हैं।

12.14 वर्ष के दौरान निष्पादन : वर्ष 2013-14 के दौरान संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं, के आधार पर 15 राज्यों को 206.90 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के तहत निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-12(ख)** में दिया गया है।

अनुलग्नक : 12-क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी जनसख्या का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. बोण्डो गाडाबा 2. बोण्डा पोरजा 3. चेचूं 4. डोंगरिया खोण्ड 5. गुटोब गाडाबा 6. खोण्ड पोरजा 7. कोलाम 8. कोण्डा रेड्डी 9. कोण्डोसवारा 10. कुटिया खोंड 11. पारेंगी पोरोजा 12. थोटी
2	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर 14. बिरहोर 15. बिरजिया 16. हिल खारिया 17. कोरवा 18. मल पहारिया 19. परहाइयास 20. सौरिया पहारिया 21. सावर
3	गुजरात	22. काथोडी 23. कोतवालिया 24. पधार 25. सिधि 26. कोलघा
4	कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा 28. कोरागा
5	केरल	29. चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र) 30. कदार 31. कट्टूनायकन 32. कुरूम्बा 33. कोरागा
6	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया 35. बैगा 36. भारिया 37. हिल कोरबा 38. कमार 39. सहरिया 40. बिरहोर

7	महाराष्ट्र	41. कटकारिया(कथोडिया) 42. कोलाम 43. मारिआ गोण्ड
8	मणिपुर	44. मारम नागास
9	ओडिशा	45. बिरहोर 46. बोंडो 47. डिडाई 48. डोंगरिया खोण्ड 49. जुआंग 50. खारिया 51. कुटिया खोण्ड 52. लानजिया सौराव 53. लोधा 54. मनकिडिया 55. पौडी भूयान. 56. साउरा 57. चुकटिया भुंजिया
10	राजस्थान	58. सहरिया
11	तमिलनाडु	59. कट्टू नायकन 60. कोटा 61. कोरूम्बा 62. इरूला 63. पानियान 64. टोडा
12	त्रिपुरा	65. रियांग
13	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा 67. राजी
14	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
15	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज 72. झरावा 73. ओन्गेज 74. सेंटेनली 75. शोम पेन

अनुलग्नक 12-ख

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1	आंध्र प्रदेश	1) आंध्र प्रदेश सरकार	2292.400	2000.000	3000.000
2	अंडमान और निकोबार	1) अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	75.000
3	छत्तीसगढ़	1) छत्तीसगढ़ सरकार	1655.390	2000.000	1400.000
		2) विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	0.000	6.864	17.120
		3) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	4.380	4.830	5.780
4	गुजरात	1) गुजरात सरकार	2035.200	700.000	1000.000
5	झारखंड	1) झारखंड सरकार	2000.000	630.540	0.000
		2) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	363.566	0.000	229.937
		3) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर, पश्चिम बंगाल	38.481	0.000	35.289
		4) भारत सेवा आश्रम संघ, बाराजुरी,वाया-घाटशिला, झारखंड	62.006	8.367	112.982
		5) भारत सेवा आश्रम संघ, देवगढ़, झारखंड	6.770	7.070	0.000
6	केरल	1) केरल सरकार	1210.000	0.000	600.000
7	कर्नाटक	1) कर्नाटक सरकार	1225.608	659.460	0.000
		2) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, हंचिपुरा रोड, सारागुर, ताल- एचडी कोटे, मैसूर जिला, 571121, कर्नाटक	0.000	47.912	26.679
8	मध्य प्रदेश	1) मध्य प्रदेश सरकार	6546.320	4350.000	4500.000
9	महाराष्ट्र	1) महाराष्ट्र सरकार	0.000	0.000	2610.000
		2) महारोगी सेवा समिति, बरोरा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हेमाकक्ष, पीओ-भमरागढ़, जिला-गढ़चिरौरी, पिन-442710, महाराष्ट्र	0.000	28.300	0.000
10	**मणिपुर**	1) मणिपुर सरकार	0.000	100.000	100.000
11	ओडिशा	1) ओडिशा सरकार	1224.728	3260.000	2000.000
12	राजस्थान	1) राजस्थान सरकार	2677.000	1500.000	700.000
13	तमिलनाडु	1) तमिलनाडु सरकार	1075.940	1400.000	2000.000
		2) नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी जिला,	85.107	46.658	26.757
14	त्रिपुरा	1) त्रिपुरा सरकार	627.400	700.000	950.000
15	उत्तराखंड	1) उत्तराखंड सरकार	0.000	400.000	0.000
16	पश्चिम बंगाल	1) पश्चिम बंगाल सरकार	0.000	0.000	1300.000
		कुल योग	**23130.296**	**17850.000**	**20689.544**

अनुलग्नक 12-ख का राज्यवार सारांश

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1	आंध्र प्रदेश	2292.400	2000.000	3000.000
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	75.000
3	छत्तीसगढ़	1659.770	2011.694	1422.900
4	गुजरात	2035.200	700.000	1000.000
5	झारखंड	2471.823	645.976	378.208
6	केरल	1210.000	0.000	600.000
7	कर्नाटक	1225.608	707.372	26.679
8	मध्य प्रदेश	6545.320	4350.000	4500.000
9	महाराष्ट्र	0.000	28.300	2610.000
10	**मणिपुर**	0.00	100.000	100.000
11	ओडिशा	1224.728	3260.000	2000.000
12	राजस्थान	2677.000	1500.000	700.000
13	तमिलनाडु	1161.047	1446.658	2026.757
14	त्रिपुरा	627.400	700.000	950.000
15	उत्तराखंड	0.000	400.000	0.000
16	पश्चिम बंगाल	0.000	0.000	1300.000
	कुल	**23130.296**	**17850.000**	**20689.544**

अध्याय 13
अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

13.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय यह मानता है कि जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक, मानव–विज्ञान संबंधी, सामाजिक–आर्थिक तथा संबंधित मुद्दों पर निरंतर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा–भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस प्रकार के अनुसंधानों को एक सीमा तक निधियां देना महत्वपूर्ण मानता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं: –

(1) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।

(2) उत्कृष्टता केन्द्र।

(3) अखिल भारतीय स्वरूप अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता। अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने तथा जनजातीय मुद्दों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के लिये संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को 100% के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान

13.2 आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा नामक राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)स्थापित किए गए हैं।

13.3 ये संस्थान राज्य सरकारों को आयोजना संबंधी जानकारी प्रदान करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने, आंकड़े एकत्र करने, जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का पता लगाने और उनकी संस्कृति का समर्थन और संरक्षण करते हैं। हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और जानकारी देते हैं जिससे कि साक्ष्य आधरित नीति और आयोजना तैयार करने में मदद मिलेगी और योजना पर बल दिया जाएगा। पारंपरिक कानूनों का प्रलेखन करने, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करना तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यकलाप संचालित करने में सहायता करने के कार्य में लगे हुए हैं।

13.4 मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं वास्तु संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए भी सहायता देता है।

13.5 वर्ष 2013–14 के दौरान योजना को संशोधित किया गया है और अब ये केवल चुनिंदा कार्यकलापों के लिए केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान वाली केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना बन गई है।

13.6 टीआरआई इस रुप में कार्य करेगी:

क. जानकारी और अनुसंधाान के निकाय के रुप में।

ख. साक्ष्य आधाारित नीति, आयोजना और कानूनों का समर्थन।

ग. जनजातीय कार्यों से जुड़े लोगों और कार्मिकों और जनजातीय संबद्ध संस्थान के क्षमता निर्माण का कार्य।

घ. सूचना के प्रचार–प्रसार और भाषा के सृजन के लिए जिम्मेदार होगा।

13.7 उपर्युक्त लक्षण को देखते हुए, टीआरआई स्वयं के लिए सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम विकसित करेगा, क्षेत्रीय अनुसंधान, संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित करेगा, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए पहल करेगा, प्रलेखन कार्य करेगा, जनजातीय त्यौहारों और देश के भीतर जनजातीय दौरों का आयोजन करेगा, जनजातीय लोगों को/संस्थान पुरस्कृत करेगा, संबद्ध अनुसंधान संस्थानों और संगठन तथा अकादमिक निकायों के साथ समन्वय और नेटवर्किंग करेगा।

2013-14 के लिए बजट आवंटन 5.00 करोड़ रु. था जिसकी तुलना में 2.74 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं

13.8 यह योजना अध्ययन, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों और विकास की योजनाओं/कार्यों के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष 1979-80 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(i) अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों से संबंधित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार, एवं

(iii) जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

13.9 अनुसंधान अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को अनुसंधान मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सहायता दी जाती है। 8-12 माह में पूरी की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए अनुसंधान अनुदान सामान्तया अधिकतम 5.00 लाख रुपए है।

13.10 अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने की इच्छुक अनुसंधान संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है।

13.11 संवीक्षा एवं स्वीकृति : परियोजना/प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और उनका चयन अनुसंधान सलाहकार समिति करती है, जिसमें जनजातीय कार्य/विकास के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं और इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।

13.12 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बजट परिव्यय 30.00 लाख रु. था।

13.13 संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं के समूह को कार्यशाला/संगोष्ठियां को आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान निर्मुक्त किया जाता है जिससे अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने, जनजातीय समूहों की कला, संस्कृति और परम्परा तथा जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दों को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और इनका चयन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों से गठित आंतरिक चयन समिति द्वारा किया जाता है।

13.14 सहायता की प्रमात्रा : संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित प्रतिमान पर अनुदान दिए जाते हैं :

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि रु. में
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-
तीन दिनों के लिए (अपवादात्मक मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरे अनिवार्य हैं)	1,00,000/-

13.15 अलिखित जनजातीय लोकवार्ताओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रधिमानत: उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है।

निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन

13.16 इस योजना के अधीन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ एवं विकासार्थ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन विशिष्ट

एजेंसियों द्वारा कराया जाता है तथा मंत्रालय द्वारा 100% अनुदान दिए जाते हैं।

सूचना और मास मीडिया

13.17 जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनकी संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं मंत्रालय की कल्याण योजनाओं सहित जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मिडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है।

13.18 वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 3.00 करोड़ रुपये की तुलना में इस उपयोजना 'सूचना एवं मास मीडिया' के तहत 10.12.2013 तक 1,10,96,960 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

जनजातीय त्यौहारों का आयोजन

13.19 'जनजातीय त्यौहारों का आयोजन' की योजना में अनुसूचित जनजातियों में अंतर-निहित प्रतिभा को प्रोत्साहित करके तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके स्थानीय, जिला राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत जनजातीय कलाकारों/लोक कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और जनजातीय कलाओं तथा परम्परागत जनजातीय खेलकूद को संरक्षित रखने, प्रोत्साहित करने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक मेले, त्यौहार तथा खेलकूद प्रतियोगिताएं की जाती हैं।

13.20 इस योजना के तहत जागरूकता पैदा करने, जनजातीय कला और संस्कृति तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तरीके से अभिनिर्धारित तथा तात्कालिक आवश्यकता पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

13.21 इस योजना के तहत जनजातीय सांस्कृतिक त्यौहारों तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों इत्यादि को उनके अपने वातावरण में आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थन/अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं।ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नामक पांच राज्यों को अपने स्वयं के माहौल में जनजातीय त्यौहारों को आयोजित करने के लिए निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।

13.22 जनजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से **"जनजातीय त्योहार एवं भारत के जनजातीय खेलकूद"** विषय पर छठवीं राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस फोटो प्रतियोगिता के माध्यम से, उनकी जीवन शैली का सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संघटकों को स्पष्ट करने का एक प्रयास किया गया है। जनजातियों के जीवन के असाधारण पहलुओं को खोजने के लिए तथा प्रदर्शन, संप्रेषण और मनोरंजन के कलात्मक रूप में उन्हें सुरक्षित करने के लिए ऐसी फोटो प्रतियोगिताएं सभी शौकीन और जनजातीय फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करेंगी।

13.23 जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से एक राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आयोजित करता है। नृत्य पर्व का उद्देश्य स्पंधित जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना तथा जनजातीय नृत्य एवं संगीत को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करना है।

वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के तहत 1.60 करोड़ रु. के बजट आवंटन में से 0.67 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार

13.24.1 मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से एक नई योजना "राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार" शुरू की है। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार कहा जाता है। जनजातीय जनसंख्या की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जनजातियों के कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां इस तथ्य के कारण भी बहुमूल्य हैं कि प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की सफलता की कहानियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि उनसे संबंधित व्यक्ति जनजातीय जनसंख्या की भावी पीढ़ियों के आदर्श बन सकें। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने से जनजातीय लोगों की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और समाज की सोच को भारतीय समाज में जनजातीय लोगों की बहुमुखी भूमिका को

स्वीकार करने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय कर्त्ताओं जनजातीय पुरस्कारों की शुरूआत की गई है। पात्र उपलब्धिकर्ताओं के चयन को सरल बनाने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया स्थापित करके योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि-कर्ताओं के नाम वर्ष 2013-14 के दौरान विचार हेतु समय पर भेजे जाएं।

पुरस्कार का स्वरूप

(क) सर्वोत्तम जनजातीय उपलब्धिकर्त्ता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:

इन क्षेत्रों अर्थात (i) खेलकूद, (ii) शिक्षा, (iii) संस्कृति, (iv) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और जैव-विविधता संरक्षण तथा किसी अन्य क्षेत्र में (उत्कृष्ट योगदान) करने के लिए दो पुरस्कार (एक जनजातीय उपलब्धिकर्त्ता महिला के लिए और दूसरा जनजातीय उपलब्धिकर्त्ता पुरुष को दिए जाते हैं)।

प्रत्येक पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी प्रदान की जाती है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई अनुकरण ीय सामुदायिक सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :

अलग-अलग व्यक्तियों और संगठनों अर्थात गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों और समुदाय आधारित समूहों द्वारा किसी अनुसूचित जनजातीय समुदाय के विकास के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस श्रेणी के नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र तथा ट्राफी होगी।

(ग) सर्वोत्तम कार्य करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार :

सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) के लिए एक पुरस्कार होगा। इस नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी दी जाएगी। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को पुरस्कार से प्राप्त धनराशि का उपयोग सामुदायिक परिसम्पत्तियां तैयार करने में करना होगा। पुरस्कार की धनराशि को उनकी किसी स्कीम के तहत उपलब्ध धनराशि अथवा उनकी स्वयं की निधियों में मिलाया जा सकता है।

उत्कृष्टता केन्द्र

13.25 अनुसंधान संस्थान और संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय से देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहें हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सख्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/ संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों को निर्धारित करने के संबंध में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:-

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

(ख) बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

(ग) भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

13.26 इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों की जनजातीय समुदायों से संबंधित गुणवत्तापरक, कार्योन्मुख और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करना है।

13.27 ऐसे कार्यक्षेत्रों जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ जनजातीय लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) अधिकार; अनुसूची v और अनुसूची vi के क्षेत्रों में महिला अधिकार; लघु और बड़ी परियोजना से प्रभावित जनजातीय परिवारों/जनजातीय क्षेत्रों के विस्थापन, अंतरण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, जनजातीय मुद्दों इत्यादि से संबंधित मामले पर सम्मेलन/ कार्यशालाओं का आयोजन; जनजातीय कलाकृतियों इत्यादि का प्रलेखन शामिल है।

13.28 उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में घोषित संस्थानों/ संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। बजट अनुमान

2013-14 में 56.00 लाख रुपये के आबंटन की तुलना में 28.82 लाख रु. की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान

13.29 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित चल रही योजना में से एक है जिससे एकता की भावना पैदा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों में मेजबान एवं अतिथि के बीच एक-दूसरे की सर्वोत्तम जीवन शैली एवं रीति-रिवाज़ों से परिचित होना तथा ज्ञान में अभिवृद्धि करना है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं के आदान-प्रदान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित है :-

1. यात्राओं के माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों सहित अनुसूचित जनजातियों को दूसरे राज्यों/जनजातियों के विभिन्न विकास, कल्याण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रथाओं से बेहतर ढंग से सीखने को मिलता है
2. अनुसूचित जनजातियों का अद्यतन कृषि तकनीकों, पशुपालन, गैर-काष्ठीय वनोत्पाद के प्रसंस्करण (एनटीएफपी), लघु उद्योगों इत्यादि से परिचय होता है
3. खेल विकास तथा/अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के माध्यम से जनजातियों में निहित प्रतिभाओं को निखारना एवं संवारना

13.30 इस योजना के अनुसार प्रत्येक समूह में 10 जनजातीय व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक एक समुदाय से 4 जनजातियों एवं स्थानीय निकाय से 5 महिलाएं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति एक यात्रा से अधिक के लिए चुने जाने का पात्र नहीं है। इसके चयन में उच्चविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं जनजातीय अनुसंधान संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों/ग्राम परिषदों को तरजीह दी जायेगी। सहभागी 3-टीयर ए सी से यात्रा करने के पात्र हैं। आवास और यात्राओं का प्रबंध मेजबान राज्य द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भाग लेने वालों को दैनिक भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया गया व्यय मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाता है, बशर्ते यह निर्धारित मानकों के अनुसार हो। वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में आवंटन 44.00 लाख रुपये है।

अध्याय 14
पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विकास

14.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक धनराशि आबंटित की जाती है।

14.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय ''गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजनाओं के तहत कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय इस विषय पर पूरा ध्यान रखता है कि ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किया जाए और मंत्रालय न पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन को कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित किया है।

14.3 वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 14-(क)** में दर्शाया गया है। यह सूचना नीचे दी गई **आकृति 14 (i)** में भी दी गई है।

केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां-**आकृति 14 (i)**

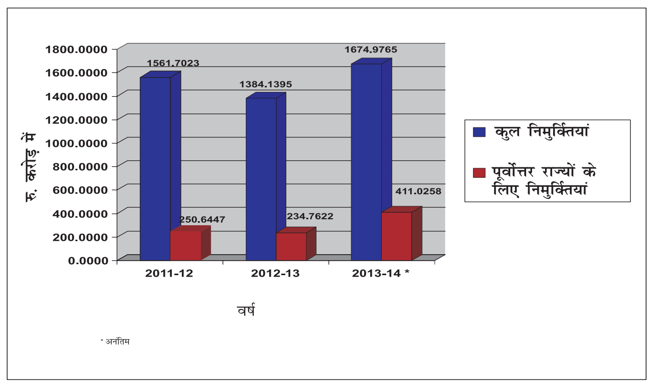

14.4 वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रतिशत प्रवाह को नीचे दी गई आकृति 14(ii) में दर्शाया गया है:

पूर्वोत्तर राज्यों पर बल

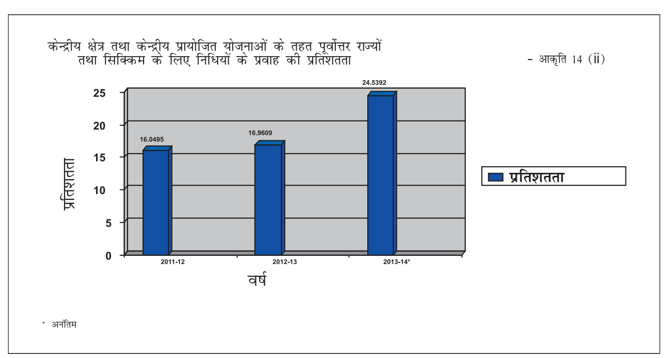

14.5 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए यही आंकड़े **अनुलग्नक 14-ख** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक : 14-क

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2011-12		2012-13		2013-14 *	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	530.9975	29.04	393.1213	22.04	524.68	46.4755
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	1030.7048	221.6047	991.0182	212.7222	1150.2965	364.55
	उप जोड़ (I + II)	1561.7023	250.6447	1384.1395	234.7622	1674.9765	411.0258
	उपर्युक्त I और II के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		16.0495		16.9609		24.5392
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	977.3377	90.7751	852.5435	82.96	1050.00	106.8463
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	1084.8348	131.0283	819.9978	59.44	1097.14	140.0626
	कुल (I से IV)	3623.8748	472.4481	3056.6808	377.1622	3822.1165	657.9347
	उपर्युक्त I और V के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		**13.0371**		**12.3389**		**17.2139**
* अनंतिम							

अनुलग्नक 14-ख

वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल*	अखिल भारतीय स्तर पर निर्मुक्त राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशतता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाए**											
1	कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान	0.99	6.71	2.29	8.58	0.40	0.11	0.28	0.01	19.37	41.18	47.0374
2	**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण**											
	राज्य	3.9051	0.00	0.00	0.00	0.6968	0.00	0.00	0.00	4.6019	6.1100	75.3175
	एनजीओ	0.74	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	2.71	45.3875
3	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	40.30	0.3226
4	जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31	0.00

5	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	1.06	0.45	0.00	0.00	0.54	2.05	10.00	20.50
	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं एमएफपी की मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00
6	**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास**											
	एनजीओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00
	राज्य	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	10.50	201.60	5.2083
7	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.85	6.35	60.50	10.4959
8	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च श्रेणी शिक्षा संस्थान की योजना	0.1620	0.3482	0.821	0.5035	0.00	0.00	0.4089	0.00	2.2436	9.50	23.6168
10	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**											
11	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	47.5681	13.6685	61.1101	34.38	53.9389	26.2619	8.4549	13.9099	259.2923	748.4465	34.6441
12	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	2.1188	2.1844	7.2970	2.9676	1.2318	0.00	0.00	6.7433	22.5429	219.4300	10.2734
13	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	0.00	8.4673	0.00	0.00	22.8943	8.1094	0.00	19.0601	58.5311	101.05	57.9229
14	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम की स्थापना की योजना	7.4960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.7527	9.5452	22.7939	72.1700	31.5836

15	**अनुसंधान सूचना जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य**											
	अनुसंधान प्रशिक्षण (2225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00
	सूचना एवं मास मीडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
	उत्कृष्टता केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.225	1.04	31.58
	अखिल भारतीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	जनजातीय उत्सव का आयोजन	0.00	0.00	0.075	0.00	0.075	0.00	0.00	0.075			
	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान (3601)	0.6001	0.00	0.5650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.1651	2.71	42.9926
	कुल योग	**0.6001**	**0.0**	**0.64**	**0.00**	**0.075**	**0.00**	**0.00**	**0.075**	**1.3901**	**7.47**	18.6091
16	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00

17	विश्व बैंक परियोजना–जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
ग	**विशेष केन्द्रीय सहायता**											
19	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	65.6363	0.00	15.8190	0.00	0.00	0.00	4.37	21.0210	106.8463	1050.00	10.1758
20	संविधान के अनुछेद 275(1)के तहत सहायता अनुदान	35.4025	8.3219	10.31	29.2438	11.3361	28.8693	3.0290	13.55	140.0626	1097.14	12.7662
	कुल	**164.6189**	**41.8303**	**99.2871**	**77.2249**	**91.0229**	**63.3506**	**24.7955**	**95.8045**	**657.9347**	**3822.1165**	**17.2139**
	* अनतिम (पीएण्डएओ के अनुसार)											

अध्याय 15
जेंडर संबंधी मामले

15.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद-भाव के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारी का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

15.2 किसी भी देश के समग्र समाजिक-आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि नीतिगत दृष्टि से भी आवश्यक है।

15.3 मंत्रालय में एक जेंडर बजटिंग एकक बनाया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के कार्यान्वयन के साथ-साथ और मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को देखेगा जिससे कि वह जेंडर असंतुलन, जेंडर समानता प्रोत्साहित करने और विकास के कार्य को कर सके और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से लोक संसाधन आवंटित किए जाए और तद्नुसार प्रबंधित किये जाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय उन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिन्तित है जो एक समूह के रूप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व तुलनात्मक अलगाव के कारण कष्ट उठाते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियां तद्नुसार अनुसूचित जनजातीय महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएँ और अधिक अलाभकारी स्थिति को झेलती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अतएव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाएँ सामान्य स्कीमों से समान लाभ प्राप्त करें। कुछ विशेष स्कीमें अनुसूचित जनजातीय महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए होनी चाहिए। वर्ष 2013-14 के दौरान स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियाँ जिनमें महिला लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है अनुलग्नक 15 क में दी गई हैं।

15.4 मंत्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जाता है जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जनजातीय लड़कियों और महिलाओं के उन्नयन पर केन्द्रित हैं, ताकि वे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकें।

15.5 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए "कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी। इसे वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया तथा इसका नया नाम "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार 54 चिह्नित कम साक्षरता वाले जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से या इसके अंशों से कम है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जिन्हें पूर्व में उपर्युक्त चिन्हित किए गए 54 जिलों के अलावा, किसी जिले के अन्य किसी जनजातीय ब्लाक, जहां वर्ष 2001 की जनगणना अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 25% या इससे अधिक है और जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम या इसके अंशों में है,

उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (जिसे पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था) वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिह्नित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा आदिम जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100% नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जा सकता है। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की परिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है। संशोधित योजना में प्रत्येक कम साक्षरता वाले जिले में जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की भी अभिकल्पना की गई है जो 100 प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने तथा मॉनीटर, फेसिलिटेटर की भूमिका निभाने तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ सहायता सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

15.6 कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से आरंभ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा-छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350 रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा-छात्र के लिए 750 रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000 रु. वार्षिक की दर से किया जाता है। असहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी विकलांगता की डिग्री के आधार पर 160 रु. से 240 रु. प्रतिमाह की दर से मासिक भत्तों हेतु पात्र हैं। छात्रवृति उन अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रु. है।

15.7 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाए जा रहे माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशसनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) अधिकतम वार्षिक आय सीमा, (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है। ये छात्रवृत्ति उन अनुसूचित जनजाति के पात्र लड़कों तथा लड़कियों को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.00 लाख रू. है। छात्रवृत्ति के लिए सभी स्रोतों से माता-पिता की आय सीमा को 1.4.2013 से संशोधित कर दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है।

15.8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान की योजना के अन्तर्गत निधियां जनजातीय क्षेत्रों को शेष देश के बराबर लाने के लिए वांछित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के सृजन एवं उनके उत्थान हेतु विशिष्ट परियोजनाओं को करने के लिए राज्य सरकार को निर्मुक्त की जाती है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार महिलाओं से संबंधित/प्रभावित करने वाले मुद्दों को परियोजनाओं/योजनाओं की तैयारी में केन्द्रीय स्थान पर रखना चाहिये जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी तथा योजना से कार्यान्वयन तक का स्तर शामिल है। परियोजनाओं को इस प्रकार से नियोजित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण लाभ का कम से कम 30% भाग, लक्षित महिलाओं तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी अनुदान के भाग से स्थापित किये जाते हैं वे लड़कियों व लड़कों के लिए सामान्य संख्या में सीटें उपलब्ध कराते हैं।

15.9. मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए भी निधियां देता है जो अन्यथा अपने गाँव की सुदूर स्थिति में ग्रामीण आर्थिक स्थितियों के कारण अपनी शिक्षा जारी करने में असमर्थ होते। राज्य सरकारें केवल लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से के लिए पात्र हैं।

15.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/ परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आय सृजन के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) नामक योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत, निगम 50,000 रु. की इकाई लागत तक वाली योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।

15.11 वर्ष के दौरान एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 16821 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु 36. 27 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। जिसमें एनएसटीएफडीसी का हिस्सा 36.27 करोड़ रु. है।

15.12 निगम अन्य आय सृजनकारी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

15.13 वर्ष 2001-02 में "जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान" नामक योजना शुरू की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10-12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा कर सकें। इसका पूरा व्यय मंत्रालय वहन करता है। योजना के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/ समूह में कम से कम पांच महिलाएं सम्मिलित होंगी। इससे उनके संदर्श को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता पैदा की जा सकेगी ।

15.14 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से 2007-08 से 'राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार' नामक एक योजना प्रारम्भ की है। 'व्यक्तिगत' श्रेणी के अन्तर्गत, एक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता महिला होगी।

15.15 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी कुछ योजनाओं में 50% लड़कियों अथवा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देता है। उदाहरण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं। एम.फिल एवं पी.एच.डी के लिए राष्ट्रीय राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना के अन्तर्गत यूजीसी (जो इस योजन को कार्यन्वित करता है) को निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% छात्रवृत्तियां महिलाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक महिला और एक पुरुष को भेजे।

15.16 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत टी.एस.पी. को एस.सी.ए. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समुदाय आधारित आय सृजनकारी गतिविधियों हेतु हैं, दिशा निर्देश अनुबद्ध करते हैं कि निधियों का 30% महिला घटक के लिए रखा जाए तथा इसका खर्च महिला लाभार्थियों की आय सृजनकारी गतिविधियों के लिए किया जाए।

15.17 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को इस प्रकार परिभाषित (धारा 2 छ) किया है कि ''ग्राम सभा जिसमें गाँव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे और राज्यों के मामले में जहाँ कोई पंचायत, पडा, तोला और अन्य परंपरागत ग्रामीण संस्थान और चयनित ग्राम समितियां महिलाओं के पूर्ण और अप्रतिबंधित भागीदारी के साथ नहीं है।'' इसके अतिरिक्त धारा 4 (4) उपबंधित करता है कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे। किन्तु परिवर्तन योग्य या अंतरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से पंजीकृत होंगे और एक व्यक्ति मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस की अनुपस्थित में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को अंतरित हो जाएँगे। धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप प्रभागीय स्तर समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राजस्व विभाग, राज्य सरकार के अधिकारी होंगे और पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य समुचित स्तर पर जिन्हें संबंधित पंचायती राज्य संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें से दो अनुसूचित जनजातीय सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है।'' इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 प्रावधान करती है कि (धारा 3 (1) के तहत) ग्राम सभाएँ ग्राम पंचायत द्वारा बुलायी जाएंगी और इसकी प्रथम बैठक में इसके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ हों। यह आगे उपबंधित करता है कि जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। कम से कम एक तिहाई ऐसे सदस्य महिलाएं होंगी।

अनुलग्नक:15

वर्ष 2013-14 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनाओं/ कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित 2013-14 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	उपलब्ध लक्ष्य
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम - आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	23.58*	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित वास्तविक परिसंपत्तिया (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	वर्ष के दौरान (31.03. 2014 की स्थिति के अनुसार)एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 16821 महिला लाभार्थियो के आर्थिक उत्थान के लिए 36.27 करोड रु. स्वीकृत किए है। इसके अलावा लघु ऋण योजना सहित अन्य आय सृजनकारी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है
2	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता	1200.00 (पूर्वोत्तर राज्यों सहित)	(i) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या। (ii) घटकवार वास्तविक परिसम्पतियां/ सृजित अवसर; (क) कृषि/बागवानी-हैक्टेयर में; (ख) वाटरशेड विकास/मृदा एवं नमी संरक्षण–हैक्टेयर में; (ग) पशुपालन-संख्या में; (घ) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसमें वनों का विकास शामिल है– हैक्टेयर में अथवा खरीदे गए लघुवन उत्पादों की प्रमात्रा; (ङ) वन ग्रामों का विकास; (च) उद्यमशीलता का विकास-सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या; (छ) सभी घटकों में कवर की गई महिलाओं का प्रतिशत; लक्ष्य एवं परिणाम राज्यों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के प्रकारों पर निर्भर होंगे और परिणाम सभी परियोजनाओं की स्वीकृति/ कार्यान्वयन के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार टीएसपी को एससीए के अंतर्गत 1050. 00 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं। इसमें से 30% दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित हैं। वास्तविक लक्ष्य अनुमानित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम/योजनाएं परिवारोन्मुख हैं तथा आवंटन आधारित प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान संप्रेषित किए जाते हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित/ जोड़कर तैयार किया जाता है।

3	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	750.00	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV पूरा कर लिया है।	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 2034563 प्रत्याशित लाभार्थियों के लिए 748.39 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए है, जिसमें अध्ययनों के सभी ग्रुपों में 720917 प्रत्याशित महिला लाभार्थियों के लिए 269.42 करोड़ रू शामिल हैं।
4	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	212.12	विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कक्षा 9 तथा 10 पास कर ली है	2123512 अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों के लिए 219.43 करोड़ रू का अनुदान असम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य से सरकारों को जारी किए गए जिसमें 50.47 करोड रू 478187 अनुसूचित जनजाति की लडकियों के लिए है।
5.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान कार्यक्रम	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान कार्यक्रम	1317.00	चूंकि निधियन जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना में अंतर को भरने के लिए तथा प्रशासन के स्तर सुधार के लिए है, इससे जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की समग्र रूप से प्रगति होगी। तथापि, परियोजनावार परिमाणीकरण सम्भव नहीं है। दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, आयोजना से कार्यान्वयन स्तर तक महिलाओं की सहभागिता के अधिकारों सहित परियोजनाओं/योजनाओं को तैयार करते समय, ध्यान केंद्रीत होना चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार से नियोजित की जाएं कि महत्वपूर्ण लाभ, कम से कम 30% के अनुपात में, महिलाओं के लिए लक्षित हो। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)-153 विद्यालय	31.03. 2014 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत 1097. 14 करोड़ रु. 22 राज्यों में 164 विद्यालय जिसमें से 115 प्रचालन में है।

6.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	जनजातीय जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.44	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	इस योजना में 10 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह मे कम से कम पांच महिलाओं को शामिल करने का प्रावध ान है। 2013-14 के दौरान अलग-अलग राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
7	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार	0.50	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	31.12.2013 तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की जांच की जा रही है।
8.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	125.00	(i) निर्मित छात्रावासों की क्षमता (ii) अधिभोग दर	विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ विश्व-विद्यालयों को 44 छात्रावासों के निर्माण के लिए 101.05 करोड़ रु. का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। जिसमें 89.66 करोड़ रु. 37 महिला छात्रावास के लिए हैं।
9.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00 (सं.अ.)	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए है। वर्ष 2013-14 के दौरान (31.03.2014 तक) 95 शैक्षणिक परिसरों को वित्तपोषित किया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 21536 लड़कियों को कवर किया गया है और 40.30 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।

अध्याय 16

विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

16.1 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:

(क) नेत्रहीन अध्येताओं के लिए वाचक भत्ता:

पाठ्यक्रम का स्तर	वाचक भत्ता (रुपये प्रति माह)
समूह-I, II	240
समूह-III	200
समूह-IV	160

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रवास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। विकलांग व्यक्ति की विकलांगता को (समान अवसर अधिकार और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता, नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग अध्येता दिवा छात्रों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 160 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240 रुपये प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (घ) में प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा उन्नयन:

16.2 जहां कहीं संभव हो, 3% अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त, विकलांग विद्यार्थियों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:-

(क) कक्षा 9 से 12 में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रतिमाह का वाचक भत्ता;

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ता, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। उक्त अधिनियम के अनुसार विकलांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है;

(ग) किसी शैक्षिक संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 150 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(घ) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग दिवा स्कोलर विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए प्रतिमाह अंगरक्षण भत्ता।

(ख) से (घ) में दिए गए प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त से उपचारित विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

16.3. शारीरिक रुप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

16.4. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना

16.5. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

कक्षा 9 तथा 10 मे पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

16.6 निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ते

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत 3,000 रुपये वार्षिक की दर से सहायता, सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकाय के विद्यालयों तथा सरकार द्वारा सहायित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे विकलांग विद्यार्थियों को इसके 'विद्यार्थी उन्मुख घटक' के तहत पहले ही दी जा रही है। तथपि, असहायित विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अत: निजी असहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों हेतु पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है:

असहायित गैर-सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपये में)
1) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
2) विकलांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अन्दर है, में नहीं रहते हैं।	160
3) गंभीर रुप से विकलांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी।	160
4) सैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रुप से गंभीर विकलांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रवास के किसी कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत है।	160
5) मानसिक रुप से कमजोर तथा मानसिक रुप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग।	240

टिप्पणी: विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

एनजीओ की योजनाएं

16.7. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे एनजीओ की योजनाओं के तहत तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे एनजीओ को सलाह दें कि वे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों जैसे भवनों में "अवरोध मुक्त वातावरण" जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

अध्याय 17
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

पृष्ठ भूमि :

17.1 वन निवासी इस देश के सबसे गरीब लोग हैं। कई जनजातीय लोग तथा अन्य वन समुदायों के लिए वन आजीविका, पहचान, रीति-रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रहे वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि पर कब्जा किए हुए थे। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

17.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वन क्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रुप से रह रहे हैं, विधायी ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर-अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा आधुनिक नियामक ढांचे की अनभिज्ञता, जिन क्षेत्रों में वे रह रहे हैं तथा जिन पर वे निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकार को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधन के स्वरुप में शामिल किया। वन तथा वन भूमि से जनजातीय समुदाय भावनात्मक रुप से तथा वास्तविक रुप से हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण शायद कार्यकाल में असुरक्षा की भावना तथा भूमि से बेदखली, जहां वे पीढ़ियों से रहते आ रहे थे तथा संपन्न थे, का डर होगा। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यत: वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम प्रचालन में आया है।

17.3 अधिनियम वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से आगे जाता है और वन अधिकार धारकों को किसी भी समुदाय के वन स्रोतों की रक्षा, पुन: सृजन, संरक्षण तथा प्रबंध का भी अधिकार देता है। संसाधन प्रशासन में यह निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में इसे ठीक ही मील का पत्थर कहा गया है। अधिनियम में सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े साकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

17.4 वन अधिकार अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

(1) अधिनियम की धारा 3 में अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे। ये वन अधिकार हैं:

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व-कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार है।

(ख) भूतपूर्व राजसी राज्यों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त समुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जो भी नाम हो।

(ग) लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार जिसे गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया गया है।

(घ) सामुदायिक अधिकार जैसे मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतु या चरवाहा समुदायों के परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच।

(ड.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

(च) किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमियों पर अधिकार।

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

(ज) सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर-सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के निपटान तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

(झ) किसी समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, सुधार या संरक्षण का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

(ञ) अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हो या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हो।

(ट) जैव-विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव-विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार जैसा भी मामला हो जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें जंगली जानवर की किसी भी प्रजाति का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के एक हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

(ड) वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित पुनर्वास के बदले में अधिकार।

(ढ) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविध ाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

(2) इस अधिनियम की धारा 4(1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों को मान्यता देता है तथा इन्हें प्रदान करता है।

(3) अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुनर्स्थापन हेतु प्रावधान है जो विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसी शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकारधारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अनुत्क्रमणीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनर्स्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्यिों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनर्स्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकारधारकों को पुन:स्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग के लिए पुन: बदला नहीं जाएगा।

(4) अधिनियम की घारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्यिों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

(5) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(6) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी भार बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(7) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकता है कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षति पूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार जहां उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(8) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती आवाह क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्यस संवेदनशील पारिस्थकीय क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों और जैव विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, की रोक को संकलित किए जाने को सशक्त करती है।

(9) इस अधिनियम की धारा 6(अध्याय-4) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन टियर संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसुचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारम्भिक प्राधिकरण है। उप-मण्डल स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप-मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों के रिकार्ड पर जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति है।

(10) अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

(11) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

(12) धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय-4 में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

(13) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त हेतु किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति :-

17.5 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 37,42,576 है, जिसमें से 30,53,373 दावे निपटा दिए गए हैं और 14,32,556 अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा ने सबसे अधिक अधिकार पत्र जारी किए हैं जिनकी संख्या 3,31,939 है (3,28,808 व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 3131 सामुदायिक अधिकार पत्र)। आंध्रप्रदेश का वन क्षेत्र सबसे अधिक है जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। आंध्रप्रदेश में कुल वन क्षेत्र 14,56,542 एकड़ है जिसके संबंध में अधिकार पत्र जारी किया गया है।

हाल ही में की गई पहलें

17.6 यह अधिनियम पांच वर्ष से अधिक समय से प्रचालन में है और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। इसके लागू किए जाने अर्थात जनवरी, 2008 से पात्र वन अधिवासियों को चौदह लाख अठारह हजार से अधिक अधिकार पत्र पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में हुई इस प्रगति के बावजूद, कतिपय अड़चनों के कारण, वन अधिवासियों को इस कानून के प्रत्याशित लाभ सीमित रहे हैं। नियमों में कुछ खामियों के कारण कई प्रचालनात्मक मुद्दे भी मंत्रालय की जानकारी में आए हैं जो इस अधिनियम के अक्षरशः कार्यान्वयन में बाधक रहे थे। ये हैं: वन अधिवासियों को लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के निर्बाध पूर्ण अधिकार को मान्यता न देना। कुछ सामुदायिक अधिकारों की गैर-मान्यता जैसे निस्तार अधिकार, सभी वन ग्रामों, पुराने अधिवासों असर्वेक्षित ग्रामों इत्यादि का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन। जनता में इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में अपर्याप्त जागरूकता, विशेषतः इस अधिनियम के तहत विहित, प्राधिकारियों के निर्णयों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा याचिकाएं दायर करने संबंध-उपबंध), कार्यान्वयन अधिकारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि भी कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इस अधिनियम का अक्षरशः कार्यान्वयन नहीं हो सका।

17.7 उपर्युक्त बातों का समाधान करने और इस अधिनियम का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने कुछ व्यवस्थाएं व उपाय करने के लिए एक प्रयोग किया ताकि इस अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन किया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जुलाई, 2012 में राज्यों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए

और 6 सितंबर, 2012 को एफआरए नियमों में संशोधन अधिसूचित किए। इन संशेधनों के महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे दिए गए हैं।

17.7.1 ग्राम सभा के कोरम में सदस्यों की संख्या दो तिहाई से घटाकर आधा करना और वन अधिकारों का दावा करने वालों की कम से कम 50% उपस्थिति सुनिश्चित करना। यहां वन अधिकारों के दावों के सम्बन्ध में कोई संकल्प पास किया जाता है और ऐसे संकल्प उपस्थित और वोट देने वाले व्यक्तियों की सामान्य बहुमत से पास किये जाते हैं।

17.7.2 वन अधिकार समिति में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की संख्या को एक तिहाई से बढ़ाकर दो तिहाई करना। वशर्ते कि इनमें कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलायें हों।

17.7.3 दावों की अस्वीकृतियां संशोधन के निर्णय को दावाकर्ता को सूचित करना और याचिका दायर करने के मामले में सुनवाई के लिए दावाकर्ता को उचित अवसर देना।

17.7.4 नियम 13 में निर्दिष्ट साक्ष्यों के किन्ही दो फार्मो के साथ दावों की गैर-नामंजूरी, लिखित रूप में बिना कोई कारण बताए, दावों पर विचार करने के लिए साक्ष्य के किसी विशेष फार्म पर जोर न देना।

17.8 मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ एफआरए के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और निम्नलिखित के बारे में प्रस्तुतीकरण देने के लिए 16.05.2013 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों और आयुक्तों/निदेशकों के साथ एक बैठक आयोजित की थी 1. एफआरए संशोधन नियमावली, 2012 की अधिसूचना के पश्चात एसएलएमसी की बैठकें आयोजित की गई, 2. नई दिल्ली में 03.12.2012 को राज्यों के साथ हुई राष्ट्रीय संवीक्षा सह अभिमुखीकरण बैठक की कार्रवाई में सूचीबद्ध निदेशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय।

17.9 मंत्रालय ने अधिनियम के प्रत्येक पहलू/प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी है ताकि (बडाऊ)अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सामूहिक अधिकार पत्रों का वितरण, जो कि एक प्रमुख चिंता का विषय है, दिसंबर, 2012 तक 8498 अधिकार पत्र था जो इस मंत्रालय के अथक प्रयासों से बढ़कर नवंबर, 2013 के अंत में 22,430 अधिकार पत्र हो गया है।

7.10 जिन कुछ राज्यों की दावों की अस्वीकृति की दर अधिक थी, उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय के कहने पर अस्वीकृत दावों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है और गलत रूप से अस्वीकृत किए गए दावों की जांच की जा रही है।

17.11 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में राज्य सरकारों ने एफआरए के तहत अधिकार धारकों को राज्य सरकारों की विभिन्न आजीविका योजनाओं और केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के उपाय किए हैं।

17.12 गढ़चिरौली के जिला समाहर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर निदेश जारी करके उदाहरण प्रस्तुत किया है कि समुदाय/ग्राम सभाएं मान्यता संबंधी प्रक्रिया के पश्चात अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

17.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साकारात्मक उपाय भी किए हैं और अधिकारों का रिकार्ड सृजित करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र जारी किए हैं ताकि वन निवासियों को मुख्य धारा में लाया जा सके और इन्हें अन्य अधिकार धारकों के समान समझा जाए। अधिकार पत्र में जाति/जनजाति, शामिल करके यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है ताकि भविष्य में इन्हे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

17.14 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों को भी स्पष्टीकरण दिया है कि गैर वन परियोजना के लिए वन भूमि को देने से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति आवश्यक है और एफआरए में परियोजना की किसी भी श्रेणी के लिए ढील देने का प्रावधान नहीं है।

17.15 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने यूएनडीपी की साझेदारी में नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं:

- 30 और 31 जुलाई, 2013 को रांची, झारखण्ड में एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में एफआरए के कार्यान्वयन पर पहला दो दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया गया था जिसमें पश्चिम बंगाल के अलावा सभी एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों ने भाग लिया था। इस परामर्श में, अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा की गई थी।
- 23 और 24 सितम्बर, 2013 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में एफआरए के कार्यान्वयन पर विषयाधारित दूसरा क्षेत्रीय

परामर्श आयोजित किया गया था। जिसमें समुदायिक अधिकारों के कार्यान्वयन और प्रबंधन और इस मंत्रालय द्वारा यथा आयोजित समुदायिक वन संशाधन अधिकारों के प्रशासन पर बल दिया गया था।

- इस मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 28-29 अक्टूबर, 2013 को गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों के साथ तीसरा विषय आधारित क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय कार्यशालाओं ने राज्य में एफआरए के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है।

17.16 इन परामर्शो में राज्य सरकारों को इस बात के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि केन्द्र सरकार एफआरए और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बहुत महत्व देती है। मंत्रालय के हस्तक्षेपों ने वन निवासी समुदायों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले महत्वपूर्ण कानून के रूप में एफआरए के प्रोफाइल का दर्जा बढ़ाने में योगदान दिया है जिसे वन भूमि के विपथन करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

17.17 मंत्रालय द्वारा परामर्शो में सामूहिक अधिकारों के महत्व पर बार-बार बल देने से राज्यस्तरीय अधिकारियों द्वारा सामुदायिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया जाने लगा है जबकि प्रारंभ में व्यक्तिगत आधारों पर जोर दिया जाता था।

17.18 नियामगिरि मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने एफआरए के प्रावधानों का समर्थन किया है, निवासियों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विनाश को रोकने की ग्राम सभा के अधिकारों को रेखांकित किया है, जिससे पीवीटीजी और पूर्व कृषि समुदायों के अधिवासी अधिकारों को भी महत्व दिया है।

17.19 मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करने में मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी भी की है। एफआरए और अन्य नीति तथा अनुसंधान संबंधी समर्थन सहित टीएसपी के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता भी दी जा रही है।

प्रगति

17.20 इस मंत्रालय के सतत प्रयासों से यह आशा की जाती है कि सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेषत: सामुदायिक अधिकारों एवं पीटीजी के अधिवास अधिकारों को मान्यता देने से, आने वाले वर्षो में जोर पकड़ेगा। राज्य सरकारें, जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से, जमीनी स्तर पर इस ऐतिहासिक अधिनियम का पूरा उद्देश्य हासिल करने के लिए अंतिम कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन एक मिशन के तौर पर करेंगी।

अध्याय 18

सूचना का अधिकार-आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

18.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पीसी एंड वी अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त सभी आवेदनों तथा फीस के रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टियां करने के बाद, आवेदनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाता है। मंत्रालय से संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों का विवरण **अनुलग्नकः 18-क तथा 18-ख** में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं को (यथा संशोधित) इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दिया गया है। मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए श्री गोपाल साधवानी, उप सचिव (प्रशासन/पीसी एण्ड वी) को ''नोडल अधिकारी'' मनोनीत किया गया है।

18.2 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी); और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत (दिनांक 1.4.2013 से 31.03.2014 तक) प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नांकित हैं :

(क)	'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या	–	676
(ख)	उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या	–	641

अनुलग्नक : 18-क

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं.
1.	श्रीमती नमिता प्रियदर्शी	निदेशक (एचएलसी)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, दूरभाष सं. 26182428
2.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (एसजी)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23073708
3.	श्री पी.के. साहू	अवर सचिव (एनजीओ)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073709
4.	श्री के. चन्द्रसेकर	अवर सचिव (प्रशासन)	कमरा सं. 400, बी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23387187
5.	श्री आर.सी. ध्यानी	अवर सचिव (पीसीएण्डवी)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408/23381903
6.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव (सीपीएण्डआर)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182089
7.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव (अनुसंधान)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182089
8.	श्री डी.एन. मण्डल	उप निदेशक(सांख्यिकी)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182153
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अवर सचिव (शिक्षा)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23386980
10.	श्री एम.के. झा	अवर सचिव (आईएफडी)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073708
11.	श्री यू.के. कर	अवर सचिव (एफआरए)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182429
12.	सुश्री पूर्णिमा शर्मा	संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	कमरा सं. 216-जे, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23383728
13.	सुश्री पूर्णिमा टुडू	अवर सचिव (सीएण्डएलएम)	कमरा सं. 218बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408

***31.03.2014 तक**

अनुलग्नक : 18-ख

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम और पता	दूरभाष संख्या/ईमेल	प्रभाग/अनुभाग
1	श्री अशोक	संयुक्त सचिव कमरा सं. 722, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073489	उच्च स्तरीय समिति
2	श्री राजीव प्रकाश	निदेशक कमरा सं. 214, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073706 rajeev.prakash@ nic.in	सीएण्डएलएम/(केवल अनुसूची करण)
3	श्री एस.एम. सहाय	निदेशक कमरा सं. 736, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073176 sm sahai@nic.in	एसजी/एफआरए
4	श्री एस. दास	निदेशक कमरा सं. 212, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23387396 subrata.d@nic.in	आईएफडी
5	श्री बिस्वरंजन सस्माल	निदेशक कमरा सं 401'बी' विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली	23070508	शिक्षा
6	श्री गोपाल साधवानी	उप सचिव कमरा सं. 218-ए, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383965 sadhwani.gopal@ nic.in	प्रशासन/पीसीएण्डवी/रा.भा.मीडिया
7	सुश्री निवेदिता	उप सचिव अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	26182428 nivedita13@nic.in	सीपीएण्डआर/अनुसंधान
8	श्री रूपक चौधरी	उप सचिव कमरा सं. 401, 'बी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23386893 r.chaudhari@nic. in	सीएण्डएलएम (अनुसूचीकरण तथा कार्यबल के अलावा)/सभी नीतिगत मुद्दे
9	श्रीमती शायला टाइटस	उप सचिव कमरा सं. 216, जे.डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23387444 s.titus@nic.in	एनजीओ
10	श्री पी.एल. वर्मा	उप सचिव (आर्थिक प्रभाग) अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	26182823 pl.verma@nic.in	आर्थिक प्रभाग
11	श्रीमती हनी सी.एच	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	26182814 ch.honey@nic.in	सांख्यिकी

***31.03.2014 तक**

अध्याय 19

जनजातियों के जनसांख्यिकी रूझान

जनसांख्यिकी रूझान

19.1 जनसंख्या विवरण: 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.43 करोड़ है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। 1961 से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार 1951 से 2011 के दौरान राज्यवार समग्र जनसंख्या, अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या , वृद्धि दर इत्यादि **अनुलग्नक 19(क)** पर दी गई है।

19.2 वृद्धि : जनजातीय जनसंख्या के संबंध में जनगणना वर्ष 1971 से 1981 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि संपूर्ण जनसंख्या (25.0 प्रतिशत) की तुलना में अधिक (35.79 प्रतिशत) रही है। जनजातीय जनसंख्या के संबंध में जनगणना वर्ष 1981 से 1991 के बीच में दशकीय वृद्धि संपूर्ण जनसंख्या (23.51 प्रतिशत) की तुलना में अधिक (31.64 प्रतिशत) रही है। जनजातीय जनसंख्या के संबंध में जनगणना वर्ष 1991 से 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि संपूर्ण जनसंख्या (22.66 प्रतिशत) की तुलना में अधिक (24.45 प्रतिशत) रही है। इसी प्रकार 2001 से 2011 के दौरान संपूर्ण जनसंख्या की 17.69 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 23.66 प्रतिशत रही है। सिक्किम राज्य में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में 85.23 प्रतिशत की अधिक वृद्धि दर देखी गई है। जिसके बाद बिहार में यह दर 76.25 प्रतिशत रही है। कुछ मामलों में जनसंख्या वृद्धि की अधिक दर अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करने का परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातीय की जनसंख्या के संबंध में निम्न वृद्धि दर लक्षदीप में (6.63 प्रतिशत) दर्ज की गई जिसके बाद दमन और दीव (9.76 प्रतिशत) का स्थान आता है।

19.3 लिंग अनुपात : समग्र जनसंख्या (1000 पुरूषों पर 943 महिलाएँ) के लिए लिंग अनुपात की तुलना में अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात अधिक अनुकूल है। जो कि 1000 पुरूषों पर 990 महिलाएं (2011 की जनगणना) है। यद्यपि यह भी घट रहा है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड के अतिरिक्त सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का लिंग अनुपात सामान्य लिंग अनुपात की तुलना में बेहतर रहा।

19.4 बाल लिंग अनुपात : 2001 की जनगणना से यह पता चलता है कि पूरे देश के लिए सामान्य जनसंख्या के लिए 0–6 वर्ष समूह में बाल लिंग दर 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी। अनुसूचित जनजातियों के मामलों में यह अनुपात अधिक अनुकूल था और यह 1000 लड़कों पर 1972 लड़कियों था। 2011 में सामान्य जनसंख्या में बाल लिंग दर और घट कर 1000 लड़कों पर 919 लड़कियाँ हो गया। अनुसूचित जनजातियों के बीच स्थिति यद्यपि गिर रही है तथापि, 1000 लड़कों पर 957 लड़कियाँ तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर रही।

गोवा राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात सकारात्मक है। 2011 में वहाँ 1000 लड़कों पर 1046 लड़कियाँ थीं। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के राज्यवार विवरण जो लिंग अनुपात दर्शाते हैं उसके आँकड़े **अनुलग्नक 19–ख** पर हैं।

19.5 साक्षरता : वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के दौरान भारत में कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हुई जबकि अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता दर 47.1 प्रतिशत से बढकर 59 प्रतिशत हुई। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के पुरूषों के बीच साक्षरता 59.2 प्रतिशत से बढ़कर 68.5 प्रतिशत हुई और अनुसूचित जनजातियों महिलाओं की साक्षरता दर 34.8 प्रतिशत से बढ़कर 49.2 प्रतिशत हुई। अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता सामान्य जनसंख्या की समग्र महिला साक्षरता की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत कम है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के बीच कुल और महिला साक्षरता में महत्पूर्ण वृद्धि हुई है।

वर्ष 1961 में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 8.53 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 59.0 प्रतिशत हो गई जबकि कुल जनसंख्या में समानुरुपी वृद्धि 1961 के 28.30 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011 में 73.0 प्रतिशत हुई। विवरण **तालिका 19.1** पर दिए गए हैं।

तालिका 19.1: सभी सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता

वर्ष	अनुसूचित जन जाति			सभी सामाजिक समूह		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84
2011	68.5	49.4	59.0	80.9	64.6	73.0

स्रोत : भारत के महापंजीयक

2001 से 2011 तक अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर 11.9 प्रतिशत बढ़ी और इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या के लिए 8.16 प्रतिशत वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजातियों के महिला-पुरूषों का साक्षरता दर का अंतर 2001 में 22.46 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 24.41 प्रतिशत हुआ। जबकि कुल जनसंख्या के लिए यह 2001 के 24.84 प्रतिशत बिन्दु से घटकर 2011 में 21.59 प्रतिशत हुआ।

19.6 वर्ष 2011 के अनुसूचित जनजातियों और पूरी जनसंख्या के लिए साक्षरता अंतर का प्रतिशत 12.4 से लेकर 15.2% तक भिन्न-भिन्न है। वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू तथा कश्मीर, गुजरात और दादर व नगर हवेली जैसे राज्यों में कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता दर का प्रतिशत अंतर 14.0 (अर्थात पूरे भारत में साक्षरता अंतर) से अधिक है। सभी राज्यों में 2001 और 2011 के बीच साक्षरता दर अंतर में कमी दर्ज की गई है।तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता का अंतर 20 प्रतिशत बिन्दु से अधिक है। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक 19 ग** में दिए गए हैं।

पिछड़ेपन के संकेत

19.7 2011 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार 34.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कृषक थे, 44.5 प्रतिशत कृषि श्रमिक थे, 1.8 प्रतिशत घरेलू उद्योग में कामगार थे और 19.2 प्रतिशत अतिरिक्त व्यवसायी कामगार थे। ये असमानताएं औपचारिक शिक्षा में अधिक शिक्षा छोड़ने की दर से बढ़ गई। परिमामस्वरूप उच्च शिक्षा में अनानुपातिक निम्न प्रतिनिधित्व रहा। इसका संचयी प्रभाव कोई आश्चर्य नहीं की अनुसूचित जनजातियों का अनुपात गरीबी रेखा से नीचे राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है।योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे वे 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रें में 47.4 प्रतिशत थे और शहरी क्षेत्रों में 30.4 प्रतिशत थे। राज्यवार विवरण नीचे **तालिका 19.2** में दिए गए हैं :

तालिका 19.2: गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजातियों का राज्यवार प्रतिशत : 2009-10
(तेंदुलकर विधि)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1.	आन्ध्रप्रदेश	40.2	21.2
2.	असम	32.0	29.2
3.	बिहार	64.4	16.5
4.	छत्तीसगढ़	66.8	28.6
5.	गुजरात	48.6	32.2
6.	हिमाचल प्रदेश	22.0	19.6
7.	जम्मू और कश्मीर	3.1	15.0
8.	झारखण्ड	51.5	49.5
9.	कर्नाटक	21.3	35.6
10.	केरल	24.4	5.0
11.	मध्य प्रदेश	61.9	41.6
12.	महाराष्ट्र	51.7	32.4
13.	उड़ीसा	66.0	34.1
14.	पंजाब	16.1	15.0
15.	राजस्थान	35.9	28.9
16.	तमिलनाडु	11.5	17.6
17.	उत्तर प्रदेश	49.8	20.2
18.	उत्तराखण्ड	20.0	0.0
19.	पश्चिम बंगाल	32.9	20.6
	अखिल भारतीय	**47.4**	**30.4**

स्रोत : योजना आयोग

अनुसूचित जनजाति बनाम अन्यों के स्वास्थ्य सूचक

19.8 अनुसूचित जनजातियों और अन्य अलाभकारी सामाजिक आर्थिक समूह के लिए नवजात मृत्यु दर 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु दर **तालिका 19.3** मे दर्शाए गए आँकड़ों के अनुरूप है।

तालिका 19.3 राज्यवार बाल स्वास्थ्य सूचक : नवजात मृत्यु दर और 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य	नवजात मृत्यु दर (आईएमआर)		5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु दर (यूएसएमआर)	
		सभी	अनु. जन. जाति	सभी	अनु. जन. जाति
	अखिल भारतीय	57	62.1	74.3	95.7
1	आंध्रपदेश	68.4	(94.1)	78.7	(112)
2	अरूणाचल प्रदेश	60.7	67.6	87.7	100.9
3	असम	66.1	59	85	83.2
5	छत्तीसगढ़*	80.8	90.6	105.5	128.5
7	गुजरात	62.8	(86.0)	77.0	(115.8)
10	जम्मू और कश्मीर	45.5	(34.3)	53.8	*
11	झारखण्ड*	76.6	93.0	112.4	138.5
12	कर्नाटक	53.0	(45.8)	66.2	(77.9)
14	मध्य प्रदेश	81.9	95.6	108.2	140.7
15	महाराष्ट्र	45.3	51.4	53.4	69.8
16	मणिपुर	29.7	51.2	41.9	71.4
17	मेघालय	44.6	49.3	70.5	74
19	नागालैण्ड	38.3	45.8	64.7	65.8
20	उड़ीसा	67.7	78.7	94.7	136.3
22	राजस्थान	72.7	73.2	93.3	113.8
23	सिक्किम	33.7	28.9	40.1	35.9

स्रोत: एनएफएचएस-3, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

( ) 250-499 आउंस भार के मामलों पर आधारित

* 250 से कुछ कम आउंस भार वाले मामले जिसमें आयु अंतराल के आरंभ में जीवित रहते हैं इसके आधार पर दरेंनहीं दिखाई जाती ।

19.9 अनुसूचित जनजाति और कुल जनसंख्या के लिए शिशु मृत्य दर (आईएमआर), 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यूएफआइएमआर) कुछ राज्यों के लिए तालिका 19.4 में दर्शायी गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शिशु मृत्यु दर प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश (25.7 प्रतिशत), गुजरात (23.2) और मणिपुर (21.5) में बहुत अधिक है। जबकि असम, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक व सिक्किम के राज्यों में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के लिए शिशु मृत्यु दर सामान्य जनसंख्या से क्रमशः 7.1, 11.2, 7.2 और 4.8 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मृत्यु दर ओडिशा (41.6), गुजरात (38.8), आन्ध्र प्रदेश (33.3) और मध्य प्रदेश (32.5) में बहुत अधिक है। सिक्किम और असम राज्यों के लिए अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सामान्य जनसंख्या से 4.2 और 1.8 प्रतिशत बिन्दु कम है।

शिक्षा

19.10 शिक्षा के प्राथमिक चरण (कक्षा 1-8) के लिए सकल नामांकन अनुपात की आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष से कम में अनुमानित बच्चों की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्तर में नामांकन के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस चरण में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सकल नामांकन अनुपात 2004-05 में 102.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 119.4 प्रतिशत हो गया है और कुल जनसंख्या के लिए 2004-05 के 93.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 99.8 प्रतिशत हो गया। तथापि, अनुसूचित जनजातीय बच्चों के मामले में वर्ष 2009-10 में मामूली गिरावट देखी गई है। प्राथमिक चरण (1-8) पर कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्षवार सकल नामांकन अनुपात **तालिका संख्या 19.4** पर दिया गया है।

तालिका 19.4 : प्राथमिक चरण (1-8) के लिए सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	अनुसूचित जनजाति			कुल जनसंख्या		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1995-96	105.7	75.1	90.9	86.9	69.4	78.5
1999-2000	99.3	70.9	85.2	90.1	72.0	81.3
2000-01	102.5	73.5	88.0	90.3	72.4	81.6
2001-02	99.8	77.3	88.9	90.7	73.6	82.4
2002-03	86.7	73.9	80.5	85.4	79.3	82.5
2003-04	90.6	81.1	86.1	87.9	81.4	84.8
2004-05	108.5	95.8	102.4	96.9	89.9	93.5
2005-06	111.9	100.6	106.4	98.5	91.0	94.9
2006-07	114.7	104.2	109.6	100.4	93.5	97.1
2007-08	114.7	104.2	109.6	102.4	98.3	100.5
2008-09	122.0	116.6	119.4	100.4	99.1	99.8
2009-10 (अनंतिम)	121.1	116.4	118.9	103.8	101.1	102.5

स्रोत : विद्यालयी शिक्षा के आँकड़े, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2009-10

इन चरणों में नामांकन में कम आयु और अधिक आयु शामिल है। अत: कुल प्रतिशतता कुछ मामलों में 100 से अधिक हो सकती है।

प्राथमिक चरण में सामान्य नामांकन अनुपात में लिंग असमानता में तेजी से कमी आई है। 2004-05 में अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए असमानता कारक 12.7 प्रतिशत से गिर कर 2009-10 में 4.7 प्रतिशत बिन्दु हो गया। कुल जनसंख्या के लिए गिरावट 2004-05 में 7.0 प्रतिशत बिन्दु से 2009-10 में 2.7 प्रतिशत बिन्दु हो गई। यद्यपि देश के शिक्षा के प्राथमिक चरण (1-8) अनुसूचित जनजातीयों के लिए सामान्य नामांकन अनुपात का स्तर 1990-91 से 2009-10 तक पर्याप्त रूप से बढ़ा है, अनुसूचित जनजातियों का सामान्य नामांकन अनुपात कुल जनसंख्या के स्तर पर लाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहने चाहिए।

19.11 अनुसूचित जनजातीय परिवार का प्रतिशत जिनके पास बैंक खाता है और जिनके पास कुछ स्थायी परिसंपत्तियां हैं-अनुसूचित जनजाति और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक स्थिति

अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक स्थिति पूरी जनसंख्या के अखिल भारतीय स्तर पर 58.7 प्रतिशत परिवार और अनुसूचित जनजातीय परिवारों के लगभग 45 प्रतिशत बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। देश में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रें में अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह बैंकिंग सेवाएं प्रयोग करने में सबसे ऊँचे स्थान (92.3 प्रतिशत) पर है। उच्च श्रेणी में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (89.1 प्रतिशत), लक्षदीप (85.3 प्रतिशत), गोवा (81.2 प्रतिशत) और उत्तराखण्ड (80.4 प्रतिशत) हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातीय परिवार 24.8 प्रतिशत (मणिपुर) से 70.7 प्रतिशत (त्रिपुरा) की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में, मणिपुर पूरे देश में सभी परिवारों और अनुसूचित जनजातीय श्रेणी दोनों में बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त करने में सबसे निम्न (24.8 प्रतिशत) स्थान पर देखे गए हैं। अखिल भारतीय स्तर अनूसूचित जनजातीय परिवारों और सभी परिवारों द्वारा सभी अन्य परिसंपत्तियों के बीच बाईसाइकिल, मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट के मामले में कंप्यूटर, दोपहिया की तुलना में अधिक हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवार का प्रतिशत जिनके पास मोबाइल अधिक संख्या में हैं वे दमन व दीव, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जो 63.4 से 68.9 प्रतिशत की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवार जिनके पास टीवी है उनका प्रतिशत तमिलनाडु में (81.0 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (68.2 प्रतिशत) दमन व दीव (66.2 प्रतिशत), और गोवा (65.1 प्रतिशत) में अधिक है। (**अनुलग्नक : 19-घ** में विस्तृत तालिका देखें।)

19.12 अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत और उनके रोशनी के स्रोत का प्रतिशत-अनुसूचित जनजाति और सभी सामाजिक समूहों का तुलनात्मक स्थिति।

अखिल भारतीय स्थिति दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति परिवारों और सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है जिसके बाद मिट्टी के तेल का प्रयोग आता है। सभी परिवारों में 67.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों में 51.7 प्रतिशत के पास बिजली है और सभी परिवारों में 31.4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों में 45.6 प्रतिशत मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। लक्षदीप में 99.7 प्रतिशत परिवारों के पास प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है और यह देश में सबसे अधिक है इसके बाद दमन व दीव (96.6 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.5 प्रतिशत), अण्डमान व निकोबार द्वीव समूह (94 प्रतिशत) और गोवा (93.8 प्रतिशत) आते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातीय परिवारों में सिक्किम का स्थान सबसे ऊपर है (90.8 प्रतिशत) इसके बाद मिजोरम (84.3 प्रतिशत) और नागालैंड (81.2 प्रतिशत) आते हैं। अन्य राज्य 66.2 प्रतिशत 28.0 प्रतिशत की श्रेणी में आते हैं जिनमें असम सबसे नीचे है। बिहार और ओडिशा की स्थिति गंभीर है क्योंकि वहाँ पर 11.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार (निम्नतम) के पास बिजली है जबकि अन्य परिवारों की प्रतिशतता 16.4 है और ओडिशा में सभी परिवारों के 43 प्रतिशत की तुलना में 15.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास बिजली है। बिहार और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति परिवारों की प्रतिशतता अधिक है जो मिट्टी के तेल का प्रयोग करती है। (**अनुलग्नक 19 ड़** में विस्तृत तालिका देखें)।

19.13 अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत जिनके परिसर में शौचालय और स्नान की सुविधा है- अनुसूचित जनजाति और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक स्थिति

आँकड़ा दर्शाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में से 46.9 प्रतिशत के पास जिसमें से 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं जबकि कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर लक्षदीप सबसे ऊपर स्थान पर है क्योंकि उसके 98.3 प्रतिशत परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय की सुविधा है कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम (91.9 प्रतिशत), अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (88.2 प्रतिशत), सिक्किम (85.9 प्रतिशत), मणिपुर (82.3

प्रतिशत), नागालैंड (74.8 प्रतिशत) और केरल (71.4 प्रतिशत) है। ओड़िशा अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1 प्रतिशत के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22 प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर में सभी परिवारों के 8.9प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवारों का 5.2प्रतिशत मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। कई अन्य राज्यों जैसे मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दादर व नगर हवेली में इस रीति का उपयोग किया जा रहा है।

खुले में शौच जाने की यह रीति देश में प्रचलन में है जिसमें राजस्थान सभी परिवारों के 60.4 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवारों के 91.7 प्रतिशत के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इस श्रेणी में इस रीति का प्रयोग करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की स्थिति इस प्रकार है ओडिशा 91.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 90.9 प्रतिशत, झारखण्ड 90.8 प्रतिशत, बिहार और छत्तीसगढ़ 85 प्रतिशत और दादर व नगर हवेली 81 प्रतिशत के साथ आते हैं। अधिकांश राज्यों में सभी परिवारों की तुलना में जो खुले में शौच का विकल्प का उपयोग करते हैं अनुसूचित जनजातीय परिवार सबसे ऊपर हैं। इस वर्ग में निम्नतम राज्य लक्षदीप (1.5 प्रतिशत) है, जिसके बाद मिजोरम (6.6 प्रतिशत), अण्डमान व निकोबार दीप समूह (11.5 प्रतिशत) और सिक्किम, मणिपुर, और नागालैंड के पूर्वोत्तर राज्य क्रमशः 12.8 प्रतिशत, 16.4 प्रतिशत और 17.8 प्रतिशत पर आते हैं। लक्षदीप में 96.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास अपने परिसरों में नहाने की सुविधा है। इसके बाद अण्डमान व निकोबार दीपसमूह (85.1 प्रतिशत), मिजोरम (65.5 प्रतिशत), सिक्किम (61.8 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (57 प्रतिशत) में अनुसूचित जनजाति परिवार आते हैं जबकि सभी परिवारों की प्रतिशतता क्रमशः इस प्रकार है: 63.5 प्रतिशत, 65.2 प्रतिशत, 65.1 प्रतिशत, 67.5 प्रतिशत है। राज्य जहाँ परिसरों के भीतर स्नान की सुविधा है इसमें सबसे नीचे ओडिशा (3.4 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (4.1 प्रतिशत), झारखण्ड (5.2 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (5.4 प्रतिशत), त्रिपुरा (6.6 प्रतिशत) और बिहार (7 प्रतिशत) आते हैं। अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास परिसरों में ही स्नान करने की सुविधा है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत लक्षदीप का है जो कि 96.6 प्रतिशत है और ओडिशा 3.4 प्रतिशत के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है।(**अनुलग्नक 9-च** में विस्तृत तालिका देखें)

19.14 जनगणना की स्थितियों के अनुसार अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत जिनके पास घर हैं - अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक स्थिति

अखिल भारतीय स्तर पर कुल परिवारों के 53 प्रतिशत की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनूसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अण्डमान और निकोबार दीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के साथ है जिनके पास अच्छे मकान हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत के साथ बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत के साथ और असम 32 प्रतिशत के साथ आता है। दस राज्य अखिल भारतीय अनुसूचित जनजातीय परिवारों द्वारा अच्छे मकान रखने में नीचे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग से रसोई है उनके 61.3प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7प्रतिशत पर इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में देखे गए हैं वे अण्डमाव व निकोबार (97.7 प्रतिशत) देखे गए हैं इसके बाद नागालैंड (96.8 प्रतिशत), लक्षदीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.7 प्रतिशत) और गोवा (90.2 प्रतिशत) पर आता है। परिसर के भीतर रसोई रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (22.1 प्रतिशत) इसके बाद बिहार (34.4 प्रतिशत) झारखण्ड (34.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (36.6 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। **(अनुलग्नक 19-छ)**

19.15 परिवार जो घर के भीतर पकाने का काम करते हैं और ईंधन का प्रकाश जिसे वे प्रयोग करते हैं

इस श्रेणी में घर के अंदर खाना पकाने वाले परिवारों की अखिल भारतीय स्थिति दर्शाती है कि जहाँ कुल जनसंख्या का 63.99 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए जलाने की लकड़ी/फसल का अवशिष्ट/उपले, कोयला/लिग्नाइट,कच्चा कोयला (धुँआ पैदा करने वाला ईंधन) का प्रयोग करते हैं यह अनुसूचित जनजातीय परिवारों के लिए इसका प्रतिशत बहुत अधिक है जो 87.5 प्रतिशत है। परिवार जो मकान के अंदर खाना पकाते हैं किन्तु ऐसे ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे धुँआ निकलता है वह कठिन परिश्रम कहलाता है। उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच 9 राज्य ऐसे हैं जिनके कठिन परिश्रम के प्रतिशत का हिस्सा अखिल भारतीय आँकड़ों की तुलना में अधिक है। ये राज्य हैं - छत्तीसगढ़ 96.64 प्रतिशत (अधिकतम) मध्य प्रदेश- 95.9 प्रतिशत, ओडिशा-95.46 प्रतिशत, झारखण्ड-95.29 प्रतिशत, राजस्थान- 93.87 प्रतिशत, त्रिपुरा- 93.25 प्रतिशत इसके बाद बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। कठिन परिश्रम करने में अनुसूचित जनजाति परिवारों की प्रतिशतता व्यावहारिक रूप में सभी राज्यों में अधिक है

और निम्नतम प्रतिशतता मिजोरम में देखी जा सकती है जो कि 45.51 प्रतिशत है।अनुसूचित जनजाति परिवार जो मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली (गैस, श्रम) की अखिल भारतीय प्रतिशतता बहुत कम है- 12 प्रतिशत। अनुसूचित जनजातीय परिवार का अधिकतम प्रतिशत जो घर के भीतर खाना पकाते हैं और मिट्टी का तेल आदि प्रयोग करते हैं (धुँआ रहित ईंधन) मिजोरम में देखा जा सकता है- 54.44 प्रतिशत इसके बाद अण्डमान व निकोबार दीप समूह का स्थान 54.33 प्रतिशत के साथ आता है। इस श्रेणी में सबसे निकृष्ट परिदृश्य ओडिशा में 2.37 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 3.33 प्रतिशत व मध्य प्रदेश में 4.07 प्रतिशत और झारखण्ड व राजस्थान में भी क्रमश: 4.18 प्रतिशत, 6.06 प्रतिशत के साथ देखा जा सकता है। **(अनुलग्नक 19-ज)**

19.16 परिवार जो घर के बाहर खाना पकाते हैं और ईंधन का प्रकाश जिसका वे प्रयोग करते हैं

इस वर्ग में अखिल भारतीय चित्र दर्शाता है कि कुल आबादी के 91.9 प्रतिशत घर खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी/फसल अवशेष/गोबर के कण्डों/कोयले, लिग्नाइट, कच्चे कोयले का प्रयोग करते हैं, वहीं 95.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों में इसका प्रयोग किया जाता है। घर के बाहर खाना पकाना तथा इस प्रकार के धुआं निकालने वाले ईंधन का प्रयोग करना नीरस एवं दुसाध्य कार्य के सिवा कुछ नहीं है। उपयुक्त तालिका दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिशतता इस नीरस एवं दुसाध्य कार्य में अखिल भारतीय आंकड़ों की अपेक्षा उच्चतर है। ये राज्य है: छत्तीसगढ़-99.02% (उच्चतम), मध्य प्रदेश-98.73%, राजस्थान-98.68%, झारखण्ड-97.7%, केरल-97.42%, मेघालय-97.35, त्रिपुरा-97.13%, इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक आते हैं। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता, जो नीरस एवं दुसाध्य स्थिति में है, सभी राज्यों में व्यावहारिक रूप में उच्च है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में निम्नतम 69.98% है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जो मिट्टी के तेल/एलपीजी/पीएनजी का प्रयोग करते हैं, स्पष्ट रूप में बहुत कम है। घर के बाहर खाना पकाने वाले तथा मिट्टी के तेल आदि (गैर धुआं निकालने वाले ईंधन) का प्रयोग करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उच्चतम प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश-29.81% में देखा गया है, इसके पश्चात मिजोरम-24.86% है। इस वर्ग में सबसे बुरी स्थिति ओडिशा-0.78%, छत्तीसगढ़-0.91% तथा मध्य प्रदेश-1.24% में देखी गयी है और राजस्थान तथा बिहार में क्रमश: 1.26%, 1.39% है (**अनुलग्नक19 -झ** में विस्तृत तालिका देखें)।

19.17 परिवार जो पेयजल के मुख्य स्रोतों के पास हैं यह देखा गया है कि देश के अधिकांश सभी परिवारों 47 प्रतिशत के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा हैं वहीं 20 के प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है **(अनुलग्नक 19-ञ)**

19.18 भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध किए गए अपराध

अखिल भारतीय घटनाओं के साथ तुलना करने पर भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी के विरुद्ध किए गए अपराधों की सांख्यिकीय रूपरेखा सूचित करती है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अपहरण तथा बलात्हरण का उच्चतर प्रतिशत मध्य प्रदेश-28.5% देखा गया है, इसके पश्चात झारखण्ड-21.9% तथा राजस्थान-13.1% है। बलात्कार के मामलों में (धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता) अनुसूचित जनसंख्या में यह घटनाएं 39.6% के साथ मध्य प्रदेश में फिर से उच्चतम हैं। केरल 14.1 प्रतिशत घटनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। राज्यों के बीच कम प्रतिशतता कर्नाटक-0.3% तथा तमिलनाडु-0.4% देखी गई है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध हत्या के मामलों के वर्ग में (धारा 302, भारतीय दण्ड संहिता) 34.3% घटनाएं मध्य प्रदेश में दुबारा से उच्चतम हैं, छत्तीसगढ़ 15.4% मामलों के साथ अगले और 13.3% घटनाओं के साथ राजस्थान अंत में है। अखिल भारत की तुलना में 0.7% के साथ त्रिपुरा तथा बिहार में मामलों की कम संख्या है।

इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिल भारत की तुलना में प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध अधिकतम अपराधों की घटनाएं मध्य प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती हैं (**अनुलग्नक 19-ठ तथा 19-ड** में विस्तृत तालिका देखें)।

अनुलग्नक 19 क

जनसांख्यिकी आंकड़ेः जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज. जा. जनसंख्या का प्रतिशत	भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज. जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		2001	**2011**		**2001**	**2011**			
	भारत	**1,028,610,328**	**1,210,569,573**	**17.69**	**84,326,240**	**104,281,034**	**23.66**	8.6	-
1.	आंध्रप्रदेश	76,210,007	84,580,777	10.98	5,024,104	5,918,073	17.79	7.00	5.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	1,383,727	26.03	705,158	951,821	34.98	68.79	0.91
3.	असम	26,655,528	31,205,576	17.07	3,308,570	3,884,371	17.40	12.45	3.72
4.	बिहार	82,998,509	104,099,452	25.42	758,351	1,336,573	76.25	1.28	1.28
5.	छत्तीसगढ़*	20,833,803	25,545,198	22.61	6,616,596	7,822,902	18.23	30.62	7.50
6.	गोवा	1,347,668	1,458,545	8.23	566	149,275	26273.67	10.23	0.14
7.	गुजरात	50,671,017	60,439,692	19.28	7,481,160	8,917,174	19.20	14.75	8.55
8.	हरियाणा	21,144,564	25,351,462	19.90	-	-	-	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6,077,900	6,864,602	12.94	244,587	392,126	60.32	5.71	0.38
10.	जम्मू और कश्मीर	10,143,700	12,541,302	23.64	1,105,979	1,493,299	35.02	11.91	1.43
11.	झारखंड*	26,945,829	32,988,134	22.42	7,087,068	8,645,042	21.98	26.21	8.29
12.	कर्नाटक	52,850,562	61,095,297	15.60	3,463,986	4,248,987	22.66	6.95	4.07
13.	केरल	31,841,374	33,406,061	4.91	364,189	484,839	33.13	1.45	0.46
14.	मध्य प्रदेश	60,348,023	72,626,809	20.35	12,233,474	15,316,784	25.20	21.09	14.69
15.	महाराष्ट्र	96,878,627	112,374,333	15.99	8,577,276	10,510,213	22.54	9.35	10.08
16.	मणिपुर	2,166,788	2,570,390	18.63	741,141	902,740	21.80	35.12	0.87
17.	मेघालय	2,318,822	2,966,889	27.95	1,992,862	2,555,861	28.25	86.15	2.45
18.	मिजोरम	888,573	1,097,206	23.48	839,310	1,036,115	23.45	94.43	0.99
19.	नागालैण्ड	1,990,036	1,978,502	-0.58	1,774,026	1,710,973	-3.55	86.48	1.64
20.	उड़ीसा	36,804,660	41,974,218	14.05	8,145,081	9,590,756	17.75	22.85	9.20
21.	पंजाब	24,358,999	27,743,338	13.89	-	-	-	0.00	0.00
22.	राजस्थान	56,507,188	68,548,437	21.31	7,097,706	9,238,534	30.16	13.48	8.86
23.	सिक्किम	540,851	610,577	12.89	111,405	206,360	85.23	33.80	0.20
24.	तमिलनाडु	62,405,679	72,147,030	15.61	651,321	794,697	22.01	1.10	0.76
25.	त्रिपुरा	3,199,203	3,673,917	14.84	993,426	1,166,813	17.45	31.76	1.12
26.	उत्तराखंड*	8,489,349	10,086,292	18.81	256,129	291,903	13.97	2.89	0.28

27.	उत्तर प्रदेश	166,197,921	199,812,341	20.23	107,963	1,134,273	950.61	0.57	1.09
28.	पश्चिम बंगाल	80,176,197	91,276,115	13.84	4,406,794	5,296,953	20.20	5.80	5.08
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	356,152	380,581	6.86	29,469	28,530	-3.19	7.50	0.03
30.	चंड़ीगढ़	900,635	1,055,450	17.19	-	-	-	-	-
31.	दादर व नगर हवेली	220,490	343,709	55.88	137,225	178,564	30.12	51.95	0.17
32.	दमन व दीव	158,204	243,247	53.76	13,997	15,363	9.76	6.32	0.01
33.	दिल्ली	13,850,507	16,787,941	21.21	-	-	-	-	-
34.	लक्ष्यद्वीप	60,650	64,473	6.30	57,321	61,120	6.63	94.80	0.06
35.	पुद्दूचेरी	974,345	1,247,953	28.08	-	-	-	-	-

* मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तराखंड राज्यों का गठन किया गया था।

अनुलग्नक 19 ख

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का राज्यवार लिंग अनुपात:2001-2011

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
	भारत	978	981	944	990	991	980
1.	जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
2.	हिमाचल प्रदेश	996	1,002	809	999	1,003	923
3.	पंजाब	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
4.	चंड़ीगढ़#	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
5.	उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
6.	हरियाणा	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
7.	दिल्ली का एनसीटी#	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
8.	राजस्थान	944	950	851	948	951	893
9.	उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
10.	बिहार	929	934	839	958	960	934
11.	सिक्किम	957	950	1,024	960	942	1,042
12.	अरूणाचल प्रदेश	1,003	1,000	1,020	1,032	1,022	1,083
13.	नागालैण्ड	943	942	946	976	964	1,014
14.	मणिपुर	980	977	1,040	1,002	995	1,051
15.	मिजोरम	984	959	1,012	1,007	967	1,047
16.	त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1,017
17.	मेघालय	1,000	987	1,072	1,013	996	1,104
18.	असम	972	974	929	985	984	996
19.	पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1,000	991
20.	झारखंड	987	989	965	1,003	1,003	1,007
21.	उड़ीसा	1,003	1,006	948	1,029	1,031	991
22.	छत्तीसगढ़	1,013	1,017	941	1,020	1,021	999
23.	मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
24.	गुजरात	974	978	926	981	984	952
25.	दमन व दीव#	947	952	928	977	982	972
26.	दादर व नगर हवेली#	1,028	1,032	973	1,010	1,011	1,002
27.	महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
28.	आंध्र प्रदेश	972	974	941	993	996	968
29.	कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
30.	गोवा	893	827	928	1,046	1,026	1,076
31.	लक्ष्यदीप#	1,003	1,001	1,006	1,003	994	1,006
32.	केरल	1,021	1,020	1,053	1,035	1,031	1,070
33.	तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
34.	पुद्दूचेरी#	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
35.	अंडमानऔरनिकोबारदीपसमूह#	948	954	796	937	931	1,030

अनुलग्नक 19 ग

कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर: 2001-2011

क्र.सं.	भारत/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर 2001		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर 2011		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.ज.जा.		कुल	अ.ज.जा.	
	भारत	**64.8**	**47.1**	**17.7**	**73.0**	**59.0**	**14.0**
1.	आंध्रप्रदेश	60.5	37	23.4	67.0	49.2	17.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.3	49.6	4.7	65.4	64.6	0.8
3.	असम	63.3	62.5	0.8	72.2	72.1	0.1
4.	बिहार	47	28.2	18.8	61.8	51.1	10.7
5.	छत्तीसगढ़	64.7	52.1	12.6	70.3	59.1	11.2
6.	गोवा	82	55.9	26.1	88.7	79.1	9.6
7.	गुजरात	69.1	47.7	21.4	78.0	62.5	15.6
8.	हरियाणा#	67.9	एनएसटी	-	75.6	एनएसटी	-
9.	हिमाचल प्रदेश	76.5	65.5	11	82.8	73.6	9.2
10.	जम्मू और कश्मीर	55.5	37.5	18	67.2	50.6	16.6
11.	झारखंड	53.6	40.7	12.9	66.4	57.1	9.3
12.	कर्नाटक	66.6	48.3	18.3	75.4	62.1	13.3
13.	केरल	90.9	64.4	26.5	94.0	75.8	18.2
14.	मध्य प्रदेश	63.7	41.2	22.5	69.3	50.6	18.8
15.	महाराष्ट्र	76.9	55.2	21.7	82.3	65.7	16.6
16.	मणिपुर	70.5	65.9	4.6	79.2	77.4	1.9
17.	मेघालय	62.6	61.3	1.3	74.4	74.5	-0.1
18.	मिजोरम	88.8	89.3	0.5	91.3	91.5	-0.2
19.	नागालैण्ड	66.6	65.9	0.7	79.6	80.0	-0.5
20.	उड़ीसा	63.1	37.4	25.7	72.9	52.2	20.6
21.	पंजाब#	69.7	एनएसटी	-	75.8	एनएसटी	-
22.	राजस्थान	60.4	44.7	15.7	66.1	52.8	13.3
23.	सिक्किम	68.8	67.1	1.7	81.4	79.7	1.7
24.	तमिलनाडु	73.5	41.5	32	80.1	54.3	25.8
25.	त्रिपुरा	73.2	56.5	16.7	87.2	79.1	8.2
26.	उत्तराखंड	71.6	63.2	8.4	78.8	73.9	4.9
27.	उत्तर प्रदेश	56.3	35.1	21.2	67.7	55.7	12.0
28.	पश्चिम बंगाल	68.6	43.4	25.2	76.3	57.9	18.3
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	81.3	66.8	14.5	86.6	75.6	11.0
30.	चंड़ीगढ़#	81.9	एनएसटी	-	86.0	एनएसटी	-
31.	दादर-नगर हवेली	57.6	41.2	16.4	76.2	61.9	14.4
32.	दमन व दीव	78.2	63.4	14.8	87.1	78.8	8.3
33.	दिल्ली#	81.7	एनएसटी	-	86.2	एनएसटी	-
34.	लक्ष्यद्वीप	86.7	86.1	0.6	91.8	91.7	0.1
35.	पुद्दूचेरी#	81.2	एनएसटी	-	85.8	एनएसटी	-

स्रोत: जनसंख्या 2011

2011 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल के आंकड़ों को छोड़कर

एनएसटी-राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं

अनुलग्नक 19 घ

बैंक खाताधारी तथा कुछ स्थायी परिसंपत्तियों वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता-अनुसूची जनजाति तथा सभी सामाजिक समूह की एक तुलनात्मक तस्वीर

	बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवार		टेलीविज़न		बाईसाइकिल		कम्प्यूटर/लैपटॉप		केवल मोबाईल फोन		लैन्डलाईन तथा मोबाईल-दोनो		दूपहिया		चौपहिया		टीवी, कम्प्यूटर/टेलीफोन/मोबाईलफोन तथा स्कूटर/कार वाले परिवार		जिनके पास कुछ नहीं है	
क्षेत्र का नाम	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
भारत	**44.98**	**58.7**	**21.9**	**47.2**	**36.4**	**44.8**	**4.4**	**6.3**	**31.1**	**53.2**	**1.8**	**6.0**	**9.0**	**21.0**	**1.6**	**4.7**	**1.3**	**4.6**	**37.3**	**17.8**
जम्मू और कश्मीर	54.60	70.0	17.4	51.0	1.9	10.3	3.9	5.5	33.6	59.3	3.7	6.6	2.8	12.9	3.5	7.5	0.8	3.8	37.5	17.3
हिमाचल प्रदेश	89.10	89.1	68.2	74.4	5.9	9.5	5.7	5.6	63.4	61.5	10.4	13.4	11.4	15.5	8.3	8.3	2.9	4.1	11.8	8.9
उत्तराखंड	80.39	80.7	58.5	62.0	46.4	31.3	7.6	7.8	63.5	64.8	4.6	6.6	20.6	22.9	4.2	6.2	3.7	6.3	11.7	13.8
राजस्थान	65.97	68.0	14.0	37.6	19.6	28.6	3.5	5.1	41.1	62.5	1.3	5.6	12.6	24.1	1.4	4.7	0.0	3.6	46.2	21.2
उत्तर प्रदेश	67.62	72.0	31.2	33.2	62.3	67.8	8.9	6.2	53.3	61.2	2.6	2.4	15.5	19.6	3.5	3.8	3.2	2.8	15.1	11.4
बिहार	35.54	44.4	9.7	14.5	48.0	48.7	7.5	6.2	40.8	51.6	1.8	1.6	5.2	8.1	1.2	1.7	0.7	1.0	30.5	25.6
सिक्किम	67.95	67.5	52.3	54.7	0.9	0.9	7.3	8.2	64.2	67.7	3.1	3.5	3.0	2.8	9.2	8.3	3.9	3.9	21.6	18.2
अरूणाचल प्रदेश	55.46	53.0	37.7	41.1	11.8	19.5	6.2	6.2	36.6	39.8	5.4	5.6	16.6	14.0	9.8	7.9	3.9	3.6	36.6	30.7
नागालैंड	33.76	34.9	35.9	37.9	6.3	7.9	7.0	7.2	46.7	48.6	2.9	3.2	6.3	6.3	8.3	7.8	3.3	3.3	34.7	32.3
मणिपुर	24.84	29.6	30.0	47.4	18.8	44.6	6.6	6.9	37.5	52.3	2.0	2.2	9.3	19.8	3.7	6.0	2.2	3.8	32.7	17.2
मिज़ोरम	54.94	54.9	55.4	55.1	4.3	4.3	12.6	12.7	63.7	63.9	7.2	7.2	14.1	13.8	7.3	7.3	7.8	7.7	19.1	19.0
त्रिपुरा	70.72	79.2	27.6	44.9	24.5	39.3	5.8	6.3	28.1	42.7	1.7	3.3	4.6	8.2	1.1	2.2	0.7	1.5	44.7	27.8
मेघालय	34.71	37.5	30.4	33.7	13.4	13.3	5.4	6.1	36.3	39.1	1.6	2.4	5.0	5.4	5.1	5.4	2.1	2.5	37.9	35.8
असम	40.60	44.1	24.2	27.5	64.2	55.0	7.0	7.7	40.8	43.4	1.7	2.3	8.8	10.2	2.7	3.8	1.6	2.6	18.6	23.6
पश्चिम बंगाल	38.19	48.8	16.3	35.3	52.6	57.2	5.2	6.1	23.8	42.9	1.3	4.0	3.5	8.5	0.9	2.2	0.6	2.0	33.1	22.8
झारखंड	41.91	53.9	11.3	26.8	62.9	58.8	3.9	5.4	23.8	44.1	0.9	1.9	7.5	16.1	0.9	2.8	0.8	2.9	27.2	21.0

उड़ीसा	35.00	45.0	7.6	26.7	55.7	61.0	2.6	3.7	16.1	35.6	0.7	2.4	4.6	14.5	0.5	1.8	0.3	2.1	36.7	25.5
छत्तीसगढ़	46.16	48.8	13.6	31.3	56.9	61.0	2.1	3.4	14.2	27.2	0.7	2.0	6.7	15.6	0.5	2.2	0.5	2.6	35.8	27.1
मध्य प्रदेश	41.54	46.6	9.7	32.1	27.6	39.7	3.0	4.5	17.9	40.6	0.7	3.0	5.6	18.8	0.4	2.7	0.4	2.8	56.0	32.6
गुजरात	38.60	57.9	24.8	53.8	29.7	34.8	3.1	5.7	38.9	58.6	1.6	7.1	16.1	34.1	1.7	6.1	1.2	6.3	39.8	18.7
दमन एवं दीव	66.89	65.4	66.9	61.0	45.9	30.4	3.0	6.5	68.9	76.0	2.1	6.3	33.8	31.4	3.1	5.9	2.2	6.0	10.7	7.6
दादर नगर हवेली	38.50	56.7	31.7	47.2	24.9	24.4	2.9	5.5	34.1	57.3	1.4	3.3	19.6	25.5	2.7	5.7	1.1	5.0	42.9	24.8
महाराष्ट्र	47.95	68.9	30.2	56.8	22.7	30.5	4.9	7.5	32.8	53.7	3.0	9.1	10.5	24.9	1.6	5.9	2.1	7.2	43.0	19.0
आंध्र प्रदेश	42.60	53.1	35.2	58.8	22.8	32.1	5.3	5.8	40.7	54.9	1.4	4.1	8.9	18.6	1.1	2.7	1.2	3.9	36.4	19.4
कर्नाटक	47.37	61.1	44.2	60.0	30.4	33.9	6.4	8.0	49.2	56.5	3.3	8.1	13.9	25.6	2.3	6.3	2.2	7.0	23.9	14.3
गोवा	81.22	86.8	65.1	81.1	21.1	24.6	16.1	18.4	56.0	53.8	12.9	23.3	44.8	56.9	9.7	24.6	9.7	22.2	9.9	4.6
लक्षद्वीप	85.34	85.3	64.9	64.0	85.2	84.3	11.0	11.0	44.6	46.5	40.3	39.0	39.9	38.4	2.3	2.3	8.1	7.9	2.0	1.9
केरल	54.71	74.2	39.6	76.8	7.4	20.4	5.7	9.5	46.3	46.8	11.4	31.3	7.7	24.1	3.0	10.2	2.4	8.6	23.5	4.8
तमिलनाडु	37.98	52.5	81.0	87.0	32.9	45.2	7.3	6.4	52.8	62.1	4.0	7.1	21.9	32.3	2.6	4.3	4.6	6.3	8.7	5.1
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	92.33	89.3	45.1	68.5	46.7	18.3	1.9	5.3	56.5	72.1	1.4	8.5	23.2	24.7	2.9	6.9	1.2	5.5	11.9	8.1

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 19 ड. :

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्रोत							
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर प्रकाश		अन्य	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी
भारत	23,329,105.00	246,692,667.00	51.7	67.2	45.6	31.4	1.1	0.4	1.6	0.9
जम्मू और कश्मीर	262,419.00	2,015,088.00	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1.0	12.9	4.1
हिमाचल प्रदेश	92,017.00	1,476,581.00	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1	0.4	0.3
उत्तराखंड	63,322.00	1,997,068.00	83.7	87.0	13.6	11.1	1.9	1.2	0.8	0.7
राजस्थान	1,836,014.00	12,581,303.00	39.7	67.0	57.7	30.9	0.9	0.6	1.7	1.5
उत्तर प्रदेश	512,649.00	32,924,266.00	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5	1.4	0.8
बिहार	423,568.00	18,940,629.00	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6	0.9	0.6
सिक्किम	46,013.00	128,131.00	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2	0.8	0.7
अरूणाचल प्रदेश	172,913.00	261,614.00	66.2	65.7	12.3	18.5	4.0	2.9	17.5	13.0
नागालैंड	349,022.00	399,965.00	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3	2.6	2.5
मणिपुर	173,757.00	507,152.00	57.8	68.3	32.0	25.1	4.9	1.9	5.3	4.6
मिज़ोरम	211,626.00	221,077.00	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3	0.9	0.9
त्रिपुरा	259,322.00	842,781.00	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9	0.7	0.6
मेघालय	456,683.00	538,299.00	59.2	60.9	38.6	37.0	0.8	0.8	1.4	1.3
असम	887,226.00	6,367,295.00	28.0	37.0	69.3	61.8	2.1	0.8	0.6	0.4
पश्चिम बंगाल	1,273,423.00	20,067,299.00	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2	1.1	0.8
झारखंड	1,718,359.00	6,181,607.00	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7	0.4	0.4
उड़ीसा	2,240,142.00	9,661,085.00	15.6	43.0	82.3	55.3	0.6	0.4	1.5	1.3
छत्तीसगढ़	1,747,575.00	5,622,850.00	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9	1.0	0.6
मध्य प्रदेश	3,213,683.00	14,967,597.00	54.0	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3	0.8	0.5
गुजरात	1,837,844.00	12,181,718.00	80.0	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1	2.0	1.4
दमन एवं दीव	3,334.00	60,381.00	96.6	99.1	2.5	0.8	0.0	0.0	0.8	0.1
दादर नगर हवेली	33,367.00	73,063.00	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0.0	0.7	0.4
महाराष्ट्र	2,445,645.00	23,830,580.00	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2	2.8	1.4
आंध्र प्रदेश	1,560,035.00	21,024,534.00	80.0	92.2	18.2	6.9	0.4	0.3	1.3	0.7
कर्नाटक	936,995.00	13,179,911.00	83.6	90.6	15.0	8.6	0.4	0.2	1.0	0.6
गोवा	33,662.00	322,813.00	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2	1.1	0.5
लक्षद्वीप	10,028.00	10,703.00	99.7	99.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
केरल	136,006.00	7,716,370.00	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2	0.5	0.2
तमिलनाडु	384,713.00	18,493,003.00	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1	1.3	0.6
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7,743.00	93,376.00	94.0	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1	2.1	0.8

स्रोत: *जनगणना 2011*

अनुलग्नक 19 च :

ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके आवास परिसरों में शौचालय तथा स्नान घर की सुविधाएं हैं

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मैला ढोने वालों की प्रतिशतता		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच जाने वाले		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		गन्दे पानी की निकासी (ढके हुए नालों के साथ) जुड़ी हुई है	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
भारत	**23,329,105**	**246,692,667**	**22.6**	**46.9**	**0.1**	**0.3**	**77.4**	**53.1**	**74.7**	**49.8**	**17.3**	**42.0**	**6.1**	**18.1**
जम्मू और कश्मीर	262,419	2,015,088	26.7	51.2	5.2	8.9	73.3	48.8	71.1	46.1	23.7	52.4	3.5	12.6
हिमाचल प्रदेश	92,017	1,476,581	62.0	69.1	0.2	0.0	38.0	30.9	36.7	29.7	57.0	67.5	21.5	24.8
उत्तराखंड	63,322	1,997,068	46.1	65.8	0.1	0.2	53.9	34.2	51.5	33.1	42.5	60.5	14.4	19.0
राजस्थान	1,836,014	12,581,303	7.9	35.0	0.0	0.0	92.1	65.0	91.7	64.3	7.5	36.8	2.7	10.7
उत्तर प्रदेश	512,649	32,924,266	35.5	35.6	0.5	1.0	64.5	64.4	62.3	63.0	27.3	29.0	14.7	12.9
बिहार	423,568	18,940,629	13.7	23.1	0.1	0.1	86.3	76.9	85.0	75.8	7.0	11.3	4.4	6.7
सिक्किम	46,013	128,131	85.9	87.2	0.0	0.0	14.1	12.8	12.8	11.3	61.8	65.1	12.1	14.6
अरूणाचल प्रदेश	172,913	261,614	58.4	62.0	0.4	0.4	41.6	38.0	38.8	34.8	24.7	29.0	5.2	6.0
नागालैंड	349,022	399,965	74.8	76.5	0.2	0.2	25.2	23.5	17.8	16.5	51.2	52.4	4.2	4.8
मणिपुर	173,757	507,152	82.3	89.3	0.9	2.0	17.7	10.7	16.4	8.9	27.3	31.1	3.7	4.1
मिज़ोरम	211,626	221,077	91.9	91.9	0.1	0.1	8.1	8.1	6.6	6.6	65.4	65.2	12.9	13.1
त्रिपुरा	259,322	842,781	63.7	86.0	0.2	0.1	36.3	14.0	30.3	11.5	6.6	18.9	1.7	3.7
मेघालय	456,683	538,299	61.0	62.9	0.4	0.4	39.0	37.1	36.2	34.3	30.7	33.3	4.5	5.7
असम	887,226	6,367,295	43.3	64.9	0.2	0.3	56.7	35.1	54.0	33.2	13.8	24.5	2.0	3.6
पश्चिम बंगाल	1,273,423	20,067,299	24.4	58.8	0.3	0.6	75.6	41.2	73.2	38.6	9.6	27.1	3.0	9.2
झारखंड	1,718,359	6,181,607	8.3	22.0	0.0	0.0	91.7	78.0	90.8	77.0	5.2	16.5	1.8	7.2
उड़ीसा	2,240,142	9,661,085	7.1	22.0	0.1	0.3	92.9	78.0	91.6	76.6	3.4	14.1	1.1	4.3
छत्तीसगढ़	1,747,575	5,622,850	14.8	24.6	0.0	0.0	85.2	75.4	84.6	74.0	4.1	14.8	1.9	5.3
मध्य प्रदेश	3,213,683	14,967,597	8.5	28.8	0.0	0.0	91.5	71.2	90.9	70.0	5.4	25.8	1.9	9.8

गुजरात	1,837,844	12,181,718	24.3	57.3	0.0	0.0	75.7	42.7	73.5	40.4	19.9	56.5	10.8	37.3
दमन एवं दीव	3,334	60,381	36.9	78.2	0.0	0.0	63.1	21.8	54.1	10.5	40.0	70.7	22.7	39.0
दादर व नगर हवेली	33,367	73,063	16.9	54.7	0.2	0.2	83.1	45.3	80.8	40.0	14.2	51.7	4.2	27.0
महाराष्ट्र	2,445,645	23,830,580	30.1	53.1	0.0	0.0	69.9	46.9	59.7	34.0	37.2	64.3	15.7	33.2
आंध्र प्रदेश	1,560,035	21,024,534	19.5	49.6	0.0	0.0	80.5	50.4	78.0	48.0	19.4	50.6	8.4	21.6
कर्नाटक	936,995	13,179,911	28.7	51.2	0.0	0.1	71.3	48.8	66.9	45.0	56.7	74.8	13.7	26.1
गोवा	33,662	322,813	59.9	79.7	0.0	0.0	40.1	20.3	36.3	16.4	52.2	81.4	17.0	43.7
लक्षद्वीप	10,028	10,703	98.3	97.8	0.0	0.0	1.7	2.2	1.5	1.8	96.6	96.0	10.5	11.4
केरल	136,006	7,716,370	71.4	95.2	0.0	0.0	28.6	4.8	25.7	3.8	41.5	81.2	9.2	25.2
तमिलनाडु	384,713	18,493,003	34.7	48.3	0.1	0.1	65.3	51.7	60.3	45.7	34.3	49.9	21.1	25.4
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7,743	93,376	88.2	70.1	0.0	0.0	11.8	29.9	11.5	27.5	85.1	63.5	9.5	7.4

अनुलग्नक 19 छ :

जनगणना के अनुसार परिवारों का प्रतिशत और उनके द्वारा आवासित मकानों की स्थिति

		सभी				अनुसूचित जनजातियां			
राज्य कोड	क्षेत्र का नाम	कुल मकान	अच्छे मकान	परिसर के अंदर शौचालय सुविधा वाले मकानों का %	मकान के अंदर अलग रसोईघर वाले मकानों का %	कुल मकान	अच्छे मकान	परिसर के अंदर शौचालय सुविधा वाले मकानों का %	मकान के अंदर अलग रसोईघर वाले मकानों का %
00	**भारत**	**246,692,667**	**53.1**	46.9	61.3	**23,329,105**	**40.6**	22.6	53.7
01	जम्मू और कश्मीर	2,015,088	54.1	51.2	85.7	262,419	32.8	26.7	73.6
02	हिमाचल प्रदेश	1,476,581	72.4	69.1	88.2	92,017	68.4	62.0	85.4
05	उत्तराखंड	1,997,068	66.8	65.8	70.1	63,322	58.2	46.1	74.3
08	राजस्थान	12,581,303	51.0	35.0	50.8	1,836,014	31.3	7.9	22.1
09	उत्तर प्रदेश	32,924,266	42.8	35.6	40.7	512,649	40.6	35.5	43.0
10	बिहार	18,940,629	36.1	23.1	33.5	423,568	30.6	13.7	34.4
11	सिक्किम	128,131	56.5	87.2	90.2	46,013	54.7	85.9	91.7
12	अरूणाचल प्रदेश	261,614	51.8	62.0	89.2	172,913	54.5	58.4	89.4
13	नागालैंड	399,965	52.4	76.5	96.0	349,022	52.9	74.8	96.8
14	मणिपुर	507,152	54.1	89.3	93.3	173,757	39.2	82.3	88.3
15	मिज़ोरम	221,077	62.3	91.9	83.8	211,626	62.4	91.9	83.7
16	त्रिपुरा	842,781	54.2	86.0	85.9	259,322	52.7	63.7	75.9
17	मेघालय	538,299	48.1	62.9	90.7	456,683	47.8	61.0	91.2
18	असम	6,367,295	32.8	64.9	88.3	887,226	32.4	43.3	89.4
19	पश्चिम बंगाल	20,067,299	40.9	58.8	60.9	1,273,423	27.5	24.4	48.2
20	झारखंड	6,181,607	43.4	22.0	39.4	1,718,359	36.6	8.3	34.5
21	उड़ीसा	9,661,085	29.5	22.0	62.9	2,240,142	19.1	7.1	59.6
22	छत्तीसगढ़	5,622,850	46.6	24.6	56.1	1,747,575	43.1	14.8	54.9
23	मध्य प्रदेश	14,967,597	52.3	28.8	46.8	3,213,683	38.8	8.5	36.6
24	गुजरात	12,181,718	67.3	57.3	72.3	1,837,844	51.2	24.3	65.0
25	दमन एवं दीव	60,381	68.1	78.2	65.9	3,334	57.4	36.9	83.0
26	दादर नगर हवेली	73,063	66.7	54.7	84.4	33,367	54.4	16.9	84.8
27	महाराष्ट्र	23,830,580	64.1	53.1	72.7	2,445,645	48.0	30.1	60.4
28	आंध्र प्रदेश	21,024,534	69.7	49.6	54.2	1,560,035	57.8	19.5	37.8
29	कर्नाटक	13,179,911	60.1	51.2	89.3	936,995	50.0	28.7	82.8
30	गोवा	322,813	76.1	79.7	92.9	33,662	68.6	59.9	90.2
31	लक्षद्वीप	10,703	78.7	97.8	95.5	10,028	78.9	98.3	96.6
32	केरल	7,716,370	66.3	95.2	96.7	136,006	38.4	71.4	89.6
33	तमिलनाडु	18,493,003	70.2	48.3	76.5	384,713	59.8	34.7	64.3
34	पुदुचेरी	301,276	75.0	68.4	77.5	-	-	-	-
35	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	93,376	66.5	70.1	94.1	7,743	86.5	88.2	97.9

स्रोत: *जनगणना 2011*

अनुलग्नक 19ज :
आवास के अंदर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या (अ.ज.जा)	खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं देने वाले ईंधन का प्रकार		खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं रहित ईंधन का प्रकार	
			जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (सभी)	जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (अ.ज.जा.)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अखिल भारत)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अ.ज.जा.)
भारत	**215,412,336**	**20,472,827**	**63.99**	**87.50**	**35.58**	**12.00**
जम्मू और कश्मीर	1,781,204	233,272	63.21	87.47	36.63	12.35
हिमाचल प्रदेश	1,294,827	83,703	56.65	62.08	43.33	37.90
उत्तराखंड	1,757,046	45,225	48.82	57.82	51.14	42.11
राजस्थान	10,862,876	1,564,459	72.89	93.87	27.06	6.06
उत्तर प्रदेश	29,938,454	462,693	78.46	76.18	21.43	23.66
बिहार	15,425,093	332,555	88.66	92.81	10.23	6.29
सिक्किम	94,071	33,253	42.21	49.57	57.76	50.41
अरूणाचल प्रदेश	249,360	165,776	69.42	76.05	30.53	23.91
नागालैंड	366,130	319,607	78.94	83.28	20.97	16.66
मणिपुर	463,270	152,216	67.58	83.71	31.78	16.15
मिज़ोरम	217,960	208,819	44.94	45.51	55.01	54.44
त्रिपुरा	763,705	229,004	80.09	93.25	19.82	6.67
मेघालय	425,544	358,584	78.81	85.00	21.09	14.91
असम	4,972,750	714,556	76.08	87.14	23.73	12.82
पश्चिम बंगाल	17,522,869	1,024,489	74.60	88.33	22.88	8.12
झारखंड	5,807,476	1,610,498	86.42	95.29	12.98	4.18
उड़ीसा	7,836,340	1,970,227	84.66	95.46	13.69	2.37
छत्तीसगढ़	5,331,269	1,668,789	87.38	96.64	12.54	3.33
मध्य प्रदेश	14,338,709	3,088,474	79.42	95.90	20.53	4.07
गुजरात	10,426,250	1,710,189	46.79	84.78	53.16	15.16
दमन एवं दीव	56,625	2,930	10.18	46.38	89.68	53.58
दादर नगर हवेली	70,851	32,027	40.65	84.60	59.34	15.39
महाराष्ट्र	21,818,504	2,257,600	45.43	75.27	54.45	24.61
आंध्र प्रदेश	14,972,999	885,160	46.63	76.64	53.24	23.20
कर्नाटक	12,567,276	863,390	59.52	80.17	40.39	19.73
गोवा	311,133	31,449	21.06	54.25	78.89	45.71
लक्षद्वीप	7,325	6,824	59.88	61.33	40.10	38.66
केरल	7,421,600	123,436	62.20	88.39	37.76	11.57
तमिलनाडु	15,034,329	287,746	35.02	53.54	64.93	46.42
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	81,190	5,877	27.77	45.67	72.19	54.33

स्रोत: *जनगणना 2011*

अनुलग्नक 19झ :

आवास के बाहर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या (अ.ज.जा)	खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं देने वाले ईंधन का प्रकार		खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं रहित ईंधन का प्रकार	
			जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (सभी)	जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (अ.ज.जा.)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अखिल भारत)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अ.ज.जा.)
भारत	**30,483,366**	**2,806,047**	**91.90**	**95.62**	**7.21**	**3.34**
जम्मू और कश्मीर	229,925	28,920	85.90	94.69	13.73	5.27
हिमाचल प्रदेश	177,451	7,858	75.87	78.77	24.11	21.23
उत्तराखंड	234,784	17,955	86.92	89.94	13.04	10.01
राजस्थान	1,690,987	268,233	96.23	98.68	3.68	1.26
उत्तर प्रदेश	2,914,445	48,407	95.32	94.68	4.47	4.88
बिहार	3,481,309	90,074	96.33	96.93	2.03	1.39
सिक्किम	33,318	12,606	86.12	87.63	13.85	12.35
अरूणाचल प्रदेश	11,458	6,759	74.66	69.98	25.19	29.81
नागालैंड	32,882	28,776	80.12	81.13	19.81	18.81
मणिपुर	43,424	21,428	86.80	94.36	12.85	5.60
मिज़ोरम	2,803	2,534	75.17	75.10	24.79	24.86
त्रिपुरा	78,437	30,165	95.55	97.13	4.35	2.66
मेघालय	111,808	97,439	96.83	97.35	3.10	2.61
असम	1,369,978	170,171	93.43	94.44	5.64	5.45
पश्चिम बंगाल	2,487,577	246,404	92.04	92.85	3.61	2.29
झारखंड	366,028	106,372	96.32	97.70	2.55	1.25
उड़ीसा	1,797,070	265,930	94.14	94.50	2.31	0.78
छत्तीसगढ़	280,521	75,676	98.00	99.02	1.90	0.91
मध्य प्रदेश	601,616	122,420	95.41	98.73	4.46	1.24
गुजरात	1,709,038	123,491	90.42	94.93	9.52	4.99
दमन एवं दीव	2,323	380	79.42	81.58	20.28	18.42
दादर और नगर हवेली	1,604	1,238	76.31	91.84	23.63	8.08
महाराष्ट्र	1,831,952	176,336	90.59	94.70	9.22	5.04
आंध्र प्रदेश	5,979,045	670,730	91.17	96.99	8.75	2.94
कर्नाटक	568,040	71,283	91.46	96.60	8.42	3.29
गोवा	9,442	2,036	56.87	79.32	42.95	20.43
लक्षद्वीप	3,110	3,023	85.18	85.21	14.82	14.79
केरल	274,269	12,045	84.60	97.42	15.34	2.52
तमिलनाडु	3,379,842	95,562	87.00	91.05	12.95	8.82
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10,922	1,796	86.60	89.81	13.21	10.19

स्रोत: *जनगणना 2011*

अनुलग्नक 19 ञ :

पेय जल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के पास परिवार

क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या (सभी)			अ.ज.जा. परिवारों की कुल संख्या		
	आवास के अन्दर	आवास के निकट	दूर	आवास के अन्दर	आवास के निकट	दूर
भारत	46.6	35.8	17.6	19.7	46.7	33.6
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्र प्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरूणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर और नगर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन और द्विव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू और कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखंड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्यप्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	14.3	51.0	34.6
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिज़ोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओड़िसा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुदुचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखंड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत: *जनगणना 2011*

अनुलग्नक 19 ट :

पेय जल के मुख्य स्रोत के पास परिवार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की सभी श्रेणियाँ				अनुसूचित जनजाति के परिवार			
	परिवारों की कुल संख्या	उपचारित नल का पानी, हैंडपम्प इत्यादि	अन उपचारित जल, ढके हुए कुए, बोल वेल/बोरहोल इत्यादि	बिना ढके कुए, झरना, नदि/नहर, तालब/पोखर/झील, अन्य स्रोत इत्यादि	परिवारों की कुल संख्या	उपचारित नल का पानी, हैंडपम्प इत्यादि	अन उपचारित जल, ढके हुए कुए, बोल वेल/बोरहोल इत्यादि	बिना ढके कुए, झरना, नदि/नहर, तालब/ पोखर/झील, अन्य स्रोत इत्यादि
भारत	246,692,667	65.46	21.62	12.92	23,329,105	53.82	19.58	26.60
जम्मू और कश्मीर	2,015,088	46.06	32.56	21.38	262,419	19.73	33.46	46.80
हिमाचल प्रदेश	1,476,581	87.53	7.76	4.71	92,017	86.35	9.05	4.60
पंजाब	5,409,699	65.80	31.99	2.21	-	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	235,061	95.47	3.92	0.60	-	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	1,997,068	75.95	16.96	7.09	63,322	77.69	17.50	4.80
हरियाणा	4,717,954	67.89	26.61	5.50	-	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3,340,538	80.53	14.59	4.89	-	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	12,581,303	57.30	21.97	20.73	1,836,014	59.21	14.86	25.93
उत्तर प्रदेश	32,924,266	85.15	10.56	4.30	512,649	79.61	11.79	8.61
बिहार	18,940,629	89.67	4.99	5.34	423,568	81.43	6.76	11.82
सिक्किम	128,131	29.21	56.57	14.22	46,013	25.56	58.49	15.95
अरूणाचल प्रदेश	261,614	37.07	42.89	20.04	172,913	31.74	46.39	21.87
नागालैंड	399,965	8.25	52.11	39.65	349,022	7.31	53.00	39.68
मणिपुर	507,152	32.04	16.16	51.80	173,757	17.27	34.33	48.40
मिज़ोरम	221,077	40.26	22.13	37.61	211,626	39.91	22.41	37.68
त्रिपुरा	842,781	38.39	32.03	29.58	259,322	19.98	21.82	58.20
मेघालय	538,299	30.62	21.01	48.37	456,683	26.66	21.25	52.09
असम	6,367,295	59.31	12.22	28.47	887,226	46.23	12.32	41.45
पश्चीम बंगाल	20,067,299	71.17	21.71	7.11	1,273,423	56.67	22.30	21.03
झारखंड	6,181,607	53.76	8.28	37.96	1,718,359	49.92	4.79	45.29
ओड़िसा	9,661,085	51.43	26.06	22.51	2,240,142	46.97	24.18	28.85
छत्तीसगढ़	5,622,850	70.73	16.38	12.90	1,747,575	69.60	8.30	22.11
मध्यप्रदेश	14,967,597	63.52	15.55	20.93	3,213,683	64.55	7.15	28.30
गुजरात	12,181,718	51.46	41.09	7.45	1,837,844	57.32	27.51	15.16
दमन और दीव	60,381	60.06	39.16	0.79	3,334	72.41	26.48	1.11
दादर और नगर हवेली	73,063	50.47	42.55	6.98	33,367	46.25	39.40	14.35

महाराष्ट्र	23,830,580	66.20	19.43	14.37	2,445,645	53.45	21.62	24.93
आंध्र प्रदेश	21,024,534	62.71	28.30	9.00	1,560,035	52.29	31.22	16.50
कर्नाटक	13,179,911	46.76	41.79	11.46	936,995	39.99	49.07	10.94
गोवा	322,813	82.13	7.60	10.28	33,662	70.34	9.51	20.15
लक्षद्वीप	10,703	11.60	18.06	70.34	10,028	10.45	18.16	71.39
केरल	7,716,370	23.86	24.31	51.83	136,006	16.70	16.22	67.08
तमिलनाडु	18,493,003	60.44	33.34	6.22	384,713	52.28	33.89	13.83
पुदुचेरी	301,276	91.96	5.96	2.08	-	0.00	0.00	0.00
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	93,376	68.86	17.37	13.77	7,743	68.63	10.90	20.47

स्रोत: *जनगणना 2011*

अनुलग्नक 19 ठ :

वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराध की घटना तथा दर

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाएं	कुल अखिल भारत की तुलना में प्रतिशतता	* जनसंख्या (लाख में) #	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार रैंक	अंश प्रतिशतता के अनुसार रैंक
	राज्य :						
1	आंध्र प्रदेश	805	14	846.65	1	8	3
2	अरूणाचल प्रदेश	34	0.6	13.83	2.5	1	14
3	असम	2	0	311.69	0	23	21
4	बिहार	97	1.7	1038.04	0.1	16	11
5	छत्तीसगढ़	336	5.8	255.4	1.3	6	5
6	गोवा	1	0	14.58	0.1	17	23
7	गुजरात	153	2.7	603.83	0.3	15	10
8	हरियाणा	0	0	253.53	0	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	4	0.1	68.57	0.1	18	19
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	125.49	0	-	-
11	झारखंड	309	5.4	329.66	0.9	9	7
12	कर्नाटक	285	5	611.31	0.5	13	8
13	केरल	231	4	333.88	0.7	11	9
14	मध्य प्रदेश	1284	22.3	725.98	1.8	4	1
15	महाराष्ट्र	321	5.6	1123.73	0.3	14	6
16	मणिपुर	1	0	27.22	0	20	22
17	मेघालय	0	0	29.64	0	-	-
18	मिज़ोरम	0	0	10.91	0	-	-
19	नागालैण्ड	0	0	19.81	0	-	-
20	उड़ीसा	484	8.4	419.47	1.2	7	4
21	पंजाब	0	0	277.04	0	-	-
22	राजस्थान	1263	21.9	686.21	1.8	3	2
23	सिक्किम	8	0.1	6.08	1.3	5	17
24	तमिलनाडु	23	0.4	721.39	0	21	16
25	त्रिपुरा	30	0.5	36.71	0.8	10	15
26	उत्तर प्रदेश	35	0.6	1995.81	0	22	13
27	उत्तराखंड	0	0	101.17	0	-	-
28	पश्चिम बंगाल	41	0.7	913.48	0	19	12
	कुल राज्य	**5747**	**99.8**	**11901.11**	**0.5**		
	संघ राज्य क्षेत्र :						
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7	0.1	3.8	1.8	2	18
30	चंडीगढ़	0	0	10.55	0	-	-
31	दादर एवं नागर हवेली	2	0	3.43	0.6	12	20
32	दमन एवं दीव	0	0	2.43	0	-	-
33	दिल्ली	0	0	167.53	0	-	-
34	लक्षद्वीप	0	0	0.64	0	-	-
35	पुदुचेरी	0	0	12.44	0	-	-
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**9**	**0.2**	**200.82**	**0**		
	कुल (अखिल भारत)	**5756**	**100**	**12101.93**	**0.5**		

अनुसूचित जनजातियों सहित कुल जनसंख्या   * वास्तविक जनगणना 2011 जनसंख्या (अनंतिम)

स्रोत: वर्ष 2011 में भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक 19 ड :

वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अखिल भारत (पी) की तुलना में किए गए अपराध की घटना (आई) तथा दर (आर) व प्रतिशत अंशदान

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या (लाख में) #	कत्ल (भा.द.सं की धारा 302)			बलात्कार (भा.द.सं की धारा 376)			अपहरण एवं बलातहरण (भा.द.सं की धारा 363-369, 371-373)		
			आई	आर	पी	आई	आर	पी	आई	आर	पी
					राज्य :						
1	आंध्र प्रदेश	846.65	9	0	6.3	46	0.1	6	5	0	3.6
2	अरूणाचल प्रदेश	13.83	2	0.1	1.4	3	0.2	0.4	6	0.4	4.4
3	असम	311.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	1038.04	1	0	0.7	1	0	0.1	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	255.4	22	0.1	15.4	90	0.4	11.7	6	0	4.4
6	गोवा	14.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	603.83	9	0	6.3	20	0	2.6	16	0	11.7
8	हरियाणा	253.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	68.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	125.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	329.66	4	0	2.8	27	0.1	3.5	30	0.1	21.9
12	कर्नाटक	611.31	3	0	2.1	2	0	0.3	0	0	0
13	केरल	333.88	0	0	0	109	0.3	14.1	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	725.98	49	0.1	34.3	306	0.4	39.6	39	0.1	28.5
15	महाराष्ट्र	1123.73	16	0	11.2	57	0.1	7.4	11	0	8
16	मणिपुर	27.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	29.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिज़ोरम	10.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैण्ड	19.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	419.47	6	0	4.2	45	0.1	5.8	4	0	2.9
21	पंजाब	277.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	686.21	19	0	13.3	50	0.1	6.5	18	0	13.1
23	सिक्किम	6.08	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0.7

24	तमिलनाडु	721.39	0	0	0	3	0	0.4	0	0	0
25	त्रिपुरा	36.71	1	0	0.7	7	0.2	0.9	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	1995.81	2	0	1.4	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	101.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	913.48	0	0	0	4	0	0.5	1	0	0.7
	कुल राज्य	**11901.11**	**143**	**0**	**100**	**770**	**0.1**	**99.7**	**137**	**0**	**100**
	संघ राज्य क्षेत्र :										
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3.8	0	0	0	1	0.3	0.1	0	0	0
30	चंडीगढ़	10.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादर एवं नागर हवेली	3.43	0	0	0	1	0.3	0.1	0	0	0
32	दमन एवं दीव	2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	167.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	12.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**200.82**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0.3**	**0**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**12101.93**	**143**	**0**	**100**	**772**	**0.1**	**100**	**137**	**0**	**100**

अनुसूचित जनजातियों सहित कुल जनसंख्या आई-घटना, आर-अपराघ की दर, पी-अंश प्रतिशतता

स्रोत: वर्ष 2011 में भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अध्याय 20

विभागीय लेखा संगठन

लेखा संरचना :

20.1 प्रत्येक विभाग के सचिव अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं।

प्रधान लेखा कार्यालय संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय, जो भुगतान संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है, बजट एवं सभी प्रकार के लेन-देन के खातों का संकलन एवं उस पर निगरानी रखता है, के माध्यम से विभाग से संबंधित लेखांकन मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें लेखा संबंधी कार्यों के लिए बिलों/वाउचरों की पूर्व लेखा परीक्षा, बजट की उपलब्धता के संदर्भ में मंत्रालय के विनियोजन लेखे को मासिक लेखे को कम्प्यूटरीकृत करना, केन्द्रीय लेन-देन का विवरण, संघ वित्त लेखा, अन्य संबंधित कार्य यथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, व्यय की प्रगति की निगरानी हेतु सचिव को योजनावार व्यय का विवरण देना, प्राप्ति बजट तैयार करना, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करना, आदि शामिल हैं।

20.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्य एक मात्र वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। यह वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखा सीधे महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन इस मंत्रालय अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु प्रत्यायित बैंक है।

20.3 लेखे का कम्प्यूटरीकरण

20.3.1 लेखांकन प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने में एक महत्त्वपूर्ण कदम महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा की गई पहल के कारण उठाया गया जो कॉम्पैक्ट (सीओएमपीएसीटी) पैकेज का कार्यान्वयन है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय के अधिकांश क्रियाकलापों के निष्पादन में भूमिका निभाता है। कॉम्पैक्ट के साथ ही, एक ही डाटा को बार-बार हाथ से लिखने के नियमित कठिन कार्य से निजात दिलाना है। इस पैकेज के माध्यम से कम्प्यूटर समर्थन का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार डाटा प्रविष्टि करने पर उसे पुनः किसी अन्य प्रयोजन, यथा मासिक लेखा संकलन अथवा एमआईएस रिपोर्ट बनाने इत्यादि हेतु दोबारा प्रविष्टि करने की आवश्यकता न रहे।

यह प्रणाली न केवल बेहतर लेखा कार्य करता है तथा प्रबंधन सूचना उपलब्ध करता है बल्कि लेखा सूचनाओं के विश्लेषण में भी इससे सहायता मिली है। बहुत से ऐसे कार्य हैं, विशेषतः लेखा समायोजना जिनमें मानव श्रम की आवश्यकता है। यह पैकेज ऐसे कार्यों में सहायता करने के साथ-साथ इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण को बढ़ाने तथा सटीकता में सुधार करता है। यह पैकेज कम्प्यूटरीकृत वैलिडेशन के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण एवं लेखे की सुविधा देता है एवं इस प्रकार लेखे की गुणवत्ता के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कॉम्पैक्ट के सभी मॉड्यूल्स यथा पूर्व जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन, का वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा उपयोग किया जाता है।

कॉम्पैक्ट में ई-भुगतान की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का प्रयोग करके चेक जारी करने की अब कोई अवश्यकता नहीं है। भुगतान के लिए बैंक के लिए केवल इलैक्ट्रिानिक एडवाइज बनाई जाती हैं और सरकारी इलैक्ट्रानिक भुगतान गेटवे अर्थात जीईपीजी पर डाल दी जाती है। एक्राडाइटेड बैंक ई-एडवाइस वाली फाइल डाउनलोड करते

हैं और भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे ही घंटों में आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा ई-भुगतान करते हैं।

इसने कागजी कार्य को कम किया है और भुगतान के विलम्ब को समाप्त किया है। यह भुगतान करने की सबसे तेज और सुरक्षित प्रक्रिया है क्योंकि ये वेतन लेखाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्राधिकृत हैं।

इसके अतिरिक्त मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में अनेक अन्य उपाय कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं जिसके लिए कर्मचारियों को सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान में प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप भेजा जा रहा है।

20.4 ई-लेखा

वेतन एवं लेखा कार्यालय वेबसाइट www.cga.nic.in/elekha/elekhahome.asp पर दैनिक आधार पर ई-लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड कर रहा है, ताकि प्रधान लेखा कार्यालय एवं महालेखा नियंत्रक या विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी कर सके तथा पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाई जा सके।

ई-लेखा की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) मंत्रालय के व्यय की स्थिति का दैनिक आधार पर पता लगाया जा सकता है।

(ii) इससे योजनावार व्यय की और अधिक प्रभावी रूप से निगरानी होती है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ सभी योजनाओं की निगरानी न केवल इस मंत्रालय द्वारा अपितु प्रधानमंत्री कार्यालय तथा वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा ई-लेखा के माध्यम से भी हो रही है।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय में लंबित बिलों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

(iv) ई-लेखा में अतिरिक्त प्रविधि शामिल की गई है यहां ब्यूरो शीर्षवार और योजनावार व्यय और बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के संदर्भ में इसके प्रतिशत की निगरानी की जा सकती है। इससे सचिव द्वारा समय-समय पर व्यय की समीक्षा करने में मदद मिलती है।

20.5 केन्द्रीय योजना स्कीम की निगरानी प्रणाली:

केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली, की शुरूआत भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन संस्थाओं को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिला तथा उपमंडल एवं व्यय स्थानों को निधियों के प्रवाह पर विश्वसनीय डाटा हेतु की गई है तदनुसार, इस मंत्रालय की सभी स्कीमों और योजना व्यय बिन्दुओं की मैपिंग इस संगठन के इस उद्देश्य हेतु विशेष सॉफ्टवेयर, अर्थात् केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के माध्यम से की गई है। इस विभाग के सभी कर्मचारियों को इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न संगठनों/इकाइयों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को कोई भी देख सकता है। विभाग ने भी इसे अत्यंत लाभदायक पाया है। इस प्रणाली में नई उपयोगिता विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अनुपयोजित निधियों/अनुदानों को देखने के लिए प्रदान की गई है।

विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, इस परियोजना के सीपीएसएमएस में इस वर्ष अतिरिक्त प्रविधि प्रदान की गई।

डीबीटी के तहत कवर की गई प्लान योजना की स्वीकृति पर सीपीएसएमएस के माध्यम से कार्रवाई की जाती है और इस पद्धति के माध्यम से भुगतान किया जाता है। स्वीकृति के साथ संलग्न सूची के अनुसार निधियां लाभार्थी के बैंक खाते में पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंक को भुगतान एडवाइज के उसी दिन सीधे ही क्रेडिट की जाती हैं।

20.6 नई पेंशन योजना:

नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड वेतन सहित) मंहगाई भत्ते के साथ 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्से के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से एनएसडीएल (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के पास उसके ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

सभी वित्तीय सलाहकारों को सीआरए साइट पर एनपीएस एसेस के लिए पिन नं. आवंटित किया गया है और इन्होंने व्यक्तिगत अंशदाता के खाते में क्रेडिट करने के लिए अंशदाता प्रेषण में गलती के बारे में समीक्षा शुरू कर दी है और तिमाही आधार पर व्यक्तिगत अंशदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं।

20.7 आंतरिक लेखा परीक्षा:

प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, जो पारंपरिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है, अलग-अलग योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन तथा उसके विषय में अवगत कराने के कार्य में शामिल है। अनुपालन/नियामक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा की संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर निम्नांकित पर भी ध्यान देता है:

- सामान्यत: आंतरिक नियंत्रण की औपचारिकता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषत: वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता;
- रिस्क फैक्ट्र्स (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित) की पहचान एवं निगरानी;
- धन की महत्ता के सुनिश्चियन हेतु सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता, प्रभाव तथा कम व्यय संबंधी महत्वपूर्ण आकलन।
- सुविधा एवं मध्यावधियों में सुधार लाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना
- रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया पैराओं की संख्या निम्नांकित तालिका में दी गई है:-

1.	31.3.2012 तक बकाया पैराओं की सं.	51
2.	2012-2013 के दौरान जोड़े गए पैराओं की सं.	02
3.	2012-13 के दौरान समायोजित पैराओं की संख्या	शून्य
4.	31.3.2013 तक बकाया पैराओं की संख्या	53

20.8 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएन):

जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-20क** में दिया गया है।

20.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र:

मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समूचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेबआधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया है।

इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंन्ट्री के चार स्तर हैं। प्रथम स्तर पर मंत्रालय स्वीकृति विवरण डालता है। द्वितीय स्तर पर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं वितरण अधिकारी बिलों के विवरण डालते हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ स्तरों पर वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतिम रूप से बिलों के भुगतान हेतु उसका सत्यापन करते हैं तथा उन्हें स्वीकार करते हैं।

यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होते हैं। साथ ही, मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट में इस सॉफ्टवेयर का लिंक है ताकि ऐसी रिपोर्टों में रूचि रखने वाले लोग इसका अवलोकन कर सकें।

इन रिपोर्टों का संक्षिप्त सारांश निम्नांकित है:

रिपोर्टें

1. वर्ष वार सारांश
2. ब्यूरो वार सारांश
3. ब्यूरो प्रभाग वार सारांश
4. ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्ष वार सारांश
5. ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्षवार सारांश
6. गारंटी एवं योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थिति का सारांश
7. अनुदानवार सारांश का वर्ष एवं स्वरूप
8. वर्ष तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
9. वर्ष, राज्य, एवं जिलावार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
10. वर्ष, एवं गारंटीवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
11. वर्ष एवं योजनावार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
12. वर्ष स्कीम ग्रारंटी तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश

अनुलग्नक : 20क

पैरों/पीएसी रिपोर्ट की स्थिति जिन पर एटीएन लम्बित हैं

क्र सं.	वर्ष	पैरा/पीएसी रिपोर्ट की संख्या जिस पर ऑडिट द्वारा जांच के बाद पीएसी को एटीएन सौंपा गया है।	पैराओं/पीएसी रिपोर्ट के व्योरे, जिन पर एटीएन लंबित है			
			वैसे एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय ने प्रथम बार भी नहीं भेजा।	भेजे गए एटीएन, की संख्या, जिन्हें मंत्रालय को टिप्पणियों सहित वापस किया गया है तथा ऑडिट, मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है।	भेजे गए एटीएन की संख्या किन्तु जिन्हें आडिट द्वारा वेट नहीं किया गया अपनी टिप्पणियों सहित वापस नहीं किया है।	ऑडिट द्वारा अंतिम रूप से जांच किए गए परन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए एटीएन की संख्या
1	1999	…	…	1	…	…
2	2002	…	…	…	…	…
3	2003	…	…	…	…	…
4	2005	…	…	…	…	…
5	2006	…	…	…	…	…
6	2007	…	1	…	…	…
	कुल	…	**1**	**1**	…	…

अध्याय 21

जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम, रूपरेखा, दस्तावेज (आरएफडी) (2013-14)

दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य

दृष्टि :-

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति के मानव विकास सूचक में अंतर को कम करने एवं हटाने के लिए और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त करने में सहायता करना जिससे कि उन्हें अपनी जीवन शैली, अपने प्राकृतिक संसाधन आधार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और सूचित चयन को करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

लक्ष्य :-

जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में निम्नानुसार बहुआयामी रणनीति के माध्यम से सभी अनुसूचित जन जातियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय बहुआयामी रणनीति के माध्यम से देश में सभी अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ाना,

(2) विधायी और कार्यकारी हस्तक्षेपों का निरूपण एवं प्रोत्साहन,

(3) क्षेत्र एवं जनसंख्या लक्षित प्रयास के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों को उन्नत बनाने के लिए सुविधा देना,

(4) आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए मूल अवसंरचना के सृजना को आगे बढ़ाना,

(5) पोषण में सहायता, शैक्षिक, आवश्यक कौशल एवं जलवायु एवं अन्य संकटकालीन स्थितियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराना ।

उद्देश्य :-

1. सुशासन के माध्यम से बेहतर रूप से लक्षित करने को सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाएँ/कार्यक्रम एवं नीतियाँ निरूपित करना ।

2. जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान प्रशासन को उन्नत करने और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र को सुविधाएँ प्रदान कर सामाजिक कल्याण उत्पादों और सेवाओं की लक्षित और केन्द्रित आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

3. लाइन मंत्रालय के साथ समन्वय करना और सुनिश्चित करना कि लाइन मंत्रालय और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की योजना और कार्यक्रम जनजातीय आवश्यकताओं की विशिष्टताओं की अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में वकालत करें और भेदकारी मानदंडों और आपूर्ति प्रविधियों का निर्माण करें।

4. केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतराल को भरना।

5. विशेष रूप से, कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत प्रस्तावों के लिए राज्य सरकारों को बेहतर डिजाइन संवर्धन और विकास योजना के लिए सहायता करके भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य

अवसंरचनात्मक विकास स्कीमों के अभिसरण में हो और ऐसी आजीविका समर्पित अवसंरचना बने जो संगत, सर्वोत्म गुणता की हों।

6. बाहरी स्रोत की निगरानी, मूल्यांकन एवं जहाँ तक संभव हो कार्यक्रमों की प्रगति को मंत्रालय की वैबसाइट पर रख कर मंत्रालय के कार्यकरण में कुशलता व पारदर्शिता लाना।

कार्य :-

1. (क) अनुसूचित क्षेत्र (ख) सड़कों व पुलों के कार्य और उन पर नौकाओं के अतिरिक्त असम के स्वायत्तशासी जिलों से संबंधित मामले और (ग) अनुसूचित क्षेत्रों और संविधान की 6ठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 के साथ लगी तालिका के भाग 'क' में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम 2. (क) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग और (ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों को तैयार करने और निष्पादन के संबंध में निर्देश जारी करना । 3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग । 4. सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 का 22) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध मं आपराधिक न्याय का प्रशासन शामिल नहीं।

अध्याय 22

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पता:	शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110 001
वेबसाइट आई डी:	www.tribal.nic.in
जारी करने की तिथि:	मई, 2012
अगली समीक्षा:	मई, 2014

परिदृश्य

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करने और समाप्त करने तथा उनकी जीवन शैली, उनके प्राकृतिक संसाधन आधार पर प्रभावी नियंत्रण करने एवं संसूचित चुनाव में समर्थ बनाने के लिए अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक तथा आर्थिक रुप से सशक्त बनाना।

मिशन

भारत सरकार के विभिन्न लाइन मंत्रालयों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय, बहु आयामी रणनीति के माध्यम से देश में सम्पूर्ण अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये क्षेत्र जो निम्नलिखित हैं:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी हस्तक्षेपों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी तथा पोषण समर्थन, शिक्षा, आवश्यक शिल्पों के लिए तथा मौसम की परिस्थितियों और अन्य विपत्ति वाली स्थितियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के लिए आधारभूत अवसंरचना का पुन:सृजन करना।

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
1.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गरीबी का उन्मूलन तथा उद्यमशीलता का विकास!	20	श्री एस.एम. सहाय निदेशक (एसजी)	sm.sahai@nic.in	9810324269 (23381692)	राज्य सरकारों/ संघ सरकारों से आवंटन/प्रस्तावों को आमंत्रित करने की सूचना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संस्वीकृति जारी करना I/II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों संघ राज्य/क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति 3) विगत वर्षों में निर्मुक्त अनुदान जहां उपयोगित प्रमाण पत्र देय नहीं हैं, के लिए व्यय रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थान ों/ गै.स.सं. को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवासों तथा आवासीय विद्यालयों के रुप में शैक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिककोत्तर स्तर पर छात्रवृतियां	15	श्री विश्वरंजन ससमल (निदेशक शिक्षा)	b.sasmal@nic.in	8985970071 (23070508)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संस्वीकृति जारी करना I/ II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3) छात्रवासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, पीडब्ल्यूडी निर्माण दरों की अनुसूची, सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना/घटक के संबंध में प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ख) अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास	15	सुश्री शायला टाइटस उपसचिव(एनजीओ)	s.titus@nic.in	9910646306	I/II किस्त की स्वीकृति / निमुर्क्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) लेखों का लेखा परीक्षित विवरण 3) प्रबंधन समिति की सूची 4) स्टाफ सदस्यों की सूची 5) लाभार्थियों की सूची 6) जिला समाहर्ता की जांच रिपोर्ट 7) वार्षिक रिपोर्ट 8) राज्य स्तरीय बहुविषयक समिति की सिफारिशें 9) किराया करार 10) किराया आकलन प्रमाण पत्र 11) सिक्यूरिटि बॉण्ड 12) इलेक्ट्रोनिक भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करने संबंधी पत्र 13) संगठन द्वारा यथा हस्ताक्षरित निबंधन एवं शर्तें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजातीय लोगों से सबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन अध्ययन करना ग) जनजातीय त्यौहारों, दौरों का आदान-प्रदान करना	10	सुश्री निवेदिता (उपसचिव) (आर एंड एम)	nivedita.iofs@gmail.com	9582397114 (26182428)	अखबारों में विज्ञापन तथा मंत्रालय की वेब साइट के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						अनुसूची के अनुसार स्वीकृति जारी करना तथा I, II किस्तों की निर्मुक्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा संवीक्षा एवं चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से संगठनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव, वार्षिक रिपोर्टें, लेखा परीक्षित लेखे, ज्ञापन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र। दूसरी और तीसरी किस्त की निर्मुक्ति, चार्टर्ड एकाउंटेंट से जीएफआर 19क में लेखों के लेखा परीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर की जाती है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5.	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता के लिए वित्तीय सहायता जारी करना	5	सुश्री निवेदिता उपसचिव (सी पी एंड आर)	nivedita.iofs@gmail.com	9582397114 (26182428)	संस्वीकृति /I/II किश्त जारी करना (जैसा लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन व संवीक्षा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकार के माध्यम से ट्राइफेड/एसटीडीसी द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीतिगत दस्तावेज/मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में इन्पुट/ टिप्पणियां प्रदान करना	10				संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

						संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने विचार तैयार करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10	श्री राजीव प्रकाश		(26182428)	संगत साहित्य का सदंर्भ लेकर गहरा अध्ययन, अपने मत का निरूपण और विश्लेषण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						बैठकों में अपने विचार व्यक्त करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

						विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों, शासन परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	मंत्रालय के कर्मचारियों/ सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान	10	श्री गोपाल साधवानी उप सचिव (प्रशासन)	sadhwani.gopal@nic.in	9868833090 (23383965)	जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						शिकायत की प्राप्ति	समर्थनकारी दस्तावेज/ आदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						आवेदक को उत्तर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	आवासीय/ गैर अवासीय/ आश्रम विद्यालयों, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों/ एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्री अशोक पाई संयुक्त सचिव (प्रशासन)	ashokpai@nic.in	(23073489)		लागू नहीं			

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/ समव्यवहार	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	भार	डाटा स्रोत
1	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी की गरीबी का उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास	20.0	समय	40	दिन	20.00	मंत्रालय रिकार्ड
2	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	15.0	समय	45	दिन	15.00	मंत्रालय रिकार्ड
3	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (ख) अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों(पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास	15.0	समय	45	दिन	15.00	मंत्रालय रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– (क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं पर निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन (ग) जनजातीय त्यौहार, दौरों का आदान-प्रदान	10.0	समय	45	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:– भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	5.00	मंत्रालय रिकार्ड

6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/ टिप्पणी प्रस्तुत करना	10.0	समय	25	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10.0	समय	आवश्यकता के अनुसार	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ता की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
9	आवासीय/ गैर आवासीय/ आश्रम स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों व एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना	5.0	समय	75	दिन	5.00	मंत्रालय रिकार्ड

शिकायत निवारण तंत्र यूआरएल वेबसाइट http://pgportal.gov.in/ को लॉज करने के लिए

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन नं.	ईमेल	मोबाइल नं.
1	श्री अशोक पाई, संयुक्त सचिव तथा शिकायत निदेशक	011-23073489	ashokpai@nic.in	
2	श्री आर.एस. मीणा, कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड	011-26522652	rsmeena@nic.in	9868100042
3	श्री अनिल पी.सी. रवेन, वरिष्ठ प्रबंधक (परि.) एनएसटीएफडीसी	011-26712539	raven.oraon@gmail.com	9873015939

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/ राज्य मंत्रालय/ विभाग
2	केन्द्रीय/ राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/ शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसी
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठनों की जिम्मेदारी	लैंड लाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नम्बर	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011-26866084	angurana@ias.nic.in	9910517971	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3-इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110066
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712519	gursaroop@yahoo.co.in	9911370094	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हॉल, नं. 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का समय पर व पहले प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/ योजनात्मक हस्तक्षेप के गुण-दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ नोटिस देना